राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] षष्ठम विधान सभा के षष्ठम सत्र का 11वां दिवस [संख्या 6

बृहस्पतिवार,

दिनांक 4 अक्टूबर, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री मेघराज पंवार।

127. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, क्या राज्य सरकार ने छोटी जोतों पर से कृषि भूमि का लगान माफ किया है ? यदि हाँ, तो कब से, और किस किस तहसील में कितनी कितनी कृषि भूमि पर से ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सम्बन्ध में राज्य आदेश होने के बावजूद भी अधिकारियों ने इस प्रकार माफ किये गये लगान की वसूली सरकार के जुबानी आदेश से करवाई है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री): (1) असिंचित छोटी जोतों पर से लगान माफ किये जाने सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। यह छूट 1 अप्रेल, 1977 से प्रभावशील है। तहसीलवार भूमि का वर्गीकरण, कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के शिड्यूल में दिये वर्गीकरण के अनुसार है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री **ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : सही कैसे नहीं है, श्रीमान्........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्त्ता।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : जो मंत्रीजी ने यह जवाब दिया है, खंड (2) का, कि यह सही नहीं है, हकीकत यह है कि यह सही है और आपने असिंचित क्षेत्र में लगान माफ डिक्लेयर किया था। यह सही है कि 36 बीघा वाले काश्तकारों से लगान लिया गया है, वसूलियाँ की गई हैं और जबर्दस्ती वसूलियाँ की गई हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप यह बताइये पहले की छोटी जोत कितने बीघा की है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं बता देता हूं ।

Page No.2

श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी जोतों की बात है। मेरा निवेदन यह है कि स्टैंडर्ड एकड़ कितने बीघा की है ?

श्री **ईश्वरचन्द्र** : स्टेन्डर्ड एकड़ का सवाल नहीं है। आप बीच में क्या बोलते हैं।

श्री **ओंकारलाल चौहान** (अटरू) : मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि रिकवरीज के बारे में जो हवाला दिया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों से जबरदस्ती वसूलियाँ की जा रही हैं। क्या यह न्याय संगत है, मंत्री महोदय ?

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा.. ...

श्री **मेघराज पंवार** : उपाध्यक्ष महोदय, जबरदस्ती वसूलियां हुई हैं, मैंने रसीदें देखी हैं, और यहाँ मंत्री महोदय यह फरमा रहे हैं कि यह सही नहीं है।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप ऐसा कोई उदाहरण दीजिये जिसमें वसूलियां की गई हों।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : क्या यह बात सही है..

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री ईश्वरचन्द्र।
श्री ईश्वरचन्द्र.......

(व्यवधान)

श्री **ईश्वरचन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय....

(व्यवधान)

श्री **मोहनलाल** (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, जबरदस्ती वसूलियाँ हो रही हैं। हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि झालावाड़ में दस बीघा कच्ची असिंचित भूमि पर लगान माफ किया गया था ? अगर हाँ, तो पिड़ावा तहसील में लगभग पन्द्रह सौ छोटे काश्तकारों से 1-4-77 के बाद भी लगान की वसूली की गई है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मंत्री महोदय भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को जानते हैं और मानते हैं, फिर भी इस आदेश के बाद भी वसूली की गई है। तो कृपा करके यह घोषणा करें कि अगर ऐसा लगान वसूल किया गया है तो पाँच दिन में, सात दिन में उन लोगों को रिफण्ड कर दिया जायेगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मेघराज पंवार।

श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद वसूली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जावेगी ?

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेघराजजी पंवार के प्रश्न के खण्ड (2) में जो पूछा गया है, उसको मैं पढ़ देता हूं: "क्या यह सही है कि उपरोक्त संबंध में राज्य के आदेश होने के बावजूद भी अधिकारियों ने इस प्रकार माफ किये गये लगान की वसूली सरकार के जबानी आदेश से करवाई है ?"

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

इसका मैंने जवाब दिया है, कि यह सही नहीं है। कोई जबानी आदेश नहीं है। मेरा उत्तर बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा उत्तर जुबानी आदेश के बारे में था. . . .

(व्यवधान)

आप पूरा जवाब सुनिये, क्या प्रश्न था, इसका जवाब दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: पहले पूरा उत्तर सुन लें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : पहले मुझे पूरा उत्तर देने दीजिये, इसके बाद सवाल करलें। यह राजस्थान सरकार का आदेश है दिनांक 16-1-1978 का जिसमें लिखा है :

"राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन कृषकों के पास 1 अप्रेल, 1977 को राजस्थान में कुल जोत की भूमि नीचे लिखे गये क्षेत्रों में उनके आगे अंकित भूमि के बराबर अथवा कम है और समस्त ऐसी जोत की भूमि नीचे लिखे गये क्षेत्रों में उनके आगे अंकित भूमि के बराबर अथवा कम है और समस्त ऐसी जोत की भूमि असिंचित है तो उन जोतों पर खरीफ सम्वत् 2034 की फसल से भू-राजस्व नहीं लिया जायेगा :-

1. उपजाऊ, अर्ध-उपजाऊ एवं पहाड़ी क्षेत्र (फर्टाइल, सेमी फर्टाइल एण्ड हिल्ली जोन)।	6-178 एकड़ अथवा ढ़ाई हैक्टेयर असिंचित भूमि।
2. अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र (सेमी डेजर्ट जोन)।	16-475 एकड़ असिंचित भूमि।
3. रेगिस्तानी क्षेत्र (डेजर्ट जोन)।	22-653 एकड़ असिंचित भूमि।

उपरोक्त उपजाऊ, अर्द्ध-उपजाऊ एवं पहाड़ी क्षेत्र अथवा अर्द्ध-रेगिस्तानी व रेगिस्तानी क्षेत्र का वर्गीकरण वही होगा जो कि राजस्थान इम्पोजीशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट, 1973, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिनियम, 1973 के शिड्यूल में दिया गया है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जो ऐसी भूमि देहरी, सेवज, खारिण्ड, सैलावी, तालाबी पेटा, कछार, खातली भूमि भू अभिलेखों में दर्ज है, वह इस छूट के लिए असिंचित नहीं मानी जायेगी।"

यह ऑर्डर है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, जनवरी, 78 में यह आदेश हुआ और इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1-4-77 से लागू किया गया है। ऐसे जो . . .

(व्यवधान)

मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। इस आदेश के पहले कई लोगों ने अपने कर्त्ता की रसीदें प्राप्त कर लीं, रुपये जमा करा दिए। इसके बाद फिर कुछ . . .

श्री ईश्वरचन्द्र : ये खुद ही मान रहे हैं तो फिर रिफण्ड कब करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : पहले मुझे पूरा जवाब देने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को पूरा जवाब देने दीजिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
आपकी मार्फत और इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस आदेश के होने के बावजूद भी अगर किसी ने इसका कर्त्ता वसूल कर लिया है, जो कि सीमा है, मुस्तकिस अप्रूव्ड माना गया है, वह लगान उन्हें वापस कर दिया जावेगा, और जिन अफसरों ने गलती की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : कब तक वापस कर देंगे ?

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** : कल आदेश दे दिये जावेंगे।

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : मान्यवर, मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है कि जिसके तहत रिफण्ड कर सकें। सिवाय इसके कि अफसरों के खिलाफ एक्शन कर लें, इसके सिवाय आप रिफंड नहीं कर सकते।

श्री **उपाध्यक्ष** : कानून में ऐसी रोक नहीं है कि इल्लीगल वसूली हो गई हो तो उसको वापस नहीं कर सकें। इल्लीगल वसूली हो गई है तो वापस की जा सकती है।

श्री **कौशल किशोर जैन** : मैं राजस्व मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने फर्माया कि मैं कार्यवाही करूंगा। वह कार्यवाही किस प्रकार की होगी और क्या होगी ?

(व्यवधान)

श्री **लक्ष्मणसिंह** (चित्तौड़गढ़) : क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि सरकार के आदेशों की पालना संतोषजनक रूप से हो रही है अथवा नहीं ? इस संबंध में मंत्रीजी का क्या अनुभव है ?

श्री **कौशल किशोर जैन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा, जैसा कि फर्माया है कि मैं कार्यवाही करूंगा उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने सरकार के आदेशों की पालना नहीं की। वह किस प्रकार की कार्यवाही होगी, कब तक कार्यवाही होगी, और क्या कार्यवाही होगी ?

श्री **लक्ष्मणसिंह** : यह स्पष्ट है कि सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है। अतएव आपके द्वारा मंत्री महोदय से मैं यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि उनका इस संबंध में क्या अनुभव है।

श्री **उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय इस बारे में आप कृपया जानकारी दें कि आप जो रिफण्ड करेंगे उसके लिए क्या अलग से आदेश निकालेंगे या उन आदमियों का जिन्होंने कि लगान जमा करा दिया है, एप्लीकेशन देनी होगी ?

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** : जनरल आदेश से रिफंड करेंगे।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : आप उन काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रख दें, जिनसे सरकार ने जबरन लगान वसूल किया है। आप कलेक्टर से सूची मंगवा सकते हैं।

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** : उपाध्यक्ष महोदय, यह संभव नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि कितने आदमियों से लगान वसूल कर लिया गया है।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : हजारों आदमियों से लगान वसूल कर लिया गया है।

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** : तो हजारों आदमियों की सूची पेश नहीं की जा सकती।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह टीडियस जोब है। लोग परेशान हो जायेंगे। यह दूसरे वर्ष के लगान में एडजस्ट हो जाना चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। पहला तो यह है कि राज्य सरकार के आदेश हो जाने के बाद भी अधिकारियों ने लगान क्यों वसूल किया ? वे अधिकारी कौन-कौन थे ? उनकी सूची 8 तारीख को सदन की मेज पर रखी जाए।

(व्यवधान)

दूसरा प्रश्न यह है कि जो आदेश राज्य सरकार किसानों को लगान रिफंड करने का निकालेगी उसकी प्रतिलिपि समस्त विधायकों को देने का, क्या मंत्री महोदय श्रम करेंगे ? इसकी प्रतिलिपि भी 8 तारीख को सदन की मेज पर रख देने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर चिन्ता होना स्वाभाविक है। आप इस तरह का स्पष्ट आदेश दें कि जिलाधीश निश्चित तारीख तक, सात दिन में यह लगान, उन सभी आसामियों को, किसानों को जिनसे कि यह लगान वसूल कर लिया गया है, रिफण्ड कर दें, एक निश्चित अवधि आप बता दें कि उस अवधि के बाद उनको लौटा दिया जाएगा। इसके बारे में सदन को जानकारी दें और आश्वासन भी दें।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय इस प्रश्न के बारे में कह रहे हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक सैटिलमेंट नहीं होगा तब तक सरकार वसूली करती रहेगी। पहाड़ी क्षेत्र में गये साल, पिछले साल...

श्री उपाध्यक्ष : इस आदेश का सैटिलमेंट से कोई संबंध नहीं है।

श्री जीथिग (कुशलगढ़) : मंत्री महोदय, स्पष्ट आदेश दें कि जिन काश्तकारों से वसूली कर ली गयी है, उन काश्तकारों को किस प्रकार पैसा वापिस किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार का लगान माफी का आदेश था, उसको रेवेन्यू बोर्ड ने नहीं माना है ? दूसरा, जो लगान वसूल कर लिया गया है उस संबंध में मंत्री महोदय ने यह बताया है कि वे यह कैसे पता लगायेंगे। यदि सरकार पता नहीं लगाएगी तो कौन सी ऐजेन्सी इसका पता लगा सकती है ? रिफण्ड कब होगा, क्या इसके लिए भी मंत्री महोदय कोई स्पेसिफाइड पीरियड बतायेंगे ? जिन अधिकारियों ने सरकारी आदेश की अवहेलना की है, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ? इन प्रश्नों का कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना तो गलत होगा कि राजस्व मंडल ने इन आदेशों की पालना करने से मना कर दिया है। अलबत्ता राजस्व मंडल ने यह पूछा है कि जहां पर मांग कायम कर दी गई है और वसूली नहीं हुई है उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। यह मामला विचाराधीन है।

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

और कोई मामला नहीं है। . . . . .

श्री ईश्वरचन्द्र : इसमें क्या विचाराधीन है ? वसूली तो हो गई है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: वसूली हो गई है तो स्पष्ट आदेश दे दिए जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि रिफन्ड करने के तुरन्त आदेश दिए जायेंगे और उस आदेश की एक-एक प्रतिलिपि प्रत्येक माननीय सदस्य को भेज दी जाएगी। जिन किसानों से सन् 76 के लगान की वसूली हुई है उनको छोड़ कर दिनांक 1-4-77 के बाद जिस काश्तकार का लगान देय हुआ और वह लगान उस जमीन के बारे में है जिस भूमि के बारे में लगान माफ कर दिया गया है, तो वह लगान वापिस कर दिया जाएगा। यह भी पूछा गया है कि यह रिफन्ड 8 दिन में हो जाएगा ? मैं कोशिश करूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि यह जल्दी से जल्दी वापिस हो जाए लेकिन जैसी माननीय सदस्यों की चिन्ता है और जिस प्रकार से सवालात यहां पर पूछे गये हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि काफी तादाद में रकम काश्तकारों से वसूल हुई है तो उसमें समय लग सकता है। फिर भी मैं 15 दिन की अवधि इसके लिए चाहता हूं। 7 दिन की अवधि में यह संभव नहीं है। इसकी एक कापी आपके पास भेज दी जायेगी।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को 15 दिन का समय दे दिया जाए। इस अवधि में सरकार सारे काश्तकारों का लगान रिफन्ड करवा देगी इसकी अण्डरटेकिंग भी मंत्री महोदय दें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या 129

श्री अब्दुल हादी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। राज्य सरकार के आदेश होने के बावजूद अधिकारियों ने उसकी अवहेलना क्यों की ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, विराजिए।

प्रश्न संख्या 129

श्री हरिकिशन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जोगिंग : 15 दिन क्या एक महीने की अवधि सरकार को दे दी जाए लेकिन एक निश्चित अवधि में यह वापिस हो जाना चाहिए। निश्चित अवधि नहीं बताएंगे . .

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन। प्रश्न संख्या 130।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है। आप विश्वास रखें।

बाड़मेर की जलप्रदाय योजनाओं हेतु जमा राशि

130. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने राजस्थान विद्युत मण्डल के पास

Page No.7

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

बाड़मेर जिले में ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं से संबंधित नलकूपों और ग्रामों को विद्युत से जोड़ने के लिए कितनी राशि कब जमा कराई है ?

(2) निगम ने अब तक उक्त राशि का किस प्रकार प्रयोग किया है और कितने नलकूपों और ग्रामों को विद्युत से जोड़ा है ? पूरी जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कितनी राशि विद्युत निगम के पास अब तक मौजूद है ? उक्त राशि का कब तक पूरी तरह से प्रयोग किया जाएगा ?

विद्युत मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) बाड़मेर जिले में ग्रामीण जलप्रदाय से संबंधित नलकूपों पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने 74.103 लाख रुपये की राशि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के पास 28-10-78 से 31-3-79 के बीच जमा कराई है।

(2) बाड़मेर से खवास तक उत्तरलाई होकर जो 11 के.वी. की लाइन गई हुई है उसका 27 किलोमीटर आगे ग्राम भीमडा तक विस्तार करके भीमडा जल प्रदाय योजना को विद्युत उपलब्ध करा दी गई है । खवास और भीमड़ा के बीच में पड़ने वाले ग्राम जोगासर की जलप्रदाय योजना को भी विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है । ग्राम बोरिया की जलप्रदाय योजना के नलकूपों को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है ।

(3) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जमा करायी गयी राशि में से लगभग 67.70 लाख रुपये की राशि अभी विद्युत मंडल के पास उपलब्ध है । जलदाय विभाग की 9 योजनाओं का विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है । शेष योजनाओं की क्रियान्विति के लिए विद्युत मण्डल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 72.11 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि 33 के.वी. लाइन तथा 33 / 11 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए जमा कराने को लिखा है । जलदाय विभाग द्वारा यह राशि जमा कराने के बाद ही यह कार्य लिए जा सकेंगे ।

श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में यह आया है कि 68.07 लाख आपके पास जमा है । उस संबंध में जो 9 स्कीम्स हैं उनमें से दो, तीन, चार जो सक्सेसफुल हो सकती हैं उनको क्रियान्वित कीजिये । दूसरा प्रश्न 23.11 लाख आपको जन स्वास्थ्य विभाग से लेने हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह राशि उनको और दिला दें । विद्युत विभाग ने हमेशा इस क्षेत्र की अवहेलना की है, कभी डी.पी.ए.पी. से राशि ली नहीं, कभी भी विद्युत बोर्ड ने कोई लाइन के लिये राशि खर्च नहीं की है, अतः या तो विद्युत बोर्ड खर्च करे या जन स्वास्थ्य विभाग राशि जमा कराये, और इन 9 योजनाओं की पूर्ति करे । इसलिये मैं सी. एम. साहब से निवेदन करूंगा कि इस राशि को जमा नहीं कराने से एक भी योजना क्रियान्वित नहीं होती है और डीजल सैट्स से ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें चलेंगी नहीं।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

यह रेलेवेन्ट है, वर्ना पानी के संकट की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

(व्यवधान)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
मेरे इन तीन प्रश्नों का जवाब दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, 3 महीने बाढ़ आने के कारण इन 9 योजनाओं को हम शुरू नहीं कर सके फिर भी बाढ़ के बाद 33 के. वी. लाइन 7 किलोमीटर हमने अतिरिक्त खींची, 11 के. वी. की 250, एल. पी. की 260 और 100 किलोमीटर के पोल टेडे हो गये थे उनको ठीक किया। इससे ये 3-4 महीने चले गये। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इसी वर्ष इन कार्यक्रमों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहाँ-जहाँ जलप्रदाय योजनायें क्रियान्वित हो रही हैं वहाँ प्राथमिकता के आधार पर विद्युत बोर्ड....

श्री उपाध्यक्ष : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने नलकूपों को ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को हैण्ड ओवर नहीं किया, उनके बिल विद्युत बोर्ड से आते हैं ऐसे बिलों को..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अब्दुल अजीज कृपया बिराजें, यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री किशन सिंह भाटी : मैं विद्युत मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के मसलों में विद्युतीकरण न होने की वजह से, उन इलाकों में जहाँ पैसा जमा करा दिया है विद्युतीकरण के लिये, वहाँ किस स्पेसिफिक पीरियड तक विद्युतीकरण हो जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। बाड़मेर जिले की विशेष समस्या के बारे में प्रश्न पूछा गया है जिसका संबंध विद्युत विभाग और पी. एच. ई. डी. से है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा जो जन स्वास्थ्य 15 विभाग का पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, 72.11 लाख की राशि कब जमा हो जायेगी, जिससे कार्य द्रुतगति से शुरू कर सकेंगे ? जब तक आप राशि नहीं देंगे तब तक लाइन शुरू नहीं होगी। इसलिये इस प्रश्न को गंभीरता से देख कर, जो अकाल की स्थिति आ रही है और पानी की समस्या का प्रश्न है, जन स्वास्थ्य विभाग या आप व्यवस्था करिये। अगर विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग राशि जमा नहीं कराते हैं तो विद्युत विभाग कार्य शुरू करेगा या नहीं ?

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : मैं विद्युत मंत्रीजी से जानना चाहती हूं, 74.03 लाख जन स्वास्थ्य विभाग ने विद्युत विभाग के पास जमा करा दिये। उनमें से आज भी 68 लाख आपके पास बचे पड़े हैं। ग्राम थम्बली के नलकूप का विद्युतीकरण करने के लिये जन स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर इस काम को करने के लिए बिजली बोर्ड को कहा है। जब राशि जमा है तो मैं जानना चाहती हूं कि इसका विद्युतीकरण कब तक किया जा सकेगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने सारी स्थिति आपके सामने बता दी। पिछले 3–4 महीनों से बाढ़ की स्थिति होने के कारण इन सारी 9 स्कीमों को हम इसी वर्ष अविलंब करना चाहते हैं, इसी वर्ष इनको पूरा करने की योजना है, सामान की उपलब्धि में थोड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही है। आज देश भर में जिस प्रकार बिजली का प्रसार हो रहा है, तो भी जलदाय योजनाओं को प्राथमिकता देकर इन 9 योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय को 4 करोड़ रुपये इस प्रकार की जलदाय योजना के विद्युतीकरण के लिये दिये हैं। इन चार करोड़ की स्पेसिफिक उन्होंने आपको योजना बतलाई है कि डेजर्ट के अन्दर जहां आवश्यक समझें, वहां पर विद्युतीकरण कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : केवल बाड़मेर के बारे में ही प्रश्न कीजिये। आपने 4 करोड़ की बात कही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या प्राथमिकता उन योजनाओं को देंगे, या चार करोड़ के लिये उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लिये अलग-अलग मदवार पैसे दिये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आपके पास शेष उपलब्ध राशि 68–70 लाख में से कितनी यूटिलाइज हो चुकी है और बाकी कितनी अवधि में कर देंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 71 लाख थी उसमें से 5 लाख व्यय हो चुकी है, बाकी योजनायें बची हैं उनमें, इसी वर्ष पूरा करने की योजना है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री कारू भाई मीणा।

प्रतापगढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

131. श्री **कारू भाई मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रतापगढ़ तहसील में वर्तमान में कितनी सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतापगढ़ से नीमच रोड़ निर्माण की स्वीकृति दी गई है? यदि हाँ, तो इस सड़क को अब तक पूर्ण नहीं कराने के क्या कारण हैं? अब कब तक पूर्ण कर दी जायेगी?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जय नारायण पूनिया) : (1) प्रतापगढ़ क्षेत्र तहसील में वर्तमान में स्वीकृत सड़कों की सूची निम्नलिखित है :—

		(स्वीकृत राशि)
(1)	प्रतापगढ़-धरियावद	7.00 लाख
(2)	असोद-पीपलोदा	10.00 ,,
(3)	प्रतापगढ़-बाँसवाड़ा	13.00 ,,
(4)	डालोढ़-सालमगढ़	7.50 ,,
(5)	के.यू.एम. रोड अप्रोच से बसार।	1.00 ,,

(2) जी नहीं।

इस सड़क की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

Page No.10

श्री कालू भाई मीणा : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे । उन्होंने सदन में यह आश्वासन दिया था इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में वह क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री ओंकार लाल चौहान : आपने जो वादा किया था क्या वह पूरा हो गया है ?

श्री जयनारायण पूनिया : अभी यह कहना सम्भव नहीं कि वह कब पूरा होगा ।

श्री जोगिंग : आपने आश्वासन दिया था कि नैक्स्ट सैशन में ले लिया जाएगा या बजट-सैशन में ले लिया जाएगा । जैसा कि ये बता रहे थे इस बारे में अपना वादा आप कब तक पूरा करेंगे ?

श्री अब्दुल अजीज : ये जो कहते हैं, वह करते नहीं । जो करते हैं वह कहते नहीं ।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपने आश्वासन दिया था कि प्रतापगढ़ तक सड़क बनाई जाएगी । क्या मन्त्री महोदय, यह जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री जयनारायण पूनिया : आश्वासन कब दिया था, मुझे पता नहीं ।

प्रश्न संख्या 132

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट । श्री रामकृष्णदास गुप्ता ।

आपातकाल में सिविल सेवा से सेना सेवा में स्थानान्तरण

133. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का आदेश नं० एफ. 1 (76) एफ/डी/ए/रूल्स/62, दिनांक 3-1-63 एग्जिसटेंस में है, कि जो स्थायी कर्मचारी आपातकाल के दौरान भारतीय सेना की सेवा में जायेगा उनका विभाग में लियन कायम रहेगा व उनके सेना सेवा का काल आल पर्पज के लिए ड्यूटी काल माना जाएगा ? यदि हां, तो क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने विभाग के चिकित्सकों की सन् 1973 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कनिष्ठ शल्य विशेषज्ञों के चयन हेतु व सन् 1979 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ शल्य विशेषज्ञों के चयन हेतु आदेश की पालना की गई ? यदि नहीं, तो उपरोक्त आदेश की पालना न करने से किस-किस चिकित्सक को देश सेवा में जाने के कारण नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राज्य सरकार अपनी इस भूल को सुधारने हेतु कोई कदम उठा रही है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन) : (1) जी हां । आदेशों की पालना की गई है । समस्त नियमानुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की योग्यता पर विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के समय विचार किया गया है ।

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार किसी भी चिकित्सक को सैन्य सेवा के कारण नुकसान हुआ हो, ऐसी जानकारी नहीं है ।

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्रीजी को जानकारी देना चाहूंगा कि आपके विभाग के अधिकारियों ने गलत सूचनाएं दी हैं । कुछ डाक्टरों को सेना में जाने के बाद चयन समिति का फायदा नहीं मिला है । हाई कोर्ट और विभाग में ज्ञापन दिये जा चुके हैं । आपके पास भी विचाराधीन है । यह गलत उत्तर है । इस पर सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला बनेगा ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी डाक्टर ने जानकारी ऐसी दी है तो सामान्यतया यह होता है ....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सामान्यतया ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : सामान्यतया यदि नियमों की अवहेलना की है, ऐसा नहीं है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, डा० माथुर जो टोंक में हैं । आपातकाल का उनको कोई फायदा न देकर उनको रिवर्ट कर दिया गया है । आप जानकारी कर लें । जिन अधिकारियों ने यह गलत सूचना दी है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें । नहीं तो मैं पुनः आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाऊंगा ।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : आप वकील हैं । आपने रूल्स तो पढ़े होंगे । प्रवेशन और आफ्टर में मन्त्री के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन नहीं आता है । यह जानकारी मिनिस्टर हाउस के पास करता है । यह मंत्री नहीं देता है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर विभाग के अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, उसके खिलाफ में अवश्य कार्यवाही की जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ।

विद्युत कनेक्शन हेतु खम्भे लगाने का आधार

134. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत के कनेक्शन देते समय विद्युत हेतु खम्भे कहां-कहां पर लगाने की नीति है ? क्या परसराम नगर, ढेर का बालाजी, जयपुर-12 में बहुत से खम्भे सड़क पर नहीं लगाये जाकर निवासियों के प्लाटों के अन्दर गाड़े गये हैं जिससे वहां के निवासियों में असन्तोष व्याप्त है तथा लोगों को विद्युत करेण्ट लगने का भय लगा हुआ है ?

(2) क्या प्लाट सं. 1, 2 एवं 3 परसराम नगर, ढेर का बाला जी, जयपुर को विद्युत का कनेक्शन प्लाट के पिछले भाग से दिया गया है ?

(3) क्या पीछे की ओर जो विद्युत का खम्भा खड़ा कर रखा है, वह किसी व्यक्ति के प्लाट के अन्दर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त व्यक्ति ने सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर को कई बार प्रार्थना-पत्र भेज कर उस

(श्री मूलचन्द डागा)
खम्भे के उखाड़ने के लिए निवेदन किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या विद्युत बोर्ड उस खम्भे को उखाड़ कर प्लाट सं. 1, 2 एवं 3 के मालिकों को उनके सामने जो सड़क है, उसकी ओर खम्भे गाड़ कर, कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?

विद्युत मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) विद्युत कनेक्शन देते समय आवश्यकतानुसार तकनीकी साध्यता के आधार पर बिजली के खम्भे लगाये जाते हैं। परसराम नगर कृषि भूमि क्षेत्र है जिसके अनुमोदित नक्शे आदि नगर विकास न्यास द्वारा विद्युत मण्डल को प्रेषित नहीं किये गये हैं। कृषि भूमि में सड़क इंगित नहीं होने के कारण सड़क पर खम्भे लगाना सम्भव नहीं होता।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। जब से यह खम्भा अपने स्थान पर है तब यह कृषि भूमि थी और उस समय कोई प्लाट इस स्थान पर नहीं था।

(4) जी नहीं। क्षेत्र से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) जब इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होगा तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह परसराम नगर कहां बसा दिया है। यह परसराम मदेरणा के नाम पर तो नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो भू-खण्ड है, आबादी है। आपका खम्भा गड़ा हुआ है। हमने दो बार कहा, आपने कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, कोई प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं, वह गलत है। मैं झूठ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन यही कहता हूं कि वह सत्य नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कहीं जमीन पर अवैध कब्जा तो नहीं है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों की स्थिति क्या है। मैं जानता हूं कि यह सवाल रेलेवेन्ट नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

गांवों में जहां बिजली की जरूरत है, वहां पर खम्भे नहीं पहुंच रहे हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : मन्त्री महोदय ने यह फर्माया है कि प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है। क्या यह कारण तो नहीं है कि उन प्लाटों का आवण्टन अवैध हो ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो माननीय डागाजी से पूछिये।

नेक्स्ट क्वेश्चन।

लूणी नदी की बाढ़ की पूर्व सूचना

135. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह

Page No.13

(श्री माधोसिंह कछवाह)

बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन राजस्थान और जोधपुर में बाढ़ की सूचना, जोधपुर सम्भाग के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नागरिकों को बाढ़ आने के पूर्व देने में असफल रहा ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो कैसे ?

(2) सामान्य प्रशासन बाढ़ नियन्त्रण के मामले में किस प्रकार सतर्क रहता है ? और प्रचलन में किस प्रकार की व्यवस्था है ?

(3) क्या भविष्य में बाढ़ नियन्त्रण की सुचारु रूप से व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

अकाल राहत मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) जोधपुर जिला प्रशासन को दिनांक 16-7-79 को वायरलैस से तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा अतिवर्षा एवं जसवन्त सागर पर चादर चलने की सूचना सायं 8.25 पर दे दी गई थी। परन्तु सूचना इतनी अस्पष्ट थी जिससे आने वाली बाढ़ की विभिषिका का अनुमान लगाना कठिन था। जोधपुर व जैसलमेर जिले भारत सरकार के मौसम विभाग में पंजीकृत नहीं हैं। जोधपुर में आई बाढ़ का प्रभाव अजमेर व पाली जिले में हुई वर्षा से भी पड़ा था जो भारत सरकार के मौसम विभाग से पंजीकृत है। भारत सरकार से पंजीकृत होने के पश्चात् केन्द्रीय मौसम विभाग सूचना देता है किन्तु केन्द्रीय मौसम विभाग ने अजमेर व पाली तक को भी कोई सूचना नहीं दी। इतनी भयंकर वर्षा की सूचना केन्द्रीय मौसम विभाग से आनी थी जिसके न आने से भी स्थिति अस्पष्ट रही। गत कुछ वर्षों में जोधपुर जिले में बाढ़ की ऐसी स्थिति देखने में नहीं आई थी इस कारण जिलाधीश व जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारी यह नहीं सोच पाये कि इस अतिवर्षा एवं चादर चलने से इतनी गम्भीर बाढ़ की स्थिति इस क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त अस्पष्ट कारणों से नागरिकों को सूचना नहीं दी जा सकी।

(2) सामान्य प्रशासन बाढ़ नियन्त्रण के मामले में सतर्क रहता है। इस संबंध में की गई व्यवस्था की सूची संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भविष्य में बाढ़ नियंत्रण को सुचारु रूप से चलाने की जो व्यवस्था की है उसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सूची मेरे पास नहीं आई है। 16-7-79 को जो सूचना वायरलैस से दी गई, वह किस को दी गई ? यह जोधपुर दी गई या किसको दी गई ? बालोतरा में जब पानी पहुंचा तो उसके बीच में अगर सूचना होती तो लोग बच सकते थे। यह जो जान-माल की हानि हुई, यह नहीं होती। मौसम विभाग से सरकार का तालमेल रहना चाहिए। यह भयंकर वर्षा होने की सूचना क्यों नहीं दी गई है ? इसके लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया है ? 24 घन्टे में 24 इंच वर्षा हुई है। क्या यह सामान्य रूप से वर्षा का लेवल है ? पानी कहां जाता है, कहां इकट्ठा होता है ? उसके हिसाब से पानी का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस हिसाब से सूचना एकत्रित क्यों नहीं की गई ? इसका जवाब दें।

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूची नहीं मिली है। इसके

Page No.14

(श्री जयनारायण पूनिया)

बारे में बता सकते हैं, पहले क्या व्यवस्था थी?

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : मैंने पूछा है, उसका जवाब दीजिये। सूची तो मुझे दे दीजिये। मैं इसको देख लूंगा।

श्री जयनारायण पूनिया : जो प्रश्न पूछा गया है, पुनः वही बात पूछी गई है जिसका मैंने उत्तर दिया है। जोधपुर जिला प्रशासन को जो सूचना देने की बात है, वह जिलाधीश को सवा आठ बजे रात को दी गई। सूचना अस्पष्ट होने के कारण वे सोच नहीं पाए कि इतनी वर्षा विभीषिका है और असमंजस में वे पड़ नहीं पाए।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : वायरलैस की सूचना पढ़िये।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल हमीद (मकराना) : क्या राज्य सरकार ऐसे जिलाधीश के प्रति कोई एक्शन लेगी जिन्होंने यह लापरवाही बरती?

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : अस्पष्ट सूचना क्या थी?

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, सूची अभी तक नहीं आई है।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़वा) : उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई 15 और 16 की रात को लूणी के केचमेंट एरिया में बहुत बारिश हुई, उस समय क्या ऑल इण्डिया रेडियो को इस बारे में कोई सूचना दी गई या नहीं दी गई?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये। अकाल और बाढ़ पर विस्तार से चर्चा की जा रही है, उसका उत्तर देते समय माननीय मंत्री महोदय विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सारे प्रश्नों का इस सीमित प्रश्नकाल में विस्तार से उत्तर देना सम्भव नहीं है लेकिन माननीय सदस्यों की शंकाओं को देखते हुए मंत्री महोदय, उत्तर देना चाहें तो संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अस्पष्ट सूचना क्या थी, यह पढ़िये।

श्री माधोसिंह दीवान (सोजत) : बिलाड़ा तहसीलदार ने लिखा था कि 12 फुट पानी चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिलाधीश को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसने कुछ नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे क्या व्यवस्था करेंगे यह और भी अस्पष्ट है। यह जो सूचना मिली कलेक्टर को, उसके बाद में हो सकता है, सावधानी बरती जाती तो नुकसान से बचा जा सकता था। उन्होंने लापरवाही बरती है, इसकी पूर्ण जांच की जानी चाहिये जिससे सही तथ्य सामने आ सकें। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। इसका आश्वासन दिलाया जावे। लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं, इसमें लापरवाही बरती गई है। हमने जानकारी हासिल की है और गवाह भी पेश कर सकते हैं, भ्रष्ट-प्रशासन सरकार की लापरवाही रही है।

(व्यवधान)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

हमें आश्वासन दिया जाय सदन के अन्दर ।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है, माननीय मंत्री महोदय ने यह मान लिया है कि असंदिग्ध स्थिति में पड़ गये थे, वह असंदिग्ध स्थिति क्या थी ? इसका स्पष्टीकरण करें ।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : वायरलैस से क्या सूचना दी गई ?

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर का क्षेत्र भारत सरकार के मौसम कार्यालय के अधीन नहीं है . . .

(व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि जब जोधपुर कलेक्टर के पास 16 जुलाई की शाम को 8 बजकर 25 मिनट पर सूचना मिली कि बिलाड़ा में बाढ़ आ चुकी है और 17 तारीख को शाम को 6 बजे बालोतरा में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हुआ । इतनी लम्बी अवधि जोधपुर कलेक्टर के लिये कम नहीं थी कि बालोतरा प्रशासन को, बाड़मेर कलेक्टर को सूचना करते। क्या ऐसी सूचना करने का जोधपुर कलेक्टर का कर्तव्य नहीं था कि लूणी नदी में बाढ़ आ रही है । इसमें लापरवाही के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता । इसलिये पहला प्रश्न तो यह है कि जोधपुर कलेक्टर ने आगे के कलेक्टर को अथवा प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी ?

दूसरा प्रश्न यह है कि 14 से 16 जुलाई तक लूणी नदी के केचमेन्ट में लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है तो क्या प्रशासन को इतना सामान्य ज्ञान भी नहीं था कि इसके फलस्वरूप लूणी के आस-पास के क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आयेगी ?

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह कहा गया कि यह क्षेत्र भारत सरकार के मौसम कार्यालय के अन्तर्गत नहीं आता है ? मैं यह सूचना देना चाहती हूं कि 1969 में और 1973 में भी इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी और उस समय बाकायदा सूचना दी गई थी, उस समय क्या व्यवस्था थी ? क्या उस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है ? मैं कहना चाहती हूं कि तब प्रशासन कुशल था और आज का प्रशासन निष्क्रिय रहा है, अक्षम है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जालोर जिले में एक दिन बाद में पानी पहुंचा और वहां पर भी सूचना नहीं दी गई ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप विस्तार से जानकारी देंगे लेकिन संक्षेप में अभी दे दीजिये । यह मैं मानता हूं कि माननीया श्रीमती मदनकौर ने जो प्रश्न पूछे हैं वे बहुत व्यापक हैं और इतने सीमित समय में जानकारी नहीं दी जा सकती । मैं विस्तार से जानकारी के लिए मन्त्री महोदय को फिर अनुमति दूंगा, लेकिन इस समय वे चाहें तो माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने के लिए उत्तर दे सकते हैं ।

श्रीमती मदन कौर : यह हमारा अधिकारी है, माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : क्या माननीय मंत्री महोदय थोड़ा बहुत जवाब भी नहीं देंगे कि वास्तव में फेक्ट्स क्या हैं ?

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उस सम्बन्ध में आज बहस हो रही है, उस समय मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण पूनिया : वैसे माननीय सदस्यों को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई सूचना छिपाकर नहीं रखी जायगी और किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब बिराजिये। अब मैं स्थगित प्रश्न ले रहा हूं और उनमें भी इस तरह की सूचना माँगी गई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न के बाद में।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : मेरा प्रश्न भी जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्नों को पहले आने दीजिए।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : हमारे यहां विद्युत के कनेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने स्थगित प्रश्न पुकार दिया है। इस तरह न तो स्थगित प्रश्न का उत्तर आएगा, न आपके प्रश्न का उत्तर।

(व्यवधान)

स्थगन प्रश्न

(26 सितम्बर, 1979)

अजमेर, मेड़ता, रायपुर एवं जैतारण संभाग में हुई बरसात

57. श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी),

श्री **माधोसिंह दीवान** (सोजत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर, मेड़ता, रायपुर एवं जैतारण संभाग में किस तारीख को कितनी-कितनी बरसात रिकार्ड की गई तथा इस भारी वर्षा की सूचना विभिन्न जिलों के जिलाधीशों को कब दी गई, जिलाधीशों ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(2) जसवंत सागर बाँध में किस 2 तारीख को कब-कब कितना 2 जल स्तर था तथा बाँध को खतरा होने तथा लूणी नदी के किनारे व आगे आये गाँव के लोगों को खतरे से आगाह करने की सूचना कब दी गई ? यदि सूचना नहीं दी गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि सूचना समय पर राजस्व अधिकारियों को दी गई तो उक्त अधिकारी ने कब 2 क्या 2 कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि समय पर अगर लोगों को बाढ़ आने की व भारी बरसात की सूचना नदी के किनारे बसे लोगों को दे

(श्री रामसिंह विश्नोई)
दी गई होती तो जो जन धन व मवेशी की हानि हुई है, उसे बचाया जा सकता था एवं जो विभागीय कर्मचारी एवं ठेकेदार के मजदूर लूणी में एनीकट पर काम कर रहे थे उन्हें बचाया जा सकता था ? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी कौन थे तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि जसवंत सागर बाँध पर तैनात अधिकारियों ने बाढ़ के समय पूरी लापरवाही बरती तथा आफिस में घुस कर बैठे रहे तथा पाल का कोई निरीक्षण नहीं किया तथा संबंधित राजस्व अधिकारियों को भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी ? अगर हाँ, तो उस गैर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि ऐसे भ्रष्ट एवं लापरवाह अधिकारी जिसकी लापरवाही के कारण राष्ट्र को करोड़ों रुपयों की हानि का मुंह देखना पड़ा, हजारों व्यक्तियों को जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे देशद्रोही अधिकारी, का, उसी स्थान पर लोगों के समक्ष रखना क्या न्याय व इन्सानियत की दृष्टि से उचित है ? अगर नहीं, तो इन्हें वहां से नहीं हटाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) अजमेर, मेड़ता, रायपुर एवं जैतारण संभाग की वर्षा का विवरण सूची (क) में दर्शाया गया है। वर्षा की सूचना तहसीलदार, बिलाड़ा, द्वारा जिलाधीश, जोधपुर को, दिनांक 16-7-79 को वायरलैस द्वारा सायं 8.25 पर दी गई।

(2) जसवंतसागर बाँध के जल स्तर की सूची 'ख' में दर्शायी गई है। अतिवृष्टि व बाढ़ की सूचना स्थानीय उप-अभियंता ने सरपंच, पिचियाक को उसी दिन तारीख 16-7-79 को दी व सरपंच ने दूरभाष द्वारा सायं 7-50 बजे बिलाड़ा तहसीलदार को यह सूचना दी। तहसीलदार, बिलाड़ा ने 8.12 बजे एस. एच. ओ., बिलाड़ा को, जिलाधीश, जोधपुर को वायरलैस देने हेतु सूचित किया। एस. एच. ओ., बिलाड़ा ने 8.25 बजे जिलाधीश, जोधपुर को सूचित किया।

(3) इसका उत्तर पैरा नं. 2 में अंकित है।

(4) गठित समिति द्वारा जाँच जारी है व कार्यवाही जाँच रिपोर्ट के बाद की जा सकेगी।

(5) इसका उत्तर पैरा नं. 4 पर अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने अभी जो बताया कि जसवंत सागर बाँध की अतिवृष्टि व बाढ़ की सूचना स्थानीय उप-अभियंता ने सरपंच, पिचियाक को उसी दिन दी। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि सरपंच ने खुद तीन बार सूचना तहसीलदार को दे दी थी ? अगर उप-अभियंता इत्तला करते तो उसके निवास स्थान के पीछे पैट्रोल पम्प है जो 50 कदम पर है, वहाँ दो बजे बंधा भर गया। क्योंकि आपकी बातों से स्पष्ट है कि 7.30 बजे टेलीफोन काम कर रहा था। इससे स्पष्ट है कि उप-अभियंता ने, न कलेक्टर को, न अधिकारियों को, न तहसीलदार को इत्तला दी और आपने जब

Page No.18

(श्री रामसिंह विश्नोई)
कमेटी बिठाई तो वह जाकर सरपंच के गले पड़ गया, वह समझदार है, उसके घर टेलीफोन है। मैंने तहसीलदार को दो बार कहा था कि आपके जे. ई. एन. ने कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरी बात, क्या यह सही है कि बिलाड़ा के अंदर पानी रात के 8 व 11 बजे के बीच में आया लेकिन पीपाड़ा कस्बे में दो बजे पानी आ गया था, दो बजे और 3.4 बजे के बीच में कम से कम 40 आदमियों की मृत्यु हो गई, हजारों पशु बह गए। उप-अभियंता सोता रहा और क्या थानेदार-पिचियाक ने जोधपुर कलेक्टर को इत्तला की ? यदि की, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री माधव सिंह दीवान : जो आपने समिति गठित की है, उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं ?

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मैं सुपर डी-लक्स से सुबह 6 बजे रवाना हुआ जयपुर के लिए और 8 बजे बिलाड़ा पहुंचा उस समय ही एक-एक फुट पानी भर गया था। यह सुबह की स्थिति है और आप असत्य फर्मा रहे हैं कि दो बजे पानी आया। वह ओवरफ्लो होने के बाद आया लेकिन पूरे एरिया में 10-15 किलोमीटर्स में बाढ़ का पानी चल रहा था। उस स्थिति की सूचना जोधपुर को दी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो प्रश्न सिंचाई विभाग से संबद्ध है उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। जूनियर इंजीनियर ने साइकिल सवार को भेजा और उसके बाद उसने फोन से सरपंच से कान्टेक्ट किया। जैसा मैंने बताया उस प्रकार की सूचना तहसीलदार और एस. एच. ओ. को दी जिन्होंने कलेक्टर को कन्वे की। इस सारी बात की इन्क्वायरी जो पिचियाक व चौपड़ा फीडर से सम्बन्धित है, बिलाड़ा में जो दुर्घटना हुई है, इस विषय में जांच समिति बैठी है जिसके लिए मैंने 3-4 दिन पहले ही निवेदन किया था उसकी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने जो समिति गठित की है उसका दायरा तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का है। दो बजे पीपाड़ में पानी आ गया वहां मौतें हो गई, उसके लिए मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों, अरबों रुपयों की क्षति हुई। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कमीशन बिठाकर जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री ईश्वर चंद : खंड तीन का उत्तर क्या दिया ? यदि इसका संबंध आपसे नहीं हैं तो जो सम्बन्धित हैं उनसे जवाब दिलाइए।

श्री उपाध्यक्ष : जितना सिंचाई विभाग से संबंधित था, मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया।

श्री ईश्वर चंद : आपका प्रशासन इस पाइंट पर फेल हुआ है। थानेदार को जब इत्तला हो गई तो जो मजदूर काम कर रहे थे उनको क्यों नहीं आगाह किया ?

श्री उपाध्यक्ष : गृह विभाग से सम्बन्धित जानकारी सिंचाई मंत्री कैसे दे

Page No.19

(श्री उपाध्यक्ष)
सकेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : असल बात यह है कि सिंचाई विभाग का मेंड़ था। ठेकेदार के आदमी थे । गाँव का चौकीदार था । इत्तला समय पर नहीं दी गई ।

श्री उपाध्यक्ष : जांच हो रही है ।

श्री एच०एन०शर्मा : एनीकट पर मजदूर काम कर रहे थे ।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : एनीकट पर मजदूर काम कर रहे थे, वे इस बाढ़ में बहकर मर गए, एक भी नहीं बचा। मंत्री महोदय कहते हैं कि जे०ई०एन० ने समय पर दूसरे लोगों को बचाने के लिए साइकिल सवार को भेजा.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह ।

भीनमाल में विद्युत उपभोक्ताओं को कनेक्शन

136. श्री **सूरजपाल सिंह** (भीनमाल): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल विद्युतीकरण योजना में करीबन 150 उपभोक्ताओं ने मार्च, 1979 में डिमांड नोटिस के पैसे जमा करा दिये हैं मगर अब तक भी उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाया है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या इन उपभोक्ताओं को सामान के अभाव में विद्युत कनेक्शन नहीं मिल सके ? यदि हाँ, तो सामान उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि भीनमाल विद्युतीकरण योजना में करीब 500 फाइलें विचाराधीन हैं ? यदि हाँ, तो इनको विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिए जायेंगे ? निश्चित तारीख बताने की कृपा करें ।

विद्युत मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कृषि कनेक्शन हेतु मार्च, 1979 के अंत तक केवल 90 प्रार्थना-पत्र ऐसे थे जिनके डिमांड नोटिस की रकम जमा हो चुकी थी तथा 28 ऐसे थे जिनके एल फार्म भी जमा हो चुके थे और उनको कनेक्शन नहीं दिए जा सके । वर्ष 1979-80 में इनमें से 17 आवेदकों को कनेक्शन दे दिए गए हैं। शेष का लाइन खींचने का कार्य प्रगति पर है । जोधपुर संभाग में आई प्रलयकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को सुधारने के लिये उपलब्ध सामान को इस्तेमाल कर लिए जाने के कारण इस समय सामान का कुछ अस्थाई उपाय इन क्षेत्रों में हो गया है परन्तु उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(2) जी हाँ । इन प्रार्थना-पत्रों को सामान एवं प्रावधान की उपलब्धि के अनुसार कनेक्शन देने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री सूरजपाल सिंह : मंत्री महोदय ने बताया कि मार्च में 90 कनेक्शन के डिमांड नोटिसेज निकाले गए थे । मार्च व अप्रेल में कुल मिलाकर 150 डिमांड नोटिस के पैसे भरे हुए हैं और आप कहते हैं कि बाढ़ आ जाने की वजह से सामान बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, मार्च से जुलाई

Page No.20

(श्री सूरजपाल सिंह)
तक आप क्या कर रहे थे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मई में भी मीटिंग हुई उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर सम्भाग की जब मीटिंग हुई थी तो उस समय जोधपुर डिवीजन के सभी विधायक वहां पर मौजूद थे और उस समय विधायकों को आश्वस्त किया गया था कि उन्हें बिजली बोर्ड इसी वर्ष में बिजली दे देगी, एग्रीकल्चर के लिये बिजली की कोई कमी नहीं आयेगी । उपाध्यक्ष महोदय, उस समय एग्रीकल्चर के लिये जिन लोगों को डिमाण्ड नोटिसेज मिल चुके थे उनको अक्टूबर-नवम्बर के पूर्व ही बिजली दे दी जायेगी, ऐसा कहा गया था। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति तब से अब तक ऐसी बन गई कि उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन अभी तक देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है । आपका विद्युत विभाग इस बारे में पूर्णतया निष्क्रिय रहा है । मंत्री महोदय ने जो यहां पर फ्लड की वजह से कनेक्शन देने में देरी की बात बताई है, वह कारण गलत बताया है क्योंकि उन लोगों को डिमाण्ड नोटिस मार्च में ही मिल चूके थे । पर आपके विद्युत विभाग की निष्क्रियता के कारण काश्तकारों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिल सके हैं । जहां तक मंत्री महोदय ने जो फ्लड के आने की बात कही है यह फ्लड तो अगस्त में आया है ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी के संबंधित मेरा भी एक प्रश्न विद्युत मंत्री महोदय से है कि जब काश्तकारों को डिमाण्ड नोटिसेज मार्च में ही इश्यू हो गये और डिमाण्ड नोटिस के इश्यू होने के बाद अगर छः माह तक एल फार्म भर देने के बाद अगर कनेक्शन नहीं मिलता है तो वह एल फार्म रद्द हो जाते हैं काश्तकारों को इस प्रकार बिजली नहीं मिल सकेगी तो मेरा निवेदन यह है कि अब चूंकि छः माह होने को हैं और उन लोगों के फॉर्म अगर रद्द हो जायेंगे तो इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ?

श्री प्रभु सिंह (राजाखेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजली की समस्या सभी जगह पर बनी हुई है और इसके कारण काश्तकारों में भयंकर रोष व्याप्त है । जब राज्य सरकार ने उन लोगों को 15 नवम्बर तक कनेक्शन देने की बात कही थी तो वह अब कैसे दिये जा सकेंगे ? मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, विशेषतौर से भरतपुर जिले के काश्तकारों के बारे में कह सकता हूँ कि अगर आप उन्हें बिजली नहीं देंगे तो वहां पर काश्तकारों का सारा काम ठप्प पड़ जायेगा और इससे काश्तकारों को नुकसान होगा ।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से इस बात की जानकारी चाहूंगा कि आज भीनमाल और जालोर के काश्तकारों के पास से हजारों अर्जियां बिजली के कनेक्शन के लिये आई थीं उनका क्या होगा । उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य जो भीनमाल से आये हैं कहा, तीन चार माह पहले ही वहां पर सामान आ सकता था। जब बाढ नहीं आयी तो क्या वहां पर बाढ से आने के पहले जो सामान विद्युतीकरण के लिये आ सकता था वह नहीं आने का जो पक्षपात किया गया उसके लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से यह भी जानकारी चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना

(श्री टीकम चन्द कान्त)
कि एक महीने के अन्दर-अन्दर जिन लोगों को डिमांण्ड नोटिस मिल चुके थे और जिन्होंने सारी फार्मेलिटीज पूरी करलीं उनमें से 50 या 100 लोगों को एग्रीकल्चर के लिये कनेक्शन देगी ?

श्री सूरजपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार की मंशा ईमानदारी से बिजली कनेक्शन एग्रीकल्चरिस्ट्स को देने की है तो इसके लिये मैं मंत्री महोदय को अमूल्य सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिराजिये। आपने अपना सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लिया है। अब कृपया उसका जवाब तो मंत्री महोदय से आने दीजिये।

श्री सूरजपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अमूल्य सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। पहले मंत्री महोदय का जवाब आने दीजिए। बाद में आप अपना अमूल्य सुझाव दीजिये। आप बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत विभाग ने तीस हजार कुओं पर बिजली देने का लक्ष्य रखा था इसमें से पिछले माह तक 2300 कुओं पर बिजली दी जा चुकी है और मैं समझता हूँ कि मार्च तक साढ़े पांच हजार कुओं को विद्युत दी जा सकेगी। दूसरा सवाल जो है और जो माननीय सदस्यों ने और भी प्रश्न किये, मेरा निवेदन यह है कि बिजली के सामान की उपलब्धि पर बिजली देने की कार्यवाही की जा सकेगी। माननीय सदस्य जो राजाखेड़ा से आते हैं उन्होंने कहा कि भरतपुर में बिजली की कमी है और काश्तकार परेशान हो रहे है। मेरा इस संबंध में यह निवेदन है कि आज बिजली की सारे देश में भयंकर कमी है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में बिजली के उपकरण बनाने के लिये सिर्फ 6 कारखाने हैं और बिजली की डिमाण्ड चौगुनी बढ़ गयी है अतः जितनी डिमाण्ड बढ़ी है उन सभी लोगों को सामान की उपलब्धि और प्रोडक्शन को देखते हुए सभी को बिजली देना संभव नहीं है।

श्री सूरजपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे क्षेत्र में 500 लोगों को डिमाण्ड नोटिस इश्यू हो चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री रत्ना राम (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज रानीवाड़ा में बिजली की भयंकर कमी है। वहां पर सैंकडों लोगों ने अपने प्रार्थना-पत्र बिजली के लिये दिये हैं उनमें डिमान्ड नोटिसेंज भी कई लोगों को मिल चुके हैं पर अभी तक बिजली उन्हें नहीं मिली है।

श्री टीकम चन्द कान्त (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जैसा अभी विद्युत मंत्री जी ने बताया कि 2300 कुओं पर बिजली के कनेक्शन दिये जा चुके हैं। तो क्या उनको जो बिजली दी गयी है वह प्रायोरिटी बेसिस पर दी गयी थी? इसके अलावा

(श्री टीकम चन्द कान्त)
क्या राज्य सरकार एग्रीकल्चर कनेक्शन जल्दी देने के लिये कोई निर्णय ले रही है ?

श्री सूरजपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक अमूल्य सुझाव देना चाहता हूं। अगर राज्य सरकार की ईमानदारी से मनशा विद्युत कनेक्शन देने की है हमारे क्षेत्र में जो 150 डिमान्ड नोटिस मार्च में इश्यू हुए थे, इसके अलावा जो भी पैन्डिग प्रार्थना-पत्र फाइल में हैं, जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर्स हैं और जहाँ लोड की कमी है तो वहाँ पर जिन लोगों को टेम्प्रेरी कनेक्शन दिये हुए हैं वह कैंसिल किये जायें और जो बिजली उनकी वजह से बचे वह एग्रीकल्चर के लिये काश्तकारों को दी जाय। इस प्रकार आप कैपेसिटी क्रिएट करके 100-150 कनेक्शन वहां दे सकते हैं जिससे कि काश्तकारों को राहत मिल सकेगी। यह तभी सम्भव है जब कि राज्य सरकार ईमानदारी से काश्तकारों को बिजली देना चाहती हो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार काश्तकारों को जनवरी, फरवरी और मार्च में बिजली देती है तो फिर काश्तकारों का क्या होगा ?

श्री सूरजपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि काश्तकारों की माली हालत को देखते हुए आप को अपनी नीति में कोई संशोधन करके विद्युत के कनेक्शन देने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील चौहटन में सीलिंग के तहत कृषि भूमि का अधिग्रहण

128. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत तहसील चौहटन में कितनी भूमि अधिग्रहण की गई है ? इनमें से कितने मामले निर्णीत कर दिये गये हैं एवं कितने शेष हैं ?

(2) अधिग्रहीत भूमि के एवज में अब तक कितने मामलों में मुआवजा तय कर दिया गया है एवं कितने मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? इस तहसील में मुआवजे की दर क्या तय की गई है ?

(3) मुआवजे के भुगतान हेतु कितने मामले विचाराधीन हैं व कब तक तय हो जायेंगे ?

(4) मुआवजे के निर्णीत मामलों में से कितने मामलों में भुगतान शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इन मामलों में भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत तहसील चौहटन में 1446 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है। इनमें कुल 15 मामले निर्णीत हो चुके हैं। एक मामला शेष है।

(राजस्व मंत्री)

(2) अधिग्रहण भूमि के एवज में अब तक कोई मामला मुआवजे का तय नहीं किया गया है और न मुआवजे का भुगतान ही किया गया है।

(3) अधिग्रहण के सब मामलों में मुआवजे का भुगतान किया जाना शेष है।

(4) मुआवजे का निर्धारण अभी किसी मामले में नहीं हुआ है। अभी अधिकृत अधिकारी ने मुआवजे का निर्धारण नहीं किया है निर्धारण करने के पश्चात् शीघ्र चुकारा कर दिया जाएगा।

राज्य में राजस्व वसूलियां

129. श्री **हरि किशन** (नदबई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इस वर्ष रबी की फसल के साथ खरीफ की फसल की लगान की आगामी वसूली करने के क्या कारण हैं?

(2) यदि राज्य सरकार का ऐसा आदेश नहीं था, तो अधिकारियों ने इस प्रकार मनमानी कर लगान वसूल क्यों किया है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने रबी की फसल के साथ खरीफ की फसल के लगान की आगामी वसूली करने का कोई आदेश नहीं दिया है।

(2) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, राज्य सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है।

ऐसी कोई जानकारी भी नहीं मिली है कि अधिकारियों ने मनमानी करके रबी की फसल के साथ खरीफ की फसल का लगान वसूल किया हो। हां, कुछ जिलों से यह सूचना अवश्य मिली है कि कुछ काश्तकारों ने स्वेच्छा से रबी की फसल के लगान के साथ खरीफ की फसल का लगान भी दिया है और वह जमा किया गया है। जबरदस्ती व मनमानी किसी भी मामले में नहीं की गई है।

डेगाना तहसील में सड़क निर्माण कार्य

132. श्री **रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील से कहीं भी जाने के लिये, चाहे सब-डिवीजनल कार्यालय के लिए हो अथवा जिला कार्यालय के लिये हो कोई डामर सड़क नहीं बनाई गई है?

(2) क्या एकमात्र डामर सड़क डेगाना से भेरुन्दा को बनाई गई थी जिसमें भेरुन्दा से निम्बड़ी कोठारिया तक का हिस्सा अभी भी मेटल का ही है?

(3) क्या क्षेत्र की उपयोगिता को देखते हुए, जहां तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय, कृषि उपज मंडी आदि का कार्यालय हो कोई सड़क डामर की होना आवश्यक नहीं है?

(4) क्या विभाग भेरुन्दा डेगाना वाया निम्बड़ी सड़क के बचे हुये हिस्से को (भेरुन्दा निम्बड़ी तक) पूरा कर सड़क को उपयोगी बनाने का विचार रखता है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(5) क्या इसी सड़क पर निम्बडी कलां व निम्बडी कोठारिया के बीच का हिस्सा रिमेटल्ड कर डामर करने की स्वीकृति सन् 1977-78 में दी गई थी ? अगर हां, तो किस तारीख को स्वीकृति दी गई थी ? कार्य की क्या प्रगति है ? कार्य अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ व कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां । सड़क बनाई गई है, लेकिन अधूरी है ।

(2) जी हां । यह सही है कि डेगान से 15 कि.मी. तक डामर की सड़क है व शेष मेटल रोड है । पुनरोता के पास 2 कि.मी. सड़क झील होने के कारण नहीं है ।

(3) आवश्यक है ।

(4) यह सड़क विचाराधीन है ।

(5) वर्ष 1977-78 में इस सड़क के कि.मी. 18 व 19 का रिमेटलिंग हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी वह कार्य पूर्ण करवा दिया गया है व इस वर्ष इन 2 कि.मी. पर डामर करने का प्रस्ताव है ?

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जंगलात की भूमि पर अनधिकृत कब्जे

58. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में कितनी जंगलात की भूमि पर लोगों के अनधिकृत कब्जे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या कब्जे 1971 के पूर्व के हैं या बाद के, इसका पता राज्य सरकार ने किस आधार पर लगाया ?

(3) क्या उस पर बने कुए, आम के वृक्ष या अन्य पेड़ जो उस किसान ने लगा रखे हैं उसके आधार पर मौका देखकर उन केसों को निपटाने का राज्य सरकार प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो क्या राजस्व अभियान के समान इस अभियान को लेकर इस समस्या का निपटारा करने की राज्य सरकार की मंशा है ?

उत्तर

(1) उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में वन भूमि पर अनधिकृत कब्जों का विवरण निम्नानुसार है:—

जिला	संख्या	क्षेत्रफल (है.)
उदयपुर	1224	2301.20
बांसवाड़ा	10985	3633.00
डूंगरपुर	992	742.10
योग ..	13201	6676.30

(2) उपरोक्त कब्जे 1971 से पूर्व के हैं या बाद के, इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है ।

(3) अनधिकृत कब्जों का नियमन स्थायी सुधार के कार्य जैसे कुएं, मकान या पक्के खाले आदि के आधार पर करने की व्यवस्था है ।

(वन मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा खण्ड 2 में अंकित आदेशों के अन्तर्गत नियमन की कार्यवाही की जा रही है।

वन विभाग की काश्त काबिल भूमि का राजस्व विभाग में हस्तांतरण

59. श्री एच. एन. शर्मा (बेंगूं): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष कोई काश्त काबिल जमीन वन विभाग से निकाल कर राजस्व विभाग को दी है ? अगर हां, तो किस-किस जिले में कितनी जमीन किस-किस गांव में किस खसरा नम्बर से दी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील बेंगूं में भी इस वर्ष वन विभाग के द्वारा कोई जमीन राजस्व विभाग को दी है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में कितना रकबा किस खसरा नम्बर से दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) बेंगूं तहसील के ग्राम झालर बावड़ी के खसरा नम्बर 1, 2 व 3 एवं ग्राम रावतभाटा के खसरा नं. 93 से कुल 226 एकड़ वन भूमि (जो काश्त काबिल नहीं थी) राजस्व विभाग को राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना अणुशक्ति के कर्मचारियों के आवासीय भवन निर्माण हेतु दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

टौंक जिले में सड़क निर्माण कार्य

60. श्री अजीत सिंह (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टौंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग छठी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी सड़क का निर्माण करने का विचार कर रहा है ?

(2) जिला टौंक में झिराना से टोडा-रायसिंह सड़क पर क्या इस वर्ष काम होगा ? यदि हां, तो कब तक और कितना ?

(3) टौंक शहर के बाई पास पर क्या इस वर्ष कार्य चालू करने का विचार है ? इस आवश्यक बाई पास सड़क के निर्माण को रोकने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में छठी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(2) इस सड़क की कुल लम्बाई 33 कि.मी. है, 6 कि.मी. डामर का कार्य तथा दूसरे 6 कि.मी. में रोडी से सड़क बनाने का कार्य एवं 12 कि.मी. में अन्य निर्माण कार्य प्रगति में हैं तथा शीघ्र ही पूरा करवा दिया जावेगा। बाकी के 9 कि.मी. का कार्य वित्तीय साधनों की कमी के कारण अभी नहीं करवाया जायेगा।

(3) अभी निर्माण कार्य वित्तीय साधनों का अभाव होने से चालू करना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

मसूदा से खरवा सड़क पर पुलिया का निर्माण

61. श्री नूरा (मसूदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मसूदा से खरवा सड़क पर मसूदा के पास एक रपट बनी हुई है जिस पर से होकर वर्षा के समय चार माह तक निरन्तर पानी बहता रहता है जिससे रास्ता बन्द रहता है ?

(2) क्या विभाग रपट की जगह पुलिया बनाना उचित नहीं समझता, जिससे सड़क वर्षा काल में बन्द न हो एवं आवागमन चलता रहे ?

(3) यदि हाँ, तो कब तक पुल बनाया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हाँ,

यह रपट रोड डेम के रूप से पंचायत द्वारा पानी अपस्ट्रीम में भरा रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। वर्षा के समय रोड डेम के ऊपर से पानी बहता रहता है।

(2) जी हाँ।

सीमित धनराशि को देखते हुये यह पुलिया बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) यह कार्य स्वीकृति एवं धनराशि के उपलब्ध होने पर ही कराया जा सकता है।

ग्राम धोतारखेड़ा में अग्नि से नुकसान

62. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्राम धोतारखेड़ा; तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू में सूरजाराम पुत्र त्रिलोकाराम हरिजन को अग्नि से कोई नुकसान हुआ है ? यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने उसको अब तक क्या राहत दी ?

उत्तर

जी हाँ, श्री सूरजाराम पुत्र त्रिलोकाराम हरिजन साकिन धोतारखेड़ा, तहसील उदयपुरवाटी के अग्नि से नुकसान हुआ है उसको मुख्य मंत्री सहायता कोष से 500 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

गोगुन्दा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

63. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या गोगुन्दा से बगडून्दा, भगावद, बाली, उंठी थल, गोराला होती हुई झाडोल जाने वाली सड़क को पुरा करने का सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था ?

(2) क्या उस आश्वासन के अनुसार सड़क का निर्माण हो चुका है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

(3) क्या गोगुन्दा से ओगणा जाने वाली सड़क को पूरा कराने का भी सरकार ने सदन में कोई आश्वासन दिया था ?

(4) क्या उसके अनुसार सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) इस सड़क हेतु फिलहाल 14 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान दी गई है। जिस पर शीघ्र कार्य अच्छी प्रगति पर चलन की आशा की जाती है।

(2) सड़क का कार्य सीमित स्वीकृति राशि के अनुसार किया जायेगा।

(3) धनराशि की उपलब्धि के अनुसार विचार किया जावेगा।

(4) वर्तमान में प्रश्न नहीं उठता है।

पिड़ावा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

64. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे:—

(1) 22 जून, 77 से 31-8-79 तक पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत पर कितना रुपया व्यय किया गया?

(2) क्या इस अवधि में कोई नई सड़क भी उक्त क्षेत्र में बनाई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सुनेल-रायपुर सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि हाँ, तो काम किस स्टेज पर है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) 22 जून, 1977 से 31-8-79 तक पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत पर 17,02,840/- रु० खर्च हुआ।

(2) जी नहीं,

कोई सड़क नहीं बनाई गई। कार्यों के लिये वित्तीय स्वीकृति न होने के कारण इस साल सुनेल-रायपुर सड़क स्वीकृत की गई है।

(3) अभी सड़क का सर्वे का कार्य किया जा रहा है एवं तखमीना बनाया जा रहा है। तखमीने की स्वीकृति होते ही कार्य शुरू कर दिया जावेगा।

राजस्व अभियान में आवंटित भूमि

65. श्री लालू दास (फलासिया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व अभियान में राज्य में कितनी भूमि आवंटित की गई है?

(2) क्या राजस्व अभियान में जो भूमि आवंटित की गई उसमें जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई? यदि हाँ, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रथम एवं द्वितीय राजस्व अभियानों के तहत आवंटित की गई भूमि का विवरण संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में यह प्रावधान है कि भूमि का आवंटन उप-खण्ड अधिकारी द्वारा परामर्शदात्री समिति की राय से किया

(राजस्व मंत्री)

जायेगा। परामर्शदात्री समिति में विधान सभा सदस्य, पंचायत समिति के प्रधान, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति का पंचायत समिति द्वारा नामजद व्यक्ति भी सदस्य होते हैं। इस प्रकार जनप्रतिनिधियों की राय लेने का प्रावधान कानून में है।

जहाँ तक सीलिंग कानून की भूमि का संबंध है इसका आवंटन भी सलाहकार समिति की राय से होता है। जिसमें विधायक, प्रधान, सरपंच तथा पंचायत समिति द्वारा मनोनीत/अनुसूचित जाति/जन-जाति के एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। आवंटन के लिए तीन व्यक्तियों की उपस्थिति से कोरम बनता है।

प्रगट है कि जनप्रतिनिधियों की राय का प्रावधान कानून में किया हुआ है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य के ग्रामदानी गांव

66. श्री **रघुनन्दन व्यास** (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ग्रामदान कानून के अन्तर्गत कुल कितने ग्रामदानी गाँव हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या ग्रामदानी गाँवों में किसानों के खातेदारी अधिकार होते हैं? यदि हाँ, तो फिर राजस्व वसूली की क्या प्रक्रिया है?

(3) क्या ग्रामदानी गाँवों में गोचर जोतने तथा सीलिंग से अधिक भूमि रखने की किसानों को छूट है? यदि हाँ, तो फिर वह ग्रामदानी गाँव कैसे हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान में ग्रामदानी गाँवों की संख्या 183 है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) ग्रामदान में शामिल होने वाले भूमिधारक उस गाँव की ग्राम सभा के किसान अर्थात ग्रामदान किसान होते हैं। इनको लगभग वे सब अधिकार होते हैं जो अधिकार खातेदार/गैरखातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिये हुए हैं। परन्तु थोड़ा-सा अन्तर भूमि के हस्तान्तरण के अधिकार के बाबत है। ग्रामदान किसान भूमि को ग्राम के बाहर के व्यक्ति को तब ही हस्तान्तरित कर सकता है जब उसे लिखित में पूर्व अनुमति ग्राम सभा से मिल जावे। राजस्व वसूली का दायित्व ग्राम सभा का है और ग्राम सभा ही राजस्व तहसील में जमा कराती है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सुनेल (झालावाड़) में उप-तहसील

67. श्री **बालचन्द्र आर्य** (डूग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में पहले कोई तहसील थी?

(श्री बालचन्द्र आर्य)

(2) सुनेल कस्बे से उस तहसील को कब वहां से हटाया गया ?

(3) क्या राज्य सरकार सुनेल कस्बे में नायब-तहसील खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सुनेल कस्बे में पहले उप-तहसील थी जहां नायब-तहसीलदार कार्य करता था ।

(2) सुनेल कस्बे से सब-तहसील सन् 1958 में तोड़ कर तहसील पिड़ावा में विलीन कर दी गई थी ।

(3) जी नहीं ।

भवानी मंडी में एस० डी० एम० कोर्ट

68. श्री बालचन्द्र आर्य (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या इस विधान सभा क्षेत्र भवानी मंडी में एस० डी० ओ० कोर्ट है ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के अधिकतर केस झालावाड़ जाते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार भवानी मंडी में शीघ्र एस. डी. एम. कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ के भवानी मंडी शहर में एस. डी. ओ. के पद का सृजन किया हुआ नहीं है । इसलिए वहां पर किसी एस. डी. ओ. के पदस्थापन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(2) हां, क्योंकि भवानी मंडी झालावाड़ उप-खण्ड के क्षेत्राधिकार में है ।

(3) भवानी मण्डी में नया उप-खण्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

सेवा निवृत्त तहसीलदारों के पेन्शन के विचाराधीन मामले

69. श्री गोपाल पचेरवाल (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1978 से दिसम्बर, 1978 के समय के बीच राजस्व विभाग के कितने तहसीलदार सेवा निवृत्त हुए एवं कहां-कहां से ? सेवा निवृत्ति की तिथि, नाम व स्थान का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उपरोक्त सभी तहसीलदारों में से किन-किन का पेन्शन केस तय होकर उन्हें पेन्शन मिलने लग गई है तथा बकाया को कब तक पेन्शन मिलने लग जायगी ?

(3) उपरोक्त पेन्शनशुदा तहसीलदारों में ऐसे कितने तहसीलदार हैं जिनका कि देहावसान हो चुका है ? क्या सरकार विशेष ध्यान देकर इस प्रकार के केसों में उनके घर वालों को शीघ्र ही पेन्शन की बकाया दिलाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

Page No.30

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जनवरी, 1978 से दिसम्बर, 1978 तक राजस्व विभाग के कुल 55 तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदार सेवा निवृत्त हुए जिनकी सूची संलग्न है। सूची में उनके नाम, सेवा निवृत्ति की तिथि वह स्थान का नाम आदि दर्शाये गये हैं।

(2) 55 में से 28 मामलों में पेन्शन केस तय हो चुके हैं, तथा उन्हें पेन्शन मिलना प्रारंभ हो गया है। 13 पेन्शन केस के मामले महालेखाकार कार्यालय को भेजे गये हैं। जो शीघ्र तय होने की आशा है। 6 मामलों में पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। किन्तु सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय जाँच के मामले विचाराधीन होने से ग्रेच्यूटी रोकी गई है। एक मामला राजस्व मंडल, अजमेर में विचाराधीन है। 7 मामले जिलाधीशों के स्तर पर विचाराधीन हैं। जिन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास जारी हैं।

(3) उपरोक्त पेंशनशुदा तहसीलदार व नायब-तहसील में से 5 का देहावसान हो चुका है। जिनमें से 2 परिवार वालों को पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। 2 मामले महालेखाकार के यहाँ विचाराधीन हैं, तथा 1 मामला जिलाधीश से पूर्ति होकर आना बाकी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

कोटा जिले में नई उप-तहसीलें

70. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नायब-तहसीलें खोलने की घोषणा की है? यदि हाँ, तो यह कब तक खोली जावेंगी?

(2) क्या राज्य सरकार कोटा जिले में मंडाना एवं चेचट में नायब-तहसील खोलने का विचार रखती है?

(3) क्या इस संदर्भ में आप भी गाँव वालों से वायदा करके आये हैं? यदि हाँ, तो देरी होने का कारण क्या है?

(4) क्या रामगंज मण्डी में मुकदमों की स्थिति को देखते हुए सरकार ए. सी. एम. न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हाँ, 26 उप-तहसीलें खोली जा चुकी हैं। कुछ और उप-तहसीलें खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(2) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) माननीय मंत्री महोदय ने मंडाना एवं चेचट में नायब-तहसीलें खोलने का वायदा नहीं किया। इस पर विचार करने का वायदा किया था एवं मामला विचारधीन है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाली जिले की बकाया राशि

71. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में ऐसे कितने और कौन-कौन से व्यक्ति हैं जिनमें पांच

(श्री शंकरलाल)

हजार से अधिक की सरकारी धनराशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन लोगों से अभी तक वसूली नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिले में ऐसे 407 व्यक्ति हैं जिनमें पांच हजार से अधिक की धनराशि बकाया है। सूची संलग्न है।

(2) इन लोगों से अभी तक वसूली नहीं होने के निम्न कारण रहे हैं:-

1. इस जिले में गत 10 वर्षों में 5 वर्षों में क्रमशः सम्वत् 2025, 2026, 2028, 2029 व 2031 में अभाव की स्थिति रही है जिसके कारण इन वर्षों में सरकारी राशियों की वसूली निलम्बित रखी गई तथा जो वर्ष सामान्य रहे उन वर्षों में राजस्व (ग्रुप-2) विभाग के द्वारा भू-राजस्व, तकावी, आदि की वसूली हेतु जो प्रक्रिया निर्धारित की गई उसके अनुसार कृषकों में भू-राजस्व एवं तकावी की दो किस्तों से अधिक राशि एक साथ वसूल नहीं की जा सकती थी।

25/- रुपये से अधिक की वार्षिक भू-राजस्व की मांग वाले कृषकों के मामले में यह प्रतिबन्ध दिनांक 23-8-78 को हटा दिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किसी कृषक की भूमि, हल, बैल, खाने-पीने के वर्तन, रहने का एक मकान, आदि सामग्री की बकाया वसूली व्यवहार संहिता प्रक्रिया में वर्णित धाराओं के अनुसार कुर्क नीलाम नहीं किया जा सकता है, वसूली में इसे भी दृष्टिगत रखना होता है।

3. इस जिले में अधिकांश वर्षा के अभाव की स्थिति रहने से कृषकों की आर्थिक स्थिति कमजोर रही, जिसके कारण से बकाया राशि जमा करवाने में असमर्थ रहे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चिकित्सा विभाग में किये गये स्थानान्तरण

72. श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 जनवरी, 1979 से लेकर 31 अगस्त, 1979 तक स्वास्थ्य विभाग में डाक्टर, कम्पाउन्डर तथा नर्सों के कुल कितने स्थानान्तरण हुए ?

(2) इस अवधि में इन स्थानान्तरणों में कितने प्रार्थना-पत्र तथा कितने प्रशासकीय एवं अन्य कारणों के कारण हुए हैं ?

(3) इन स्थानान्तरणों के कारण इस अवधि में कितना विभागीय खर्च, टी. ए., डी. ए. में व्यय हुआ है ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1979 से 31 अगस्त, 1979 तक निदेशालय स्तर पर निम्न स्थानान्तरण किए गए:-

(1) डॉक्टर	652
(2) कम्पाउण्डर	65

(चिकित्सा मंत्री)

(3) स्टाफ नर्स 23

(4) प्रसाविका 85

(2) स्थानान्तर किए गए का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

पद	स्वयं की प्रार्थना पर	प्रशासनिक कारणों से
स्टाफ नर्स	19	4
कम्पाउन्डर	32	33
प्रसाविका	81	4

डाक्टरों के स्थानान्तरण जनता की मांग, स्वयं की प्रार्थना एवं प्रशासनिक कारणों से किए गए हैं।

(3) यह सूचना निदेशालय में उपलब्ध नहीं है। संकलित करने में समय लगेगा।

गांव बगरुन्दा के सर्वलेन्स वर्कर की सेवामुक्ति का मामला

73. श्री भूरा लाल (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री प्रभु लाल मेघवाल, गांव बगरुन्दा, तहसील गोगुन्दा मलेरिया विभाग में सर्वलेन्स वर्कर था ? यदि हां, तो इसकी नियुक्ति किस दिनांक को हुई ? यह स्थाई था अथवा अस्थाई ?

(2) उक्त कर्मचारी को किस कारण से नौकरी से पृथक् कर दिया गया ?

(3) क्या उसे आपात स्थिति के दौरान नौकरी से निकाला गया ? यदि हां, तो इसको फिर तत्काल सेवा में क्यों नहीं लिया गया, अब इसे कब तक सेवा में ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री प्रभुलाल मेघवाल, मलेरिया सर्वलेन्स वर्कर के पद पर दिनांक 16-10-71 को अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गई थी।

(2) कर्मचारी अस्थाई होने के कारण विधिवत एक माह का नोटिस देकर हटाया गया है।

(3) इसे दिनांक 11-5-76 को निकाला गया था नियमानुसार निकाला गया। अतएव वापिस लेने का औचित्य नहीं है।

उप-केन्द्र तसवारिया (अजमेर) की ए. एन. एम. की वेतन का मामला

74. श्री कुंजी लाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती शारदा देवी, ए. एन. एम., उप-केन्द्र तसवारिया, पी. एच. सी., कादेड़ा, जिला अजमेर का वेतन किसी डॉक्टर द्वारा जून, 1976 में ड्रा कर लिया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 29 मार्च, 1979 को एक प्रश्न के उत्तर में यह सूचित किया गया था कि डाक्टर के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री कुंजी लाल)

(3) क्या उक्त जांच के बाद गबन करना पाये जाने पर श्रीमती शारदा देवी को उसके वेतन का भुगतान कर दिया गया है या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? अब इस वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती शारदा देवी, ए. एन. एम. उप-केन्द्र, तसवारिया, पी. एच. सी., कादेड़ा, जिला अजमेर का वेतन माह जून, 1976 का डॉक्टर सी. एस. बाघ; चिकित्सा अधिकारी द्वारा ड्रा किया गया था।

(2) जी हां। प्रारम्भिक जांच से एक कनिष्ठ लिपिक का हाथ होना भी पाया गया तथा विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। यह जांच शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगी।

(3) जब तक जांच पूर्ण होते ही वेतन का भुगतान संभव हो सके, कार्यवाही की जायेगी।

पाली में फिजिओथेरापिस्ट की व्यवस्था

75. **श्री शंकर लाल** (जैतारण): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली में आॅर्थोपेड्रिक मरीजों के लिये फिजिओथेरापिस्ट की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जिला केन्द्र पर व ब्यावर में भी फिजिओ-थेरापिस्ट की सेवायें उपलब्ध हैं?

(3) पाली जिला केन्द्र पर यह सेवा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। फिजिओथेरापिस्ट का कोई पद पाली में स्वीकृत नहीं है।

(2) जी हां।

(3) योजना मद में, वित्तीय प्रावधान होने पर पाली अस्पताल जहां कनिष्ठ विशेषज्ञ आर्थोपेडिक हाल ही लगाये गये हैं। अब वित्तीय प्रावधान के साथ यह सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव होगा।

कृषि उपज मंडी, रामगंज मंडी को दुकानों व गोदामों का किराया

76. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी के प्रांगण में भारी रकम खर्च कर के जो दुकानें एवं गोदाम बनाने गये हैं वे किराये पर नहीं उठ सके हैं? क्या इसका कारण अत्याधिक किराया होना नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि व्यापारी इन दुकानों एवं गोदामों को 600|- रुपये प्रति माह पर लेने को तैयार हैं? यदि हां, तो फिर सरकार क्यों नहीं देना चाहती है?

(3) क्या इनके खाली पड़े रहने से मंडी के व्यापारियों एवं सरकार को हानि उठानी पड़ रही है?

(4) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही इस संदर्भ में सामयिक निर्णय लेगी? यदि हां, तो कब तक?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) (2) (3) दुकानों एवं गोदामों के खाली पड़े रहने से आर्थिक हानि होना स्वाभाविक है परन्तु आशा है ऐसा अधिक समय तक नहीं होगा। तथा सभी मण्डियों में किराये की समानता बनाये रखना भी आवश्यक है।

(4) वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

कृषि उपज मंडियों द्वारा निर्मित की जाने वाली सड़क

77. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडियों के पास बजट होते हुए भी अभी तक भी नवीन सड़कें बनाने की स्वीकृति नहीं दी गई है?

उत्तर

जी नहीं। यदि नवीन सड़क राज्य सरकार द्वारा सम्पर्क सड़कों के लिए स्वीकृत्त मास्टर प्लान में सम्मिलित है और मण्डी समिति के पास इस प्रयोजनार्थ व्यय करने के लिये राशि उपलब्ध है तो, सड़क निर्माण हेतु उनकी स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सड़क मण्डी समिति द्वारा जन साधारण के आग्रह पर प्रस्तावित की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उसके निर्माण की स्वीकृति भी दे दी जातो है।

लाडपुरा तहसील में पशु चिकित्सालय

78. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में लाडपुरा तहसील की निम्न ग्राम पंचायतों में 1 रानपुर, 2. मादल्या, 3. कसार, 4. बोरावास, 5. डोल्या, 6. काल्याखेड़ी, 7. मंवरिया में कुल पशुओं की संख्या कितनी है तथा यह कोटा जिले का कितना प्रतिशत है? क्या कोटा नगर को दूध यही क्षेत्र वितरण करता है। यदि हाँ, तो बोरावास, रानपुर और गोपालपुरा में पशु चिकित्सालय क्यों नहीं खोले गये?

(2) क्या पंचायत समिति, चेचट में पीपल्दा, जुल्मी खेडारूल्दा, मोडक, सुकेत में पशु चिकित्सालयों की महत्ती आवश्यकता है? यदि हाँ, तो राज्य सरकार कब तक पशु चिकित्सालय खोलने जा रही है? क्या यह पशु बहुल क्षेत्र है?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों के आधार पर पशुओं की संख्या के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते। यह कार्य तहसील एवं जिलों के आधार पर ही किया जाता है। वर्ष 1977 की पशुगणना के अनुसार जिला कोटा की कुल पशु संख्या 12,70,328 है इसमें से तहसील लाडपुरा की 1,21,536 है जो करीबन 10% है। इस क्षेत्र से भी कोटा नगर को दूध वितरित होता है। पशुधन की महत्ता को ध्यान में रख कर पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं।

(पशुपालन मन्त्री)

(2) पंचायत समिति, चेचट क्षेत्र में पशुगणना के आधार पर एक और पशु औषधालय की स्थापना छठी योजना अवधि में विचाराधीन है।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कानूनी सलाहकार

79. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में कितने कानूनी सलाहकार हैं? सूची मय नाम सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इनमें कितने वकील हैं एवं कितने बोर्ड के कर्मचारी हैं?

(2) राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 22 जून, 1977 से 31-8-79 तक कितना पारिश्रमिक किन-किन वकीलों को अदा किया है? पारिश्रमिक की राशि, वकीलों के नाम व मुकदमों के उनवान मय न्यायालय का नाम के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में एक कानूनी सलाहकार, श्री अजय कुमार पुरोहित वकील हैं। इन्हें बोर्ड ने पार्ट टाइम कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त कर रखा है। बोर्ड का कोई कर्मचारी कानूनी सलाहकार नहीं है।

(2) बोर्ड ने 22 जून, 1977 से 21 अगस्त, 79 तक निम्न वकीलों को जो पारिश्रमिक का भुगतान किया है उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	वकील का नाम / मुकदमे का उनवान	न्यायालय का नाम	पारिश्रमि की राशि
1.	श्री एम. बी. माथुर/भगवान सहाय बनाम सचिव, कृ. वि. बोर्ड	मुंसिफ व न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, दौसा/	150/-
2.	श्री गुमानमल कोठारी/ महावीर प्रसाद बनाम कृ. वि. बोर्ड	मुंसिफ कोर्ट, मालपुरा	220/-
3.	श्री मानसिंह गुप्ता/सन्तालाल बनाम कृ. वि. बोर्ड	मुंसिफ कोर्ट, जयपुर	550/-
	श्री गुलाबचन्द मित्तल बनाम कृ. वि. बोर्ड	मुंसिफ कोर्ट, जयपुर	350/-
4.	श्री महेन्द्र प्रतापसिंह/अजय गोस्वामी बनाम कृ. वि. बोर्ड	मुंसिफ कोर्ट, सवाई माधोपुर	110/-
5.	श्री मानसिंह गुप्ता/महावीर प्रसाद बनाम कृ वि बोर्ड	मुंसिफ कोर्ट, मालपुरा	110/-
6	श्री अजय कुमार पुरोहित रिटेनरीशिप माहवारी देय	,, ,, ,,	3600/- 400/-
7	1. श्री राजेन्द्रप्रसाद चौधरी बनाम कृ वि बोर्ड उच्च न्याया	,, ,, ,,	
	2. श्री हरीराम जाट बनाम कृ. वि. बोर्ड उच्च न्याया	,, ,, ,,	500/-

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

80. श्री **ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही कि 22 जून, 1977 से 31 अगस्त, 1979 तक पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र (जिला झालावाड़) में एक भी स्थान पर पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है? यदि हाँ, तो इस विषमता को मिटाने के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ?

उत्तर

जी हाँ। राज्य सरकार अब शीघ्र ही पशु चिकित्सालय पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में खोलने का विचार रखती है।

कृषि उपज मंडी, बेगूं द्वारा सड़कों, पुलियाओं एवं रपटों पर खर्च की गई राशि

81. श्री **एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील बेगूं की कृषि उपज मण्डी के द्वारा सड़कों, पुलियाओं एवं रपटों के निर्माण हेतु इस वर्ष कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन प्रस्तावों की स्वीकृति कार्य शुरू करने हेतु राज्य सरकार ने प्रदान कर दी है ? अगर हाँ, तो क्या कृषि उपज मण्डी द्वारा प्रस्तावित कार्य इस वर्ष पूरे कर लिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बेगूं द्वारा सड़कों एवं पुलियाओं के निर्माण हेतु इस वर्ष काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 1.29 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे जिलाधीश के माध्यम से व्यय किया जायेगा।

(2) मण्डी समिति के बजट प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं अपितु कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दी जाती है। अभी बोर्ड द्वारा केवल उक्त योजना के अंतर्गत ही स्वीकृति दी गई है। मास्टर प्लान के अन्तर्गत सम्मिलित सम्पर्क सड़के बेगूं से बेंची तथा आवलहेडा से ठकराई के निर्माण हेतु मण्डी समिति द्वारा अभी वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं। इनके प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

ब्राह्मनी नदी पर सिंचाई सर्वेक्षण

82. श्री **एच. एन. शर्मा** (बेगूं): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बेगूं तहसील में बहने वाली ब्राह्मनी नदी पर विचाराधीन सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक यह सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जावेगा ?

(2) यह सिंचाई योजना राज्य सरकार के पास कितने समय से विचाराधीन है ? अब कब तक राज्य सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, डोराई सिंचाई योजना ब्राह्मनी नदी पर प्रस्तावित है इस योजना का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है तथा योजना स्वीकृति भी राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 14.78 लाख रुपये की वर्ष 1970-71 में दी जा चुकी है व 3.37 लाख रुपयें का बांध पर कार्य भी करवाया जा चुका है। परन्तु इस योजना के डूब में भूमि आने वाले कृषकों द्वारा कोर्ट में विवाद ले जाने के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी। अब उप-खंड अधिकारी द्वारा निर्णय एवं अवार्ड जारी होने पर ही पुनः कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

ग्राम चनानी की विद्युतीकरण योजना

83. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में ग्राम चनानी, तहसील निवाई, जिला टोंक के लिये राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकरण योजना स्वीकृत कर दी गई है ?

(2) क्या विद्युतीकरण के लिये उक्त गांव का सर्वे भी करा लिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ?

(3) क्या राज्य सरकार अब इसी वर्ष में उक्त गांव में विद्युत पहुंचाने का कार्य पूर्ण कर लेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1979-80 में ग्राम चनानी, तहसील निवाई, जिला टोंक के विद्युतीकरण के लिये कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जी हाँ। इस ग्राम के विद्युतीकरण का सर्वेक्षण प्रतिवेदन बनाने के लिये माह अप्रेल, 78 में सर्वेक्षण कराया गया था।

(3) जी नहीं। प्रतिवेदन आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के लिये सदस्यों के सही पाये गये नामांकन-पत्र

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। आसन पैरों पर है।

मैं सदन में एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। पहले मैं वह घोषणा कर दूं उसके बाद में आप पाइन्ट आफ आर्डर रखें।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वित्तीय समितियों के लिये निम्नांकित सदस्यों के नामांकन-पत्र जाँच के बाद सही पाये गये हैं--

प्राक्कलन समिति

क्रम संख्या	उम्मीदवारों का नाम
1.	श्री रामसिंह विश्नोई
2.	श्री नूरा
3.	श्री माधवसिंह दीवान
4.	श्री खंगारसिंह चौधरी
5.	श्री सूरज पालसिंह
6.	श्री सूर्यप्रकाश डोडा
7.	श्री मनफूलराम
8.	श्री हरचन्द सिंह
9.	श्री शिवकरण बुहाड़िया

(श्री उपाध्यक्ष

क्र.सं.	उम्मीदवारों का नाम
10.	श्री हीरालाल आर्य
11.	श्री ओम प्रकाश शर्मा
12.	श्री मूलचन्द सामरिया
13.	श्री लाल शंकर डेंडोर
14.	श्री कौशलकिशोर जैन
15.	श्री कुंजी लाल
16.	श्री काशीनाथ गुप्त
17.	श्री मोहम्मद जहूर
18.	श्री नत्थीसिंह
19.	श्री माथूराम
20.	श्री टीकमचन्द कान्त
21.	श्री गुलाबचन्द कटारिया
22.	श्री हरजी राम बुरड़क
23.	सैयद श्री मन्जूर अली
24.	श्री बहादुरसिंह (90)
25.	श्री ओंकारलाल चौहान
26.	श्री जयनारायण सालोदिया
27.	श्री अब्दुल हादी
28.	श्री राम रघुनाथ चौधरी
29.	श्री मथुरादास माथुर
30.	श्री शंकरलाल
31.	श्रीमती मदन कौर
32.	श्री शीशराम ओला
33.	श्री बालकृष्ण थानवी
34.	श्री मूलचन्द डागा
35.	श्री हजारी मल सारण
36.	श्री केदारनाथ
37.	श्री रघुवीर सिंह कौशल
38.	श्री मनीराम आर्य
39.	श्री मेघराज पंवार
40.	श्री नाथूलाल
41.	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा
42.	श्री माधोसिंह कछवाह
43.	श्री नवनीत पालीवाल
44.	श्री कारूभाई मीणा

क्र.सं.	उम्मीदवारों का नाम
45.	श्री हरि सिंह (193)
46.	श्री बजरंगलाल शर्मा
47.	श्री हरिकिशन
48.	श्री किशनसिंह भाटी
49.	श्री गम्भीर लाल
50.	श्री कल्याण सिंह सांखला
51.	श्री आलम अली खां
52.	श्री रामेश्वर दयाल यादव
53.	श्री रामकरण सिंह
54.	श्री विजयसिंह नदेरा
55.	श्री रामदेवसिंह
56.	वैद्य श्री गोविन्द सहाय
57.	श्रीमती नारंगीदेवी
58.	श्री श्रवण लाल
59.	श्री गोपाल सिंह (खण्डेला)
60.	श्री रणजीतसिंह

राजकीय उपक्रम समिति

1. श्री रामसिंह विश्नोई
2. श्री सूरजपाल सिंह
3. श्री खंगारसिंह
4. श्री माधवसिंह दीवान
5. श्री नूरा
6. राव श्री कमलेन्द्र सिंह
7. श्री सूर्य प्रकाश डोडा
8. श्री हरचन्द सिंह
9. श्री दूलाराम
10. श्री शिवकरण बुहाड़िया
11. श्री रामप्रसाद लड्ढा
12. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत
13. श्री हीरालाल आर्य
14. श्री ओमप्रकाश शर्मा
15. श्री लाल शंकर डेंडोर
16. श्री मूलचन्द सामरिया
17. श्री कौशलकिशोर जैन
18. श्री रणजीतसिंह राठौड़

(श्री उपाध्यक्ष)

क्र सं	उम्मीदवारों का नाम
19.	श्री कुंजीलाल
20.	श्री काशीनाथ गुप्त
21.	श्री मोहम्मद जहूर
22.	श्री नवनीत पालीवाल
23.	श्री गुलाबचन्द कटारिया
24.	श्री टीकमचन्द कांत
25.	श्री हरजीराम बुरड़क
26.	सैयद श्री मंजूर अली
27.	श्री बहादुर सिंह (90)
28.	श्री ओंकारलाल
29.	श्री वृद्धिचन्द जैन (162)
30.	श्री मूलचन्द डागा
31.	श्री अब्दुल हादी
32.	श्री रामरघुनाथ चौधरी
33.	श्री मथुरादास माथुर
34.	श्रीमती मदन कौर
35.	श्री बालकृष्ण थानवी
36.	श्री नत्थीसिंह
37.	श्री हजारीमल सारण
38.	श्री केदार नाथ
39.	श्री मोहनलाल शर्मा
40.	श्री नाथूलाल
41.	श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर
42.	श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
43.	श्रीमती गणवंत कुमारी
44.	श्री उगमराज मेहता
45.	श्री बजरंगलाल शर्मा
46.	श्री हरिसिंह (193)
47.	श्री नाथूराम
48.	श्री गम्भीर लाल
49.	श्री लालूदास
50.	श्री अलदाराम मीणा
51.	श्री रामेश्वरदयाल यादव
52.	श्री विजयसिंह नदेरा
53.	श्री गोरधन लाल गुर्जर

क्र सं.	उम्मीदवारों का नाम
54.	श्री नवलराय बच्चाणी
55.	श्री सोहनलाल बंशीवाल
56.	श्री शिवनारायण (166)
57.	श्री दाता राम
58.	श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

कुल 58 सदस्य हैं।

जनलेखा समिति

1. श्री खंगार सिंह
2. श्री सूरजपाल सिंह
3. श्री माधवसिंह दीवान
4. श्री नूरा
5. श्री सूर्यप्रकाश डोडा
6. श्री लाल शंकर डेंडोर
7. श्री जगतार सिंह
8. श्री हरचन्द सिंह
9. श्री शिवकरण बुहाड़िया
10. श्री हीरालाल आर्य
11. श्री ओमप्रकाश शर्मा
12. श्री मूलचन्द सामरिया
13. श्री कौशलकिशोर जैन
14. श्री अजीत सिंह
15. श्री रणजीतसिंह राठौड़
16. श्री नवनीत पालीवाल
17. श्री काशीनाथ गुप्त
18. श्री मोहम्मद जहूर
19. श्री कुंजीलाल
20. श्री गोपालसिंह (खण्डेला)
21. श्री बहादुर सिंह (89)
22. श्री नाथूराम
23. श्री माधोसिंह कछवाह
24. श्री गुलाबचन्द कटारिया
25. श्री टीकमचन्द कांत
26. श्री हरजीराम बुरड़क
27. सैयद श्री मंर अलीजू

(श्री उपाध्यक्ष)

क्र.सं.	उम्मीदवारों का नाम
28.	श्री बहादुर सिंह (90)
29.	श्री ओंकार लाल
30.	श्री रघुनाथ विश्नोई
31.	श्री वृद्धि चन्द जैन (162)
32.	श्री जयनारायण सालोदिया
33.	श्री श्योपतसिंह
34.	श्री मूलचन्द डागा
35.	श्री अब्दुल हादी
36.	श्री रामरघुनाथ चौधरी
37.	श्री शंकरलाल
38.	श्रीमती मदन कौर
39.	श्री बालकृष्ण थानवी
40.	श्री नत्थी सिंह
41.	श्री परसराम मोरदिया
42.	श्री हजारीमल सारण
43.	श्री केदारनाथ
44.	श्री रघुनन्दन व्यास
45.	श्री नाथूलाल
46.	श्री नरेन्द्रपाल सिंह
47.	श्री वृद्धि चन्द जैन (161)
48.	श्री माणकलाल
49.	श्री बजरंगलाल शर्मा
50.	श्री हरिसिंह (193)
51.	श्री लालूदास
52.	श्री हनुवंत सिंह
53.	श्री बंशीलाल सारस्वत
54.	श्री रामेश्वरदयाल यादव
55.	श्री गोपाल पचेरवाल
56.	श्री विजयसिंह नदेरा
57.	श्री सालिगराम
58.	श्री नवलराय वच्चाणी
59.	श्रीमती नारंगीदेवी
60.	श्री हंसराम
61.	श्री किशनसिंह भाटी

कुल 61 सदस्य हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किये गये विधेयक पर विचार

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था.....

श्री **मूलचन्द डागा** : पाइन्ट ग्राफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, जो आज की कार्य सूची हमें मिली है उसके अन्दर एक आइटम और इनक्लूड कर दिया गया है और वह आइटम आज की कार्य-सूची में है "राजस्थान मान्यता प्राप्त प्राइवेट शैक्षणिक संस्थायें विधेयक, 1979।" इस बिल को इन्ट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रवर समिति को सुपुर्द कर रहे हैं। जो-जो हमने संशोधन दिये उसके बाद भी इन्होंने लिख दिया है, मैं समझता हूं कि कल जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा था वह नियम 213 के नीचे रखा था।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : जिस समय आइटम आये, उस समय बोलना।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय डागा जी पाइन्ट आफ आर्डर के द्वारा जो आपत्ति करना चाहें मौजू वही होगा कि जब इस बारे में कोई मोशन रखा जाये उस समय करें।

श्री **मूलचन्द डागा** : मैं पहले कहना चाहता हूं कि जो लिस्ट आफ बिजनेस बनती है, वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हैं उसके आधार पर बनती है और उसके बनने के बाद...

श्री **रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : डागा साहब रूलिंग है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर परियोजना के 464 कर्मचारियों के पदों की कटौती के आदेश जारी किये जा रहे हैं, इस विषय में ।

यह प्रस्ताव पूर्व प्रत्याशी अर्थात् एन्टी-सिपेटरी विषय का है, और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(2) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से मई, 79 में शिक्षा विभाग द्वारा सन् 1971 व 72 से सेवारत सहायक अध्यापकों को जो कि भारत-पाक युद्ध के समय विस्थापितों के रूप में बाड़मेर जिले से आये थे, सेवामुक्त करने के विषय में ।

(3) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई विभाग के हजारों कर्मचारियों द्वारा हड़ताल व क्रमिक भूख हड़ताल के विषय में ।

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं । इन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार के पास इन्हें भेजा जा रहा है ।

(4) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री महावीरजी, जिला सवाई माधोपुर में कृष्णाबाई आश्रम की विधवा बालिकाओं में से एक लड़की को जहर देने से हुई मृत्यु तथा दो की हालत गम्भीर होने के विषय में ।

इस प्रस्ताव में घटना की तिथि नहीं बताई गई है, फिर भी इसे राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(5) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालोर में मध्यकालीन सहकारी ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

यह प्रश्न का विषय है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(6) सर्व श्री रामनारायण चौधरी, दुलाराम, डूंगरराम व मनफूलराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगरपरिषद् के कर्मचारियों की मांगों को लेकर गत 10 दिनों से की जा रही हड़ताल व भूख-हड़ताल के विषय में ।

इस प्रश्न को सदन में कल शून्यकाल में उठाया जा चुका है और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वे सदन में आज इस पर एक वक्तव्य देंगे अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(7) सर्व श्री शंकरलाल, रामसिंह विश्नोई, माधवसिंह दीवान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर दुग्ध डेयरी के दूध में गत 18 सितम्बर से कीड़े-मकोड़े पड़ने व लाखों लीटर दूध के सड़ने के विषय में ।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

वे स्थगन प्रस्ताव जिन पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है।

(1) श्री जयनारायण सालोदिया– अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर सदन में बहस हेतु।

किन-किन विषयों पर बहस की जावे, इसका निर्णय कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के आधार पर लिया जाता है।

(2) श्री खेतसिंह, श्री बजरंगलाल— ग्राम नीमेड़ा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक के 18 हरिजन व भूमिहीन किसानों के लगान की रसीदें होते हुए भी राहत नहीं पहुंचाने बाबत।

यह प्रस्ताव अस्पष्ट है। मैंने व्यवस्था में शामिल नहीं किया है इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री **रामकृष्ण दास गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से जो मेरा स्थगन प्रस्ताव है, वह एन्टीसिपेटरी न होते हुए अस्वीकार हो गया है। 27-9 के आदेश अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान नहर परियोजना के द्वारा...

श्री **उपाध्यक्ष** : दो मिनट चर्चा कर लें।

श्री **रामनारायण चौधरी** : माननीय अकाल सहायता मंत्री कब अपना वक्तव्य देंगे यह बता दिया जाय ताकि हम सदन में मौजूद रहें। जीरो आवर के बाद देंगे या कब देंगे ताकि हम उपस्थित रह सकें और क्लेरीफिकेशन ले सकें।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं इस बारे में उनसे जानकारी लेकर बता दूंगा।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान नहर परियोजना के मंत्री जो कि हमारे मुख्य मंत्री भी हैं से निवेदन करना चाहूंगा कि यह 464 आदमियों की जिन्दगी का सवाल है। राजस्थान नहर परियोजना में स्थाई तौर से काम कर रहे इन 464 पदों की कटौती करके और उनको नौकरी से निकालने की योजना वहां के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने बना दी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता यह अपनी मर्जी से नहीं करके, जनता सरकार के जो आशीर्वाद प्राप्त आफिसर हैं श्री भीमसिंह जी, जो कि राजस्थान नहर परियोजना मण्डल के चेयरमैन हैं और जिनकी नियुक्ति के बारे में विवाद है, जिन चेयरमैन महोदय ने राजस्थान नहर की योजना के भूतपूर्व मंत्री, श्री केदार की एक बात नहीं मानी, जिसने राजस्थान नहर परियोजना का भट्टा बैठा दिया, जिस चेयरमैन के काल में पिछले वर्षों 8 करोड़-रुपया बिना खर्च किये उसे एडवांस दिखाकर खर्च किया गया जिसके बाद में राजस्थान नहर परियोजना का काम प्रायः ठप्प पड़ा हुआ है, नहर नहीं खुद रही है। उन भीमसिंह जी द्वारा अपने श्री कालरा से मिलकर राज्य सरकार में झूंठा दिखावा करके 464 अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के पद कम करके, उनकी कटौती करके उनको बेरोजगारी के मुंह में ठूंसा जा रहा है। एक तरफ राजस्थान नहर परियोजना में नये सर्किल खोले गये हैं, नये सब-डिवीजन खोले गये हैं, नये एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स की भर्ती की गयी है। एक ओर नहर का कार्य तेज करने का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो स्थाई पद पर कार्य कर रहे थे उन 464 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। बीकानेर में जनता आन्दोलन की राह

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
पर है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुख्य मंत्रीजी सदन से बाहर निकल गये हैं। उनसे राजस्थान नहर परियोजना का काम नहीं संभल पाये तो किसी और सदस्य को जो उनकी पार्टी में इस कारण से हैं कि मंत्री बन जायेगा, उनको सौंप दें। माननीय सिंचाई मंत्री जी भी इस बात की ताईद करेंगे कि भीमसिंह जी चेयरमैन से वे भी रुष्ट हैं। वह उनकी बात भी नहीं मानते। वह मंत्रियों के मंत्री हैं। यह बत्तीसी दिखाकर आप झेंप चाहे मिटा लें। यह सर्वथा सत्य है कि इस जनता सरकार के मंत्रियों को उनके आई.ए.एस. आफिसर मिट्टी के कण का भी मान नहीं देते। यह मुख्य मंत्री की क्षत्र छाया में हैं और बाकी के शैंडोस मंत्रियों की इम्पोटेन्सी के कारण से हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल महत्वपूर्ण है। राजस्थान नहर परियोजना के 464 व्यक्तियों के पदों की कटौती करके बेरोजगार बनाया जा रहा है। उन पदों की कटौती की जा रही है जो पद स्थाई किये हुए हैं। राज्य सरकार के आदेशों के बिना अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान नहर परियोजना द्वारा 464 स्थाई पदों की कटौती करके उन स्थाई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना के आदेश जारी किये जा रहे हैं। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो गृह मंत्री जी आप पुलिस को अभी से आर्डर दे दीजिये, लाठी-चार्ज का बन्दोबस्त करें। आप लोग चाहते यही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस महत्वपूर्ण विषय पर बजाय जवाब देने के हमारी बात को सुनने को मुख्य मंत्री महोदय सदन का परित्याग करके उन 464 कर्मचारियों की रोटी-रोजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा तो यह आरोप है कि अगर इस राजस्थान नहर परियोजना के इस चेयरमैन को नहीं हटाया गया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नहीं हटाया गया तो सिंचाई मंत्री जी, यह निश्चित रूप से कहता हूं कि जनता यह सहन करने वाली नहीं है। न आज तैयार होगी, न कल होगी और जनता सरकार के चहरे पर कालिख लगाई जायेगी। हमारे मंत्रियों की इम्पोर्टेन्सी, उनकी कमजोरी अधिकारियों को इतना स्ट्रांग करती है। आप तो आर. एस.एस. से हैं।

श्री **हरचन्द सिंह** : बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली है, कैसे छोड़ दें।

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : बाला साहब देवरस के अनुसार आर.एस.एस. के मेम्बर हैं। जोधपुर में अधिकारियों की लापरवाही के कारण 400 आदमियों की मौत हुई है। 400 आदमी वहां मर गये और 464 को नौकरी से निकालकर मौत के मुंह में डालने की योजना जो आपके इन्जीनियर्स ने बनाई है, इसके बारे में अगर आपने समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की तो बीकानेर की जनता आप मंत्रियों को, झंडी वाली गाड़ियों को बीकानेर में घुसने नहीं देगी। चुनाव आ रहे हैं। बाला साहब देवरस की स्कीम कि 10 साल में हम सत्ता हथिया लेंगे तो आप बीकानेर में शांति बनाये रखिये। वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यह मैं नहीं कह सकता

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय वित्त मंत्री को तो बीकानेर वूल टाप का फिक्र है। वित्त मंत्री को वूल टाप टैक्स की फिक्र है कि कैसे माफ हो। एक तरफ 50 लाख रुपये का टैक्स माफ करने की योजना और दूसरी तरफ 464 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
योजना, यह समाजवादी सरकार है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी),

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण-दास जी, कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से इस सदन में उन 464 परिवारों की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं। मैं राजस्थान नहर परियोजना के भूतपूर्व मंत्री श्री शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि वे खड़े हो कर कहें कि राजस्थान नहर परियोजना का भट्टा बैठाने की जिम्मेदारी इसके चेयरमैन भीमसिंह पर है। इसके बड़े इन्जीनियर्स हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी).

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं बैठ जाऊंगा, आपके आदेश की पालना करूंगा।

श्री हरचंद सिंह : यह बैठ जायें, राजस्थान नहर का भट्टा बैठ जायेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पीलीबंगा से आने वाले विधायक इनके नाम पर भट्टा बैठा रहे हैं। पंजाब में जो बीकानेर केनाल....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकृष्ण-दास जी गुप्ता, आप चर्चा समाप्त कर चुके हैं तो कृपया बिराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इनको फिक्र नहीं है। सारे गंगानगर जिले में अकाल पड़ रहा है, इनको फिक्र नहीं है। पानी नहीं मिल रहा है, फिक्र नहीं है। और भी जो मुद्दे उठाये हैं उसको सुनने के लिये कोई मंत्री तत्पर नहीं हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको चिन्ता क्यों हो रही है, माननीय सदस्य के व्यक्तित्व का भट्टा बैठ रहा है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपके नेतृत्व का भट्टा पहिले बैठ गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण-दास जी, कृपया, बिराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं 5 मिनट पहले की बात कर रही हूं...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने जनता पार्टी को इसलिये वोट दिया, मेरी आत्मा उसमें बिराजती है, मेरा शरीर यहां पर है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फालतू की बकवास क्यों करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण-दास जी गुप्ता। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप 10 मिनट ले चुके हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 71 में हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के युद्ध के समय जो विस्थापित आये, हैं उनमें से 70 शिक्षक थे। उनमें ट्रेन्ड भी थे और अनट्रेन्ड भी थे। उनकी सूची भी मैंने पुनर्वास मंत्री जी को दे दी थी। उन शिक्षकों की गैर शिक्षकों की सर्विसेज सन् 1979 में टरमिनेट कर दी हैं सेवामुक्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में, यद्यपि उस समय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित

Page No.45

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

नहीं थे किन्तु एजुकेशन कमिश्नर साहब की उपस्थिति में मीटिंग हुई और यह निर्णय हुआ कि जो उनके मुखिया है, उनको लिया जाय दूसरे को नहीं लिया जाय। उनमें सिर्फ तीन टीचर्स ट्रेन्ड थे और तीन टीचर अनट्रेन्ड थे इस प्रकार 6 टीचर थे। अनट्रेन्ड को नहीं लिया गया हैं। तीन को लिया गया है। 60 टीचर्स जो विस्थापित थे 6–7 वर्ष से सेवा में लगे हुए थे उनमें इस बात का असन्तोष है, क्योंकि उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। वे हड़ताल करने जा रहे थे। मैंने निवेदन किया, हड़ताल नहीं करें। मैं राज्य सरकार के नोटिस में लाऊंगा शिक्षा मंत्री के नोटिस में लाऊंगा, पुनर्वास मंत्री जी के नोटिस में लाऊंगा। इसलिये मेरा निवेदन है आप विस्थापितों को जो ट्रेन्ड है और कुछ मामले आपके विचाराधीन भी है उनको एग्जामिन करके सर्विसेज में वापस लेने के आदेश दें और जो उनकी मांग हैं, उसकी पूर्ति करके आप उन्हें सन्तोष दें। विस्थापितों के ऐज के रिलेक्सेशन के बारे में भी हैं। बर्मा और पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के लिये रिलेक्सेशन हैं, तो एक दो रिलेक्सेशन करते हुए उनको सर्विसेज में लेने की कोशिश करें नहीं तो 7–8 साल से जो सर्विस कर रहे हैं वे बेचारे अब कहां जायेंगे। किसी की एज 30 साल की हो गई है, और किसी की 40 साल की हो गई है, ऐसी स्थिति में वे कहां काम करेंगे? सर्विसेज में जो टीचर्स होते हैं उनके लिये दूसरी जगह धन्धा करना भी मुश्किल होता है। उनकी लाइफ नष्ट हो जायेगी इसलिये, इस प्रकार को अस्थिरता में रखना बहुत अनुचित है। यह मैं चाहता हूं। शिक्षा मंत्री जी इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें, पुनर्वास मंत्री जी भी वक्तव्य दें। जिन टीचर्स की सर्विसेज टर्मिनेट की है, उनको सेवा में वापस लेने की कोशिश करें।

श्री टीकम चन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको सर्विसेज देने का प्रश्न नहीं है बल्कि उनको रोजी-रोटी देने का सवाल हैं। उनको कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है।

श्री वृद्धि चन्द जैन : अगर जवाब शिक्षा मंत्री जी दे सकें तो उचित रहेगा, यह रोजी-रोटी का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप वक्तव्य दे रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री): जी हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जितने अध्यापक हैं उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और किसी प्रकार उनको नौकरी में रखा जा सकता है तो रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के बारे में है, जो 24 तारीख से विधान सभा के बाहर तम्बू लगाये बैठे हैं। बड़ी हैरानी का विषय है कि जो कर्मचारी हमारी विधान सभा के

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

सामने बैठा है। भूख हड़ताल और घरना दें और हमारे मंत्री महोदय जरा भी ध्यान नहीं दें कि उनके कर्मचारी क्यों बैठे हैं। यह पहला मौका नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने अपनी माँगों को लेकर हड़ताल की, उनकी ग्रेच्यूटी के बारे में, उनके स्थायी होने के सवाल आदि पर पिछले साल भी गंग नहर और भाखरा क्षेत्र के हजारों कर्मचारियों ने हड़ताल की। सबसे बड़ा अफसोस तो यह है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन पर इन्हीं माँगों को लेकर पुनः वहाँ के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद सिंचाई मंत्री महोदय ने जरूरी नहीं समझा कि उनसे बातचीत करके उनके मसलों को हल किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कर्मचारी माननीय सिंचाई मंत्री से मिले तो उन्होंने कहा, हमने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर और अन्य लोगों की एक कमेटी बनाई है। डेढ़ साल पहले कमेटी बनी, डेढ़ साल का अर्सा हो गया, न कमेटी ने कोई निर्णय लिया, न कोई दूसरी बात की..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : चीफ इंजीनियर, पी. एच. ई. डी. हैं, करेक्ट कर लें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जब सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर से बात की और कहा, राजस्थान का सवाल नहीं है, पंजाब और हरियाणा हमारे पड़ोसी राज्य हैं, नहर का कर्मचाणा जो पंजाब में काम करता है, उसी नहर का कर्मचारी जो हरियाणा में काम करता है, किन्तु वह ज्यादा सहूलियतें ले रहा है, बनिस्बतन हमारे सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर से बात करके उन्हें बताया कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में जो कर्मचारी नहर पर काम करते हैं वह ज्यादा सहूलियतें ले रहे हैं। इन सारे सवालों पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सिंचाई मंत्री से आश्वासन चाहूंगा कि वे उनके फेडरेशन को बुलायें और बात करें। सुना है वे कोई जे. बी. संगठन तैयार कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमारे सिंचाई मंत्री जी तो एक नेक इरादे के इन्सान हैं और दूसरे संगठन से बात करना पसन्द नहीं करते हैं। इनका अपना एक संगठन है और मंत्री पद की बख्शीस केवल इसीलिये मिली है कि अपने विचार के संगठन को कहां-कहाँ फैला सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि उनकी जायज माँगों को नहीं माना जाय। ये कर्मचारी 20-20 साल से सेवायें कर रहे हैं तो क्यों नहीं इनके सवालात को हल किया जाता है?

सिंचाई विभाग का गरीब कर्मचारी जब सारी दुनियाँ सोती है तो ये कर्मचारी उन नहरों पर रखवाली करते हैं। इसलिये मैं आपकी मार्फत यही निवेदन करूंगा कि सिंचाई मंत्री जी, आपको सद्बुद्धि मिले। मेहरबानी करके इन हजारों कर्मचारियों को बिठा करके, इनके नेताओं से बातचीत करके इनकी समस्याओं को हल करना चाहिये वरना ये गद्दियाँ रोज बदलती रहती हैं, वक्त चला जायगा और वक्त हाथ नहीं आयेगा, ये कब हुकूमत चली जायेगी इसका पता भी नहीं लगेगा। आज राजनैतिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं किन्तु ये कर्मचारी तो रहेंगे......

श्री रतन लाल वर्मा : हम तो यहीं रहेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपसे पहले वाले भी यही कहा करते थे, कांग्रेस के लोग भी यही कहा करते थे कि हम पक्के हो गये । हाँ, एक बात अवश्य है यदि आपने अपनी कुर्सी के गोंद लगा लिया है तब तो रह सकते हैं या कोई कील ठोक ली है तब भी रह सकते हैं वरना जो भी इन कुर्सियों पर बैठते हैं वे सब यही कहते हैं कि मैं तो यहीं रहूंगा । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यही उम्मीद रखते हुए कि या तो आप यह आश्वासन दें कि उनके असंतोष को दूर करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्यों ये यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात चीत कर रहे हैं । सीधी-सादी सी बात है ।

श्री ललीत किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कमिश्नर से पहले बातचीत हुई है । कल मिलने का समय तय हुआ था । समय साढ़े पांच बजे का तय हुआ था लेकिन विधान सभा देर तक चलती रही जिससे मिलना स्थगित करना पड़ा । माननीय सदस्य को सूचना होगी कि आज मिलने का समय कल ही तय हो चुका है । उनकी जो मिलने की मांग है वह पूरी कर दी है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मिलने के लिये तो धन्यवाद । लेकिन जो मांगें हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैंने इसके अन्दर यह भी लिखा है कि भाखरा और गंग केनाल के कर्मचारियों की भी बात है, उनको भी बुला कर बात करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी: There is point of order माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय डागा साहब का जो स्थगन प्रस्ताव है उसमें आपने व्यवस्था दी है । इसमें यह भी मालूम नहीं है कि लड़की का क्या नाम है ? न तारीख है ? किस रोज की यह घटना है, न इस संबंध में कोई तारीख है । यह बिल्कुल अस्पष्ट है और केवल मात्र सदन के माध्यम से गलत बयानी करने का प्रयास है । इस तरह से.........Floor of the house should not be used.

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह आपको जानकारी दे दूं कि इसको व्यवस्था में ले लिया गया है । जो स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत करने के बाद व्यवस्था में आते हैं उन पर दो मिनिट की चर्चा अवश्य की जाती है, उसमें इसके बारे में बतायेंगे ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मान्यवर, इसके लिए निवेदन है कि इस सरकार की जिस प्रकार की स्थिति है, जिस किसी का विवरण मिला उसको जाकर जिस प्रकार से दबाते हैं । लड़की का नाम भी मालूम हो जावे, पता ठिकाना भी मालूम हो जाये और उम्र भी मालूम हो जावे तो दौड़ कर जाते हैं इसलिये नहीं बताया गया है, उपाध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, इसके फैक्ट्स हैं उनको मैं दुख के साथ पेश कर रहा हूं । श्री महावीरजी जैनियों का एक तीर्थ स्थान है वहाँ पर कृष्णाबाई नामक आश्रम स्थित है । उस आश्रम में विधवायें और बालिकायें रखी जाती हैं । उसकी व्यवस्थापिक हैं, श्रीमती कृष्णाबाई । तारीख 29 के रोज, इसी मई 29 के रोज तीन लड़कियों को जहर दिया गया उनमें

(श्री मूलचन्द डागा)
से एक लड़की का देहावसान हो गया। जिन तीन लड़कियों को जहर दिया गया उनमें से एक का देहावसान हो गया और दो लड़कियाँ अस्पताल में भी एडमिट हैं। यह एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर समाज कल्याण मंत्री विचार करेंगे, समाज कल्याण विभाग को निदेश देंगी। इस आश्रम की गतिविविधियां पिछले सालों से बहुत संदिग्ध रही हैं और यह आश्रम.....

श्री जय नारायण सालोदिया : सारे ही आश्रमों की यही हालत है।

श्री मूलचन्द डागा : इस आश्रम की उन लड़कियों ने ऐसा बड़ा दोषारोपण किया है, कि इस आश्रम के अन्दर अनैतिक व्यापार होता है। तीन लड़कियों, जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं, में से एक लड़की ने पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र भी लिखा उन्होंने पत्र वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी लिखा। इन पत्रों के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी कार्यवाही नहीं की। जब उस लाश को ले जाने लगे तब पुलिस ने आकर उस लाश को अपनी कस्टडी में लिया और पोस्टमार्टम कराया। उसके पहले लडकियों ने कई बार यह शिकायतें की थीं कि श्री कृष्णाबाई आश्रम है, इस आश्रम में लड़कियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। दो दिन पहले जयपुर के कुछ लोग वहां पर गये थे और उन्होंने उन लड़कियों को खरीदा। करीब 14–15 हजार रुपयों में खरीदने की प्रक्रिया मालूम हो गई। लड़कियों ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया। एक लड़की वहां से भागी और वह भाग कर दिगम्बर जैन, जो अतिशय क्षेत्र है महावीरजी का, में वह चली गई। जब वहीं पर चली गई तो कृष्णाबाई का बड़ा असर है, कुछ सरकारी अधिकारी मिले रहते हैं, इसके कारण क्या पता किस प्रकार से व्यवस्था करती है, आश्रम का क्या धन्धा है, लेकिन उसके कारण लड़की पर यह आक्षेप लगाया कि इस लड़की का अपहरण कर दिया गया है। तब लड़की को वहां से हटा कर दूसरी जगह कौन से आश्रम में रखा गया। लेकिन जब वहां से 29 तारीख को ले गये तो उनको अलग से रखने की व्यवस्था की गई और उनको खाना अलग खिलाया गया। उनको चावल दाल अलग से खिलाया और वह खाने के बाद एक लड़की का कुछ ही समय के बाद देहावसान हो गया। उस समय सारी बात बताई कि उसके पहले हमने मजिस्ट्रेट को और वहां के अधिकारियों को इत्तला की थी कि इस प्रकार से लड़कियों को बेच दिया जावेगा और पहले भी इस आश्रम में यह होता आया है। इसलिए यहां पर, मैं भी जैन धर्मावलम्बी हूं और इस प्रकार का महावीरजी का आश्रम है, उस आश्रम के बारे में मैं सरकार से चाहता हूं कि जो घटना घटी है उसकी गहराई में जाकर होम डिपार्टमेंट जांच करे, समाज कल्याण विभाग जांच करे कि इस प्रकार का आश्रम लगाया जाता है। पुण्य की आड़ में जो पाप किये जाते हैं, धर्म की आड़ में जो अधर्म के काम होते हैं, समाज कल्याण विभाग इन आश्रमों की कभी। कभी जांच कर लिया करे।

श्रीमती विद्या पाठक : क्या यह एडेड आश्रम है? क्या समाज कल्याण विभाग एड देता है?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं, यह कृष्णाबाई ट्रस्ट है, आश्रम है।

श्री जयनारायण सालोविया : समाज कल्याण में क्या नहीं होता। आपके सारे छात्रावास और आश्रम इसी बात में फल-फूल रहे हैं, तरक्की हो रही है। जय हो, आपकी जय हो।

(व्यवधान)

लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और आप बैठी हैं। जय हो, आपकी जय हो।

श्री मूलचन्द डागा : तो इन तीनों लड़कियों की, दो लड़कियों की जो हालत है, तो मैं आपके द्वारा राजस्थान के गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस पाप की घटना की जांच करें और जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आयें तो उन दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाये। आप तारीख 8 तक भी अपना वक्तव्य सदन में दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जालोर जिले में 30-8 से अपेक्स बैंक से मध्यकालीन ऋण जो देते हैं, उसमें आपकी सहकारी समितियों ऋण-पत्र बने थे। उनमें से कुछ सदस्यों को ऋण दे दिया गया और बाकी काश्तकारों को ऋण नहीं दिया गया। ऋण एप्लीकेशन जितनी भी हैं, सौ, दो सौ, पांच सौ जितने भी सोसायटी के सदस्य होते हैं उनमें से किसी को सौ, किसी को पचास रुपये मिले हैं। तो कुछ को तो ऋण मिल गया लेकिन बाद में बाकी सदस्यों को ऋण देना बन्द कर दिया। सोसायटी ने उनकी एप्लीकेशन्स तैयार की हैं, उनको क्रेडिट लिमिट तैयार की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय को सूचना देता हूं कि कुछ सदस्यों को तो ऋण दे दिया लेकिन बाद में अचानक लोन देना बन्द कर दिया, पार्टली पेमेन्ट कर दिया, बाकी ऋण-पत्र अधूरे रह गये, सदस्य बाकी बच गए। ऋण-पत्र भरे हुए हैं लेकिन जो ऋण देना बन्द कर दिया तो वह किस रूप में, क्यों बन्द कर दिया गया, इस बारे में आप जांच करायें। जितने भी कर्जे के ऋण-पत्र पहले भरे जा चुके हैं सोसायटियों के उनमें से जितने बाकी बचे हैं उनको बैलों के लिये, गाय के लिए, मीडियम टर्म लोन जो देते हैं गुजारा करने के लिए अभावग्रस्त क्षेत्रों में, जो अपना भरण-पोषण करना चाहते हैं, वह सारा काम ठप्प कर दिया है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि जितने भी बकाया सदस्य बचे हैं उनके लिए अपेक्स बैंक से बात करके उनको ऋण दिलायें वरना अकाल राहत मंत्रीजी के सामने भी बड़ी प्राब्लम हो जाएगी। सहकारिता विभाग से ऋण लेकर लोग काम करना चाहते हैं तो अब तो सभी जगह आपके प्रशासक हैं, इलेक्टेड संचालक मण्डल कोई भी नहीं हैं, राज्य सरकार का मामला है। उपाध्यक्ष जी, सारे जिले में लोगों के लाखों रुपये रोक लिए गए हैं ऋण के आधार पर जो लोगों के पैसे तय कर चुके हैं, भैंस खरीदने के लिए, गाय खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए तय कर चुके हैं लेकिन अचानक लोन बन्द हो गया है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसलिए आपकी मार्फत में मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसकी जांच कराके बकाया रकम का तुरन्त भुगतान करवा दें वरना लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपकी जानकारी में है या नहीं यह तो मुझे पता नहीं है लेकिन मंत्री महोदय इसकी कलेक्टर से जांच करवा लें और इसका तुरन्त भुगतान करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जोधपुर दुग्ध डेयरी के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं उनकी दुर्व्यवस्था हो रही है और कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग नफे में न चल कर लाखों रुपयों के घाटे में चल रही हैं। जोधपुर दुग्ध डेयरी की जो दुर्व्यवस्था है उसके बारे में समाचार-पत्रों के अन्दर आये दिन समाचार पढ़ने को मिलता है। उसको देख कर ऐसा लगता है कि सरकार उसको बंद करना चाहती है और करोड़ों रुपयों की लागत से बनी डेयरी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। यह डेयरी पांच लाख की लागत से बनी है। जोधपुर डेयरी के सम्बन्ध में जब हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं--जोधपुर डेयरी एक कबाड़खाना, अधिकारियों की लापरवाही से भारी क्षति, बून्द-बून्द दुध को बच्चे तरसें, लाखों लीटर दुध में कीड़े-मकोड़े। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा समाचार "जलते दीप" समाचार-पत्र में छपा है। 19 सितम्बर को यह छपा है। इसी प्रकार एक समाचार है जोधपुर दुग्ध डेयरी में तालाबन्दी संभव, यह दूसरे अखबार में छपा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में मन्त्री महोदय नहीं हैं। यह मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है कि वे यहां पर रहें। इसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई न कोई व्यवस्था दे सकें तो अच्छा होगा। यह बहुत ही गंभीर मसला है। इस समय मंत्री महोदय को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शंकरलाल जी यह उचित ही है कि संबंधित मंत्री जब आप चर्चा करें तो उपस्थित रहें।

श्री शंकर लाल : शायद ये चुनाव के लिए चन्दा कर रहे हैं और जनता की समस्या को सुनने के लिए यहां पर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं संसदीय मामलात विभाग के मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कृषि विभाग से संबंधित प्रश्न पर चर्चा हो रही है तो संबंधित विभाग के मंत्री महोदय को यहां पर रहना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ड्यू नोटिस देते नहीं हैं और यहां आते हैं तो.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव की सूचना जैसे ही आती है उसकी एक प्रति तत्काल संबंधित मंत्री महोदय को भेज दी जाती है...

(व्यवधान)

श्री ग्योपत सिंह मकासर : बाकायदा तीन दिन का नोटिस देते हैं। आपको भी भेजते हैं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव की सूचना दी गई है। अतिरिक्त प्रतियां दी गई हैं।

श्री दुलाराम : सदन में इस पर व्यवस्था दी गई है फिर भी सदन में नहीं आवें..

(व्यवधान)

यह उचित नहीं है।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस समय स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे रहे थे तो मंत्री महोदय उपस्थित थे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में संसदीय मामलात विभाग के मंत्री महोदय से पूछा था उन्होंने जो उत्तर दिया है, वह सन्तोषजनक उत्तर नहीं है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपया अपने सेक्रेटेरियेट को हिदायत दें कि इस प्रकार से जो स्थगन प्रस्ताव आवें तो वे उसी समय मंत्रियों को भेज दिए जाएं ताकि मंत्री महोदय उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर यहां पर उपस्थित रह सकें ....

कई माननीय सदस्य : यह आक्षेप है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय आपकी सूचना के लिए मैं यह निवेदन कर दूं कि जो स्थगन प्रस्ताव यहां पर आते हैं उनकी एक प्रति सम्बधन्ति मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर दी जाती है।

श्री शंकर लाल : जिस समय आप व्यवस्था दे रहे थे उस समय कृषि मंत्री यहां पर मौजूद थे। उनको मालूम था कि इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी चर्चा को राज्य मंत्री सुन रहे हैं।

श्री हरचन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : संबंधित राज्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। वे चर्चा सुन रहे हैं।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह प्रजातंत्रीय व्यवस्था के लिये उपयुक्त है। जिस किसी विभाग का जहां तक संबंध है, उस विभाग के मंत्री महोदय को यहां पर रहना चाहिए लेकिन यह भी सत्य है कि सरकार की एक जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी होती है। संबंधित विभाग के मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि यहां पर नहीं है। हम बराबर चर्चा को नोट कर रहे हैं और यदि सरकार उपयुक्त समझेगी तो जो मुद्दे चर्चा में उठाये जायेंगे उनका वह जवाब देगी।

श्री जय कृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्नोत्तर काल में मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि चूंकि यह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है तो वहां पर सरकार की जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी खतम हो जाती है और इनकी जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी आ जाती है। यह दो तरीके से सरकार काम नहीं कर सकती।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री महोदय आ गये हैं । मैं यह निवेदन कर रहा था कि जोधपुर दुग्ध डेयरी की दुर्व्यवस्था हो रही है, पब्लिक खजाने से 5 करोड़ रुपया लेकर लगाया गया है और जिसके कर्मचारियों का वेतन 2 लाख 50 हजार रुपया मासिक है, वह दुग्ध डेयरी आज कितनी दुर्व्यवस्था में खड़ी है । उसका लाखों लीटर दूध सड़ रहा है । उसमें कीड़े-मकोड़े पड़ रहे हैं । मैं आपका ध्यान जोधपुर से प्रकाशित होने वाले "जलते दीप" समाचार-पत्र, दिनांक 19 सितम्बर की ओर आकर्षित नहीं करना चाहता हूं लेकिन जो हिन्दुस्तान अखबार है उसके 23 सितम्बर के अंक में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं—जोधपुर डेयरी मटियामेट स्थिति में पहुंची, इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसी प्रकार से यह एक दूसरा अखबार है—जोधपुर दुग्ध डेयरी में तालाबन्दी संभव । इसके अन्दर जो फैक्ट्स हैं उनकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस दूध डेयरी के अन्दर पहले 2 लाख 50 हजार और फिर 1 लाख 20 हजार लीटर दूध आता था और आज केवल 50,000 लीटर दूध आता है । क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि डेयरी में यह गिरावट क्यों आई है ? नम्बर दो पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस के अन्दर दो बायलर हैं, एक बायलर की कीमत पांच लाख की होती है । इसमें से एक बायलर बंद पड़ा है जो मामूली पैसा लगाने से ठीक हो सकता है । यह एक दो घंटे चलता है और फिर बन्द हो जाता है । इसकी हालत यह बतायी गयी है । दूसरा बायलर महीनों से बन्द पड़ा है और उसके अन्दर कबूतरों ने अंडे, बच्चे दे रखे हैं । यह पांच लाख के मूल्य का महत्वपूर्ण बायलर है जो इस डेयरी के अन्दर पड़ा-पड़ा अपने भाग्य को रो रहा है । चिलिंग प्लान्ट दो हैं । उसके अन्दर एक तो बंद है, ठप्प है । इसमें सौ, दो सौ रुपये खर्च होंगे । वह बायलर दो लाख की कीमत का है । सिर्फ इसलिये बन्द पड़ा है कि वह कार्य में नहीं आ रहा है । जो जनरल मैनेजर हैं मि. कक्कड़, जिनके बारे में यह कहा गया है कि वे वहां की सम्पत्ति का निजी काम में प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं । दूध की डेयरी की मोटरों में उनका परिवार आता-जाता है । उनके बच्चों को स्कूल ले जाया जाता है, सिनेमा देखने उनका परिवार इन मोटरों में जाता है । ये सारी बातें इन समाचारों में प्रकाशित हुई हैं, उसकी तरफ भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस डेयरी में 9 टैंकर हैं जो 60 लाख की कीमत के हैं । ये नये-नये खरीदे हुए भी काम में नहीं आ रहे हैं और दूसरे टैंकर किराये पर ले रहे हैं । क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि यह जो 9 टैंकर हैं वे क्यों बंद पड़े हैं और किराये पर टैंकर क्यों लगा रहे हैं ? इसमें किस की मिलीभगत है ? इतना ही नहीं, इसके लिये जो कर्मचारी बैठे हैं, जिनको इन टैंकरों के लिये तनख्वाहें देते हैं वे बेकार बैठे हैं । तालाबन्दी की भी संभावनाएं हैं । महीनों से बन्द पड़े हैं । जगह-जगह दूध और मक्खन पड़ा हुआ सड़ रहा है । इसके अलावा आपके जो केबिन वहां पर बनते हैं उसकी 12 रुपये कीमत आती है, लेकिन उसको बनाने के लिये 21 रुपये की लागत बैठती है इससे 85,000 रुपये पर डे का घाटा हो रहा है । आप जोधपुर के रहने वाले हैं । कई दफा वहां जाते हैं । लेकिन वहां के झगड़ों को उकसाने के लिये जाते हैं । क्या कभी आपने दुग्ध डेयरी का निरीक्षण

(श्री शंकरलाल)

किया है और पता लगाया है कि यह क्या हो रहा है। आपने जो भी पाली जिले के चिलिंग प्लान्ट हैं, उनके बारे में कतई ध्यान नहीं दिया, आपने पाली के लिये डी.डी.ए. के लिये पैसे जमा कराये। वहां टैंकर आज तक नहीं आये। आज जितना फैलाव हो रहा है आपकी डेयरियों का। इसके अलावा 2.50 लाख रुपये मासिक वेतन के दिये जाते हैं। वह सारा धन बिल्कुल बेकार जा रहा है। वहां 8 टैंकर्स हैं जिनमें 1-1 इंच के कीड़े सड़ रहे हैं, एक-एक इंच लम्बे कीड़े उनमें टपक-टपक कर गिर रहे हैं, जनता आपके प्रशासन को रो रही है। दूध, मक्खन, क्रीम सड़ रहा है। जहरीला वातावरण है। एक टैंकर में 15 हजार लीटर दूध की क्षमता होती है। इस प्रकार आपका एक लाख लीटर दूध कीड़ों से सड़ रहा है। मैंने पाली जिले से इसका संबंध बताया। वहां की, फालना की आइस फैक्ट्री, जिससे आपने 1 हजार लीटर दूध ठण्डा करने का एग्रीमेंट किया और जिसने 45 हजार लीटर दूध ठण्डा किया, उसको आप पैसा नहीं देंगे। एग्रीमेंट के बावजूद भी, पैसा देंगे नहीं लोगों को। जो दुर्व्यवस्था फैली है, लाखों रुपया आपका फालतू जा रहा है। फालना में घोषणा करके भी आपने दूध केन्द्र नहीं खोला। वहां के लोगों ने मवेशी खरीदे, कर्जा लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदिवासियों ने, लेकिन आपने आज तक दुग्ध केन्द्र नहीं खोला। जितने लोगों ने मवेशी खरीदे उनकी रिकवरी भी नहीं हो पा रही है। अन्त्योदय योजना की अन्त्येष्ठि हो रही है। वे कहां किस जगह दूध देवें। आप घोषणा बड़ी-बड़ी करते हैं, काम आपका एक भी नहीं होता। करोड़ों की लागत की दूध की डेयरी हमारे भाग्य को रो रही है। पब्लिक अण्डरटेकिंग की इमेज आपने इतनी खराब कर रखी है कि जनता का विश्वास जाता रहा।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर डेयरी सर्वश्रेष्ठ डेयरी थी उसका मटियामेट करने में, मैं नहीं कहता कि इनका हाथ है लेकिन इनकी लापरवाही के कारण, इनकी देख-रेख की अनभिज्ञता के कारण आज डेयरी की जो हालत हुई है, उसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। जो डेयरी राजस्थान की सबसे अच्छी डेयरी थी, जहां एक लाख लीटर दूध किसानों का प्रतिदिन जाता था वहां 30-40 हजार लीटर हो गया है इसलिये कि उनके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। वह भी अगर न भेजें तो उनके घर का कारोबार नहीं चल सकता, इसलिये दूध भेजते हैं। एक लाख लीटर से 40 हजार लीटर दूध हो जाने का क्या कारण है? इस पर कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग तवज्जह नहीं देते। जब किसानों का दूध रवाना होकर जोधपुर जाता है तो बीच में ठेकेदार लोग चोरी करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं जिससे फेट कम हो जाता है। इसकी जब किसानों को जानकारी होने लगी तो किसानों ने दूध देना बन्द कर दिया, 50 हजार लीटर कम कर दिया, इसकी वजह से लाखों रुपये का घाटा हुआ। जो टैंकर पश्चिमी राजस्थान में हैं, वे 9 टैंकर उन्होंने खराब कर दिये और वे अपने टैंकर किराये पर लगा कर जोधपुर से दिल्ली दूध भेजते हैं। वे टैंकर उन्होंने एंगेज किये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, सुनिए। लाखों रुपये का घाटा है।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हमारे ड्राइवर बेकार बैठे हैं, खलासी बेकार बैठे हैं, कर्मचारी बेकार बैठे हैं। लाखों रुपये का घाटा प्रति दिन दूध की कमी के कारण ये पहुंचा रहे हैं। मान्यवर, इन्होंने तवज्जह नहीं दी। जहां एक लाख लीटर दूध इकट्ठा होता था आज डेयरी का मटियामेट कर दिया, सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल प्रशासन के योग्य नहीं है। एक भी अधिकारी पर आपका कंट्रोल नहीं है। किसी भी कर्मचारी पर कन्ट्रोल नहीं है। किसी भी समिति का निरीक्षण नहीं किया। 80 प्रतिशत गांवों की दूध की समितियां हैं, वे घाटे में जा रही हैं। पांच साल से चुनाव कराये नहीं। यही स्थिति रही तो जो 5 करोड़ रुपये खर्च किये केन्द्र सरकार ने, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये वह सब मटियामेट हुआ जा रहा है। कोई फायदा होगा नहीं। हमने कहा था मंत्री महोदय से, हमारे दूध की कीमत कम है। बाजार में दुगुनी, चौगुनी, हजारों दूनी कीमतें बढ़ गईं, दूध की कीमत भी बढ़ाइये। फिर भी इन्होंने केवल एक पैसा बढ़ाया है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा, अगर आपने पैसा नहीं बढ़ाया, व्यवस्था अच्छी नहीं की, अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारा तो बिल्कुल भट्टा बैठ जायेगा। फिर यह सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : रूल 131 में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी पूर्व अनुमति लेकर सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आज के इंडियन एक्सप्रेस के मुखपृष्ठ पर इतनी बुरी खबर छपी है कि गंग कैनाल —

"Rajasthan's famous Gang Canal, which carried Himalyan water from the river Sutlej to 3,60,000 hectares of shifting sand dunes in the Thar desert in 1927-28, turning the region into a green land and renowned granary has been damaged beyond repair."

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों के अन्तर्गत...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : नियम 131 में कॉल अटेंशन मोशन में, श्रीमान्, पूर्व में अनुमति लेना जरूरी नहीं है। कृपया सुनिये। इंडियन एक्सप्रेस में निकला है—

"It can breach any time any where along the 130 K. M. course from its Ferozpur head in East Punjab to its Shivpur tail in Rajasthan repeating a Morvi type tragedy."

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम कृष्ण दास जी, आपने रूल 131 का हवाला दिया कॉल अटेंशन मोशन का, इसके लिये लिखित में......

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : श्रीमान् मेरी बात तो सुनिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट आॅफ आर्डर, श्री बजरंगलाल शर्मा ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 131 का काल अटेंशन मोशन यह नहीं है ।

श्री रघुनन्दन व्यास : 131 के लिए 32 प्रतियों में लिखित सूचना देनी होगी ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके कान थक रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण दास गुप्ता...

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : गंगानगर जिले के काश्तकार....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास गुप्ता, आप कृपया विराजें ।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

कृपया विराजें. ..

(व्यवधान)

कृपया विराज जायें । पहले आप विराज जायें ।

(व्यवधान)

माननीय रामकृष्ण दास गुप्ता, कृपया बिराजें ।

नियम 131 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति आसन की ओर से आवश्यक है। अनुमति मिलने पर कार्यसूची में सम्मिलित किया जाता है । कार्यसूची में सम्मिलित करने के पश्चात् सम्बन्धित सदस्य ध्यान आकर्षित करते हैं । यह प्रक्रिया है । इसके अनुरूप आप पालना करने की कोशिश करें ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आॅन ए पाइण्ट आॅफ आॅर्डर ।

श्री शंकर लाल : माननीय मन्त्री महोदय बोलना चाहते हैं ।

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जोधपुर, फालना डेयरी के सम्बन्ध में इस प्रकार का वर्णन किया है । इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि बाढ़ आने के कारण जो दूध इकट्ठा हो रहा था, जिस तरह की व्यवस्था चल रही थी, वह सारी की सारी रास्ता खराब हो गई। ट्रकों के आने-जाने का रास्ता नहीं रहा । बाढ़ के आने से जिन समितियों से दूध आता था, उनके पशु भी मारे गये । जिसके कारण से यह अव्यवस्था पैदा हो गई थी । जिसके तरीके से वर्णन इन्होंने किया है, वह अतिशयोक्ति है। पहले भी सदन में जब पेश किया है तब भी देखा था । सारे सदस्य जाकर देखते हैं । मैंने पशुपालन करने वालों के साथ में बैठ कर बातचीत की है । उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया है । जिस दिन से जनता पार्टी की सरकार आयी है, दूध के क्लेक्शन को बढ़ाते ही आ रहे हैं ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह जनता पार्टी के आने से दूध कैसे बढ़ गया है ? क्या ये

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
अच्छी नस्ल के हैं ?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : दूध की खपत बढ़ी है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : दूध तो गाय भैंस ही देती हैं।

श्री कल्याण सिंह कालवी : दूध तो गाय भैंस ही देती हैं।

श्री नूरा : आपने यह बताया है कि जनता पार्टी का शासन आने से दूध की मात्रा बढ़ी है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : बाढ़ आने से पशु मारे गये हैं, जिसके कारण से दूध के संकलन में कमी आई है। 1 लाख रुपया जो खर्च होता है, वह 1 लाख रु० की स्वीकृति दी जा चुकी है। जहां तक होगा और भी सुधार किया जाएगा। जहाँ तक दूध का सवाल है, जितना भी बाहुल्य था इन सारी चीजों के लिए मार्केटिंग हो चुका है। हमारे पास इतनी डिमाण्ड है कि खपत पूरी नहीं कर पाते हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : वह तो सारा सदन देख रहा है, आप खपत पूरी नहीं कर पाते हैं।

श्री कल्याण सिंह कालवी : यह कहा गया है कि हमारे पास दूध पड़ा हुआ सड़ रहा है। जिन दिनों में बाढ़ आई थी तो दूध बाजार में नहीं जा सका था। बिजली हम को मिल नहीं रही थी। परन्तु अब यह कहना कि दूध रोजाना खराब हो रहा है, सड़ रहा है, इसमें कोई सार नहीं है। यह स्टेटमेण्ट असत्यता लिये हुए है। मैं मानता हूं...

(व्यवधान)

जो टैंकर्स हैं, रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है तो वह टैंकर्स खड़े हो जाते हैं। इससे दूध फट जाता है। दूध फट जाने से नुकसान होता है। जैसा कि आपने कहा था, डेयरी के कर्मचारियों को पैसा चुकाना पड़ता है। हम पशुपालकों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहते हैं। इस प्रकार की योजनाओं में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को खर्चा करना ही पड़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है।

श्री शंकर लाल : बहुत ज्यादा नहीं तो आखिर कितने नुकसान में चलता है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : हमने भाव भी बढ़ाये हैं। पहले 27 था वह 28 किया। 28 के बाद 29 रुपया कर दिया है। इसके साथ-साथ यह भी है कि हम किसानों को ज्यादा कीमत देना चाहते हैं। वह अप्रैल से देने की व्यवस्था कर दी है। इसके साथ-साथ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं....

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने कितनी बार घोषणा की है ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : हमने 27 से 28 किया और 29 से अब 29 किया है। इस प्रकार से जोधपुर और फालना डेयरी की स्थिति चिन्ताजनक है। उसके अन्दर भयंकर अकाल है। पशुओं को चराने को चारा नहीं मिल रहा है।

Page No.57

(**श्री कल्याणसिंह कालवी**)

दूध मात्रा में नहीं मिल रहा है। इसलिए दूध के संकलन में कमी आई है। अब ज्यादा संकलन करने का प्रयास करेंगे। जहां तक मैं चाहता था वहां के जो पशुपालक हैं, उन सभी को दूध उत्पादन से लाभ मिले। हमने समझौता किया था, परन्तु वह हो नहीं सका। हम वहां नया चिलिंग प्लाण्ट स्थापित करने जा रहे हैं। इससे वहां के पशुपालकों को दूध के संकलन से अच्छी कीमत मिल सकेगी।

श्री शंकरलाल : यह कब से करेंगे ?

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने यह प्रश्न पूछा था, जो दूध जाता है, उसके बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह रेगूलर डिबेट नहीं है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, रेगुलर डिबेट की बात नहीं है। इन्होंने स्वयं कहा है कि घाटे में जा रहे हैं। फिर वह अच्छा बता रहे हैं। मैंने कहा था, 85 हजार रुपया केबिन बनाने से घाटा होता है। डेलों घाटे में जा रहे हैं। फिर क्यों बना रहे हैं ? अभी तो केवल वर्षा के कारण दूध कम आ रहा है। यह बात कही है ? अभी तक घाटे के बारे में ऐसा लगता है कि व्यवस्था सुधारना नहीं चाहते हैं। अच्छा होता, वे यह कहते कि हम इसके बारे में गम्भीरता से विचार करेंगे व इसकी जांच करेंगे। इसके अलावा वे मेनेजमेंट को सीलेंड करने की कोशिश कर रहे है और घाटे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं अगर वह यह समझते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से डेयरी में कोई अव्यवस्था है, हालांकि मैं इसको नहीं मानता, मैं स्वयं बैठ कर डेयरी के अधिकारियों से, दुग्ध उत्पादकों से, पशुपालकों से विचार-विमर्श करूंगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, सफाई कर्मचारियों के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने आज तीन बजे वक्तव्य देने को कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : जयपुर नगर परिषद के कर्मचारियों की भूख हड़ताल के बारे में तीन बजे वक्तव्य देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री शंकरलाल : जोधपुर नगर परिषद् के बारे में भी कहा था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तीनों ही का था, जोधपुर, गंगानगर और जयपुर।

व्यवस्था

अविश्वास प्रस्ताव के पूर्व दिये गये स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : एक व्यवस्था के प्रश्न पर जो माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है उसके बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

"सदन में कल जब स्थगन प्रस्तावों पर दी गई व्यवस्थाओं पर चर्चा की जा रही थी

(श्री उपाध्यक्ष)
तब श्री रघुनाथ विश्नोई ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि जो प्रस्ताव अविश्वास के प्रस्ताव देने से पूर्व इस सचिवालय में दिए गए थे, वे अब सदन में दी जाने वाली व्यवस्था के अन्तर्गत पुनः शामिल किए जाने चाहिए क्योंकि न तो सभी सदस्य जिन्होंने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी, बहस में भाग ले सकें हैं और न सरकार की ओर से ही कोई उत्तर आया है।

माननीय अध्यक्ष ने इस प्रश्न पर विचार किया है और उनकी यह व्यवस्था है कि स्थगन प्रस्तावों की प्रकृति ऐसी होती है कि वे अविलम्बनीय लोक महत्व के माने जाते हैं। और 3-4 दिन या इससे भी अधिक पूर्व दिए गए प्रस्तावों का काई महत्व नहीं रहता है। यह बात माननीय अध्यक्ष कल ही अपनी एक व्यवस्था के दौरान स्पष्ट कर चके हैं। फिर भी यदि कोई माननीय सदस्य ऐसा समझता हो कि उनके द्वारा सदन में कोई विषय ऐसा महत्वपूर्ण है कि वह स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जाना जरूरी है तो उन्हें यह अधिकार होगा कि वे नये सिरे से स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं और वह प्रस्ताव इस कारण से अग्राह्य नहीं माना जावेगा कि उन्होंने उसी विषय पर पहले ऐसे स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जिस पर काई चर्चा नहीं हुई है।

यही स्थिति ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में भी है। इस सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व प्राप्त होने वाले स्थगन प्रस्तावों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को फाइल करने का निर्णय लिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से एक मिनट में, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, मेरे स्थगन प्रस्ताव की मन्शा यह है, कि....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को व्यवस्था में नहीं लिया है, मैंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा, आप अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में मिल लें।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह ऐसा विषय है, तीन साल से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सालोदिया साहब, कृपया बिराज जाइये, आप अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में मिललें

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : ××× ××× ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सालोदिया साहब, आप अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में मिलना नहीं चाहते और सदन में चर्चा उठाना चाहते हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र-माननीय अकाल राहत मंत्री।

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलालजी, पहले अधिसूचना को प्रस्तुत होने दीजिये; अगर इसी संबंध में व्यवस्था का प्रश्न हो तो आप उठा सकते हैं।

××× उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

श्री **जयनारायण सालोदिया** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, अकाल राहत विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1(2) स.अ. / बाढ़ / 79-80/20966-86 (एस. ओ. 99), दिनांक 5 सितम्बर, 1979 को सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री **उपाध्यक्ष** : विधायी कार्य-पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक--माननीय श्री भैरवलाल कालाबादल।

श्री **भैरवलाल कालाबादल** (आयुर्वेद मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है कि पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

श्री **भैरवलाल काला बादल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1979) एवं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 5, सन् 1979) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने वाले विधेयक; माननीय शिक्षा मंत्री।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किये गये विधेयक पर विचार

श्री **मूलचन्द डागा** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमान्, शिक्षा मंत्री महोदय ने प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं संबंधी विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने संबंधी इजाजत मांगी है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं जो पहले से कार्य सूची बनी हुई है, उसी पर तारीख 4 और 5 को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने चर्चा करने के लिए रखा है और वह है केवल बाढ़ और अकाल का विषय। जो प्रस्ताव माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने दिया था वह आज की कार्य सूची में कहां से आया, रूल 213 यह कहता है—

"(1) It shall be the function of the Committee to re-

(श्री मूलचन्द डागा)

commend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee.

(2) The Committee shall have the power to indicate in the proposed time-table the different hours at which the various stages of the Bill or other business shall be completed.

(3) The Committee shall have such other functions as may be assigned to it by the Speaker from time to time."

212, के अन्दर और 214 के अन्दर जब, रिपोर्ट ऑफ दी कमेटी हाउस के सामने, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट रखी गई, 21.5 में आब्जेक्शन करने का है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने नहीं रखा कि यह बिल रखा जायगा या प्रोड्यूस किया जायगा और सलेक्ट कमेटी को भेजा जायगा। जो आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट उसमें इस विधेयक के बारे में कहीं भी नहीं रखा और अचानक आकर इन्होंने कह दिया कि इसे प्रवर समिति में रखा जाएगा और उसके अलावा मैंने जो संशोधन पेश किये हैं उन पर चर्चा होगी। तो इसका यह मतलब हुआ कि अकाल और बाढ़ के संबंध में जो बोलने वाले हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, प्रस्ताव है, उस पर चर्चा नहीं होगी और इस पर चर्चा होगी। दो-तीन घंटे इस पर लग जायेंगे तो मैं समझता हूं कि इसको नहीं लिया जाए, यह नियमों के विरुद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि इस प्रस्तुत विधेयक के बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा की गई। क्योंकि इसको सलेक्ट कमेटी रेफर करने का प्रश्न था और इस प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा के लिए समय देना सम्भव नहीं था इसलिए प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया, वरना आम सहमति प्रकट की गई थी कि इसे आज के कार्य सूची में लिया जाए, यह जानकारी दी गई।

श्री मूलचन्द डागा : जब नियम 215 के तहत सदन में नहीं रखा गया, मुझे अपने अधिकारों से वंचित किया...

श्री राम नारायण चौधरी : [illegible]नेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में कोई [illegible]लेख नहीं है और आपने फरमाया है...

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : कल रिपोर्ट आई थी।

श्री रामनारायण चौधरी : उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अगर आज की कार्य सूची में होता तब विचारार्थ लिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : आप शायद कहना चाहते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रतिवेदन में अगर ऐसे बिल्स जो प्रवर समिति को रेफर किए जा रहे हैं, उनका भी उल्लेख होना चाहिए और सामान्यतः यह परम्परा रही है कि ऐसे बिल्स जो सलेक्ट कमेटी में रेफर करने को होते हैं, जिनमें समय बहुत कम लग सकता है, उनका उल्लेख बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपार्ट में नहीं किया जाता। उसी सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही यह जब आम सहमति हो गई कि सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव रखा जाए तो आज अनुमति दी गई।

श्री मूलचन्द डागा : हमें मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको विशेष जानकारी दे दी है।

श्री राम नारायण चौधरी : डागाजी को जो आपत्ति है बहुत वैल्ड है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आप आसन से व्यवस्था देकर हमारे जो नियमों में अधिकार हैं उससे आप वंचित कर रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का यह काम नहीं है कि नियमों के अन्दर जो कुछ है, वह नजरअंदाज करें, उसका निर्णय सदन के सामने नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम नारायण जी।

श्री राम नारायण चौधरी : आपने अपनी व्यवस्था में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रेफरेंस दिया, आपका अधिकार है लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर्पज के लिए नहीं है कि नियमों में जो प्रावधान है उसको हटाया जाए। प्रतिवेदन में कहीं जिक्र नहीं है। यदि जिक्र होता तो सदन सहमति व्यक्त करता, तब तो ठीक है लेकिन नियमों को बाइपास करके करा सकते थे लेकिन इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं आया है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस प्रस्ताव को माना है इसलिए सदन की सहमति नहीं है। इसलिए डागाजी की आपत्ति गौर तलब है, इसको स्वीकार करें। माननीय सदस्यों का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी चिंता स्वाभाविक है कि माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए लेकिन इस विधेयक को परिचालित किया है और माननीय सदस्यों को सूचना दे दी गई है। इस बारे में संशोधन प्रस्ताव देना चाहें उसके लिए पूरी जानकारी दे दी गई है, बहुत से माननीय सदस्यों ने संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं इसलिए किसी भी माननीय सदस्य के अधिकार का उल्लंघन इस चर्चा से नहीं हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं . . .

श्री मूलचन्द डागा : Kindly hear me.

(व्यवधान)

मैं पाइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी।

श्री मूलचन्द डागा : मैं फिर सबमिशन कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी फिर क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सदन का समय बहुत ही कीमती है इस लिए समय की चिंता सबको है।

श्री रघुनन्दन व्यास : डागाजी का पाइंट ग्राफ ग्रार्डर कौन से नियम के तहत है ? पाइंट ग्राफ ग्रार्डर ग्रगेन्स्ट नियम है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : एक मोशन जो उन्होंने रखा है मुझे रात को तीन बजे मिला है। पिछली रात को तीन बजे। जब हम साउंड स्लीप चाहते हैं, घंटी बजाकर जगाया। हमारे लिए संभव नहीं, कम से कम 24 घंटे तो दे दें।

श्री ईश्वरचन्द्र : बूढ़े ग्रादमी तीन बजे उठते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : उस समय तो ग्रापका सोना प्रारंभ होता है।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे संशोधन देने हैं। ग्राप मोशन कर रहे हैं प्रवर समिति को पहले देना चाहते हैं। हमने जो ग्रमेन्डमेंन्ट्स दिए हैं उनके बाद में रखना चाहिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : ग्राप प्राइवेट कालेजों की वकालत क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : आप पास करवा दीजिए, ग्रापकी पैसा भर भी नहीं चलती है, बैठे-बैठे वकालात कर रहे हो।

श्री भरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : ग्राप क्या चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : ग्राप इस बिल को 9-10 को रख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार लेजिस्लेशन लाना, यह ज्यादती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रतिवेदन...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। ग्रापने शायद संशोधन मूव किया है। शिक्षा मंत्री।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

राजस्थान मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थायें विधेयक, 1979

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थायें विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए जो ग्रपना प्रतिवेदन ग्रागामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करें।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री शिवचरण सिंह	सभापति
2. श्री ग्रयूब खां	सदस्य
3. श्री टीकमचन्द कांत	सदस्य
4. श्री गुलाबचन्द कटारिया	सदस्य
5. श्रीमती मदन कौर	सदस्या
6. श्री हीरालाल ग्रार्य	सदस्य
7. श्री मूलचन्द सामरिया	सदस्य
8. श्रीमती श्यामा कुमारी	सदस्या

(श्री भंवरलाल शर्मा)

9. श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर सदस्य
10. श्री माधव सिंह दीवान सदस्य
11. श्री ओंकार लाल चौहान सदस्य

श्री मूलचन्द डागा : क्या मूव कर रहे हैं ? पहले जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं वे लिए जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : वह जो प्रस्ताव रख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और प्रस्ताव को प्रवर समिति को रेफर करने के लिए सदस्यों की सूची दी जाती है ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे संशोधनों का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके संशोधनों पर डिस्कशन अलाउ किया जाएगा ।

श्री मूलचन्द डागा : पहले हमारा होगा ।

श्री राम नारायण चौधरी : पहले जनमत जानने के लिए आयेंगे या...

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने केवल मूव किया है, पारित नहीं किया है ।

श्री मूलचन्द डागा : ये प्रवर समिति की बात कर रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय क्या कर रहे हैं ? इन्होंने तो नामावली ही पढ़ दी ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय जो प्रस्ताव पारित करवाना चाहते हैं उसको मूव किया है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जनमत जानने के प्रस्ताव के बारे में सदन में चर्चा की कार्यवाही होगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो भी नियमों के अन्तर्गत हवाला जो भी देना चाहे वह दें अगर इसमें कोई अनियमितता हुई है तो बता दें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जनमत जानने हेतु कोई प्रस्ताव पहले सदन में डिस्कस होता है उसके बाद में प्रवर समिति का कोई प्रस्ताव हो तो लिया जाता है । यह आज तक की परम्परा रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य नियमों का हवाला दे दें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियमों के अनुसार सदन चलाने के लिए हमने आपको कुर्सी पर बैठा रखा है ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : यह नियम जो 66 है, उसमें देखें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप 67 का क्लाज का सब्-क्लाज (2) देखें इसमें "If the member incharge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion;

(b) If the member incharge moves that the Bill be referred to

(श्री उपाध्यक्ष)

a Select Committee of the House, any member may move as an amendment that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon."

तो इन्होंने मूव किया है यह बिल मन्त्री महोदय ने सलैक्ट कमेटी को रेफर किया है। उसके बाद में संशोधन मूव करने हों वह करें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन मूव करने का स्टेज नहीं हुआ है। यह बिल मिनिस्टर इन्चार्ज ने सलैक्ट कमेटी के लिये मूव किया है। यह बिल मिनिस्टर इन्चार्ज ने कन्सीडिरेशन के लिये मूव नहीं किया है चूंकि यह सलैक्ट कमेटी रेफर करने का प्रस्ताव किया है इसलिये इस प्रस्ताव पर दूसरे मोशन पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। जब पहले ही मिनिस्टर इन्चार्ज ने बिल को कन्सीडरेशन के लिये नहीं रखा इसको सलैक्ट कमेटी के लिये रेफर करने का प्रस्ताव किया है इसलिये दूसरे किसी मोशन पर चर्चा इस विषय पर सदन में होने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर मन्त्री महोदय ने सलैक्ट कमेटी के लिये प्रस्ताव रखा है और माननीय सदस्य कोई एमेण्डमेण्ट रखना चाहते हैं तो इसके लिये आपको जानकारी ज्यादा है। आप बतावें।

श्री परसराम मदेरणा : "If the member incharge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion;" यह इसको 67 में मूव नहीं कर रहे हैं। He is moving under rule 66. And rule 66 says: —"When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member incharge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely :—

(a) that it be taken into consideration". Now he has not moved for taking into consideration. He has moved for referring it to a Select Committee."

श्री ईश्वरचन्द्र : यह आलरेडी मूव कर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नियम संख्या 66 के सब-क्लाज (बी) में ए, बी, सी, तीन आप्शन्स दिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मिनिस्टर इन्चार्ज कौन हैं। वह मेम्बर इन्चार्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको क्लॉज बी में रेफर किया जा रहा है। मन्त्री महोदय इसको 'ए' में मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह 'ए' में तो मूव नहीं कर रहे हैं पर 67 सेक्शन में तीन आप्शन दिये हुए हैं। इसमें मन्त्री जी 67 के क्लॉज टू में जिसमें कि "If the member incharge moves that the Bill be referred to a Select Committee of the House, any member may move as an amendment that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion उसके बाद में कोई 67 में जो दूसरे आप्शन्स हैं, उसमें नहीं आते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप क्या कहना चाहते हैं इन्होंने क्या मूव किया है ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (संसदीय मामलात मन्त्री) : जब मन्त्री महोदय जो कि मिनिस्टर इन्चार्ज हैं इन्होंने सलैक्ट कमेटी के लिये प्रस्ताव रखा है तो फिर प्रस्ताव पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मन्त्रीजी ने अभी प्रस्ताव रखा उसमें व्यवस्था के प्रश्न पर आपने अपनी जानकारी दी उस संबंध में आपने जो विधेयक रखा है उसको आपने सलैक्ट कमेटी को मूव किया है उसके लिये प्रस्ताव रखा है इसलिये सलैक्ट कमेटी के लिये प्रस्ताव पर कोई एमेण्डमेन्ट हो डिस्कस होंगे। इसके बाद में जो एमेण्डमेन्ट रखे हैं उनको बाद में डिसकस किया जाय । इसमें नियम जो है...........

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इसको हाई लाइट कीजिये ।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो नियम है, वह नियम 66 है उसमें "When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in-charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely......"
अब मेरे पास तीन-विकल्प हैं उसके अन्तर्गत मैं जो चाहूं, उसके अन्तर्गत पेश करूं। इसमें 66 सैक्शन के क्लाज 'ए' में

"(a) that it be taken into consideration; or"

जो मैंने प्रस्ताव नहीं किया है। मैंने प्रस्ताव किया है 66 (बी) के अन्तर्गत

"that it be referred to a Select Committee of the House...."

इसमें ऐसा लिखा है और "(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon;"

यह तीन विकल्प हैं इसमें मिनिस्टर इन्चार्ज जिस किसी में चाहे मूव कर सकता है मैंने जो मूव किया है, वह सैक्शन 67 क्लाज (बी) के अन्तर्गत मूव किया है कि इस बिल को सलैक्ट कमेटी को भेजने के लिये प्रस्ताव किया है ।

श्री राम नारायण चौधरी : आप इसको पूरा पढ़ें । इसका प्राविजो भी पढ़ें माननीय मंत्री महोदय उसमें क्या लिखा है ।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मंत्री): प्रोविज़ो मैं क्यों पढ़ूं मुझे जो पढ़ना है उसको मैं पढ़ूं और आपको जो पढ़ना है उसको आप पढ़ें ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उस विषय की चर्चा पर प्रोविजो को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । माननीय डागाजी, आपको कुछ कहना है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी आपने आपत्ति उठाई थी अगर आप का कोई संशोधन हो तो आप शिक्षा मंत्रीजी के प्रस्ताव पर मूव करिये ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (संसदीय मामलात मंत्री) : संशोधन प्रस्तुत करने का स्टेज यह नहीं है ।

Page No.66

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं इसमें 67 सी में अग्रेसर दिया है उसके अनुसार मंत्री महोदय को अधिकार है to move that it be referred to a Select Committee of the House.

श्री उपाध्यक्ष : इसमें पब्लिक ओपिनियन के लिये संशोधन ग्राह्य है क्या इस बिल पर कोई पब्लिक ओपिनियन के लिये कोई संशोधन तो मूल नहीं हुआ।

श्री राम नारायण चोधरी : मेरा इसमें संशोधन है।

श्री ईश्वर चन्द्र : वह इसको प्रेस नहीं कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डागाजी, आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं या उसको प्रेस कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव संशोधन का दिया है उसको मैं वापिस नहीं ले रहा हूं। मिनिस्टर साहब ने जब सदन में बिल इंट्रोड्यूस किया था उसी दिन मैंने अपना संशोधन प्रस्ताव पेश कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे उसको कृपया मूव करिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मान्यता प्राप्त प्राइवेट शैक्षणिक संस्थायें विधेयक, 1979 को मैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : पाइन्ट आफ आर्डर सर, यह जो संशोधन मूव करने की प्रक्रिया है उसमें तो नवरंगसिंह जी का नाम पहले है फिर डागा जी को स्वीकृति कैसे दे रहे हैं पहले बोलने की। नवरंग सिंह जी मूव करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य बोल लें नाम नहीं पुकारूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर जब यह निर्णय हुआ था कि इसको सलैक्ट कमेटी के पास भेजना है और यह निर्णय बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में लिया गया. . . .

श्री मूलचन्द डागा : न मालूम हुआ और न सूचना हुई

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में मैं कोई अकेला नहीं हूं उसमें आपकी पार्टी के भी सदस्य हैं। उसके निर्णय की कोई सेंक्टीटी है। कोई चीज के बारे में निर्णय कर लिया और उसके विपरीत चर्चा करें तो फिर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी क्या निर्णय लेती है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 215 के अन्दर वह हाउस में आना चाहिए।

श्री राम नारायण चोधरी : जब हमारे दल के नेता कहेंगे कि हमने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में कोई कमिटमैंट किया है तो हम विथड्रा कर लेंगे लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज जिस मसले पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वह बाढ़ और अकाल का है और वह काफी इम्पार्टेन्ट है और कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और उस पर डिबेट आज खतम करना चाहते हैं।

Page No.67

श्री राम नारायण चौधरी : क्या जरूरी है। कल तक चले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जरूरी है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या अनिवार्यता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनिवार्यता है। अगर इसमें दो तीन घंटे का समय लग जायेगा तो उस पर चर्चा नहीं हो सकेगी। मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह बात थी कि आज बाढ और अकाल के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। यदि आप इस बिल पर ही डिबेट करना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन यह कन्वेन्शन है कि जो मैंटर सलैक्ट कमेटी को रेफर किया जाये सलैक्ट कमेटी की उस पर रिपोर्ट आती है और फिर उस पर हाउस में डिसकशन होता है। तो जितने भी अमेन्डमैंटस देते हैं वह सारे के सारे सलैक्ट कमेटी में जाते हैं। वहां भी इन्टरव्यू होता है, सलैक्ट कमेटी में आपको काल करते हैं और आप जो भी ओपिनियन देना चाहें दे दें और उसके बाद भी आपको अधिकार है कि दुवारा पब्लिक ओपिनियन के लिए मूव कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसको सलैक्ट कमेटी में जाने दिया जाये ताकि दूसरे विषय पर जो चर्चा होनी है वह हो।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा छोटा सा प्रश्न था जब आपने इसको सदन के सामने रखा और नियम 215 के अन्तर्गत

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, मैंने इसके बारे में व्यवस्था दे दी है। दुबारा नहीं बोलें। कृपया बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की चर्चा हुई थी और उस समय इनफार्मेली डिसकशन किया था। इन्होंने कहा कि दूसरा विषय इम्पोर्टेन्ट है और समय कम है इसलिए समय बढाया जाये। इन्होंने कहा कि इस बिल को सलैक्ट कमेटी को रेफर कर रहे हैं तो अब प्रश्न होता है कि 66 में सलैक्ट कमेटी को मूव किया तो 67 के अन्दर अन्य माननीय सदस्यों को प्रिन्सिपल आफ दी बिल पर बोलने का अधिकार है। उसमें आज तो नहीं बोला जा सकता लेकिन सलैक्ट कमेटी में चर्चा होती है और क्योंकि आज इम्पोर्टेन्ट मसला बाढ और अकाल का है और काफी लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं इसलिए उचित यह होगा कि जो आज विचाराधीन विषय है उस पर डिसकशन किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : कोई संशोधन नहीं रखे जा रहे हैं। सलैक्ट कमेटी के बारे में जो प्रस्ताव दिया है उसके बारे में सदन की राय लूंगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मान्यता प्राप्त प्राइवेट शिक्षण संस्थायें विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति के निर्दिष्ट किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बोल दिये थे।

श्री मूलचन्द डागा : आप बोलिये किन-2 का नाम रखा है आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी के लिए दुबारा नामों को मैं पढ़ देता हूं :

श्री शिवचरण सिंह	सभापति
श्री अयूब खां	सदस्य
श्री टीकम चन्द कान्त	सदस्य
श्री गुलाब चन्द कटारिया	सदस्य
श्रीमती मदन कौर	सदस्य
श्री हीरालाल आर्य	सदस्य
श्री मूलचन्द सामरिया	सदस्य
श्रीमती श्यामा कुमारी	सदस्य
श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर	सदस्य
श्री माधोसिंह दीवान	सदस्य
श्री ओंकारलाल चौहान	सदस्य

श्री राम नारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि सलैक्ट कमेटी का चेयरमैन माननीय मिनिस्टर इन्चार्ज रहता है। मुझे श्री शिवचरण सिंह जी जिनको चेयरमैन बनाया गया है उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो बिल का महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए भी शिक्षा मंत्री जी स्वयं इसके चेयरमैन होते तो सलैक्ट कमेटी के डिसीजन की कोई सैंक्टीटी होती और महत्व होता परन्तु माननीय शिक्षा मंत्री जी तो अलग हो गए और उनके व्यू पाइन्ट आयेंगे नहीं, सरकार का व्यूपाइन्ट आयेगा नहीं। अगर मंत्री महोदय इसके चेयरमैन होते तो सरकार का व्यू पाइन्ट सामने आ जाता।

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा आवश्यक नहीं है। प्रस्ताव पारित कर लिया गया है और अब कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री राम नारायण चौधरी : नामावली का जिक्र कर रहा हूं। चेयरमैन यदि मिनिस्टिर इन्चार्ज नहीं होगा तो सलैक्ट कमेटी के प्रतिवेदन के साथ में सरकार का व्यू पॉइन्ट उसमें नहीं आ सकेगा जो कि बहुत इम्पोर्टेन्ट है। सरकार के व्यू पाइन्ट नहीं आने के अभाव में सलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट अधूरी है और सदन का समय जाया होगा।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इसके लिए तो इनसिस्ट नहीं करूंगा कि मिनिस्टर इन्चार्ज इसका चेयरमैन हो लेकिन शिक्षा मंत्री जी जानते हैं कि ऐसे बिलों में जिनके चेयरमैन नान-आफिशियल थे, माननीय सदस्य भी थे उसके बाद भी मंत्री महोदय होंगे और मंत्री महोदय होने के बाद भी सरकार का क्या स्टैण्ड है, अलग-2 प्रावीजन्स के बारे में तो हमने निवेदन किया था कि इस कमेटी को आकर एन्लाइटन करें और वह दिक्कत सलैक्ट कमेटी के सामने प्रस्तुत हुई थी। मैं नहीं कहता कि शिक्षा मंत्रीजी को चेयरमैन बनाया जाता। मेरा कहना है कि या तो वह चेयरमैन रहें या फिर स्टेट मिनिस्टर उसके अन्दर मेम्बर रहें। जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि जो कि इस सदन के प्रति रेस्पान्सीबल है उसमें चेयरमैन नहीं रहता है तो सरकार किन कारणों से अमेन्डमेन्ट ला रही है और संशोधन जो पेश करेगी या अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य प्रस्तुत करेंगे उसको सलैक्ट कमेटी के डेलीब्रेशन के समय मंत्री के अभाव में और उनकी अनुपस्थिति में कभी इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि उसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें। तो माननीय मुख्य मंत्री जी आप इसमें संशोधन कर दें और माननीय सदस्य को चेयरमैन रखना है तो मुझे एतराज नहीं है लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर इसका सदस्य निश्चित रूप से होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो आपत्ति उठाई गई है उस आपत्ति के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि सलैक्ट कमेटी का चेयरमैन कोई आफीशियल हो या सलैक्ट कमेटी का मेम्बर इसमें मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर शामिल हो। अगर सलैक्ट कमेटी में माननीय सदस्यों को बुलाया जाता है तो उसी प्रकार से सरकार के प्रतिनिधि को भी बुलाया जायेगा और सरकार के प्रतिनिधि अपनी ओपीनियन देंगे लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जब तक मिनिस्टर मेम्बर नहीं होगा तब तक कई प्रकार के कामों की व्यवस्था में अन्तर आयेगा इसलिए मैं चाहूंगा.......

श्री परसराम मदेरणा : यह पार्लियामेन्ट और राज्य सभा में परिपाटी है कि मिनिस्टर इन्चार्ज समिति का सदस्य रहता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पार्लियामेन्ट में कई सलैक्ट कमेटी में मैं भी रहा हूं और वहाँ भी चेयरमैन कोई होता है और मिनिस्टर इन्चार्ज कोई होता है।

श्री परसराम मदेरणा : मेम्बर होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए व्यवस्था में कई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। मैं इसलिए शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी मैम्बरशिप के लिए भी मूव कर दें।

श्री नवलकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरा नाम भी सदस्य के नाते जोड़ दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रवर समिति के सदस्यों की सूची में शिक्षा मंत्री का नाम भी जोड़ दिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रवर समिति के सदस्यों की सूची में शिक्षा मंत्री का नाम जोड़ा गया।

राज्य में बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार।

व्यवस्था का प्रश्न

निन्दा प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निन्दा प्रस्ताव की सूचना सहकारिता मंत्री श्री कैलाश मेघवाल को दिनांक 22-9-79 को दी थी। मेरे प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देने के लिए इसी सत्र में कहा था। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी। कृपया यह बतावें कि कब व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अध्यक्ष महोदय से मिल लें।

श्री गुल मोहम्मद : 8 तारीख तक का सेशन है.....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अध्यक्ष महोदय से मिल लें।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता कुछ बोलना चाहते हैं।

राज्य में बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर आपकी अनुमति हो तो इनका भाषण समाप्त हो जाये, उसके बाद बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज का समय काफी कम है और कई महत्वपूर्ण चर्चायें हैं। माननीय मंत्री महोदय सरकार की ओर से उत्तर देंगे। उसके बाद भी कुछ और क्वेरीज पूछने में समय लगेगा। इसलिये निर्धारित समय में, जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है, 10 मिनट में ही बहुमूल्य सुझावों द्वारा चर्चा समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमान, 25 हजार गांव सूखे से प्रभावित हुए हैं, जैसा आपने बताया है। इन्होंने यह भी बताया कि 119 करोड़ का नुकसान हुआ है और बहुत बड़ी बातें बताई हैं, इन्होंने कहा, विकट समस्यायें हैं, पानी की समस्या है। मैंने यह कहा कि सबसे बड़ी उनकी समस्या कुर्सी की समस्या है। कुर्सी की समस्या में जो बाढ़ और अकाल की राहत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल सकती। यह सारी की सारी जनता पार्टी एक काम में लगी हुई है, कुर्सी को बचाने के लिये। मैं यह दोषारोपण लगाना चाहता हूं सरकार पर, यह सरकार इस काम को गम्भीरता से नहीं ले रही है केवल अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। 15,16,17 जुलाई के रोज जब बाढ़ आई थी, हमारे मुख्य मंत्री, हमारे सदन के नेता, दिल्ली में जब सरकार टूट गई, वापस बनाने में लगे हुए थे और उन्होंने राजस्थान की 1/2 करोड़ जनता प्रभावित हुई थी उस ओर ध्यान नहीं किया। आपका जिस प्रकार का रवैया रहा है उससे मालूम होता है कि यह सारे राजनैतिक लोग केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगे हुए थे और जो राजस्थान में बाढ़ आई थी उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं यह कहना चाहता हूं जो फैक्ट्स आपने दिये हैं और जो स्टेटमेंट में छपे हैं उनमें काफी फर्क है। वह मैं पढ़ना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में नेता महोदय अगर बात भी कर रहे हैं तो यह डिस्टरबेन्स होता है। मैं इसको इन्ट्रप्शन समझता हूं। या तो बाहर बात करें। आप इनको रोकें। इस प्रकार से बातें नहीं कर सकते .....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मुझे आपसे शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आप गलती भी कर रहे हैं। गलती को करना चाहते भी नहीं हैं। नियमों का पालन नहीं करना, यह नेता के लिये शोभाजनक बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काम की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपनी बात कहनी चाहिये। यह इस तरह की बात कर रहे हैं। इनके पास बोलने को कोई तथ्य नहीं है। दूसरों को समय दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह × × × खड़े हो गये हैं।

श्री नारायण सिंह (डिग्गी) : जो माननीय डागा साहब ने शब्द कहे हैं वे अन-पार्लियामेंट्री हैं, इनको कार्यवाही से निकाला जाये। मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो रिकार्ड है मैं इसको देख लूंगा अगर उचित समझूंगा कि अन-पार्लियामेंट्री हैं तो एक्सपंज कर दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : आपने ×××तो कहा है ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ××× और ××× दोनों अनपार्लियामेंट्री हैं।

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No.71

श्री रामनारायण चौधरी : ×××नहीं कहें तो क्या कहे वह बता दीजिये उनको आगे से वही कहा जाये। हम उस हिसाब से बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको वही कहिये जो 1977 से पहिले ××× को कहा करते थे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें आप।

श्री मूलचन्द डागा : "According to the State Government's memorandum submitted to the Centre, the damage has been estimated at Rs. 125 Crores. All opposition parties, as also many in the ruling party, say that the actual damage is at least four times more in terms of finances. Official estimate of the people who died in the floods is about 200, again all other estimates vary between 500 and 1000. Similarly, the non-official estimates of the loss of cattle is over 4 lakhs, but the official figure is less than half of it. As for the area devastated, the estimates range from 16,000 square kilometre to30,000 square kilometres"

सारे जो फिगर्स आपने दिये हैं, आफीशियल फिगर और नान-आफीशियल फिगर उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। आपने जो फिगर्स दी हैं और जो स्टेटमेंट में जो फिगर्स हैं तीन गुणा और चार गुणा फर्क है। आपने जो फिगर्स दी हैं मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं और आपने यह फिगर्स गलत दी हैं। बहुत ही थोड़ा समय है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बात मैंने देखी कि जनता पार्टी के जितने मंत्रीगण हैं वे एक रटी रटाई भाषा बोलते हैं, भूख से किसी को नहीं मरने दिया जायेगा। कोई भूखा नहीं मरने दिया जायेगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं तो क्या तड़प तड़प कर मरने दिया जायेगा .....

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : आप मारना चाहते हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : अब इन्होंने क्या किया है। घिसे पिटे वाक्य बोल रहे हैं। हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : आप क्या चाहते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : 80 पर्सेन्ट अगर काम नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। अकाल के समय में मान लो एक गांव वालों ने कोई काम शुरू किया और उस काम के अन्दर 80 पर्सेन्ट काम सही नहीं पाया तो आप कहते हैं, पेमेंट नहीं करेंगे। मैंने इस मामले में देखा है कि गांव में जहां 5 रुपये मिलने चाहिये वहां 2 रुपये भी नहीं मिलते। आपने कड़ाई से नियमों का पालन करने के के लिये कहा है। आदमी कमजोर हो रहे हैं। अच्छा भोजन नहीं मिलता और आप यह कहते हैं कि 80 पर्सेन्ट काम नहीं होगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं अकाल के समय इस प्रकार के कड़े नियम न बनाये जायें और कम से कम 50 पर्सेन्ट, 60 पर्सेन्ट रखें 80 पर्सेन्ट तो नहीं रखें। एक आपने दूसरा नियम बनाया जो अभाव ग्रस्त हैं उनको

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No.72

(श्री मूलचन्द डागा)
तो कम दिया जाय और फूड फार वर्क के काम जहां चल रहे हैं, उनको ज्यादा दिया जाय। मेरा निवेदन है जो अभावग्रस्त इलाके हैं और जहां अकाल से पीड़ित हैं, उन इलाकों में तो ज्यादा दिया जाय बनिस्बत उन इलाकों के जहां अकाल से पीड़ित नहीं हैं लेकिन इन्होंने क्या किया है जहां फूड फार वर्क काम है वहां तो ज्यादा दिया है और अकाल से पीड़ित हैं, उनको कम दिया है।

अब एक क्राइटेरिया मेरे जिले का भी सुन लीजिये हर मकान जो बाढ़ से गिरा हैं 300) रु. दिये गये हैं अब चाहे वह इन्कम-टैक्स देता हो या चाहे जिसकी आमदनी 50 हजार सालाना है, चाहे जिसके खेती हो, दो ट्रेक्टर हों लेकिन जो घर गिर गया उसको 300) रु. मकान के मिल जाने चाहिये। मैंने पूछा जिनकी आर्थिक हालत अच्छी है और जो अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं या जिनके पास दूसरे साधन हैं उनको भी रुपया दे दिया। इन्हें रुपया देते वक्त यह नहीं सोचा कि किसकी माली हालत ज्यादा खराब है और किसकी माली हालत अच्छी है जो इनडिसक्रिमिनेटरी बंटवारा किया है, वह बिलकुल गलत किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पाइन्ट्स के अलावा कुछ कहना नहीं चाहता। अब मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर को, लैण्ड रेवेन्यू मिनिस्टर का यह काम है कि जिनके खेतों की किस्म बदल गई है उनकी रेवेन्यू रेकार्ड में भी किस्म बदल दी जानी चाहिये। आज बाढ़ के कारण कई जगह पर जमीन काश्त करने के काबिल नहीं रही है और रेवेन्यू रेकार्ड में लिखी हुई है कि यह जमीन चाही है, यह जमीन बारानी है। मेरा निवेदन है आज वह जमीन किस्म बदलने के कारण न चाही रही है और न बारानी रही है। इसलिये इस रेकार्ड को पलटा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, फ्लड आने पर जो डी.पी.ए.पी. के काम हुए थे और जो धोरों के काम हुए थे उनमें सरकार ने रुपया लगाया था। मैं चाहता हूं जो मेड़ बन्दी के काम और जो जमीन सुधार के काम हुए थे, डी.पी.ए.पी. का वह सारा पैसा माफ होना चाहिये। क्योंकि दो तीन साल बाद सरकार इसकी रिकवरी का पैसा निकालेगी और कहेगी कि वह रुपया दो तो मैं चाहूंगा वह रुपया भी नहीं लें। फिर कहा जो रुपया दिया है वह अच्छे बिजनिसमैन हैं, उनको दिये हैं। जतिया जाति के लोग जो चमड़े रंगने का काम करते हैं। हमारे यहां खोर गांव है वहां पर जतिया जाति के लोग नदी के किनारे-किनारे चमड़े आदि रंगने का काम करते हैं और जिनके वहां पर छोटे-छोटे कारखाने हैं उनको रुपया नहीं दिया गया और बड़ी इन्डस्ट्री में जिनका नुकसान हुआ, उनको दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं गांव के लोगों को जो छोटे-छोटे कारखाने लगा कर बैठे हैं, उनको लोन देने की आपने क्या सिफारिश की है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं इस रुपया बांटने में बहुत बड़ी गड़बड़ रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सारे बान्ध टूटे और मेरे क्षेत्र में पालियावास का बान्ध टूटा। कभी सरकार ने सोचा यह बान्ध और सड़क क्यों चली गई—क्या कारण था इस बान्ध के टूटने का, कौन से घटिया किस्म का मेटेरियल इसमें लगा, जिसके कारण यह टूट गया और उसके कारण जानने के बाद कभी दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का प्रावधान किया। पालिवास का तीन

(श्री मूलचन्द डागा)

तीन, चार-चार बार बान्ध टूट गया और समय-समय पर टूटता ही रहता है लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि सरकार ने कभी जांच की हो कि इसके टूटने के मुख्य कारण क्या रहे हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं और इसकी भी जांच होनी चाहिये कि यह जो महंगाई बढ़ रही है, उसके लिये कोई व्यवस्था की । सस्ते राशन की दुकानें कहां खोली जायेंगी; बड़े-बड़े शहरों में ? लेकिन मेरा निवेदन है कि जहां बाढ़ग्रस्त एरिया है, अकाल-ग्रस्त इलाका है उनमें ये दुकानें पहले खोली जायें । मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दे दिया चाय और काफी दुकानों पर सस्ती मिलेगी-- न चाय चाहिये और न काफी चाहिये, हमें चाहिये सस्ता धान और कपड़ा । इससे तो और भी क्रय शक्ति खतम कर दी गई है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उन ऐरियाज में सस्ते गल्ले और सस्ते कपड़े की दुकानें पहले खोलें ।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, अब चर्चा समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट्स तो बहुत कहने थे साहब।

श्री मोहन लाल (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिग्गी- कल्याण जी गया था...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी चर्चा ही समाप्त नहीं हुई...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर उनको याद नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : पास बैठे माननीय सदस्य पाइन्ट्स लिख लें और जब भी बोलें तो उनको याद दिला दें ।

श्री मोहन लाल : मैं कल्याण महाराज के यहां गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन लाल जी चर्चा में व्यवधान होगा ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह जो हर महकमे ने अपना नुकसान लिख दिया और हर महकमे ने इतने एस्टीमेट बना दिये हैं कि आपका सारा पैसा उसी में लग जायगा । मैंने देखा है, फ्लड आने के नुकसानों को तो कहीं 368. 13 लाख का है तो कहीं 32 लाख का है, अजमेर का 106.88 का यह तो इस तरह आपके जो एस्टीमेट आ रहे हैं--जलप्रदाय विभाग के भी आ रहे हैं । हर अधिकारी ने मौका देखा है कि अपने विभाग में ज्यादा खर्चा बता दो और करोड़ों रुपयों का एस्टीमेट बनाकर भेज दिया । इसलिये मेरा कहना है कि इनकी भी जांच करें । यह तो स्कीम की स्कीम का नुकसान बता दिया । जांच करें, उनकी रिपोर्ट के आधार क्या हैं--कितना पाइप चला गया । मैं कहता हूं बाढ़ में हर मेटेरियल उसके बाद वहीं मिला है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया डागा साहब, अब बिराज जायें ।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है साहब, मेरा निवेदन है जो आंकड़े बनाये हैं उसकी

(श्री मूलचन्द डागा)

बराबर जांच की जाय और जो वहां पर रह रहे हैं उनसे पूरी पूछताछ की जाय । एक बात कह कर स्थान ग्रहण कर लूंगा। पाली में जो बाढ़ आई, 16, 17 और 18 जुलाई को मैंने पहले भी कहा है यूरिया बान्ध, मेडा बान्ध जिसके लिये सिंचाई मंत्री जी सोचेंगे कि मेडा बान्ध पाली के अन्दर के नदी के किनारे-किनारे आया हुआ और सारे गांव का पानी चेण्डा, हाण्डी, डूंगरपुर, नहरा आदि की स्कीम बनी हुई है तो वहां पानी को इकट्ठा किया जा सकता है लेकिन ये योजनाएं जब बाढ़ आती है तब तो याद आती है और बाढ़ के बाद खतम हो जाती है । यह राजनैतिक दृष्टि से ज्यादा होता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजनैतिक लोग लाभ उठाना चाहते हैं और ये जनता पार्टी की सरकार भी इसी आधार पर चल रही है। प्रोपेगेन्डा कर रही है हम यह कर देंगे, वह कर देंगे और और जो आधार है. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय डागा जी कृपाया बिराज जाये ।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय विरोधी दल के नेता अब चर्चा करेंगे ।

श्री **लक्ष्मण सिंह** (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से अकाल और बाढ़ के संबंध में चर्चा चल रही है। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की परिस्थिति में जो राजस्थान की सरकार अपने आपको पा रही है उसके साथ मेरी सहानुभूति है । हम विपक्ष में हैं और विपक्ष के नाते हमको अपना कर्त्तव्य भी समझना चाहिए । मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति के अन्दर कोई अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे जब तक कि सरकार की संकटापन्न स्थिति का निवारण नहीं हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे सम्माननीय सदस्य इस संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे । इसलिए मैं सीधे ही अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ खास-खास बातें निवेदन करना चाहूंगा ।

सब जगह, उदयपुर डिवीजन में सरखा सूखा है । मक्की साफ सूख चुकी है । उड़द, तिल होने की कोई सम्भावना नहीं है । खरीफ की फसल नष्ट है और रबी की सम्भावना करीब-करीब नगण्य सी है । ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि सरकार गिरदावरी वगैरा के पशोपेश में न पड़े और वसूली किसी किस्म की हो एकदम बन्द करने के आदेश दें । चाहे वह लगान की वसूली हो, चाहे वह किसी बकाया की वसूली हो, किसी किस्म की वसूली बन्द होना परमावश्यक है । गिरदावरी आएगी लेकिन गिरदावरी पर सरकार को बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए । मेरा यह अनुभव है कि गिरदावरी करने वाले खाट पर बैठे-बैठे लोगों से पूछ लेते हैं कि फलाने खेत में क्या हुआ, फलां खेत में क्या हुआ । आज गिरदावरी का कोई वजूद ही नहीं है । कोई हुआ हो तो गिरदावरी हो । सब साफ है। अब गिरदावरी की क्या आवश्यकता है। अतएव वसूलात बन्द करने के साथ

(श्री लक्ष्मण सिंह)

साथ सरकार को चाहिए कि चीप ग्रेन शॉप्स, सस्ते अनाज की दुकानें जगह-जगह खोलें। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और गरीब आदिवासियों की क्रय/शक्ति का ह्रास होता जा रहा है इसलिए मजदूरी दो किस्म की चुकाना सरकार के लिए विचारार्थ मैं सुझाव देता हूं कि नगदी भी दें और उसके साथ अनाज भी दें। अगर अनाज दें तो/कम से कम यह सरकार का पुनीत कर्तव्य होना चाहिए कि अनाज के अन्दर एक-चौथाई धूल न हो। अनाज एक स्टेण्डर्ड का हो, उसका स्तर हो ताकि लोग खा सकें गरीब लोग। साफ और/पौष्टिक हो। अगर ऐसा अनाज होगा तो मेरे खयाल से राहत कार्य सार्थक होंगे और सरकार के लिए मेरे खयाल में एक शोभनीय व्यवस्था होगी।

रिलीफ के कामों में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि/कम से कम सभी क्षेत्रों के अन्दर समान रूप से हो। अब जहां तक सरकार उचित समझे वहां पर विशेष खर्चा करे, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब सारे ही मुल्क के/अन्दर सूखा है, सारे उदयपुर डिवीजन में एकदम सूखा हो गया है तो कम से कम मिनिमम बेसिस पर हर एक निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर कम से कम राहत कार्य इतना होना चाहिए, इस आधार/पर राहत कार्य शुरू होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी यह नहीं कह सकता कि अकाल एक अच्छी चीज है लेकिन अकाल से जिस हद तक हमको लाभ उठाना सम्भव हो उठाना चाहिए और इस/संबंध में मेरा सुझाव है कि योजना के अन्तर्गत कच्ची रोड जो अधूरी हैं उनको पूरा किया जावे। जहां तक जो बची-खुची रोडें अनावश्यक हैं उनको पूरा नहीं किया जावे लेकिन जो अधूरी रोडें हैं उनको पूरा किया जावे। उनकी उपलब्धि मेरे खयाल से दूरदर्शिता के लिहाज से सरकार के लिए लाभदायक होगी। जो नहरों के अन्दर पानी निकलता है, जो नहरें ठीक नहीं हैं और पक्की नहरें भी/कच्ची हो गई हैं, अच्छी जमीन जहां पर दलदल हो जाती है, उन नहरों को पक्का करने के लिए सरकार हाथ में ले तो मेरे खयाल से यह लाभदायक होगी। यह सड़कों का काम और/केनाल का काम मैं पुरजोर शब्दों में सरकार को निवेदन करूंगा कि सरकार की ही निगरानी के अन्दर यह काम होना चाहिए। स्कूलें हैं, कुएं हैं, गवाई छोटे तालाब हैं ये आप सब सरपंचों को/दीजिए। सरपंचों का काम भी आप देखेंगे तो स्वस्थ प्रतियोगिता के अनुपात से देखेंगे। अच्छा सरपंच कहां का है, अच्छा काम कहां हुआ है, कम अच्छा काम कहां हुआ है। किन्तु जहां तक सड़कों का, सीमेंट का, केनाल सीमेंट करने का प्रश्न है, यह सरपंचों के सुपुर्द कृपया न करें क्योंकि इसका इनको अनुभव भी नहीं है। अगर अनुभव भी हो तो भी मेरे खयाल से अगर वह कर भी पायेंगे/तो सुचारु ढंग से नहीं कर पायेंगे। जहां पर कुओं की बोरिंग करना सम्भव हो वहां पर बोरिंग भी किया जाये। उत्तरी राजस्थान के अन्दर सोवल है फोरस है, पत्थर फोरस है वहां पर बोरिंग/अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा लेकिन बाज-बाज जगहों पर बोरिंग हो सकता है। जहां बोरिंग हो सकता है, वहां अवश्यमेव किया जावे।

घास के लिए मैं समझता हूं कि यह परमावश्यक है। सरकार/को घास का जखीरा

(श्री लक्ष्मण सिंह)
भी इकट्ठा करना चाहिए। घास का जखीरा जगह-जगह पर लगाना चाहिए। भूतपूर्व सरकार को भी मैं बारबार यह सुझाव देता आया हूं और कुछ हद तक इस सुझाव के अनुसार सरकार ने घास का जखीरा इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था की है। जिन पहाड़ों के ऊपर कोई खेती नहीं हो सकती उन पहाड़ी जगहों पर घास उगाया जावे। उसका संरक्षण किया जावे तो बिना खर्चे के कम खर्चे से घास पैदा हो सकती है। आदिवास क्षेत्रों में यह परमावश्यक है कि फलदार वृक्षों को लगाया जावे। बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आम खास कर हो सकता है। बहुत अच्छे आम हो सकते हैं। आम से बढ़ कर कोई पौष्टिक फल हमारे दक्षिणी राजस्थान के अन्दर नहीं है। मैं खास तौर से सरकार को पुरजोर शब्दों में यह भी निवेदन करूंगा कि जब तक अकाल की स्थिति बनी रहे और सितम्बर तक यह स्थिति का निवारण होना मेरे खयाल से सम्भव नहीं है। मंत्रियों को हमारे कम से कम दस दिन, आठ दिन महीने में भ्रमण करके देखें कि देश में क्या स्थिति है और गांवों की स्थिति, लोगों की स्थिति अगर वह परसनली कोंटेक्ट करेंगे, व्यक्तिगत रूप से जनसम्पर्क साधेंगे तो मेरे खयाल से कर्मचारियों के ऊपर भी एक अंकुश होगा, भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। जहां पर करोड़ों रुपये खर्च हों वहां तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होना अनिवार्य है, आप रोक नहीं सकते। लेकिन इसके अन्दर कमी आप ला सकते हैं, यह मेरा निश्चित अभिमत है। मैं आशा करता हूं, मंत्रियों को चाहिए कि वह बराबर जनसम्पर्क स्थापित करें।

बाढ़ के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जहां कहीं भी यह बाढ़ आती है, जैसे एक बादल फटता है और अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, जनहानि हो जाती है, वैसे ही इस बाढ़ से ऐसे उपद्रव और और बातें होती हैं जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। इस संबंध में सिंचाई मंत्री महोदय को एक स्थान पर ले गया था। यह मोरवी की बाढ़ आई और कई बांध टूट गये। इस संबंध में पहले भी मैंने यह कहा था कि एक स्थान पर, एक नदी पर ज्यादा बांध नहीं बांधे जाएं। डूंगरपुर और सागवाड़ा तहसील की एक नदी के ऊपर एक से ज्यादा, तीन चार बांध एक नदी पर बांधेंगे तो एक बांध टूटेगा तो दूसरे बांध भी पानी के एक दिशा में बह जाने से टूट जाएंगे और इससे जनहानि होना अनिवार्य है। इसलिए सरकार से मैं यह पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि एक नदी के ऊपर एक, दो बांध के अलावा तीन, चार बांध बांधना हानिकारक है।

यह महान देश है और इस देश के अंदर कितने ही उतार–चढ़ाव आते हैं। युद्ध के समय यदि नदी के ऊपर दो, चार बांध हैं तो दुश्मन बम हवाई जहाज से डाल कर तोड़ सकता है और लोगों के अन्दर इन बांधों के टूटने से जो आतंक पैदा होगा, उसके जो परिणाम होंगे उसका आप आज अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैं यह फिर से निवेदन करूंगा कि एक नदी के ऊपर जगह-जगह पर बड़े बांध नहीं बनाये जाएं। गांवाई तालाब जहां भी संभव हो वहां पर बनाये जाएं। गांवाई तालाब से सिंचाई होगी। गांवाई तालाब से गांव के कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और इन गांवाई तालाबों से आदिवासियों का हित होगा। यह मेरा निश्चित अभिमत है और सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

आज भी पेयजल की समस्या है। आज तीस वर्ष के बाद भी यह हमारे लिए लांछन है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यह सरकार क्या करे, दो वर्ष हुए हैं, परन्तु भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार भी कुछ नहीं कर पायी यह बड़े दुःख की बात है। सरकार जो कुछ करे वह स्थायी रूप से करे। कम से कम पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर पेयजल के लिए व्यवस्था करने के लिए ट्यूब वैल्स बनावे और जो कुछ संभव हो वह करे। यह आसान समस्या नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में विचार करेगी और तत्परता से इस जटिल समस्या का सामना करेगी और जहां पर सरकार आवश्यकता समझे, अगर हम से सहयोग मांगने की इच्छा करेगी तो हम पूर्णतया सहयोग देंगे। यह मैं सरकार को आश्वासन देता हूं और अपने निवेदन को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के लिये दिये गये नामांकन पत्रों को वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के विड्रावल का समय कल 1 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृति)

सदन की सहमति के अनुसार सुझावानुसार समय बढ़ाया गया।

राज्य में बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार

श्री रतनलाल वर्मा : ..उपाध्यक्ष महोदय अकाल और सूखे के कारण आज जो स्थिति हमारे सामने है, वह भयंकर है। यह स्थिति आज केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में है और पूरे हिन्दुस्तान में यह समस्या होने के कारण अनाज की व्यवस्था तो आप कर लेंगे लेकिन घास की व्यवस्था आप कर सकेंगे यह मुझे तो कम से कम बहुत ही असंभव सा लगता है। इसलिए सबसे पहले मेरा यह सुझाव है कि सरकार अनुदान के रूप में किसानों को घास के और दूसरे अन्य बीज जिससे घास पैदा हो सके वह दे और उसका बीज अनुदान के रूप में पंचायत समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करावे। अभी गर्मी पड़ रही है और इसमें घास का बीज अच्छी तरह से पैदा हो सकता है और इस वजह से यह घास दो महिने में पैदा हो जाएगी और इस प्रकार जानवरों की रक्षा हो सकती है। मैंने मुख्य मंत्री जी को इस विषय में पहले भी निवेदन किया था और आज फिर पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि घास के बीज की व्यवस्था आप मेहरबानी कर के पंचायत समितियों के माध्यम से सम्पूर्ण राजस्थान में करवाने का कष्ट करें।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कृषि विभाग है उसके पास इस वक्त कोई काम नहीं है। इसी प्रकार से वन विभाग है उसके पास भी कोई काम नहीं है। सिंचाई विभाग के पास भी इस समय कोई काम नहीं है। इसलिए ये तीनों विभाग जहां जहां इनको पानी का स्रोत मिले वे उस जगह पर घास पैदा करें। और जिन स्थानों पर घास

Page No.78

(श्री रतनलाल वर्मा)

पैदा नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होती है वहां पर वह घास साधनों के जरिये से पहुंचावें, यह मेरा इन विभागों के संबंध में विशेष निवेदन है। योजना में 33 करोड़/की आप ऐड देंगे। इन विभागों से सरकार अकाल के अन्दर काम लें। इनके पास कोई काम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं यहां अभी हमारे माननीय सदस्य भटनागर साहब ने कहा है/कि इस फेमीन कोड को तत्काल बदल दिया जाए। यह कोड बाबा आदम के जमाने का है। यह फेमीन कोड बिलकुल नौकरशाही तरीके से बना हुआ है। यह नौकरशाही हमारे सर पर बैठ कर बोलती है इसलिए जितना जल्दी से/जल्दी इसको बदला जा सके इसको बदलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा यह सुझाव है कि सिंचाई विभाग करोड़ों रुपया हर साल खर्च करता है लेकिन इन 30-32 साल के बाद भी वह तालाबों की मोरियों को पक्की नहीं/बना सका है। मोरियां पक्की नहीं होने के कारण पानी बर्बाद होता है, पानी अधिक खर्च होता है इसलिए पंचायत समिति के माध्यम से पंचायत समिति के तालाबों की, सिंचाई विभाग के माध्यम से सिंचाई विभाग के तालाबों की मोरियों/को पक्का करवाया जाए ताकि पानी का खराबा बच सके और इससे किसानों को हमेशा के लिए लाभ मिल सके। यह कार्य फेमीन सहायता के माध्यम से करवाया जाए।

दूसरा मेरा निवेदन उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार/ने अकाल का लगान कभी भी माफ नहीं किया। फेमीन कोड में ऐसा प्रावधान है कि तीन साल तक लगातार अकाल हो और जिलाधीश की रिपोर्ट आवे तो एक साल का लगान माफ किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह/प्रावधान बिलकुल निकम्मा है। यह नियत का खराबा है। अफसरों की ज्यादती है। यह प्रावधान किसानों के हित में नहीं है। जब अकाल पड़ गया। किसान बीज उधार लाया, खाद उधार लाया, चार महीने तक उसने खेत की रखवाली की/और फसल पैदा नहीं हुई तो सरकार उस वक्त का लगान स्थगित करती है परन्तु माफ नहीं करती है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि भूतपूर्व सरकार ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने इस बात पर/अमल नहीं किया परन्तु मैं हमारे मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तत्काल अपनी केबिनेट की मीटिंग में इस बात को लाइये और अकाल के समय का लगान स्थगित नहीं बल्कि उसको माफ करने का कष्ट करें/

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि किसान कर्ज लाता है सहकारी समिति से, पंचायत समिति से, बैंक से और दूसरी जगह से कर्जा लाता है। कोई ट्रैक्टर के लिए, कोई मोटर पम्प के लिए, कोई बिजली की मोटर के लिए/तो कोई डीजल के लिए, जहां कहीं से उसको कर्जा मिलता है, लाता है और बाद में फसल पैदा नहीं होती है। सूखा हो जाता है। उस समय वह अपने खेत पर बैठ कर भगवान की तरफ देखता है। उपाध्यक्ष/महोदय, उसके खेत में फसल पैदा नहीं हुई परन्तु उसको उस रकम का ब्याज देना पड़ता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि अकाल के समय का ब्याज उससे नहीं लिया जाए और किसी प्रकार का प्रावधान करके उसका यह/ब्या

(श्री रतनलाल वर्मा)

माफ होना चाहिए नहीं तो उस किसान पर यह भार बना रहता है और किसान दुखी का दुखी रहता है। एक साल फसल नहीं हुई तो तय हो गया कि जब फसल होगी तो उस साल की वसूली भी होगी और पिछले साल की भी और उससे पिछले सालों की वसूली भी एक साथ ही करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिये।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, फेमीन में 15 दिन में एक दिन की छुट्टी हो और छुट्टी के पहले चुकारा होना चाहिये। ये पाबन्दी लगा देनी चाहिये कि छुट्टी के दिन चुकारा हो ताकि वह छुट्टी के दिन अपना तेल, मिर्च, मसाला और अनाज ला सकें, आटा पिसवा सकें। इसलिये यह व्यवस्था की जाय कि फेमीन की छुट्टी के 1-2 दिन पहले ही चुकारा कर दिया जावे ताकि 15 दिन का राशन वह ले आवें, और आसानी से काम कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करूंगा, भूतपूर्व सरकार ने भी करोड़ों रुपये खर्च किये। मैं जनता सरकार से निवेदन करूंगा जिसने बिना अकाल के भी राजस्थान में फूड फार वर्क के माध्यम से काम करवाये, गाँवों में विकास के काम हुए। लेकिन इस वक्त जो समय आ रहा है, यह समय, ऐसा अकाल, मेरी उम्र 52 साल की हो गई, ऐसा भयंकर अकाल नहीं देखा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो जंगल कटवाये जा रहे हैं 30 साल कांग्रेस के शासन में जंगल बारह आने साफ हो गये और बंगले बनते गये। आप मेहरबानी करके इन दरख्तों को कटवाने से रोकिये। आपने करोड़ों रुपयों की योजना बना दी सड़कों के किनारे पर पेड़ लगाने की, इससे मैं निवेदन करना चाहता हूं; रुपये में दो आने तो लगेंगे, 14 आने पेड़ लगेंगे नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा। चाही भूमि किसान ने बनाई। किसान ने कुआ खोदने के लिये ऋण लिया। उसने खुद मेहनत करके कुआ खोदा। इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा। पूर्व सरकार ने भी, राजा-महाराजाओं और जागीरदारों ने भी किसान की परिस्थितियों पर विचार नहीं किया। भूमि की मालिक सरकार, कुआं खोदे किसान और लगान लेवे सरकार। इसलिए मैं निवेदन करूंगा। चाही भूमि का लगान भूतपूर्व सरकार ने समाप्त नहीं किया। नालियां किसान ने खुद की मेहनत से बनाईं उनका भी लगान समाप्त किया जाय। अगर समाप्त नहीं करती है सरकार तो किसान को कुएं और नालियों का मुआवजा दिया जाय। बड़े-बड़े हिज हाइनेसों को कांग्रेस की सरकार ने मुवावजा दे दिया लेकिन किसान को कुए का, नाली का मुआवजा नहीं दिया। जिसमें उसने मेहनत की तो मैं सरकार से बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि सरकार को विचार करना चाहिये और किसान की चाही भूमि का लगान समाप्त किया जाय और अगर समाप्त नहीं करती है सरकार तो मुआवजा दिया जाय। दो बातों में से एक बात सरकार को करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान जो 75 और 80 प्रतिशत की तादाद में हैं। जो आज हम सब का पूरे हिन्दुस्तान का पेट भरता है उसके

(श्री रतनलाल वर्मा)

ऊपर संकट है । इस विषय पर गंभीरता से विचार करके स्थाई हल निकालने के लिये जहां-जहां भी नदियां हैं, उनमें रपटें बनानी चाहिये । जहां पर छोटी नालियां हैं, उनमें भी रपटें बनानी चाहियें ताकि कुओं में पानी हो ।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि किसान के कुए गहरे करने के लिये जो सरकार के पास, भू-जल मण्डल के पास मशीनें हैं, उन मशीनों को ठीक करवा कर, अच्छे अधिकारियों को उनके ऊपर लगावें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो दिलचस्पी और लगन से काम कर सकें । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत जरूरी बातें कहनी हैं । मैं बोला नहीं हूं । मैं बहुत नम्र शब्दों के साथ कहना चाहता हूं । मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनिये ।

तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन मशीनों पर कांग्रेस के जमाने से जंग लगी हुई है । कम से कम आप तो उन जंगों को हटाकर, मैं अपने क्षेत्र के लिये कहता हूं, कम से कम 10 मशीनें मेरे क्षेत्र में दीजिये । मैं किसानों के कुएं गहरे करवाऊंगा । मैं लोन दिलवाऊंगा किसानों को । ताकि वे आने वाले समय में इस संकट से बच सकें । कुओं से पानी ले सकें, अपने जानवरों को पाल सकें । भगवान करे ऐसा संकट न आवे । लेकिन इस संकट से बचने के लिये ऐसा होना चाहिये । मैं तो कहता हूं कि कोई भी मशीन सरकार के पास बेकार न रहनी चाहिये । और ये जीपें और सरकारी अफसर बिना किसी काम के, बिना किसी वजूहात के कहीं जायें नहीं और जायें तो फमीन का जायजा लें, पूरी निगरानी रखें । हम पैसा देंगे । इनसे बराबर काम लिया जाना चाहिये । काम अगर नहीं लेंगे तो वे आलसी हो जायेंगे और हमेशा के लिये घर का काम भी नहीं कर सकेंगे । काम तो होना चाहिये । काम लिया जाना चाहिये क्योंकि जो काम नहीं कर सकते, बूढ़े, अपंग, अपाहिज, जिनको सरकार पेंशन दे रही है । इसलिये काम तो होना चाहिये । इस बारे में उनको लिफ्ट देना गलत ढंग से प्रोत्साहन देना है, और बिलकुल अनुचित है और उन लोगों को आलसी बनाना और गलत सपोर्ट करना उचित नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि काम पूरा होना चाहिये और फमीन में गरीब किसान को जो मिलने वाला है उसमें कोई बाधा न डालें, इस पर उनकी निगाह होनी चाहिये ।

दूसरा मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के तालाबों के पैसे 30 साल से कांग्रेस ने नहीं दिये । सिंचाई विभाग के तालाबों के लिये इंजीनियर हैं लेकिन जितने तालाब पंचायत समितियों के हैं, आपने पंचायत समितियों के तालाबों को देखने लिये, मरम्मत करने के लिये किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं, कोई टेक्नीकल आदमी नहीं, कोई किसी तरह का उनको पैसा नहीं दिया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये कागजात रेवेन्यू विभाग में पड़े हैं । कांग्रेस के जमाने में भी हमने मांग की थी । परसराम जी मदेरणा बिराजमान हैं, उनके समय में भी डेपुटेशन लाये थे और निवेदन किया था लेकिन इन ग्राम पंचायतों के तालाबों को पंचायत समितियों को ट्रांसफर कर दिया

(श्री रतनलाल वर्मा)
गया और लेन-देन के नाम पर गुल-सप्पा कुछ नहीं, पंचायत समितियों को एक घेला नहीं दिया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जितना पैसा सिंचाई विभाग का इन तालाबों पर खर्च होता है। कम से कम इस पैसे के हिसाब से 50% वह पैसा इन तालाबों के लिए, पक्का करने के लिए, मोरियाँ पक्की बनायेंगे। चादरों को ठीक करेंगे। आप वह पैसे देने की कोशिश करें। फुड फार वर्क में पंचायतों से इनको इतना मजबूत बनायेंगे कि जितना सिंचाई विभाग नहीं कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रतनलाल जी वर्मा, कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा: सिर्फ दो मिनट में समाप्त करता हूं।

चार आने के बजाय ढाई रुपया देते हैं। ग्राम पंचायतों ने दुगना विकास का काम किया है। उन्होंने काम करवाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो काम कराये हैं, उनमें तावड़े में उनके मुंह काले पड़ गये हैं। मेरी कान्स्टीट्एन्सी में 66 लाख रुपया खर्च हुआ। 15 लाख रुपया जनता ने दान में दिया है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस काठे समय में ढाई रुपया पंचायतों को दिया जा रहा है। म्युनिसिपलिटी को 5/-रुपया दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरों में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इन ग्रामों में भी 5/- रु. प्रति व्यक्ति दीजिए। ऐसे समय में वह काम करें। तालाबों को पक्का करें। आने जाने का रास्ता बनायेंगे। सड़क बनायेंगे। कपास, मक्का और ज्वार तत्काल शहरों में आ जायेगी। शहर वालों को आराम मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन पंचायतों को 5/- रु. अनुदान में देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वर्माजी, अब आप समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा: बस एक ही मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। पी. डब्ल्यू. डी. एक किलोमीटर सड़क बनाती है। गिट्टी के काम के अलावा एक किलो मीटर डामर की पुताई का 1 लाख रुपया लेते हैं। अब सवा लाख हो गया है। मैं चेलेंज से कहता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. सवा लाख रुपया लेती है। मैं एक लाख रुपये में सड़क बनाकर दिखा दूंगा। यह काम ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जायें।

(व्यवधान)

जितने इंजन पी. डब्ल्यू. डी. के पास हैं, वह ग्राम पंचायतों को दे दें।

(व्यवधान)

आपको मालूम नहीं है। गाँवों की स्थिति आपको मालूम नहीं है। आप कुछ नहीं जानते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा: आपने शहरों की सड़कें देखी हैं। गाँवों के खड्डे नहीं देखे हैं। जाओगे तो मालूम होगा।

(अश्रव्य)

(श्री रतनलाल वर्मा)

किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर आसानी से नहीं आ सकता है। पी० डब्ल्यू० डी० सवा लाख रुपया खर्च करें। पी० डब्ल्यू० डी० किराये पर ठेकेदारों से काम लेती है। यह किराया ग्राम पंचायतों को दे दो। इस काम को ग्राम पंचायतें करायेंगी। पी० डब्ल्यू० डी० से मजबूत होगा। ग्राम पंचायतों में सड़क होगी तो आप जायें तो चार चांद लग जाते हैं। 72-73 में अकाल पड़ा। यहाँ पर मदेरणा साहब बिराजे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री वर्मा जी, आप विराजें।

श्री रतनलाल वर्मा: मैं उस वक्त के सारे प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। जनवरी तक एक भी उन्होंने काम नहीं खोला था। जनता सरकार ने काम शुरू कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम बोल दिया है। मैं खड़ी हुई हूं। बीच में माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री नूरा : उजला जी को विरोध पक्ष में बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नम्बर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उजला जी से निवेदन करूंगा कि वे पहले सुमित्रा जी को बोलने दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्या होगा? ये सब बोलते चले जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह जी, आप सुमित्रा जी को बोलने दीजिये। वे आसन पर आयेंगी तो आपको बोलने की अनुमति दे देंगी।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरा नाम बोला है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी चिट भेजी है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले सुमित्रा सिंह को बोलने दें। मैं भी कुछ रिलीफ चाहता हूं।

(व्यवधान)

कृपया बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने क्या व्यवस्था दी है। आपने

(श्री रामनारायण चौधरी)
अब सुमित्रा सिंह को बोलने को कहा है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आप महिलाओं के बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य खामखां चिन्तित हो रहे हैं। मैं तो उनका ही भार हल्का करूंगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह चर्चा समाप्त होने के बाद समय मिल जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय सम्पूर्ण राजस्थान या तो अकाल की भीषण अग्नि में धूं धूं करके जल रहा है या बाढ़ की भीषण ताण्डव लीला से त्रस्त एवं निराश किंकर्त्तव्य विमूढ़ हुआ बैठा है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान निराशा एवं असन्तोष की स्थिति में जा रहा है और दुःख इस बात का है कि जो सरकार अपने नागरिकों को भाग्य के भरोसे छोड़ दे, उसे लोकतन्त्री सरकार, लोकप्रिय सरकार या उत्तरदायी सरकार कैसे कहा जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में लूणी नदी के अन्दर बाढ़ के पानी में मानव लाशें तैर-उतर रही थीं, जब पशुधन बहा जा रहा था, जब करोड़ों की सम्पत्ति बालू की रेत की तरह से तहस-नहस हो रही थी, तब राजस्थान की लोकप्रिय जनता के प्रति जिम्मेदार भैरोंसिंह जी की सरकार दिल्ली में मोरारजी देसाई की पतन होने वाली सरकार के कुश्ती बांध रही थी (यद्यपि वे उसमें सफल नहीं हो सके और मोरारजी सरकार का पतन हो गया)

श्री रतनलाल वर्मा : उसी दिन से अकाल आया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: आप सुनिये तो सही, मैंने भी आपको सुना है। मैं यह निवेदन कर रही थी—प्राकृतिक आपदाएं किसी के वश की नहीं, और कई बार सजग रहते हुए, क्रियाशील रहते हुए, बिलकुल अपने कर्त्तव्य को निभाते हुए प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और जनधन की हानि हो जाती है। लेकिन इस बार न तो सरकार ने बाढ़ से पूर्व कोई सूचना दी, न कोई बचाव का प्रयत्न किया, उपाध्यक्ष महोदय, 69 और 73 में बाढ़ की पूर्व सूचना देकर लोगों को बचाया जा सकता था, जनधन की हानि को कम किया जा सका था और इस बार सरकार ने कुछ नहीं किया और सब से बडी बात तो यह है कि रेस्क्यू के नाम पर इतना भारी खर्चा करने के बाद, हैलिकोप्टर और नावों पर लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी यह राजस्थान की लोकप्रिय सरकार एक व्यक्ति को भी रेस्क्यू करके नहीं बचा सकी। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में मिलिट्री है, हैलिकोप्टर हैं, नावें खड़ी थीं, अगर एक भी व्यक्ति को राजस्थान की उत्तरदायी हुकूमत द्वारा रेस्क्यू से, प्रयत्न करने के बाद बचाया हो, तो माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें, मेरा यह स्पेसिफिक एलिगेशन है, सरकार पर। माचरणा गांव जोधपुर से केवल 22 मील की दूरी पर है वहां पर बाढ़ से घिरे हुए सात प्राणियों की सूचना जोधपुर कलेक्टर को दी गई तो कलेक्टर ने यह कहकर उदासीनता और निष्क्रियता और गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया कि एक-एक व्यक्ति को ऐसे कहां तक बचा सकते हैं और उन्होंने पानी से घिरने के 14 घंटे बाद भी पानी में माचरणा ग्राम के निवासी उसमें फंसे रहे, लेकिन 17 घंटे के बाद

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भी उनको किसी भी प्रकार की राहत नहीं पहुंचाई गई, तीन प्राणी उसी में बहकर मर गए। मैं शेरसिंह जी की सरकार से यह पूछना चाहती हूं 14 घन्टे का इतना लम्बा समय होता है अमेरिका में अगर कार्टर को और रूस में भी सूचना करते तो इतना लम्बा समय था कि वे लोग ही मानवता के नाते उन्हें बचाया जा सकता था लेकिन केवल 22 मील दूरी पर बैठा हुआ प्रशासन कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सका। जीवन रक्षा के नाम पर एक पशु की भी रक्षा करने का प्रयत्न किया जाता है लेकिन यह सरकार तो एक भी मानव की रक्षा नहीं कर सकी।

अकाल राहत मन्त्री जी ने अकाल एवं बाढ़ पर जो इतना बड़ा नोट दिया है, इसमें काफी प्रशंसा प्रशासन की की गई है और जनता के मनोबल को, जनता के साहस को तो ठीक है स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अपना फर्ज अदा किया, यह भी ठीक है। प्रशासन की मुस्तेदी की तारीफ की है। कनाना गांव के अन्दर-एक गांव में मरने वालों की सबसे अधिक संख्या 58 है, 17 तारीख को बाढ़ आई, 26 तारीख तक कोई भी व्यक्ति प्रशासन का नहीं पहुंचा, केवल भाग्य के भरोसे उनको छोड़ दिया गया, मैं यह पूछना चाहती हूं इस लोकप्रिय सरकार से 58 व्यक्ति एक गांव में मरे, 9 दिन तक किसी ने उनकी खोज खबर नहीं ली, फिर आपने किसको रोटी दी? किसको अनाज पहुंचाया? किसको राहत पहुंचाई यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं राजस्थान की लोकप्रिय सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं जब आप यह मानते हैं कि अभूतपूर्व बाढ़ आई है और अभूतपूर्व सूखा पड़ा है तो अब तक जो प्रयत्न किए गए हैं वे नाकाफी तो हैं ही लेकिन आपने अपने स्वयं के शूद्र राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर जो पब्लिक स्टेटमेन्ट दिया है, जो सार्वजनिक वक्तव्य दिया है वह राजस्थान की जनता के मनोबल को गिराने वाला है। भारत सरकार पर सारी जिम्मेदारी छोड़ी गई। और यह कहा गया कि राजनैतिक कारणों से सहायता नहीं दे रहे हैं यह कह कर आपने राजस्थान के लोगों का मनोबल गिराया है और लोगों को बेबसी और निर्दयता से डील-विथ किया है, यह बहुत ही आब्जक्शनेबल है, निन्दनीय है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह का गैर जिम्मेदार स्टेटमेन्ट देकर भारत सरकार पर इल्जाम लगाकर आप अपनी इनएफिशिएन्शी को, अपनी इन्काम्पीटेन्सी को ढकने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। आखिर 25% आपको भी खर्च करना था, क्यों नहीं समय रहते लोगों को राहत पहुंचा पाये, जो बाढ़ राहत कार्यों में किए गए प्रयत्न हैं, जो कुछ काम किया गया है उसकी सूची दी गई है। बड़े गर्व के साथ कहा गया है कि जिन लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया उनको एक क्विण्टल यानी एक बोरी अनाज दिया है, मुझे हंसी आई यह पढ़कर कि जिनकी तीन पीढ़ी की कमाई चली गई, कुआं चला गया पम्पिग सैट नष्ट हो गया, मशीनें और मकान नष्ट हो गए, पशुधन चला गया, इन्सान चले गए और राजस्थान की सरकार एक क्विटल गेहूं बांट दे और यह कह दे कि ...

श्री रामसिंह विश्नोई : कटे पर नमक छिड़कना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि 3200 कुएं नष्ट हो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

गये यह आपने माना है, ऐसे कुओं को भारत सरकार 10 हजार रुपये देना चाहती है। पांच हजार ग्राण्ट-इन-एड और पांच हजार बिना ब्याज का ऋण ताकि उसे वापस 24 किश्तों में काश्तकार चुका सकें। उसको भी काटकर आपने आठ हजार करवा दिया, यह आपका किसानों के प्रति हमदर्दी का नमूना है, इस तरह से आप किसानों को वापस बसाना चाहते हैं, उनका रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, इस तरह से आप उनको बहबूदी करना चाहते हैं, क्या यही उसका नमूना है, दस हजार से आठ हजार आपको करने की क्या आवश्यकता थी। माननीय उपाध्यक्ष जी, इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि यह सरकार केवल वोट बटोरना चाहती है, गरीबों के प्रति, काश्तकारों के प्रति सरकार की कोई हमदर्दी नहीं है, उनको राहत पहुंचाना नहीं चाहते, रिलीफ नहीं देना चाहते। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यहां यह भी कहूंगी तो कोई अनुपयुक्त नहीं होगा कि यह सरकार जो है बाढ़ राहत के कार्य में जो कुछ-कुछ राहत पहुंचाई है और जिस तरीके का सुस्त व्यवहार किया है यह अकर्मण्यता, सुस्ती और एक अव्वल दर्जे की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया है जिसके लिए राजस्थान की जनता, खास तौर से मारवाड़ की बाढ़ से तबाही से त्रस्त जनता आपको कभी माफ नहीं कर सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष, बाढ़ के बारे में बालोतरा से आने वाली माननीय सदस्या ने और मारवाड़ से आने वाले काफी सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती क्योंकि इन्होंने करीब-करीब सारे ही सुझाव दे दिए हैं कि काश्त करने वालों को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए कुटीर उद्योग वालों को क्या दिया जाए, जिन लोगों के उद्योग खतम हो गए, क्या किया जाए, नमक बनाने वाले देशवालों की कैसे मदद की जाय सारे प्रस्ताव दिए हैं।

अब मैं अकाल के प्रश्न पर आती हूं। इस बार राजस्थान में अभूतपूर्व अकाल है, ऐसा अकाल देश की आजादी के बाद पहले कभी नहीं पड़ा। पहले फसल छोटी होती थी और बाद में बारिश न हो और इस वजह से अकाल पड़ता रहा तो कम से कम पशु चराने के लिए चारा तो होता था लेकिन इस बार बारिश ने ज्यादा समय तक खींचा, कड़वी चारा सभी नष्ट हो गया, इसलिए इस बार राजस्थान अभूतपूर्व अकाल का सामना कर रहा है। आज चारे की समस्या है, जिस राजस्थान को नाज था अपने पशुधन पर, वे लोग अच्छे से अच्छे पशु बीकानेर से राठी गायें जो हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध हैं दूध के लिए, वे सारे इलाके के लोग अपने पशुओं को लेकर राजस्थान छोड़कर पलायन कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में करीब-करीब महाराष्ट्र को छोड़कर सभी जगह अकाल है इसलिए समस्या यह है कि कहां जायेंगे। लेकिन राजस्थान में तो पीने के पानी की भारी समस्या है और कहीं जायेंगे तो चराने को शायद कम मिले लेकिन पानी की समस्या नहीं होगी लेकिन यहां तो पानी की समस्या है इसलिए पशुओं का जो निष्क्रमण हो रहा है, उसको यदि अविलम्ब नहीं रोका गया तो यहां की आर्थिक व्यवस्था डगमगायेगी और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। तो एक तरफ चारे का सवाल है। इस बार जैसा मंत्री महोदय ने स्वयं ने माना है 11 लाख......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No.86

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दो मिनट में। क्योंकि मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं, अभी तक अकाल की विभीषिका का दिग्दर्शन किया है लेकिन क्या उपाय किये जावें वह नहीं बताऊंगी तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं निवेदन कर रही थी कि आज लोगों की क्रय शक्ति नहीं है और अकाल सहायता मंत्री केवल यह कहकर कि हमने जिन जिलों में पिछले साल अकाल था उनमें अकाल राहत कार्य खोलने की इजाजत दे दी है और काम के बदले जो हमारी अनाज योजना है वह चालू रहेगी उसमें एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, माननीय अकाल सहायता मंत्री 1।। करोड़ आबादी प्रभावित है और आप एक लाख लोगों को रोजगार देना चाहते हैं याने 150 व्यक्तियों के पीछे एक आदमी को। क्या इससे लोग जिंदा रह जायेंगे ? यह बताकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली है ? जब तक विशाल पैमाने पर अकाल सहायता के काम नहीं खोले जाते हैं तब तक केवल काम के बदले अनाज योजना के जरिए अकाल राहत के काम खोलकर राजस्थान की 1।। करोड़ जनता को आप जिंदा रख सकेंगे ? यह कत्तई असंभव बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल अकाल सहायता मंत्री ने नोट के आखिर में जो शब्द लिखे हैं, उसमें उन्होंने बताया है:

> "शासन अपनी समस्त शक्ति व साधनों को जुटाकर जनता को राहत पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। इस राहत कार्य में हमारे सीमित साधन अपर्याप्त रहेंगे इसलिए हमें केन्द्रीय सरकार से भारी मदद की आवश्यकता रहेगी।"

मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि यदि केन्द्रीय सरकार के भरोसे ही आशा लगाए बैठे हैं तो फिर भैरोंसिंह जी की सरकार किस मर्ज की दवा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको केन्द्रीय सरकार से सहानुभूति क्यों हो रही है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी कोई सहानुभूति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सहानुभूति रखने में आपत्ति नहीं लेकिन राजस्थान को भूलें नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी सहानुभूति तो राजस्थान की जनता से है। मैं आपको अहसास कराना चाहती हूं जब आप कहा करते थे राजस्थान का नेतृत्व बोना है, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो भारत सरकार को प्रेशराइज करके अधिकतम साधन जुटा सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करेंगे लेकिन कम से कम आप सहायता करो, विरोध मत करो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनने का माद्दा आपमें होना चाहिए। आपने 20 साल तक कहा है और हमने सुना है। कम से कम 20 महीने तो अपना विरोध सुनिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यदि उसके एवजाने में बोल रही हैं तो सदन का समय फालतू ले रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब हम इस प्रकार के सुझाव दें और सदन के नेता यदि इस तरह से कहें कि मैं सदन का समय बरबाद कर रही हूं.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैंने नहीं कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री **वृद्धिचन्द जैन** : दुर्भाग्यपूर्ण है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप गंभीरता अकाल और बाढ़ की तवाही समझें नहीं और हल्की बात करें और माननीय सदस्य जो सुझाव देना चाहें........

(व्यवधान)

श्री **ओंकार लाल चौहान** : नेता महोदय को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि माननीय सदस्या समय बरबाद कर रही हैं ।

श्री **शंकर लाल** : आप अपने को करेक्ट कर लीजिए ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैंने ऐसा नहीं कहा, माननीय सदस्या आफेन्डेड फील कर रही हैं ।

श्री **वृद्धिचंद जैन** : आपने क्या शब्द कहे ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपकी इज्जत करती हूं । आप हल्की बात कहकर इस गम्भीर चर्चा में व्यवधान कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैंने यह कहा है कि माननीय सदस्या ने कहा कि हमने आपकी 20 वर्ष तक आलोचना सुनी है, तो कम से कम 20 महीने तो आपको आलोचना सुननी चाहिए, यह आपने कहा । इसका जवाब मैंने दिया कि यदि उसी गरज से आलोचना कर रही हैं कि हमने 20 साल की है इसलिए 22 महीने आप आलोचना करें, उसी दृष्टि से आलोचना कर रही हैं तो समय बरबाद कर रही हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप स्पष्टीकरण नहीं दें ।

श्री **वृद्धिचंद जैन** : यह नहीं कहा ।

श्री **शंकर लाल** : इसका मतलब आपने जो पहले आलोचना की थी, वह समय बरबाद किया था ?

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : नेता महोदय को सदन की तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए, प्रस्ताव पारित करके उन्होंने आज सही बात तसलीम की, अगर आपकी इजाजत हो तो प्रस्ताव मूव कर दूं कि धन्यवाद दिया जाए कि उन्होंने सही बात कही ।

श्री **माधोसिंह कछवाह** : अकल का अकाल हो गया क्या ?

(व्यवधान)

श्री **भंवरलाल ऐरन** : वह सारी अकल सिमट कर आपके पास आ गई है ।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : व्यवस्था का प्रश्न है । जोधपुर की खानों में पत्थर पैदा होते हैं या अकल पैदा होती है, यह जवाब दिया जाए ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सदन के नेता महोदय को इस बात का एहसास कराना चाहती हूं कि यह बहुत गंभीर मसला है, हम राजस्थान की 2।। करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला करना चाहते हैं कि कैसे उनको जिंदा रखा जाए, कैसे राहत दी जाए, कैसे उनकी परेशानियां कम करें इस बारे में हमें यहां फैसला करना है, इन सब बातों को हल्की बातें कहकर सदन के गम्भीर वातावरण को हल्का नहीं बनायें ।

तो मैं निवेदन कर रही थी, उन सुझावों पर आती हूं कि इस अकाल की विभीषिका को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
रोकने के लिए राज्य सरकार को क्या-क्या करना चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। आज प्रश्न काल में प्रश्न भी था और उस समय भी विद्युत मंत्री ठीक तरह से सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज अकाल केवल झुंझुनूं जिले में ही नहीं है बल्कि अकाल की विभीषिका पूरे राजस्थान में फैली हुई है। आज अकाल की विभीषिका से लड़ने के लिये काश्तकार लोग कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अपने कुओं पर बिजली का कनेक्शन करवाना चाहते हैं इसलिय मेरा निवेदन है कि कुओं पर बिजली के कनेक्शन्स के लिये जितनी भी एप्लीकेशन्स पैन्डिंग हैं और जितने लोगों को डिमान्ड नोटिसेज मिल गय हैं और उन्हें अभी तक बिजली नहीं मिल रही है उन्हें अवेलेबिल बिजली दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आगामी रबी की फसल नवम्बर में बोई जानी शुरू हो जायेगी और मैं समझती हूं कि अधिक से अधिक 15 नवम्बर तक तो आपको इन सभी लोगों को बिजली दे ही देनी चाहिये। राज्य सरकार द्वारा ऐसी योजना होनी चाहिये कि कोई भी प्रार्थी नहीं बचना चाहिये जिसको कि बिजली नहीं मिली हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और विद्युत मंत्री जी बातों में मशगूल हैं तो हमारे राजस्थान के भाग्य का फैसला क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्री जी पता नहीं क्यों कानाफूसी कर रहे हैं...

श्री नूरा : वह तो हिसाब-किताब लगा रहे हैं कि शाखा में पहले कौन जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में ऐसे लोग हजारों की संख्या में है जो कि अपने कुओं पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं। आज उन लोगों को जो इस अकाल की विभीषिका से लड़ने के लिये अपने कुओं पर बिजली के कनेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें कनेक्शन दिया जाय ताकि वे लोग अकाल से मुकाबला कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय यहां पर सदन में जो कहा गया है मंत्री महोदय द्वारा कि मेटिरियल की कमी है और दूसरी दिक्कतें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहूंगी कि जब अकाल राहत मंत्री जी अपना उत्तर दें उस वक्त मुख्य मंत्री जी से कनसल्ट करें और साथ में विद्युत मंत्री जी को इस बात के लिये पाबन्द करें कि विद्युत विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे 15 नवम्बर तक जितने भी प्रार्थी बिजली के कनेक्शन के लिये हों उन सभी को अपने कुओं पर बिजली का कनेक्शन मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं राज्य सरकार को दो सुझाव भी और देना चाहती हूं। आज उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रश्नोत्तर काल चल रहा था उस वक्त भी एक प्रश्न सदन के सामने आया था यह प्रश्न मिल्क डेयरी स्कीम के बारे में था। मैं उस वक्त भी इन्टरप्ट करना चाहती थी अभी चूंकि कृषि मंत्रीजी सदन में नहीं।।

एक माननीय सदस्य : है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मिल्क डेयरी स्कीम के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अभी थोड़े दिन पहले करीब 15-20 दिन पहले दिल्ली की जो मदर डेयरी प्लान्ट है उसने दूध के भाव 40 पैसे प्रति किलो बढ़ाया है। आज राजस्थान में

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, भयंकर अकाल की वजह से चारे की बहुत कमी है, चारे के भाव राजस्थान में आसमान छू रहे हैं, कीमतें बढ़ रही है और चारे की कमी के कारण आज लोग चारे के तिनके-तिनके को तरस रहे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि' जिस तरह मदर डेयरी प्लान्ट ने अपने यहां दूध के भाव में 40 पैसे प्रति किलो का जो इजाफा किया है उसी तरह हमारे यहां पर अगर राजस्थान सरकार अपने यहां पर काश्तकार और दूध का धंधा करने वाले लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं तो मुख्य मंत्री जी आपको जिस तरह से दिल्ली में मदर डेयरी प्लान्ट ने चालीस पैसे प्रति किलो के भाव का इजाफा किया है उसी तरह हमारे यहां पर भी दूध के भाव 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया जाकर दुग्ध उत्पादकों को चुकारा किया जावे । इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा राजस्थान का जो पशुधन है जिसमें सांड और पाडे वगैरह हैं उनको चराने की, राजस्थान में अपर्याप्त व्यवस्था है और चारे का भाव उपाध्यक्ष महोदय, 20 रुपये से लेकर 25 रुपये मन मिल पाता है, उपाध्यक्ष महोदय, यह 20 से 25 रुपये मन चारा भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसी हालत में चारे के अभाव में हमारे यहां के जो अच्छी ब्रीड के बुल हैं, अच्छे सांड हैं वह सभी नष्ट हो जायेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि गांवों में सांड और पाडों के चराने के लिये राज्य सरकार कोई व्यवस्था करे । राज्य सरकार को चाहिये कि उनके लिये गवर्नमेंट सबसिडी देने की व्यवस्था करे । ताकि बढ़िया नस्ल को नष्ट होने से बचाया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज गांवों में जो चारा नहीं मिल रहा है उसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि सारे चारे के डिपो खोले जाने की व्यवस्था करे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया है । कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब कन्क्लूड ही कर रही हूं। मैं यह निवेदन कर रही थी कि राज्य सरकार को चाहिये कि चारे के डिपोज खोलें और इन डिपोज पर सबसिडाइज रेट पर चारा पशुपालकों को मिल सके ऐसी व्यवस्था हो । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं पीने के पानी की कमी के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी । आज उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई जगह पर पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इसके लिये व्यवस्था करनी चाहिये । सरकार को चाहिये कि जहां पर कुएं हैं लेकिन पानी नहीं निकलता है तो उन्हें वापिस जड़वाया जाकर पानी निकालने की व्यवस्था की जावे । ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके । बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने जो अकाल के लिये व्यवस्था की है और सरकार ने अकाल से निपटने के लिये जो आश्वासन दिये हैं वह बिलकुल अपर्याप्त हैं । इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि आज इस अकाल से राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता को जो कि अकाल की विभीषिका से पीड़ित है उनकी पीड़ा को दूर करने के लिये राज्य सरकार को युद्ध स्तर से प्रयत्न करने होंगे, तभी यह विशाल मरु प्रदेश बच पायेगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट का समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये। अभी स्वायत्त शासन मंत्री जी सदन में वक्तव्य देने वाले हैं।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में सफाई मजदूरों की हड़ताल चल रही है इसके बारे में एक स्थगन प्रस्ताव सदन में रखा गया था, मैं उसी स्थगन प्रस्ताव के सन्दर्भ में अपना उत्तर दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में सफाई मजदूरों के दो संगठन हैं। एक तो है सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन और दूसरा है सफाई मजदूर फैडरेशन संगठन। उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों ही संगठनों ने अपनी-अपनी मांगें नगरपालिका के प्रशासक के सामने रखीं। इसमें सफाई मजदूर संगठनों ने अपने मांग-पत्रों के बारे में अलग-अलग मांगें रखीं। सफाई मजदूर कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानीं तो हम लोग स्ट्राइक पर चले जायेंगे। लेकिन जब सफाई मजदूर फैडरेशन को यह पता चला कि सफाई मजदूर कांग्रेस ने अपनी मांगों को मनवाने के लिये हड़ताल का नोटिस दिया है तो सफाई मजदूर फैडरेशन ने कहा कि हम हड़ताल पर नहीं जायेंगे। लेकिन इसी बीच में नगरपालिका प्रशासन में और सफाई मजदूर कांग्रेस में समझौता वार्ता 21 तारीख सितम्बर को शुरू हुई और दिनांक 24-9-79 को समझौता हो गया और सारे सफाई कर्मचारी अपने-अपने काम पर आ गये। आज कोई भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है और उन्हें कोई शिकायत नहीं। जब यह हो गया तो फैडरेशन के

(3.27 म.प.)

(श्रीमती सुमित्रासिंह, सभापति पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आज भी भूख हड़ताल पर हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह श्री शिवनाथ सिंह डाक तार विभाग के कर्मचारी हैं। नगरपालिका के कर्मचारी नहीं। जब सभी बातें मजदूरों की मान ली गयीं और स्ट्राइक ही खतम हो गयी तो कोई समस्या ही नहीं रही। लेकिन इस फैडरेशन के अध्यक्ष कहते हैं कि सफाई कर्मचारी वर्ग की तनख्वाह कम से कम पांच सौ रुपये की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदया, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह कम से कम पांच सौ हो यह बात कभी सम्भव न तो थी और न ही हो सकती है। अब यह इसी बात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, सभी सफाई कर्मचारी 24-9-79 से काम पर आ गये और वहां कोई हड़ताल नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने फैडरेशन के अध्यक्ष से बातचीत की, आपने फैडरेशन के नेता लोगों से कोई बातचीत नहीं की। आपने फैडरेशन के कार्यकर्ताओं और फैडरेशन के अध्यक्ष को बातचीत के लिये बुलाया तक नहीं।

श्री नूरा : उनसे बात तक नहीं की।

श्री राम नारायण चौधरी : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले सभी अपने प्रश्न पूछ लें और उसके बाद में मंत्री महोदय उत्तर दें।

Page No.91

श्री सभापति : क्या मंत्री महोदय सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे सकेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां दे सकूंगा।

श्री नूरा : सभापति महोदया, मेरा प्रस्ताव था उसमें सिर्फ पांच सौ रुपया तनख्वाह ही कर दी जाय। एक बात ही नहीं थी। इसके अलावा उसमें यह भी था कि वहां पर जो चार सौ अस्थायी कर्मचारी हैं उनको परमानेन्ट किया जाय। इसके अलावा बैंक से लोन के बारे में भी थी। मंत्री महोदय सिर्फ पांच सौ रुपये की तनख्वाह वाली मांग को लेकर बात को टालना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सारी हड़ताल ही समाप्त हो गयी, समझौता हो गया।

श्री नूरा : समझौता होने की बात है वह सवाल नहीं आपने उन लोगों को बात करने के लिये बुलाया तक नहीं। आपने मजदूर कांग्रेस वाले नेताओं को बुलाया लेकिन फैडरेशन वालों को बुलाया तक नहीं। आप सारी बात अपने उत्तर में जो दे रहे हैं उसमें आप पोलिटिक्स को जोड़ रहे हैं जो समस्यायें हैं उनको हल करने का वातावरण नहीं बना रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदया, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने कांग्रेस वालों को बात करने के लिए बुलाया तो क्या यह कांग्रेस (आई) का संगठन है और क्या यह इस नीति का परिचायक है कि उनकी बातचीत कांग्रेस (आई) से ही होगी और दूसरों से बात नहीं करेंगे। यह राष्ट्रीय नीति का परिचायक है और उसी अनुसरण में यह कार्यवाही की है—कृपया यह स्पष्ट करें।

श्री ओंकारलाल चौहान : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि जितने भी आदमी जेल में गये क्या उनको रिहा कर दिया गया और क्या उनसे भी बातचीत की थी ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदरे मोहतरमा, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि सफाई मजदूर कांग्रेस वालों से उनकी 24-9-79 को समझौता हो गया और दूसरा जो संगठन है भारतीय सफाई मजदूर फैडरेशन उसके अध्यक्ष, श्री शिवनारायण बाल्मीकी हैं तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने मांग रखी है कि 500 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाये। उनका मांग-पत्र 18 मांगों के संबंध में है, तो आपने जो कुछ कहा क्या उससे यह समझा जाये कि समझौता हो गया और केवल 500 रुपये वाली जो मांग है उसको छोड़ने के बाद सारी मांगें आपने स्वीकार कर ली हैं ? अगर नहीं की हैं, तो समझौता किन आधारों पर हुआ है ? आप गुमराह कर रहे हैं, सभापति महोदया, आपको भी और सदन दोनों को। 24 तारीख को जब आपने कहा था कि सरकार के साथ समझौता हो गया और स्ट्राइक नहीं हुई है, ऐसा करने के बाद भूख हड़ताल बन्द कर दी। आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, माननीय सभापति महोदया, मंत्री महोदय कहते हैं कि समझौता हो गया। तो जब समझौता हो गया तो आप उसको आउट क्यों नहीं कर देते। आप जो उनकी दूसरे नम्बर की मांग है 500 रुपया प्रतिमाह वेतन देने की वह देने के लिए तैयार नहीं हैं तो बाकी 17 मांगें हैं उनको मान लें नहीं मानने से दूसरी यूनियन के हितों पर कुठाराघात होता है। आप बता दीजिए कि क्या आपने बाकी मांगें मान ली हैं ? अगर नहीं मानी हैं, तो फिर किन बातों के ऊपर आपका समझौता हुआ है।

Page No.92

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदया, सवाल बिलकुल साफ है। इन दोनों सफाई मजदूरों की यूनियनों ने नोटिस दिया तो आन्दोलन के बाद और गिरफ्तारी करने के बाद, जेल में देने के बाद स्वायत्त शासन मंत्री जी का फर्ज था कि दोनों यूनियनों के नेताओं को बुलाते और बात करते। अभी एक आदमी 11 दिनों से बैठा है। चाहे वह किसी भी यूनियन का आदमी हो, चाहे वह बाहर का व्यक्ति हो लेकिन वह यूनियन फैडरेशन का अध्यक्ष है और अगर उनके समर्थन में वह भूख हड़ताल पर बैठा है तो बहुत ही गम्भीर बात है। आखिरकार आदमी आदमी है चाहे वह सफाई कर्मचारी हो या दूसरा कर्मचारी हो। आपको उनकी मांगों को बैठकर हल करना चाहिए। मंत्री जी यह कह रहे हैं कि अभी कोई हड़ताल नहीं तो क्या हड़ताल हो जायेगी तब जाकर बात करोगे ? क्या आपका मकसद है कि दुबारा हड़ताल पर जायें और फिर बात करेंगे ? आप उनको बुलाओ। क्या आपने उनकी मांगें मान ली हैं केवल एक 500 रुपये वाली मांग के अलावा ? अगर बाकी की सारी मांगें आपने मान ली हैं तो हम आपको आश्वासन देते हैं और भूख हड़ताल तुड़वायेंगे। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया,....

श्री सभापति : पहले विरोधी दल के माननीय सदस्य, श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, जो वक्तव्य स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने दिया था ऐसा आभास मिलता है कि सफाई मजदूरों के दो संगठन हैं। एक तो सफाई मजदूर कांग्रेस और दूसरा सफाई मजदूर फैडरेशन। दोनों ने मांग-पत्र दिये सरकार के सामने और हड़ताल पर गये एक यूनियन वाले और दूसरे हड़ताल पर नहीं गये। जो हड़ताल पर गये उनसे आपने समझौता किया और जो हड़ताल पर नहीं गये और केवल मांग-पत्र ही प्रस्तुत किया उनसे आपने कोई बातचीत नहीं की और जिनसे बातचीत नहीं की उन्होंने 18 मांगों का मांग-पत्र दिया है। तो एक ही उल्लेख करके लोकल सेल्फ मिनिस्टर साहब सदन को गुमराह कर रहे हैं। अगर हड़ताल पर जाने से ही आप बात मानते हैं और उनकी जो मांगें हैं वह कितनी उचित हैं और कितनी उचित नहीं हैं आपने दूसरे आर्गेनाइजेशन से बात करना उचित नहीं समझा और उनके दरवाजे बन्द कर दिये और इसी कारण वह मजबूरी की हालत में हड़ताल कर रहे हैं। 11 दिन हो गए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, नगरपरिषद् के सामने। अगर दूसरे आर्गेनाइजेशन ने हड़ताल नहीं की तो इसका मतलब यह है कि जो हड़ताल पर जाते हैं उनकी ही मांगों को माना जाता है और दूसरों की मांगों को नहीं माना जाता है। 24 तारीख के बाद उनको भूख हड़ताल पर जाना पड़ा और आज जो वक्तव्य दे रहे हैं इससे फिर हड़ताल पर जाना पड़ेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि उचित मांगों का समाधान करके उसको स्वीकार करें।

एक माननीय सदस्य : जिन मजदूरों को गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ दिया गया क्या ? मैं जानना चाहूंगा कि उनके ऊपर जो मुकद्दमे थे वह हटा दिये गये क्या ?

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि सफाई मजदूर फैडरेशन ने हमसे बात नहीं की और माननीय सभापति जी मैं आपकी मार्फत सरकार से बात कह देना चाहता हूं कि 24-9-79 को माननीय सदस्य, श्री नूरा ने स्थगन प्रस्ताव रखा था तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि उनकी मांगें पूरी हो गयी हैं। ऐसा उन्होंने सदन में वक्तव्य दिया है। इसके बाद मंत्री जी ने भी यह स्टेटमेंट दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : "मान्यवर, मुझे सूचना मिली है कि हरिजनों की मांगें पूरी हो गयी हैं और स्ट्राइक समाप्त हो गयी है, उनसे समझौता हो गया है और हड़ताल खतम हो गयी है"। ऐसा इनका मानना है।

माननीय सभापति महोदया, यह जो मांग-पत्र निकाला है यह 3-9-79 का है और यह माननीय मंत्री जी के पास था। इस पर इन्होंने मांग नम्बर 2 पर आपत्ति की है और 500 रुपये वाली बात नहीं मानी है। जो 17 मांगें थीं वे पहले आ चुकी हैं या तो उनको पूरा कर दिया या फिर आर.एस.एस. के जो संरक्षक हैं उन्होंने उसकी अनुमति नहीं दी कि आप फैडरेशन से बात करो या फिर इनको मुख्य मंत्री जी ने कह दिया होगा कि वह जनसंघ से संबंधित नहीं हैं इसलिए बातचीत मत कीजिए। आज कह रहे हैं कि हड़ताल ही नहीं है। कितनी अनुचित बात है और कितना धोखा देने वाली बात है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य पहले मंत्री महोदय को सुन लें। वे स्पष्टीकरण कर दें।

श्री दुलाराम : क्या सुनायेंगे। सदन में वक्तव्य दे दिया है वही बात बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य पहले तो आप स्थान गृहण करें। मैं बोल रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि आपने सदन में यह कहा है कि मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव पहले इस संबंध में रखा था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें मानली गयी हैं उसी के मुताबिक स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कहा कि मांगें मान ली हैं और हड़ताल टूट गयी है। इस बारे में उन्हें क्या कहना है ? यदि पहले कहेंगे तब दूसरा प्रश्न उठेगा। यह तो कहने दीजिए उनको आप। मंत्री महोदय...

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं....

श्री सभापति : मेरा आभार तो मत मानिये। आप अपनी बात कहिये। आसन किसी का आभारी नहीं होता। कानून कायदे से बात करता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे वक्तव्य के बारे में चर्चा की जा रही है। मेरा वक्तव्य 24 तारीख का है जबकि 23 तारीख की रात को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और समझौते के आधार पर सबको रिहा कर दिया गया।

श्री इन्द्रपालसिंह मकासर : उनसे समझौता किया गया ?

Page No.94

श्री सभापति : आप बीच में न बोलें। जो गलतफहमी हो, मैं आपको अवसर दूंगी पूछने का।

श्री दाऊदयाल जोशी : उनको बीच में बोलने की आदत है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो समझौता हुआ उसमें यह था कि जितने कर्मचारी हड़ताल पर थे उन सबने फैसला कर लिया कि हड़ताल तोड़ दी है और काम पर चले गये। अगर किसी के दिमाग में होता कि हड़ताल नहीं टूटी है तो कर्मचारी काम पर नहीं जाते। जिन्होंने 3 दिन तक हड़ताल की 24 तारीख की समझौते के अनुसार काम पर चले गये। मैं आज भी यही कहती हूं कि कोई भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं हैं. . . .

श्री नूरा : हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर हैं। दोनों यूनियनों के साथ समझौता हुआ है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है।

श्री नूरा : भूख हड़ताल पर है। .

श्री भंवरलाल शर्मा : सफाई कर्मचारी न हड़ताल पर हैं न भूख हड़ताल पर हैं। काम कर रहे हैं। 24 तारीख को जो समझौता हुआ है उसको राजनैतिक कलर मत दीजिये और यह जो फैडरेशन के लोग हैं उनको प्रशासक महोदय ने बुलाया था बात करने के लिये मगर उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे। हम तब बात करेंगे जब हमको लिखकर निमन्त्रण भेजेंगे। ऐसा कहना कि बुलाया ही नहीं गया, यह बात गलत है। जिस स्थिति में सहानुभूतिपूर्वक इन कर्मचारियों के साथ समझौता हुआ वह सबने स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है. . .

श्री सभापति : सहानुभूतिपूर्वक मत कहिये। समझौता सम्मानपूर्वक होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह समझौता है क्या ?

श्री ओंकारलाल चौहान : टर्म्स क्या हैं ?

श्री सभापति : विपक्ष के माननीय सदस्य जानना चाहते हैं समझौता क्या हुआ है ?

श्री नूरा : धन्यवाद का प्रस्ताव जो पास हुआ है वह बता रहे हैं। मांगें क्या मानी हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इस समय जो प्रश्न किये जा रहे हैं। जहां तक नियमों की मुझे जानकारी है, नियमों में ऐसा नहीं है। जो स्टेटमेंट दिया है . . . .

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : किस आधार पर समझौता हुआ है ?

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदया, आपकी व्यवस्था के विपरीत कह रहे हैं कि नियमों में प्रावधान नहीं है. . .

श्री रतनलाल शर्मा : पूरी बात तो सुनें आप. . .

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : (अश्रव्य)।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मंत्री महोदय, नियमों की बात कर रहे हैं।

श्री हरचन्द सिंह : मैंपू।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बाऊदयाल जोशी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न एक-एक करके ही आसन सुनेगा और एक-एक करके उस बारे में व्यवस्था देगा। एक साथ खड़े हो जायेंगे तो व्यवस्था कैसे होगी। अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री बाऊदयाल जोशी : आज से 4 दिन पहले जिस दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी...

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री नूरा : यह कोटा का चौराहा नहीं है।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न इर्रेलेवेंट नहीं उठाया जाता है। जो मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है उसके बारे में...

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री बाऊदयाल जोशी : क्या कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के लिये भोंपू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वरना मैं भी खुले शब्दों में कह सकता हूं दल बदलू, बिकाऊ। इन्होंने अविश्वास किया है। सदन के साथ धोखा किया है। ये पार्टी के शक्त पत्र को चाट गये हैं। बिकाऊ हैं..

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है।

श्री नूरा : इस मामले को ख्वामख्वाह उछाल रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन जब पैरों पर है तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी किसी भी सदस्य के लिये इस तरह का अपमानजनक शब्द प्रयोग न करें।

(व्यवधान)

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य मेरी व्यवस्था के बाद आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ?

श्री बाऊदयाल जोशी : भोंपू शब्द को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री सभापति : मेरी व्यवस्था के पहले कहा गया है वह कायम रहेगा। मेरी व्यवस्था के बाद अब भोंपू शब्द का प्रयोग नहीं किया जायेगा अगर किया जायेगा तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब मंत्री महोदय अपनी पूरी बात कहकर के बैठ जायें उसके बाद कोई सदस्य बोले वह तो बात उचित लगती है लेकिन मंत्री जी ने बात पूरी नहीं कही, बीच में टोका-टाकी चलती रहे, यह बात उचित नहीं है। इसके बारे में आप व्यवस्था दें।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

व्यवस्था का प्रश्न

आसन के आदेश की मंत्री महोदय द्वारा पालना

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर।

स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने जब वक्तव्य में कहा कि मजदूरों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के बीच में समझौता हुआ। विपक्ष की तरफ से यह आवाज आई कि वह समझौता क्या हुआ। आसन की तरफ से व्यवस्था हुई कि क्या समझौता हुआ उसका उल्लेख कर दिया जाये। मंत्री महोदय ने फिर अपने भाषण में कहा कि नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये ऐसी व्यवस्था चाहता हूं आसन की तरफ से जो निर्देश दिये गये हैं उनका पालन हो या माननीय मंत्री जी अपनी बात कहेंगे। व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदया, मेरी पूरी बात नहीं सुनी गई। मैंने कहा है नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है फिर भी..

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैंने मंत्री महोदय से व्यवस्था देने के लिये नहीं कहा है, आसन की तरफ से व्यवस्था चाही है। आपके आदेशों की पालना होगी या मंत्री महोदय की मनमानी होगी...

श्री ईश्वरचंद : इसके पक्ष-विपक्ष में तर्क दिये जा सकते हैं।

श्री सभापति : मैं इस संबंध में व्यवस्था दूंगी। 5-7 मिनिट बाद। देख लेती हूं।

श्री ईश्वरचंद : आप बहस सुन लीजिये।

श्री सभापति : बहस सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन नियमों का आपने हवाला दिया है...

चाहे वे साइलेन्ट हों लेकिन जब किसी मंत्री पर आक्षेप लगाया जा रहा हो तो क्या इस बात को पसन्द करेंगे कि जो वातावरण बना हुआ है और जो चीज स्पष्ट नहीं निकल रही है उसमें माननीय सदस्य अलग-अलग अर्थ निकालें तो उचित नहीं रहता है इसलिये आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से एक और निवेदन करना चाहती हूं और यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय मंत्री महोदय को वक्तव्य पूरा करने दें ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके। इसके बाद सदन महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा कर रहा है—अकाल और बाढ़ पर। इसलिये ख्वामख्वाह समय जाया न करें।

श्री राम नारायण चौधरी : माननीय मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण करना चाहिये........

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : माननीय सभापति महोदय,.......

श्री सभापति : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य आप इस बात को गंभीरता से समझें—माननीय मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं, आसन ने व्यवस्था दी है। मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है आसन की व्यवस्था के बाद वह भी दी जायगी लेकिन माननीय मंत्री महोदय

(श्री सभापति)
को तो बोलने दीजिये । वे क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं.......

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये क्या कहेंगे, यह तो इनकी मोडेस आफेन्डी है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बहुत पुराने सदस्य हैं, इनको बोलने तो दीजिये पहले ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था जैसा अभी आपने कहा है जिस विषय पर विचार कर रहे थे वह राजस्थान के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और यह विषय जो आपने रखा है, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है......

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आपने आसन की व्यवस्था को ठीक नहीं समझा है, मुझे अफसोस है । मैं यह कहना चाहती हूं आसन जब कोई व्यवस्था देता है तो उसे गंभीरता से सुनें और सुनकर आचरण करें । जो व्यक्ति आसन पर बैठा हुआ है, उसका किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं है और मैं साफ तौर से कहना चाहती हूं इस आसन पर बैठने वाला व्यक्ति बिलकुल निष्पक्ष होता है । मैंने अपनी बात बता दी अब और कोई अन्य बात निकालें, यह बात नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदया, मैं उसी निगाह से देख रहा हूं आप निष्पक्ष हैं । मेरे मन में अन्य कोई भाव भी नहीं है कि किसी बात से आपको....

श्री सभापति : आप तो मुद्दे पर आइये ।

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : सभापति महोदया, ये अपनी बात तो कुछ कहेंगे नहीं ।

श्री सभापति : आप थोड़ा बोला कर ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वैसे आपने इस प्रश्न पर व्यवस्था देने के लिये समय मांगा है तो मेरा निवेदन है कि आप व्यवस्था बाद में देंगी या मैं अपना भाषण जारी रखूं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई जवाब नहीं देंगे, सदन का समय बारबाद कर रहे हैं । ये तो बिलकुल चिकने घड़े हैं, जिस पर पानी बिलकुल नहीं ठहरता है ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, अब मैं अपनी व्यवस्था देना चाहती हूं—उस विषय में, यह बात सही है कि 290 में स्पष्ट हैं स्टेटमेंट के बाद में मंत्री महोदय से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है लेकिन मैंने मंत्री जी से कहा था किसी भी तरह की कोई भ्रान्ति की स्थिति न रहे इसलिये उस स्थिति का निराकरण करने के लिये और मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करने के लिये । जब आप मानते हैं और जब आपकी जानकारी में है कि समझौता हो गया है, हड़ताल पर नहीं हैं, भूख हड़ताल पर नहीं हैं, तो फिर आपत्ति क्या है—अस्पष्टता की स्थिति दूर की जायगी । विरोध पक्ष जो मांग कर रहा है, उसका भी समाधान हो जाय ।

श्री राम नारायण चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इनफार्मेशन ।

श्री सभापति : Yes you are allowed.

श्री रामनारायण चौधरी : मेडम, मेरा निवेदन यह था...........

एक माननीय सदस्य : मेडम शब्द कैसे कह सकते हैं ।

श्री सभापति : मेडम शब्द कोई असम्मानजनक शब्द नहीं है लेकिन माननीय सदस्य केवल मेडम नहीं कहेंगे—मेडम चेयरमैन कहेंगे ।

श्री राम नारायण चौधरी : सभापति महोदया, आसन के बिना निर्देश के ही मैंने अपने को क्रेक्ट कर लिया है और मैं मेडम चेयरमैन बोल भी चुका हूं ।

माननीय मंत्री महोदय के स्टेटमेंट के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछा जायगा, नियमों में कुछ भी रहा हो लेकिन इस सदन की परम्परा है कि मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद कई बार क्लेरिफिकेशन मांगा गया है । यहाँ पर मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद एक-एक घंटे क्वेश्चन हुए हैं और जवाब पूछे गये हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आसन के निर्देश के बाद किसी ने नहीं कहा कि क्लेरिफिकेशन के लिये मंत्री बाध्य नहीं हैं । माननीय भंवर लाल जी नियमों के तहत ही आपके आदेशों की पालना करने को बाध्य नहीं हैं । नियम स्पष्ट है लेकिन परम्परा और नियमों में फर्क नहीं होता है । परम्परा उतनी ही सबल होती है जितने नियम सबल होते हैं । मिनिस्टर यह कह कर कि नियमों में प्रावधान नहीं है तो हम मांग करते हैं कि क्या समझौता हुआ है, क्या कन्डीशन्स हैं, किन बातों पर समझौता हुआ है और किस आधार पर हुआ है वह सब सदन की मेज पर रखवाया जाय और मंत्री महोदय को पालना के लिये भी निर्देश दिये जायं ।

श्री टीकम चन्द कान्त : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदया, मेरा भी एक प्रश्न है......

श्री सभापति : माननीय गुल मोहम्मद पहले टीकम चन्द कान्त को बोलने दें ।

श्री टीकम चन्द कान्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई ऐसा उत्तर मंत्री महोदय यदि दें और उससे लोक हितों का नुकसान होता हो, लोक हित में वाजिब नहीं हों तो क्या सदन के अन्दर वह बात मंत्री महोदय स्पष्ट करना चाहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य निरर्थक समय खो रहे हैं । आसन कुछ नहीं सुन पा रहा है । आप एक-एक करके बोलें तो सुना जा सकता है अन्यथा कोई लाभ नहीं है ।

माननीय गुल मोहम्मद ।

माननीय सदस्य, कोई नयी बात कहनी हो तो कहिये वरना रिपीटीशन का कोई अर्थ नहीं है ।

श्री गुल मोहम्मद : आप सुन तो लें जैसा कि आप अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सफाई मजदूर न हड़ताल पर हैं, न भूख हड़ताल पर हैं। मेरा निवेदन है सदन में कोई माननीय सदस्य जानकारी रखता हो कि कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा है तो वह सदन को सूचना दे दे । जिन्होंने यह उठाया है उनकी यदि जानकारी में है कि सफाई मजदूर हड़ताल पर हैं तो सदन को अवगत करायें ।

श्री सभापति : आपने क्या पांच मिनिट का समय लिया है ?

श्री गुल मोहम्मद : बाढ़ और अकाल जैसा महत्वपूर्ण मामला चल रहा है उसके

(श्री गुलमोहम्मद) सम्बन्ध में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इतना कामनसेंस तो रखिये कि यदि नाम होते तो बताने से चूकते। अभी तक कमी का बता देते ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : बाढ़ पर चर्चा होनी है और ये क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री हरचन्द सिंह : वे ××× तो बन्द हो गए, अब ये क्या हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य । रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य। मैं मंत्री महोदय को फिर निवेदन करना चाहूंगी कि यदि वे अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हों तो कर दें और नहीं करना चाहते हों तो वैसा जवाब दे दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदया, जैसा माननीय राम नारायणजी ने कहा कि मैंने यह कहा कि आपके आदेशों के बाद भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, यह स्टेटमेंट तो दिया है....

श्री सभापति : यह मुझे मालूम है। वह तो ख्वाहमख्वाह में बात को उछाली है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आसन का सम्मान करता हूं ।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री सभापति : आप फिर इन बातों में उलझ गए ।

श्री राम नारायण चौधरी : आसन ने यह कहा है, बताइये....

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल ऐरन : माननीय मंत्री महोदय कह दें कि जो कम्प्रोमाइज हुआ है वह बताना जनहित में नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो समझौता किया गया है उनमें क्या शर्तें हैं, उनकी बातें मैंने मंगाई हैं। आज आ गई तो आज, नहीं तो कल स्टेटमेंट मेज पर रख दूंगा ।

श्री सभापति : ठीक है, सफिशियेंट हैं। सफिशियेंट है। अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री नूरा : सभापति महोदया....

श्री दाऊदयाल जोशी : आप क्या कह रहे हैं। हमारे यहां पर भयंकर अकाल है, लोग गांव छोड़ कर जा रहे हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य.... माननीय सदस्य.....आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

सरकारी मुख्य सचेतक जी। आप शायद कुछ प्रस्ताव मूव करना चाह रहे थे ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : हां ।

श्री सभापति : करिये ।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के लिये गये नामांकन-पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत : सभापति महोदया, मेरे प्रस्ताव पर, वित्तीय समितियों से नामांकन-पत्रों को वापस लेने का समय जो आज दिन के 3–00 बजे तक निश्चित किया गया था, कल दिनांक 5 अक्टूबर, 1979 को दिन के 1–00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। चूंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 5 अक्टूबर, 1979 को इन समितियों का निर्वाचन प्रातः 11–00 बजे से प्रारम्भ होना है अतः मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि इन समितियों का निर्वाचन यदि आवश्यक हो तो, 6 अक्टूबर, 1979 को प्रातः 11–00 बजे से अपरान्ह 3–00 बजे तक रखा जाये और मतों की गणना 6 अक्टूबर, 1979 को अपरान्ह 3–00 बजे से आरम्भ की जाये।

श्री सभापति : मैं आसन की ओर से आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगी। जब समय 3 बजे तक था और अब 4 बज गए हैं...

श्री बंशीलाल सारस्वत : वह तो पहले हो चुका है।

श्री सभापति : अब ठीक है। क्या सदन की सम्मति है कि समय बढ़ा दिया जावे?

(स्वीकृत)

समय बढ़ा दिया गया।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : शासन पक्ष के ही लोग बोलेंगे, तो हमारा क्या होगा?

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

नगर परिषद्, जोधपुर के 112 कर्मचारियों सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री शंकरलाल : मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री सभापति : पॉइन्ट ऑफ आर्डर। श्रीमती उजला अरोड़ा स्थान ग्रहण करिये। शंकरलाल जी का पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदया, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने कल मेरे स्थगन प्रस्ताव के लिए आज जवाब देने के लिए कहा था सदन में। नगर परिषद् जोधपुर के जिन 112 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है उनके बारे में वह स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे और जानकारी लेकर वक्तव्य देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह वक्तव्य आज ही दिया जावे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, क्या वक्तव्य देने को तैयार हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, मैं तो तैयार हूं लेकिन यदि आप समझती हों कि आज उचित होगा.....

श्री सभापति : आज मेरे खयाल से बाद वाला मामला है। आज की जगह कल ले लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज समय हुआ तो आज ले लेंगे।

श्री शंकरलाल : कल दे दें।

श्री सभापति : कल देंगे इसका वक्तव्य।

(व्यवधान)

राज्य में बाढ़ व अकाल की स्थिति पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको केवल सात मिनिट का समय दूंगी। सात मिनिट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नूरा : सभापति महोदया, अकाल गांवों में पड़ा है न कि जयपुर में। देहात के लोगों के लिए ज्यादा समय दिया जाय। जयपुर में कोई अकाल पड़ता तो और बात थी।

श्री सभापति : मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, कुछ समय तो उनका आप सहज ही खत्म कर रहे हैं। आप बोलने दीजिए, आपका भी नम्बर आ जाएगा।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति जी, आपकी अनुमति हो तो.....

श्री सभापति : मेरी अनुमति श्रीमती उजला अरोड़ा को हो गई है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं अपनी बात कह दूं एक मिनिट में।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। मेरी अनुमति उजला अरोड़ा के लिए हो गई है। ये सात मिनिट में समाप्त करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापतिजी, आपने सात मिनिट का समय दिया है, मैं सात मिनिट में ही बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, बहुत-2 धन्यवाद। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस बार जो अकस्मात लूणी में बाढ़ आई उसके कारण से बाढ़ के बारे में चर्चा शुरू हुई है। लूणी में बहुत भयंकर बाढ़ आई और उसके कारण से वहाँ सारा क्षेत्र प्रभावित हुआ। वहाँ के गाँव डूब में आ गए हैं, वहाँ की भूमि का स्वरूप बदल गया है। वहाँ राहत पहुंचाना बहुत जरूरी है और वहाँ तक पहुंचाया जाना जरूरी है कि जिसका विस्तार समस्त क्षेत्र को प्रभावित करता हो। वह चाहे लगान के बारे में हो, चाहे मिनिमम रेट के बारे में हो, मैं यह बताना चाहूंगी कि पिछली बार भरतपुर में बाण गंगा में बाढ़ आई थी उसके कारण से जयपुर का क्षेत्र भी काफी अंशों में प्रभावित हुआ था और उस प्रभावित क्षेत्र में आने वाले कुए डूब में आ गए। मुझे आशंका है कि यदि, पहले से ही इस बारे में व्यवस्था नहीं की गई तो फिर यही होने वाला है जो जयपुर में हुआ था। और उसका परिणाम यह रहा कि जो मिनिमम चार्जेज लिए थे उनके केसेज अभी तक पड़े हुए हैं, उनके फैसले नहीं हुए हैं। मिट्टी का क्षेत्र भी बदल गया है खेतों का। उनमें लगान की माफी हो जानी चाहिए थी वह भी अभी तक नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस सारी दुर्व्यवस्था को ध्यान में रखकर निश्चय किया जाना बहुत जरूरी है और इसलिए एक तो मैं यह कह दूं कि मैंने स्वयं ने देखा है कि उनको यह प्रमाणित कराना पड़ता है इंजीनियर से कि मैं प्रमाणित करता हूं कि ये कुए डूब में आ गए। जब इंजीनियर का तबादला सालभर में तीन-तीन बार हो जावे तो कौन सा इंजीनियर ऐसा प्रमाण-

Page No.102

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पत्र दे देगा। ये आने वाली सम्भावनायें हैं जिनकी ओर मंत्री महोदय ध्यान दे करके ऐसी व्यवस्था बिठायेंगे कि जो जोधपुर का क्षेत्र है वह उस सारी पीड़ा से बच जाय जो कि जयपुर में महसूस कर रहे हैं पिछले दो वर्षों से। मैं कहना चाहूंगी कि 22 मार्च, 78 को इसी प्रकार की सदन में चर्चा हुई थी तब भी मैंने आपसे निवेदम किया था कि इसमें आपको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी लेकिन आज तक भी व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिए मुझे बोलना पड़ा अन्यथा वह निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है। अगर निर्णय ले लिया होता तो आपको यह बात नहीं कहती। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार उन क्षेत्रों में कुएं खोदे ताकि वे वहां के लोगों के लिए लाभकारी हों। पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ पर कुएं हैं वहाँ घास पैदा की जाए और जो सूखे क्षेत्र हैं उनको सिंचित किया जाए। आशा है, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। बाढ़ के कारण जो मिट्टी का स्वरूप वहां पर बदल गया है उस ओर भी मंत्री महोदय आशा है, ध्यान देंगे। सभापति महोदया, मैं यह नहीं कह सकती हूं कि आने वाले समय में पानी की कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। पीने के लिए पानी बचेगा भी या नहीं परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो छोटे-छोटे बांध हैं उनके किनारे पर घास उगाई जाए और इसके लिए छूट दी जानी चाहिए ताकि मवेशियों के लिए चारा पैदा हो सके। मैं यह यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारे वन हैं वे सारे के सारे हमारे मवेशियों के लिए खोल दिए जाने चाहिए ताकि हमारे मवेशियों को राहत मिले और उनको बाहर नहीं जाना पड़े।

सभापति महोदया, पिछले समय यह निर्णय लिया गया था कि जहां पर बाढ़ के कारण बांध टूट गये हैं उन क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत करायी जाएगी। 21 जुलाई को यह आदेश निकला और 30 जुलाई को बाढ़ राहत सहायता कार्य को बंद कर दिया गया है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आज तक कार्य पूरे नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार से जयपुर और जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में जो राहत कार्य चालू किए गए हैं वे पिछले तीन वर्ष से अधूरे पड़े हुए हैं। उनको पूरा करवाया जाए और यदि ये बांध पहले से ही बांध दिए जावे तो जो थोड़ी बहुत बरसात हमारे यहां पर हुई थी, उसका पानी इनमें भर जाता और मवेशियों को पानी मिलता परन्तु आज कुएं सूखे पड़े हैं, बान्धों में पानी नहीं है। अच्छा तो यह होगा कि इन राहत कार्यों के अन्तर्गत कुएं खुदवाये जाएं ट्यूब वेल्स बनवाये जाएं ताकि स्थायी व्यवस्थ हो सके।

सभापति महोदया, अकाल की स्थिति भयंकर है। चारा नहीं है और आने वाले समय में यह मिलेगा या नहीं, खेती होगी या नहीं—इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इसका सर्वे कराना चाहिए और जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा है उन क्षेत्रों को तत्काल ही अकालग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए। आज तक यह परम्परा रही है कि गिरदावरी के बाद यह घोषणा की जाती है। पहले से ही यह पता लगा लेना चाहिए कि अमुक-अमुक क्षेत्रों में धान पैदा नहीं हुआ है। दीवाली के तुरन्त बाद वे अपने साधनों से खेत बोएंगे, उसके पहिले ही सर्वे का परिणाम सामने आ जाना चाहिए कि कितने क्षेत्र में अकाल है। मैं समझती हूं इस प्रकार की कार्यवाही से राजस्थान का

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

भला होगा। इसके अलावा हम अपने सारे साधनों को ध्यान में रखते हुए यह भी ध्यान में रखें कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उसको कितनी मजदूरी दें। उन्हीं क्षेत्रों के मजदूर हैं उनको ठीक पैसा न दें तो वे काम नहीं करेंगे, काम छोड़कर चले जाएंगे। जो मजदूरी पांच रुपया देने की योजना है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं परन्तु बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए यह कम है। इसमें आप दो किलो अनाज और डेढ़ रुपया देंगे.......

श्री सभापति : माननीय सदस्या यह काम के बदले अनाज की मजदूरी है यह अकाल में नहीं है।

श्री नूरा : मजदूरी पांच से बढ़कर सात रुपया हो गई है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह डेली वेजेज के बारे में निवेदन नहीं कर रही हूं ...

श्री सभापति : आप कृपया अपने भाषण को समाप्त करने की कृपा करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सरकार को सुझाव दे रही हूं......

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या आपसे पहले माननीय नूरा को बोलने दें उनको एक मीटिंग में जाना है।

माननीय सदस्य श्री नूरा भाषण शुरू करें।

माननीय सदस्या आप सात मिनिट से अधिक बोल चुकी हैं, पूरे 9 मिनिट हो चुके हैं। कृपया बिराजें....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बैठ जाती हूं।

मह

ज

207] (श्री नूरा) आप उनको ... और सरकार ... के लि...

फिर ..

चाहूंगा। जहां पर बाढ़ ... धन और मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है ... जनता की तरफ से इकट्ठा करके आम लोगों को सहायता पहुंचाने की जो बात थी और जो संस्थाएं काम कर रही थीं उनमें विशेषकर के जोधपुर के लोगों का काम सराहनीय रहा है। उन्होंने एक करोड़ रुपये की सहायता दी है। पैसा, कपड़ा, अनाज एकत्रित करके लोगों को पहुंचाया है। मैं दौरे के समय गया तो बाढ़ग्रस्त लोगों ने स्वयं ने मुझको यह बताया है और उन्होंने इस बात के लिये सराहना की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे से पहले जो साथी बोले हैं उन्होंने इस बात को दोहराया है कि समय पर सूचना नहीं दी गई। यह सूचना जनता को रेडियो, टेलीफोन से दी जाती तो हो सकता है कि इतने लोगों की अचानक मौत नहीं होती और उनका बचाव हो पाता। यह कमी रही है। बाढ़ग्रस्त लोगों को जितनी सहायता दी गई है वह अधिकतर कागजों में दी गई है और वह सहायता लोगों के पास में नहीं पहुंची है। जिन लोगों के नाम हैं उनके पास यह नहीं पहुंची है और बाढ़ग्रस्त के नाम से दूसरे बाढ़ ग्रस्त लोग उस सहायता को खा गये। यह बात किसी हद तक सही है। इसकी जांच होनी चाहिये। साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाढ़ से घिरे हुए लोग हैं, उनके अपने गांव तो पानी में दब गये हैं। उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

चूंकि वह सरकारी जमीन है, ...री अधिकारी उनको वहां से हटाने ...य तंग कर रहे हैं, इसलिये उनको ...ने के लिये जमीन दी जानी चाहिये। वह काश्त की जमीन है। सरकारी जमीन रहेगी वह आबादी में परिवर्तित नहीं होगी, अधिकारी उनको तंग करेंगे। वहां यह हालत है कि अधिकारी उनको बसने के लिये तंग कर रहे हैं। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जोधपुर की जनता ने हजारों रुपया खर्च करके जो जांच सरकार को करानी चाहिए, वह जनता करा रही है। जनता ने एक आयोग छंगानी आयोग का गठन किया है। यह आयोग बाढ़ के मामलों की जांच करेगा। इस आयोग ने जोधपुर, पाली और अजमेर के कलेक्टर को बुलाया था जांच करने के लिये परन्तु इन जिलाधीशों ने इस आयोग के साथ कोई सहयोग नहीं किया। वे आयोग के सामने नहीं गये। इन अधिकारियों की वजह से यह नुकसान हुआ है। वे इस नुकसान के लिये जिम्मेदार हैं। मैं यह कह रहा हूं कि इस छंगानी आयोग की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें से सही बात सामने आयेगी कि किन-किन अधिकारी लोगों ने क्या-क्या किया है। जितना रुपया खर्च किया गया है, उसका फायदा नहीं पहुंचा है। लोगों को परेशानी हुई है। जहां पर लोगों को रखा गया है, वह सरकार की जगह होने की वजह से सरकार, अधिकारी उनको बेदखल कर रहे हैं। इसलिये मैं सरकार को यह कहना चाहूंगा कि उनको बसाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं अकाल के बारे में, सभापति महोदया, राजस्थान के भाग्य में ही अकाल लिखा हुआ है। कभी दो जिलों में, कभी 5, कभी 10 और कभी 15 जिले हर साल अकाल की चपेट में आते हैं। हमने समय-समय पर और बजट भाषण में भी कहा था कि अकाल के लिये हमको युद्धस्तर पर निपटना पड़ेगा। रूस जैसे ठण्डे मुल्क में, साइबेरिया जैसे पहाड़ी इलाके में पानी ऊपर चढ़ाकर जब वे उसे हरा-भरा कर सकते हैं लेकिन हमारी नदियां जो हर साल बाढ़ लाती हैं, अकाल के समय के जिन नदियों में अधिक पानी है गंगा, यमुना और चम्बल का पानी, अकाल के समय उसे इधर लाया जाय और अकाल आये तो पानी को इधर मोड़ लिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदया, इस अकाल के लिये इस तरह की योजना बनानी चाहिये। इन नदियों का पानी जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा एक बड़ा बांध बनाना चाहिये, मैं कहता हूं पानी लाने के लिये ज्यादा से ज्यादा बांध बनाये जाने चाहिये। पानी देश का सबसे बड़ा धन है जिससे फसल, कपास, अनाज पैदा होते हैं इसलिये पानी को इकट्ठा करके उपयोग में ला सकें, सिंचाई के इलाकों में ला सकें। लिफ्ट इरिगेशन की योजनायें बनाकर, जैसा कि गंगानगर जिले में लिफ्ट इरिगेशन योजना है, अन्य जिलों में भी होनी चाहिये और यह अकाल की स्थिति हमेशा के लिये खत्म की जानी चाहिए।

साथ ही मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जमीन के पेटे में जो पानी है उस पानी को काश्तकार 5-10 हजार का कर्जा लेकर कुएं को 50-60 फीट गहरा खोद सकता है इतना खोदने पर भी उसको पानी नहीं मिलता तो वह कर्जदार हो जाता है पैसा नहीं चुका सकने पर सरकार उसकी प्रोपर्टी को कुर्क करने निकल जायेगी। मेरे इलाके में बरल

(श्री नूरा)

गांव है जहां 30-40 हजार रुपये लगा कर पंचायत मेरे इलाके में पानी सप्लाई कर रही है और उस पानी की पिलाई से जो पैसा मिलता है उसे गांव के विकास में लगा रहे हैं। अगर इस तरह से सरकार पैसा देकर कुएं खोदे और जमीन के पेटे में जो पानी है जब अकाल पड़ता है तो पानी नीचे चला जाता है तो उस पानी को बाहर निकाल कर हमें ऐसा करना चाहिये जिससे विपदा के समय पानी काम आ सके और नदियों पर बड़े बन्धे बनवा कर इलाकों को बाढ़ से बचाया जाना चाहिये।

साथ ही अधिकारियों की लापरवाही हमारे इलाके में भी हुई थी और मैं बालोतरा में देख कर आया जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। नाथूनगांव के तालाब पर ब्यावर के एस.डी.ओ. पहुंच जाते हैं मगर सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचते। एस.डी.ओ. ने वहां कहा कि वहां पर लोगों को लगा दो नहीं तो तालाब टूट जायेगा तो सैकड़ों लोग गये और इस तरह वहां पर एस.डी.ओ. ने आदमी लगा कर तालाब को बचाया। वे ऐसे पानी में वहां गये, जहां गाड़ी नहीं जा सकती थी वहां पानी में चल कर तालाब पर पहुंचे और तालाब को बचा लिया। इसके बाद मैंने निवेदन किया सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, मजदूरों को पेमेंट के लिये तो मजदूरों का पेमेंट यह कह कर रोक दिया कि ये मस्टरोल पंचायत समिति के हैं इसलिये हम इसका पेमेन्ट नहीं करते। तो सभापति महोदया, अकाल के समय में बहुत से अधिकारी यह माला जपते हैं कि जितने तालाब टूटेंगे, उतना ही ज्यादा धन्धा होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि जब हम फेमिन का पैसा जब अकाल पड़ता है तब मिट्टी डालते वहीं मिट्टी बाढ़ के समय बह कर चली जाती है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं जब अकाल के समय काश्तकार कुओं से फसलों को पानी देना चाहते हैं तो बिजली नहीं मिलती। इसलिए बिजली दिये जाने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये लेकिन कोई प्राथमिकता न देकर और अकाल की हालत पैदा कर दी जाती है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा मसूदा पंचायत समिति में अधिकारियों ने अकाल के समय में आदेश जारी कर दिये कि पहले पैसा जमा करके फिर काश्तकारों को पानी दिया जाना चाहिये जिससे काश्तकारों को पानी नहीं मिला। ऐसे अधिकारी-अधिकारी नहीं होते, ऐसे अधिकारी राजस्थान के लिये वफादार नहीं हो सकते, देश के लिये वफादार नहीं हो सकते, ऐसे अधिकारी, जो नुकसान की बात करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को चौकस रह कर, सावधानी पूर्वक अकाल के समय में खर्चा करना है। साथ ही विद्युत मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम अभी बिजली के कनेक्शन नहीं दे सकेंगे। जब अकाल पड़ता है तो हमें कनेक्शन क्यों नहीं मिलने चाहिये अगर कनेक्शन नहीं मिलेंगे तो काश्तकार की क्या मदद करेंगे? कनेक्शन देंगे तो किसान घास पैदा कर सकता है, अनाज पैदा कर सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, सरकार को एक दफे नहीं चौथी बार कह रहा हूं, ये नदियां, जो बाढ़ ला रही हैं, उनको रोक दीजिये उनको रोक कर सूखे इलाके में लाइये, वह बाढ़ से बच जायेगा, अकाल से बच जायेगा। काश्तकारों का, जो पानी जमीन के नीचे चला जाता है उसको बाहर लाकर काफी इलाका बचाया जा सकता है।

(श्री नूरा)

साथ ही मैं घास के बारे में निवेदन करना चाहता हूं/सभापति महोदया, इसमें सरकार को ज्यादा चौकस रहना चाहिये। जब अकाल पड़ता है तो मार्केट के लोग लूटते हैं, बाढ आती है तो लूटते हैं। कई जगह चारे का स्टॉक पड़ा हुआ है उस चारे को वे किस भाव से बेचेंगे आज जो पैसा उसमें फंसा रहे हैं उससे पैसे वाले और अधिक पैसे वाले हो जायेंगे। गरीब का दिल मर जायेगा। इसलिये जहाँ -2 चारे का स्टॉक मिले, सरकार को खरीदना चाहिये और उस इलाके में पहुंचाना चाहिये जहाँ घास की कमी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज गंगानगर के इलाके में घास उगा रहे हैं, आज जिस हालत में काश्तकार हैं उसे कब सरकार घास पहुंचायेगी। अनाज के भाव आज कहाँ पहुंच गये? इसलिये सरकार या तो मुकाबले में उतरे मार्केट में अपनी दुकान लेकर,अपनी होलसेल की दुकानें खोले जिससे जो लुटेरे लोग लूट रहे है उससे बचाने के लिये सरकार को सस्ती कीमत पर कपड़ा, अनाज और जीवनोपयोगी सारा सामान मार्केट में लाकर लोगों को लूटने से बचाना चाहिये।

साथ ही मैं निवेदन करूंगा, जहाँ-2 अकाल पड़ा है वहा छोटे काश्तकारों के कर्जे माफ कर देने चाहिये और साथ-ही उनके जो टैक्सेज हैं, पहले रतनलाल जी बोले थे कि उनका लगान माफ होना चाहिये। मैं कह रहा हूं जितनी दफे अकाल पड़े, उसके वसूलियों की किश्तें नहीं ली जानी चाहिये बल्कि उनकी किश्तें माफ कर देनी चाहिये। छोटे काश्तकारों के कर्जे को बिल्कुल माफ कर देना चाहिये।

अकाल के टाइम में स्कूल के गरीब बच्चों को, उनकी किताबें और दोपहरी का खाना मिलना चाहिए। नहीं तो उनके बाप और माँ कमाकर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसे गाँव जहाँ कम से कम प्राथमिक स्कूल चलते हैं, वहाँ किताबें और भोजन की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिये। वर्ना हमारी आनेवाली पीढियाँ हमें दोष देंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह अकाल राजस्थान सरकार के लिये चुनौती है। अगर सरकार ने सोच रखा हो कि वह कदम नहीं उठायेगी तो जनता आन्दोलन करेगी। जनता आन्दोलन पर उतरेगी। अगर केन्द्रीय सरकार पैसा देने में इन्कार करे तो केन्द्रीय सरकार के सामने धरना देने के लिए मैं और मेरी पार्टी की ओर से निवेदन करूंगा। हम वहाँ से पैसा माँगने के लिए आन्दोलन करेंगे बशर्ते सत्ता में बैठे हुए लोग इसके लिए तैयार हों। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार ऐसा मौका नहीं देगी। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार समय रहते उचित कदम उठायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह बात कह कर, मैंने जो सुझाव दिये हैं, उनकी और सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। उन पर गम्भीरता से विचार करने के लिये निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमेशा यह अकाल रूपी राक्षस आता है। इसको मिटाने के लिये हम गम्भीरता से विचार करें। इसको हमेशा-2 के लिए मिटा दें ताकि इसका हमला फिर नहीं हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सभापति महोदया, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

कई माननीय सदस्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि राजस्थान के पश्चिमी जो 5 जिले हैं उनमें बाढ़ में कहाँ-कहाँ क्या-क्या हुआ है और जो अकाल की विभीषिका है, उसको आप नहीं सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उसके बारे में एक भी विधायक अब तक नहीं बोला है।

श्री सभापति : आपको अपनी बात कहने का समय मिलेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। आप कोई भी व्यवस्था दें।

(व्यवस्थान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

आज सदन के अन्दर अकाल की चर्चा हो रही है। ऐसा अकाल पिछले 50 सालों में कभी नहीं पड़ा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाढ़ नहीं आई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लोगों का कहना है कि पिछले 50 साल में ऐसा अकाल नहीं हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में अब तक जितने अकाल पड़े हैं। हमारे इलाके में भी इसकी गम्भीर चर्चा है अतः इससे यही लगता है कि वहाँ कि स्थिति कितनी गम्भीर है ? दोनों फसलें जाती रहीं। मध्य प्रदेश, यू. पी. की हालत खराब। यू. पी. के 45-46 जिले अकाल में हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने वाले के बीच में नहीं बोलते हैं। माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं जो कह रहा हूं, आप किसी से भी जानकारी करा लीजिये। हमारा सिंचाई का सब पानी खा गये हैं। लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है। 35 हजार एकड़ की सिंचाई होती थी। लेकिन सारा पानी निकाल दिया गया है। यह घोटाला हुआ है। यह मेरा आरोप है। दूसरी बात आप पॉवर कनेक्शन दे नहीं सकते हैं। अगर आपने जनवरी में दिये या फरवरी में दिये। तो मेरा निवेदन है उससे काश्तकारों को नुकसान होगा इसलिये अभी से युद्धस्तर पर जितनी जल्दी बिजली दे सकें उनको बिजली दें। आपकी वाहवाही इसी बात पर होगी। अगर समय पर बिजली मिलेगी तो सरकार की साख रहेगी। यहां कहने में शर्म आ रही होगी यह आपका दिल जानता होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं आपकी सरकार के हाथ मजबूत करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार के सामने माननीय सदस्यों की भावनायें लेकर जायें। अभी जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि आप ऐसा शो करना चाहते हैं कि अकाल में हम इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं मिल रही है। लोग वहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, डीजल के मामले में कि हरियाना को एक्स्ट्रा, यू. पी. और आन्ध्र प्रदेश को एक्स्ट्रा डीजल एलॉटमेंट हुआ है। आई. ओ. सी. वालों ने यह कहा है। पिछले अकाल के मुकाबले में 5 प्रतिशत एक्स्ट्रा डीजल देंगे। जहाँ तक राजस्थान के पूर्वी जिलों का सम्बन्ध है, वहाँ का एरिया ऐसा है, अण्डरग्राउन्ड वाटर मौजूद है। आपके

Page No.108

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पास डीजल है नहीं फिर पम्प कैसे चलेंगे। धौलपुर, जिला भरतपुर की सबसे बुरी हालत है। वहाँ 12-13 मील पर यू. पी. लगा हुआ है। यू पी. से डीजल मिलता है। मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में डीजल के भाव यू.पी. से ज्यादा हैं। 8 या 9 पैसे का फर्क पड़ता है इसलिये बहुत से लोग यू.पी. से जाकर खरीदते थे। वहाँ अब राशन हो गया है। जब कि 50 प्रतिशत भरतपुर जिले को सप्लाई होता था। अब वहाँ से डीजल मिलना बन्द हो गया है। लोग तीन-तीन, चार-चार दिन तक खाना बाँध कर पैट्रोल पम्प पर पड़े हुए हैं। उनको डीजल नहीं मिल रहा है। मैं आपको निवेदन करूंगा जितने एफर्ट्स हो सकते हैं, वह किये जायें। राजस्थान में पानी है। वहाँ आपको अधिक से अधिक डीजल सप्लाई करना चाहिए। पानी होते हुए भी अकाल से भूखों मर जायें तो इससे बड़ी और शर्म की बात क्या होगी। आपको पता है, राजाखेड़ा में कांग्रेस सरकार के जमाने में ट्यूब वैल खुदे थे। वहाँ पर अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड के कर्मचारी हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा। और अगर इसलिए आप यह मानकर चलते हैं कि मैं विरोधी दल का एम.एल.ए. हूं। इसलिए कोई बात नहीं माननी और इसी कारण मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन यह सत्य है कि वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, वे जोधपुर हैड आफिस से अपाइण्ट होकर आते हैं। वह जनता को परेशान करते हैं। उनका कहना है कि अगर शिकायतें होंगी तो हम वापिस ट्रांसफर होकर चले जायेंगे। राजाखेड़ा से हरसाल चौथ बंधी हुई है। उनको रुपया दो तो काम चलेगा। नहीं तो आपका कोई काम नहीं होगा। जोधपुर में राजाखेड़ा से, एक पूर्वी कोने में और एक पश्चिमी कोने में, रिपेयर होने के लिए वहाँ सामान जा रहा है क्योंकि वहां कोई वर्क शॉप नहीं है। एक ए. ई. एन. को हमने पोस्ट करवाया था उसको भी अलवर भेज दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।

फूड फार वर्क के तहत काम शुरू कराए जायें, उसमें वेजेज दूसरे होंगे और रिलीफ वर्क्स में वेजेज दूसरे होंगे, दोनों को वेजेज आपने एक नहीं किए तो लोगों में निराशा होगी, इसलिए इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

बाढ़ की चपेट में जो जमीन आई वह सब बेकार हो गई, उस पर रेत की सतह जम जाती है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि उस इलाके का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। दो साल के शासन में, अन्त्योदय योजना।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आप कुछ सफल हुए हैं, अधिक सफल नहीं होने का कारण यह रहा है कि आपने कोपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स को कमजोर कर दिया और कामर्शियल बैंक्स पर निर्भर हो गए इसलिए आपकी सरकार इसमें पूरी तरह से असफल रही है लोन लेने में। जो आपने पिछले दो सालों में कापरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स में उथल-पुथल की है उससे आपकी रिकवरी नीचे गिरी है, आप पी.एल.डीपो के फीगर्स देख लीजिये। रिकवरी नहीं होने से उनकी एलिजेबिल्टी नहीं बनी और लोग मारे-मारे डोल रहे हैं। लोग डीजल सैट लेना चाहते हैं लेकिन पैसे देने की स्थिति में नहीं हैं, आपको रिजर्व बैंक से बात करनी चाहिए और उनके क्रेडिट लिमिट बढ़ा कर पैसा लेना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सीमेन्ट की समस्या हो रही है, दो साल पहले तो सीमेन्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, आपको इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे जिले के लोगों ने पचास वर्षों में पहली बार इस प्रकार का अकाल देखा है, आप दलगत नीति से उठकर अधिक से अधिक राहत काल खोलने की कृपा करें।

श्री सभापति : इससे पहले कि मैं श्री जयनारायण सालोदिया का नाम पुकारूं, एक सूचना सदन को देना चाहूंगी, गंगानगर, जोधपुर और जयपुर नगर परिषद् के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया था उस पर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी 8 तारीख को वक्तव्य देंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय ?

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन की बैठक का समय दो घण्टे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय पौने सात बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : निर्धारित समय से दो घण्टे तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है।

श्री सभापति : सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

माननीय श्री जयनारायण सालोदिया।

राज्य में बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): सभापति महोदया, मेरे पूर्व वक्ताओं ने चाहे इधर के बैठने वाले हों अथवा उधर बैठने वाले हों, सबने अकाल और बाढ़ की भयंकर स्थिति को स्वीकारा है, चिन्ता व्यक्त की है और उसके लिए सुझाव दिया है लेकिन माननीय सभापति महोदया, सरकारी रुख इस चिन्ता के प्रति, सदस्यों की चिन्ता के प्रति कुछ उदासीनता का रहा है। जितनी चिन्ता और जितनी व्यग्रता माननीय सदस्यों में है उतनी तत्परता, उतनी जिम्मेदारी और उतनी लगन, उतनी कार्यशीलता सरकार में दिखाई नहीं देती। सरकार वही पुराने ढर्रे पर चलना चाहती है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को भी सरकार अन्य कार्यों की तरह टालना चाहती है। भाषण देकर, घोषणाएं करके एक-दूसरे पर आक्षेप करके सरकार लोगों को चुप करना चाहती है, मैं सरकार से भगवान के लिए प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को जिसमें आज राजस्थान का हर व्यक्ति चाहे वह झोपड़ी में बैठा हो, चाहे किले में हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो या मर्द हो, हर व्यक्ति चिन्तित है, सरकार के प्रति, सरकार को जिम्मेदारी के साथ इस विषय को लेना चाहिए, सोचना चाहिए और सोचना ही नहीं चाहिए उसके प्रति उसी लगन और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। सरकार अभी जवाब देगी, जवाब देती है, जवाब देती रहेगी लेकिन उससे

Page No.110

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उस गरीब का पेट नहीं भरेगा, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे झोंपड़ी में बैठे हुए गरीब व्यक्ति का पेट भरे, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उस गरीब को जिन्दा रहने की गारण्टी दी जाय। सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए उस गरीब की हिम्मत नहीं टूटे और वह पलायन नहीं करे। माननीय सभापति महोदया, सभी सदस्यों ने यह मन्जूर किया है कि ऐसा अकाल गत पचास वर्षों में कभी नहीं आया। मैं भी उनके विचारों से सहमति व्यक्त करता हूं। मुझे डर है कि लोग काम के अभाव में कहीं पलायन न कर जायें। वो गरीब लोग जिनमें ज्यादातर अनुसुचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, जो खेती का सप्लीमेण्टरी काम करके अपना गुजारा करना चाहते हैं, वे किसान, वे खेतीहर मजदूर आज महीनों से बेकाम बैठे हैं और वे राजस्थान से पलायन करना चाहते हैं. वे जा रहे हैं, राजस्थान छोड़कर जा रहे हैं, गाँव खाली हो रहे हैं। आज सभापति महोदया, इस स्थिति को भी सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। वो गरीब तबका, वो मजदूर, वो गरीब किसान, वो अनुसूचित जाति और अनु-सूचित जन-जाति के लोग गाँव खाली करके चले जायेंगे, दो महीने बाद आपका इलेक्शन होगा और वे लोग वोट से वंचित हो जायेंगे, उनका प्रतिनित्व नहीं होगा। व्यापारी और पैसे वाले मालदार लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, उनके वोटों से सरकारी प्रतिनिधि चुने जायेंगे, गरीब लोग वोटों से वंचित हो जायेंगे इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कृपया ऐसा मौका नहीं आने दें और उस गरीब को भी अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका दें। अगर आप राहत कार्य जल्दी नहीं खोलेंगे, अगर आप उनको काम पर नहीं लगायेंगे, अगर उनको रोटी-रोजी की गारंटी नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन कितने दिन आदमी जिंदा रहेंगे, उनको जिदा पायेंगे और उसका असर चुनाव पर होगा। चुनाव में जो जाने वाले प्रतिनिधि हैं, उन्हीं लोगों का होगा जो मालदार लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, जो अपनी स्थिति को बचाए रखना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदया, जहाँ काम चल रहे हैं, हम अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं, मैं कल ही अपने क्षेत्र से आया हूं, मैंने जानकारी की, अभी गश्त गिरदावरी चल रही है, गश्त गिरदावरी का टोटल होगा उसकी रिपोर्ट तहसील में आएगी, तहसील-दार के यहाँ से कलेक्टर को जायेगी। वहाँ जिला कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें एप्रूवल होगा, फिर राज्य सरकार के पास आएगी, राज्य सरकार उस पर मंजूरी देगी, फिर इसी मन्थर गति से योजना वापस जाएगी। जब तक आपकी योजना गाँव में पहुंचेगी और जब तक आपके काम की शुरूआत गाँव होगी तब तक गाँव का गरीब नहीं होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी तरह से सरकार चलाते हैं, आपके पास मशीनरी है कि आप किसी भी तरह से मशीनरी को आदेश दें कि वह विदिन-ए-वीक इस सारे प्रोसीजर को पूरा करें और विदिन-ए-वीक आपके हर गाँव में राहत कार्य शुरू हो जाने चाहिए। तब तो कोई चीज होगी। अगर आपने दीवाली के बाद गाँवों में जाकर और खाली झोपड़ियों में जाकर घोषणा की तो कोई फायदा नहीं होगा।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

सभापति महोदया, इसी के साथ-साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह देवी प्रकोप है और हर देवी प्रकोप में चाहे अग्नि से हो, चाहे पानी से हो और चाहे अन्य कारणों से हो, हम उससे प्रभावित लोगों को मुआवजा देते हैं। अभी बाढ़ की स्थिति आई, कुएं खोदने के लिए 5 हजार की सबसिडी दी, 5 हजार का बिना ब्याज लोन दिया। जैसी कि जानकारी मिली है या देंगे या देने की योजना है। किसी के घर बरबाद होंगे उनको पैसा देंगे तो फिर कोई कारण नहीं कि सूखे के कारण किसान की फसल बरबाद हो गई, उसको सरकार क्यों नहीं मुआवजा देती। मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग करता हूं कि सूखा पड़ने में किसान का कोई दोष नहीं है, किसान ने उस जमीन को बोया है, 6 महीने मेहनत की है, उसने बीज डाला है, उसने सारे काम किए हैं, उसके बाद देवी प्रकोप से उसकी फसल सूख गई है, खतम हो गई है, उस किसान को उस फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं और सरकार को सुझाव देता हूं कि देवी प्रकोप के कारण जिसका नुकसान होता है, हम उनको मुआवजा देते हैं, फिर जब सूखे के कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसका भी किसान को मुआवजा मिलना चाहिए. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इस भयंकर अकाल के जमाने में अनाज व चारे की अभी इतनी कमी नहीं हुई, 15 दिन बाद ऐसी भीषण समस्या आने वाली है, यह सरकार को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सरकार जब भी आग लगेगी तब कुआ खोदने की स्कीम जो सरकार की है, यह कतई गलत है। आग लगेगी उसके बाद में कुआ खोदना चाहेंगे, हम पहले से आपको संचेत करना चाहते हैं। हमारी जानकारी में है हम लोगों से मिलते हैं, गांवों में घूमते हैं, जानकारी हैं, 15 दिन के बाद अकाल की भयंकरता और बढ़ेगी, चारे की, पीने के पानी की और अनाज की समस्या और बढ़ेगी, विकट समस्या होगी इसलिये सरकार को पहले से ही मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था, आदमियों के लिए सस्ते अनाज की दुकानों की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, इस तरफ से सरकार को सचेत रहना चाहिए, पहले से ही ऐसे कामों सर्वे कराना चाहिए और ज्योंहि अभाव की स्थिति कहीं हो तुरंत अभावकी पूर्ति के लिए सरकार को तत्पर रहना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके मध्यम से सरकार से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, यह भयंकर स्थिति अकाल की है लेकिन इसमें भी आपकी सरकार उदासीन तो है ही लेकिन उससे ज्यादा आपकी अफसरशाही के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अभी इसको कोई समस्या ही नहीं समझ रहे हैं न उसके समाधान के लिए तत्पर हैं। आप उस नौकरशाही पर डिपेंड करते हैं, क्या पटवारी की रिपोर्ट आयेगी, तहसीलदार की क्या रिपोर्ट होगी, कलेक्टर साहब की क्या व्यू होगी, उस पर आप डिपेंड करते हैं, वे लोग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं वे लोग उदासीन ही नहीं हैं। वे लोग सरकार से अपना बेजा फायदा

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उठाना चाहते हैं। राजस्थान में एक कहावत है इस तरह के लोग हैं। अकाल में कुछ भी हो अकाल से वे फायदा उठाना चाहते हैं। वे कोई एयर कन्डीशन में कमी नहीं रखना चाहते हैं और एयर कन्डीशन के नीचे रहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण करें। मैं आफीशियली गैलरी में काफी देर से देख रही हूं इस तरह से खड़े-खड़े पता नहीं क्या हो रहा है? आफीसर्स गैलरी की व्यवस्था होती है, जो पूछना होता है बैठकर पूछते हैं। कम से कम 20 मिनिट हो गये हैं, खड़े-खड़े पता नहीं क्या देखा जा रहा है आफीसर्स गैलरी में। इस सदन में परम्परा रही है कि जो कुछ करें बैठकर करें, इस तरह से खड़े होकर अव्यवस्था न फैलायें। माननीय सदस्य अपना भाषण शुरू करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : दो बातें निवेदन करना चाहता हूं जो इसी से सम्बन्धित हैं। अकाल की भयंकर स्थिति है उसमें डीजल और बिजली भी योगदान कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप 13 मिनट बोल चुके हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : दो मिनट और, आपकी मेहरबानी होगी।

श्री सभापति : एक मिनट में भाषण समाप्त करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : दो मिनिट। बिजली व डीजल पर बोलना है सभापति महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मैं समझता हूं राजस्थान के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में डीजल की समस्या है। एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है, किसान की जमीन में जो बाजरा व ज्वार की फसलें थीं, नष्ट हो गई। दूसरी तरफ आपके पास मक्की के कोई पेड़ नहीं हैं, चारा पैदा करना चाहते हैं तो डीजल नहीं मिलती है। 3–4 दिन बैठे रहते हैं उनको डीजल नहीं मिलती। अगर मिलती है तो ब्लैक में मिलती है। आप यह कहेंगे कि डीजल अखिल भारतीय समस्या है, हम क्या करें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं यह राष्ट्रीय समस्या नहीं है यह व्यवस्था का प्रश्न है, आपकी व्यवस्था नहीं है। इसलिए उनको डीजल नहीं मिलती है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कमी हो तो ब्लैक में क्यों मिल रही है? हमारे नाक के सामने कहकर ले जायं कि मैं दुगुनी कीमत पर डीजल ले जा रहा हूं तो फिर डीजल कहां से आ रही है। डीजल की कृत्रिम कमी बना रखी है और ब्लैक करने वालों ने बना रखी है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप चैक-अप करें, खाद्य मशीनरी को स्ट्रांग करें और उनसे कहें कि कृपया इस अकाल के समय में इस तरह से बेजा मुनाफा को कम करें। उस गरीब किसान को जिसको पहले ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उसको डीजल के संबंध में परेशान मत कीजिए। इसी तरह से जिन लोगों ने बिजली के कनेक्शन्स लिए उनको समय पर बिजली नहीं मिलती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। आज सभापति महोदया, स्थिति यह है कि कर्मचारी किसी की सुनता ही नहीं है। आप अगर पैसा देते हैं तो आपसे बात करेंगे अन्यथा आपसे न बात करेंगे और न ही आपकी कोई बात सुनेंगे। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से विद्युत मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विद्युत विभाग के

(श्री जयनारायण सालोदिया)
कर्मचारी तो ऐसे हैं जो कि बिना पैसे तो बात करना पसन्द ही नहीं करते। अगर पैसा कोई नहीं देता है तो स्थिति यह होती है कि आगे-आगे आपके कर्मचारी पीछे-पीछे बेचारे किसान बोलते रहते हैं। आज किसान जाता है तो आपके कर्मचारी एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं सारी व्यवस्था खराब हो गयी है और काश्तकार बहुत परेशान हैं?

सभापति महोदया, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गाँवों में किसानों ने जिन लोगों से बिजली के लिये अर्जियां दी थीं उनको आज छः-छः माह हो चुके हैं उन्हें कोई बिजली नहीं मिली है। इतना ही नहीं जिन लोगों ने एल फोर्म भर दिये हैं सारी फैसीलिटीज पूरी हो चुकी हैं पर उसके बावजूद भी उनके कुओं पर बिजली के कनैक्शन नहीं दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आखिर उन लोगों ने क्या नहीं किया है कि जिससे आप उन लोगों को बिजली का कनैक्शन नहीं दे रहे हैं। सभापति महोदया, अगर उपभोक्ता बिजली के बिल का पैमेन्ट करने में दो घन्टे देरी कर देता है तो आपका बिजली विभाग उस उपभोक्ता पर पैनल्टी लगा देता है उपभोक्ता अगर समय पर पैसा नहीं जमा कराये तो आपका विभाग उसका कनैक्शन काट देते हैं। लेकिन उपभोक्ता ने तीन-तीन महीने पहले पैसे जमा करा दिये हैं एल फार्म तक जमा करा दिया लेकिन आपका विभाग कुछ भी नहीं कर रहा है। जबकि होना यह चाहिये कि जब एल फार्म जमा करा दिये वहाँ पर 24 घन्टे में कनैक्शन दे देना चाहिये। लेकिन यहां पर तीन-तीन महीने हो गये हैं एल फोर्म भरके दिये हुए लेकिन अभी तक उन्हें बिजली के कनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया बैठिये। आप समाप्त करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो सभापति महोदया, इस प्रकार काश्तकार आज बर्बाद हो रहा है। इसलिये मैं राज्य सरकार को यह कहूंगा कि आप किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचावें उन्हें कुओं पर बिजली के कनैक्शन दें बस इन्ही शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदया, हमने भी स्थगन प्रस्ताव अकाल व बाढ़ संबंधी दिये हैं। हमारा नम्बर कब आयेगा?

श्री सभापति : आप तो माननीय सदस्य अभी सदन में आये हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदया, मैं तो कल से निवेदन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : सभापति महोदया, मैं जालोर जिले में ....

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदया, जयपुर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और उसके लिये भी आप हमें

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)
वहां के काश्तकारों की समस्याओं के लिये समय नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : सभापति महोदया, हमें भी समय मिलना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, हमें पांच-पांच मिनट तो मिलना ही चाहिये।

श्री एच. एन. शर्मा : सभापति महोदया, चूंकि माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं वह कोटा डिविजन के हैं और कोटा डिविजन के ही मुख्य मन्त्री महोदय हैं इसलिये कोटा डिविजन के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाय वहां पर कोई अकाल नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदया, आज सदन में अकाल और बाढ़ की समस्या के बारे में चर्चा चल रही है मैं भी जालोर जिले में अकाल और बाढ़ की समस्या के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदया, हमारे जालोर का यह दुर्भाग्य रहा है कि वहां पर भयंकर अकाल की व बाढ़ की विभीषिका रही वहां पर पांच-पांच दिन तक लोग भूख और प्यास से तड़पते रहे और वहां की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गयी उसके लिये जो समय हमें दिया गया है वह बहुत ही थोड़ा है। अभी जब सदन का समय दो घन्टे के लिये बढ़ाया गया अगर मुझे अकेले को एक घन्टा बोलने के लिये दिया जाता तो मैं जालोर जिले की अकाल व बाढ़ की जो विभीषिका वहां घटी उसका कुछ वर्णन करता।

श्री सभापति : आप अकाल की विभीषिका पर ही कहें उसकी भूमिका नहीं बनायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदया, मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं। सभापति महोदया, मैं पूनिया साहब को लेकर 25 तारीख को जालोर गया वहां पर उन्होंने बाढ़ का निरीक्षण किया वह वहां पर दो-तीन दिन तक लोगों के पेड़ों पर रहे गांवों में भी गये। उसके पूर्व में कृषि मन्त्रीजी कालवी साहब भी वहां पर आये वहां पर तारीख 24 को आधा घन्टा तक रुके। इसके अलावा माथुर साहब भी आये थे वे भी आधा घन्टे रुके इस प्रकार 20 तारीख को हमारे कांग्रेस (आई) के नेता श्री परसराम जी मदेरणा ने भी मुख्य मंत्रीजी के साथ हवाई जहाज से वहां पर आकर बाढ़ का सर्वेक्षण किया। सभापति महोदया, मैंने जालोर जिले में अकाल व बाढ़ की विभीषिका के बारे में मुख्य मन्त्री जी को एक नोट भी बना कर भेजा है। सभापति महोदया, 18 तारीख को बाढ़ आई उसमें 25 गांवों में ऐसी बाढ़ आई कि 43 गांव बिलकुल डूब गये। सभापति महोदया, बाढ़ आने के पहले वहां पर दिनांक 4-7-79 को नियंत्रण के बारे में जिले में बैठक हुई थी और उसमें यह चर्चा हुई कि बाढ़ का मुकाबला किस प्रकार किया जाय। सभापति महोदया, राज्य सरकार ने एक सतर्कता समिति बना रखी है जो कि सचिवालय में भी एक सेपरेट शेल बाढ़ व अकाल के लिये क्रियेट किया हुआ है। सभी जिला स्तर पर बनाई हुई हैं। हमने उस सतर्कता समिति में कलेक्टर साहब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

को इसके लिये एक महीने पहले ही आगाह किया और कलेक्टर साहब को यह कहा कि आप बाढ़ के लिये सचेत रहें। यह भी उन्हें बताया कि सन् 1973 के अन्दर भी जालोर में भयंकर बाढ़ आयी थी उस वक्त 63 गांव पानी में डूब गये थे। आप पहले की फाइल देखें कि उस समय किस प्रकार राज्य सरकार ने बाढ़ की समस्या को निपटाया था। मैंने कलेक्टर से कहा कि आप उस फाइल का अवलोकन जरूर कर लें। लेकिन सभापति महोदया, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर फाइल ही नहीं मिली। जब बाढ़ आयी तो हमने सरकार से इसके लिये मांग की कि सभापति महोदया, बाढ़ इतनी जोर से आयी कि आप उसका अन्दाज नहीं लगा सकते। सभापति महोदया, दिनांक 4-7 को तो कुछ भी बात नहीं थी वर्षा के आसार नहीं थे। लेकिन 13-14-15 को लूनी के केचमेन्ट एरिया में बरसात हुई। हमारे वहां तो तारीख 7 तक कोई पानी की एक छांट भी नहीं पड़ी थी। लेकिन लूनी के कैचमेन्ट में बरसात आने से पानी आना शुरू हुआ। और इसके लिये आल इन्डिया रेडियो पर मैंने सूचना दी मुख्य मन्त्रीजी को भी इत्तिला दी हालांकि मुख्य मन्त्रीजी उस वक्त यहां नहीं थे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इत्तला दी, राजस्व विभाग के अधिकारियों को इत्तला दी। आपके सचिवालय में जो शेल क्रियेट किया हुआ है, वहां पर इत्तला दी। मुख्य मन्त्री जी तो चूंकि यहां पर नहीं थे दिल्ली गये हुए थे ऐसी हमें जानकारी मिली थी। हो सकता है कोई काम गये हुए होंगे और वैसे काम हो तो जाना भी पड़ता है और जाना भी चाहिये। लेकिन जब हमने सभी क्षेत्रों के अधिकारियों को इत्तला दी पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि रिलीफ डिपार्टमेन्ट को तो कम से कम कुछ स्टेप्स इसके लिये लेना ही चाहिये थे। रिलीफ डिपार्टमेन्ट को कम से कम थोड़ी कामन सेन्स तो काम में लेनी चाहिये थी किस तरह से पानी बह रहा होगा और कितना नुकसान हो रहा होगा पर किसी ने कुछ भी नहीं किया मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर वह पता तो लगायें कि किन-किन विभाग की गफलत से यह नुकसान हुआ है। क्या आपके सिंचाई विभाग के अधिकारियों की गफलत से हुआ या राजस्व विभाग की गफलत से हुआ या सचिवालय में आपके जो अधिकारी बैठे हैं उनके समय पर स्टेप्स नहीं लेने की वजह से हुआ और सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इसके लिये आप एक आयोग बैठायें वैसे भी मुख्य मन्त्री जी आप आयोग के गठन करने में काफी माहिर हैं आप इसके लिये आयोग बैठा कर इसकी जांच करायें और इसमें जो दोषी अधिकारी हों, उनके खिलाफ में कार्यवाही सख्त से सख्त की जाय। सभापति महोदया, हमारे उधर करीब 450-500 लोग बाढ़ से मर चुके हैं। मुझे याद है कि इसी सदन में मुख्य मन्त्री जी जब इधर बैठते थे तब कभी बाढ़ या अकाल से दो तीन आदमी ही अगर मर जाते थे तो यहां पर घन्टों सदन में बोला करते थे। और यह भी कहते थे कि सरकार को इसके लिये इस्तिफा दे देना चाहिये। सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे कांग्रेस सरकार में एक रेल का एक्सीडेन्ट हो गया था उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मन्त्री थे उन्होंने उस दुर्घटना के बाद मंत्री पद से इस्तिफा दे दिया था। अब यहां पर 450-500 आदमी मर गये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि आप इसके लिये आयोग का गठन करें और उसके लिये जांच करायें कि दोषी कौन हैं? यह किसकी गफलत से हुआ है? सभापति महोदया, अभी तक राज्य सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। इसके अलावा सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर उस समय ऐसी स्थिति थी कि सभी हमारे जालोर जिले के अधिकारियों के ट्रांसफर्स कर दिये गये थे। वहीं के कलेक्टर को ट्रांसफर कर दिया, डिप्टी डी. डी. ओ. को ट्रांसफर कर दिया, एस.डी.एम. को ट्रांसफर कर दिया, तहसीलदार, सांचौर तक को ट्रान्सफर कर दिया गया। कोई सुनने वाला ही नहीं था। इसलिए बाढ़ से आदमी मर गये। कोई जिम्मेदार आफिसर नहीं था। बस एक तहसीलदार जालोर था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप पुनः स्पष्ट करें कि यह ट्रांसफर आर्डर्स 15 तारीख से पहले के हैं या 16 तारीख के बाद के हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जुलाई के पहले सप्ताह में ही आर्डर्स हुए थे और वे आफिसर्स रिलीव होकर, बाढ़ आने पर चले गए। श्री पुरुषोत्तम जी जानते हैं और मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं कि पहले ही कलेक्टर चतुर्वेदी जी ने जाकर सवाई माधोपुर में ज्वाइन कर लिया ....

श्री रघुनन्दन व्यास : लेकिन नये कलेक्टर ने आते ही सांचौर में अपना कैम्प लगाया था। ट्रांसफर का तो संबंध बाढ़ से रहा नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं यही कह रहा हूं कि कलेक्टर वहां पर नहीं थे और फालना में नये कलेक्टर को रुकना पड़ा पहले वे फियेट कार द्वारा जा रहे थे, अजमेर के आस-पास उनकी कार फंस गयी और अजमेर में जाकर छोड़ी फिर ट्रेन से फालना तक आए और वह भी आखिरी ट्रेन थी। उसके बाद ट्रेन भी नहीं गयी, फालना पहुंचे। जिस दिन कलेक्टर ने ज्वाइन किया वह उसी दिन साँचौर जाकर बैठ गया—यह सच है और उसके बाद कलेक्टर एस.डी.एम., भीनमाल ने टीम लेकर तत्परता से कार्य किया। आल इन्डिया रेडियो में भी हमने कहा है। हमने ड्रामा रिकार्ड करवाया है। वह तो हुआ लेकिन उसके पहले सतर्कता बरती जाती तो यह ड्रामा नहीं होता, इतने लोग नहीं मरते। मैंने रिलीफ कमिश्नर, श्री शेरसिंह जी से कहा कि हैलीकोप्टर का स्टेशन साँचौर में रखो। वहाँ मिलिट्री का हेली पेड बना हुआ है। पहिले बाढ़ में 1973 में स्टेशन रखा था और फ्युअल का एज ए स्पेशल केस साँचौर में इन्तजाम पहले किया था। लेकिन इस वर्ष एयर फोर्स के आफिसर्स ने मना कर दिया कि उत्तरलायी से आपरेट करेंगे क्योंकि साँचौर में फ्युअल की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार बैठकर बात करती तो साँचौर के अन्दर हैलिकोप्टर का स्टेशन तय हो जाता और उत्तरलायी नहीं होता तो बाड़मेर में इस तरह लोग पाँच-2 दिन तक बाढ़ में नहीं फंसे रहते और यहाँ तक कि औरतों की डिलीवरी भी पेड़ के ऊपर हुई है। पहले उस औरत को खेजड़ी के पेड़ पर चढ़ाया, फिर उसका माचा चढ़ाया और फिर डिलीवरी करने वाली औरत को चढ़ाया और डिलीवरी कराई। माननीय मंत्री श्री जयनारायण जी पूनिया से मिले थे। इस तरह की गम्भीर बात है। वहाँ की विभीषिका के बारे में एक घंटा वर्णन करूं तब न्याय हो सकता है लेकिन समय इतना नहीं है।

श्री सभापति : आप यह बता दें कि बच्चा कहीं नीचे पानी में बह जाता तो सरकार की बदनामी नहीं होती ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : खेजड़े पर औरत का बच्चा बचा है । औरत भी जिन्दा है और बच्चा भी जिन्दा है । ऐसा अचानक पानी आया और 16 तारीख की सुबह 5 बजे साँचौर में पानी एन्टर हुआ, और उसके बाद 4 विलेजेज बाढ़ के पानी की डूब में आ गये । वहां के 18 आदमी डूबे और चिल्ला-2 कर डूबे और एप्रोच नहीं हुआ, हैलीकोप्टर से राशन तो जरूर गिर रहा था लेकिन हैलीकोप्टर को यह इन्सट्रक्शन्स नहीं थीं कि डूबे हुए लोगों को बचायें । नीचे से चढ़ाकर 300 आदमियों को सांचौर हायर सैकन्डरी स्कूल में रखा था सन् 73 में । मैं इस बात को मानता हूं कि 15 दिन, महीने भर राशन जरूर दिया, आपने राशन, जरूर दे दिया है बाढ़ पीड़ित लोगों की व्यवस्था भी जरूरी की है लेकिन पानी उतरने के बाद तो रोटियां, ढाणियों में लोगों ने खिलाई हैं और 15-15 और 20-20 दिन खिलाई हैं उसका प्रचार नहीं किया है ।

श्री टीकम चन्द कान्त : लोगों ने यह भी स्वीकार किया है कि....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय टीकमचन्द जी कांत माननीय मुख्य मंत्री जी, अकाल और सहायता मंत्री को पूरा अवसर मिलेगा कि वे अपने तथ्यों को प्रकट करें और विस्तार है सारे केस के बारे में है । मैं समझती हूं कि आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है । आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा कहना यही है कि अगर हैलीकोप्टर का स्टेशन सांचौर होता और हैलीकोप्टर के जरिये पेड़ों पर बैठे हुए आदमियों को बचाकर दूसरे स्थानों पर बैठा दिया जाता तो यह 18 आदमी नहीं मरते । यह तो सांचौर का एक का ही मामला है बाकी और कई जगह मरे हैं । बालोतरा में पक्के मकानों में पानी आ गया । आदमी और औरतें चिल्ला-चिल्ला कर पानी में चली गयीं । ट्रैक्टर कई बह गये और दूसरा सामान बह गया । पालनपुर कलैक्टर के यहां नुमाइश लगी हुई है ट्रैक्टर्स की, उसका कोई क्लेमेन्ट अभी तक नहीं पहुंचा है । मेरे ख्याल से क्लेमेन्ट मर गया होगा । इतना सामान गया कि बेहद । कुछ सरकार की तरफ से गफलत रही और सरकार इन्तजाम नहीं कर पाई । इसलिए इतना नुकसान हुआ ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसके बाद जो नुकसान आंका है सरकार ने वह 86341 लाख रुपये का है । सरकार नुकसान का आंकड़ा पूरा इकट्ठा नहीं कर पायी है । ये आंकड़े सही नहीं हैं । कई करोड़ रुपये की खातेदारी की जमीन खराब हो गयी । वह भी उसमें आंकड़े आते चाहिए । सही असैसमेंट होना चाहिए । सांचौर के कुछ गांवों में तो अभी लोग पहुंचे हैं । पटवारी अभी तक पहुंच नहीं पाये थे और इसी कारण सही नुकसान का असैसमेन्ट नहीं हुआ है । राहत पहुंची है 267 लाख रुपये की यह तत्परता से पहुंची है और जो भी आपको देना था मुख्य मंत्री फण्ड वगैरह से वह पहुंचा दिया लेकिन वह बहुत कम है ।

वास्तविकता में सारी टीमें 8 पार्टी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के रूप में बाढ़ प्रभावित गांवों में गयी और पक्के मकानों के 300 रुपये और कच्चे मकानों के 100 रुपये और मरने वाले बच्चों के 500 रुपये एवं एक हजार रुपया मरने वाले व्यक्तियों को दिए तो इतना रुपया तो पैट्रोल में खर्च हुआ है। इसलिए जहाँ कहीं देरी हुई उसके कारण यह है कि बाद में आर्डर निकले। केन्द्रीय सरकार के सिंचाई राज्य मंत्री यहाँ आये थे, उनको भी हमने बताया। मैं सभापति महोदया, आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि गुड़ा मालानी सांचौर और बाड़मेर का बाढ़ का एरिया है उसमें जो आपने सहायता का आधार मुकर्रर किया है कि पक्के बेरे डूबे उनको 10 हजार रुपये देंगे। अगर वह आधार रखा तो बाढ़ पीड़ित लोगों को एक पैसा नहीं मिलेगा। हमने उनको भी कहा था कि इस क्षेत्र के लिए दूसरा आधार रखें कि जो पम्पिंग सैट को जमीन पर रखकर खेती करते हैं और पक्के बेरे हैं ही नहीं। यह आप भी जानते हैं कि सब-साइल क्वालिटी का ऊपर पानी है और पहले दिन तो पानी मीठा आता है और दूसरे दिन खारा हो जाता है। 35 फीट नीचे मीठे पानी की लैयर है उससे काश्तकार खेती करते हैं, सांचौर के अन्दर। जिनके खेत खराब हुए हैं, और जिनकी हजारों एकड़ जमीन खराब हो गयी है उनको 10 हजार रुपया प्रति काश्तकार आप दीजिए और बेरे डूब गये या खतम हो गए वह आधार लूनी बैल्ट में लागू नहीं होता इसलिए उनको एक पैसा ही नहीं मिलेगा। आपको दूसरा दृष्टिकोण रखना पड़ेगा कि प्रति खातेदार 10 हजार रुपया पैसा मिलना चाहिए।

सभापति महोदया, दूसरी स्थिति यह है कि बीज देने का सवाल है। आपने कहा था कि आपके क्षेत्र में सोना आ गया। मुख्य मंत्री जी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पानी आने के पहले बरसात नहीं हुई थी इसलिए एकदम पानी थोड़े समय में सूख गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, यही तो मैं कह रहा था कि हमारे जो असली 43 गांवों के लोग डूबे थे उनकी विभीषिका का वर्णन दस मिनट में कैसे होगा। हमारे साथ न्याय नहीं होगा और वास्तविक स्थिति हम इतने समय में नहीं रख पायेंगे।

श्री सभापति : आपने 5–5 पर बोलना शुरू किया था। आप घड़ी देख लें। फिर भी आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा समय और दे सकती हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं बैठ जाता हूं। मुझे बोलने का शौक नहीं है। मुझे तो स्थिति का वर्णन करना है। पूनिया जी ने कहा कि आप सुझाव दें तो मैं सुझाव दे रहा हूं। क्योंकि समय दो घंटे बढ़ा है तो एक घंटा और भी बढ़ाया जा सकता है परन्तु इस बारे में ही बोलना है।

श्री सभापति : आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप उसका अन्दाजा नहीं लगा सकते। जो भुक्तभोगी हैं वही कह सकता है। जिसको घाव होता है उसी को दर्द होता है आपको इसका क्या है।

श्री सभापति : आप अपनी बात तो कहें आसन पर आरोप मत लगाइये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । आप भी काश्तकार हैं इसलिए मैं आपके उस दर्द का अनुभव कर रहा हूं कि क्या दर्द होता है पीड़ित लोगों को ? तो पक्के मकानों वालों को 300 रुपया और आंशिक क्षति वालों को 100 रुपया दिया है जो तत्परता से दिया है, वह तो बहुत ठीक है परन्तु राहत कम दी है । हजारों लोगों का सामान चला गया । सैंकड़ों क्विंटल गेहूं भी पानी में चला गया 300 रुपया एक मुश्त सब मकान वालों को दे देते तो अच्छा रहता । 300 रुपये बहुत कम लोगों को दिया गया है । ज्यादातर लोगों को 100 रुपये ही दिये हैं ।

दूसरा सरकियां वगैरह बांटने की बात लिखी है । 15, 20 आदमियों को ही सरकियां मिली हैं बाकी मिलने के लिये आश्वासन दिया गया है वह अभी तक मिली नहीं हैं । जो जमीन ऊंची थी वे पानी ले गये जो ऊंचे खेत आये हुए हैं उनको पैसा देकर ठीक कर लें । अभी से उस भूमि को आबादी से कन्वर्ट करके बसने के लिए लोगों को दीजिये वरना 91 के केसेज बाद में कायम होंगे और लोग परेशान होंगे । आपको इस बारे में सोचने की आवश्यकता है ।

सांचौर में करीब 79 लाख के बांधों के काम हुवे थे वह सारे बांध पानी में बह गये । पूनिया साहिब को सुझाव देना चाहता हूं उस क्षेत्र में जो बन्धे क्षतिग्रस्त हुए हैं अगर बांधों पर वापिस काम शुरू करदें तो अभी लेबर वहां लग सकेगी वरना बाद में लेबर पालनपुर में बन्धों पर काम करने चली जायगी । पिछले दो साल से हमारे एरिया में अकाल पड़ रहा है 76-77 में जो एरिया अकालग्रस्त घोषित हुआ उसमें कोई काम नहीं हुआ । माननीय मंत्री जी आप बहुत सीधे और ऐसे लगते हैं शक्ल से । आपको मुख्य मंत्री जी अगर सहयोग देकर कोई अकाल का इंतजाम करदें तो कोई पता नहीं मगर लोगों को विश्वास नहीं है कि सरकार काम कर पायेगी या नहीं । आपने ऐसे आयोग पहले गठित किये हैं सरकार अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं । कुछ तो रिस्क आपको लेना पड़गा लोग भूख से नहीं मरें । जो लोग बदमाशी करें उनको आप दण्ड दीजिये । काम के बदले योजना में अभी तक कई कामों के लिए अनाज नहीं दिया गया है । 5-7 रोज लेबर लगा कर फिर डिस्बेण्ड कर दें इस तरह से काम चलने वाला नहीं है ।

परसराम जी मदेरणा जब मंत्री थे तब कोई राजनैतिक भेद भाव नहीं रखा । सारी जनता को काम पर लगाये रखा । आपको भी इसी तरह से लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा । हालात को ध्यान में रखकर आप अभी से तैयार करके काम नहीं करेंगे तो इस तरह से काम होने वाला नहीं है । राजनैतिक तौर पर हम भी नाजायज फायदा नहीं उठायेंगे । अगर काम सही किया है तो सही कहेंगे अगर गड़बड़ी कोई करता है तो हम आपको एक्सपोज करेंगे । आप भी इधर बैठते थे तो ऐसा ही करते थे । मैं अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । तीन साल से ऐसा हो रहा है 30–8 को आपने सहकारी लोन बन्द कर दिये सब जगह वसूलियाँ हो रही हैं । वहां लोगों की माली हालत ऐसी नहीं है कि पैसा दे सकें । इसलिये आपकी मार्फत चाहूंगा जो कुछ इन्तजाम किया है बहुत कम है । माननीय व्यास जी ने कहा कि बुल-डोजर्स से खेतों की रेत उठायें यह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कुदरत का काम वह कुदरत ही करेगी। दुबारा नदी आयेगी तो ही ठीक होगा। बुल-डोजर्स से काम होने वाला नहीं है। 10 हजार रुपये प्रति काश्तकार आप दें तो लोग अपना काम करेंगे नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदया, अभी आपको वसूलियां स्थगित करनी चाहियें, हमारा कोआपरेशन लो। आपने जो हरिजनों की छात्रावास की सीटें दी हैं वह बहुत कम हैं। यह क्या कि हमारे पास प्रावधान नहीं है। 30 लड़कों का क्या प्रावधान होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वे लड़के स्कूलें छोड़कर चले जायेंगे अभी यहां समाज कल्याण मंत्री जी तो हैं नहीं परन्तु आप 30 सीटें बढ़ाने का प्रावधान करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पार्टीबाजी और राजनीति की बात तो आप हमसे कहते हैं किन्तु आप भी इधर रहे हैं। 30 सीटों को मंजूर करें, इसमें क्या राजनीति है? इसमें आज तक पहिले राजनीति नहीं चली। सब तरह के लोगों के लिये काम चले हैं। एम.एल.ए. कोई हो तो वे दो विधायक नहीं होते कि यह हारने वालों का एम.एल.ए. है और यह जीतने वालों के लिये। जयनारायण पूनिया जी को आप सहयोग देकर अकाल राहत काम करिये, नहीं करेंगे तो आपको हम कहेंगे। काम की वैल्यू होती है, अच्छे काम करोगे तो जस पाओगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसा मामला मत करिये। भाषण जरूर आप देते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपकी कथनी और करनी में फर्क है उसको बराबर मिटा दो तो आप समर्थ होंगे, इसका मुकाबला करने के लिये। पहली बार बाढ़ आई इतने आदमी मर गये। पहली बार इतना बड़ा अकाल आ रहा है। आप कह रहे हैं सैन्ट्रल गवर्नमेंट से पूरी सहायता नहीं मिली। सदन में प्रस्ताव पेश करिये हम आपके साथ हैं। पहले मोरारजी आपके खास ही थे। इसलिये यह दलगत राजनीति नहीं चले। अकाल और बाढ़ की जो समस्याएं हैं उसमें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहे कितना धन खर्च हो लोगों को राहत देने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री सभापति: श्री मथुरादास माथुर।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: एक मिनिट लूंगा। सभापति महोदया, पश्चिमी राजस्थान.....

श्री हरीश शर्मा: माननीय सभापतिजी, जनता पार्टी की ओर से बुलाना ही बन्द कर दिया।

श्री सभापति: मैं जनता पार्टी की संख्या के अनुपात में ही सब को समय दे रही हूं। श्री मथुरादास जी माथुर के बाद जनता पार्टी के सदस्य का नाम पुकारा जायेगा।

एक माननीय सदस्य: सदस्य का नाम बता दीजिये।

श्री सभापति: सदस्य का नाम नहीं बताऊंगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: हमारे बीकानेर के चूरू जिले से किसी भी सदस्य को समय नहीं मिला है। अकाल से हम लोग

Page No.121

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
ग्रस्त हैं। उनके विचार इस सदन में नहीं होंगे तो 20 लाख जनता की हम रक्षा नहीं कर पायेंगे।

श्री सभापति : ध्यान रखेंगे।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : पश्चिमी राजस्थान से किसी को मौका नहीं मिला है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के दो विधायक बोल चुके हैं । आसन की यह व्यवस्था है । आपके सचेतक, मुख्य सचेतक, लिस्ट दे देते हैं और पार्टी की संख्या के अनुपात में नाम पुकारे जाते हैं...

श्री माधोसिंह (रेवदर) : सभापति महोदया, हमारी पार्टी से कोई नहीं बोला।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संख्या के अनुपात से बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं बहुत संक्षेप में ही कहना चाहता हूं..

श्री सभापति : रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अपने इलाके की बात यहां नहीं कहेंगे तो और कहां कहेंगे और विशेषकर आपसे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य आपकी पार्टी की संख्या के अनुपात से आपकी पार्टी के ज्यादा सदस्य बोल चुके हैं।

श्री माधोसिंह : आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ समय दे दें।

श्री सभापति : आपकी पार्टी की जो संख्या है उसमें सबसे अधिक समय मिला है।

श्री नवरंग सिंह : सभापति महोदया, हमारी पार्टी के लोगों को कम समय मिला है।

श्री सभापति : आसन का काम सदन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना है, उसको चलाने दीजिये।

श्री नवरंग सिंह : सभापति महोदया, हमारे दो ही सदस्यों को बोलने का टाइम मिला है जबकि दूसरे सदस्यों को ज्यादा मिला है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय नाथूराम जी बागीडोरा को बोलने का समय दे दें।

श्री सभापति : जनता (एस) के मुख्य सचेतक महोदय यह कोई परम्परा नहीं है कि किसी सदस्य के बोलने के लिये खड़े होकर कोई पैरवी करें। इस लिस्ट के मुताबिक यह आसन नाम पुकार रहा है। अब आप न तो व्यवधान करें और न ही सदन का समय जाया करें।

श्री मथुरा दास माथुर (डीडवाना) : सभापति महोदया, समय को देखते हुए मैं बहुत विस्तार पूर्वक इन विषयों पर नहीं बोल सकूंगा और संक्षेप में ही कन्क्रीट मुद्दे...

श्री सभापति : अपने रख दीजिये। समय का सवाल नहीं है जो औरों के लिये समय निश्चित है, वही आपके लिये रहेगा। नेता महोदय को कोई विशेष समय मिले, यह बात नहीं है।

श्री मथुरा दास माथुर : सभापति महोदया, आपका आदेश स्वीकार करते हुए पहले

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं अकाल के लिये अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। राज्य सरकार को बार-बार यह कहना, वह कहना ठीक नहीं है। अगर इन पर कोई असर होना होगा तो हो जायेगा और असर नहीं होगा तो नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी, अकाल राहत मंत्री जी 5-6 सुझाव पेश कर रहा हूं—वैसे देशव्यापी अकाल है, राजस्थान के 26 जिलों में यह अकाल है मगर अकाल-अकाल में फर्क रहता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां पानी का अकाल है, चारे का अकाल है और धान का अकाल है। कुछ जिलों में पानी का अकाल नहीं है चारे और धान का अकाल है, कुछ जिलों में चारे का अकाल नहीं है, पानी का नहीं है मगर धान का है, इसलिये इस वक्त राज्य सरकार के लिये धन की मर्यादा है और यह होती है किन्तु मुख्य मंत्री जी भारत सरकार से ज्यादा पैसा नहीं ला पाते हैं, गो कि हम इधर के बैठने वाले हम सब मुख्य मंत्री जी को आश्वासन देना चाहते हैं अकाल और बाढ़ की सियासत को पालिटिक्स में नहीं लाना चाहते हैं और यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इधर बैठने वाले किसी भी माननीय सदस्य को उन्हें जरूरत हो-दिल्ली ले चलने के लिये या किसी डेपूटेशन पर चलना है तो हम हमेशा अकाल और बाढ़ के काम में सहायता करने को तैयार हैं।

अब मैं एक सुझाव मुख्य मंत्री जी को पेश कर रहा हूं—इस वक्त सभापति महोदया, सिर्फ पानी का अकाल नहीं है, चारे का ही अकाल नहीं है और साथ में धान का ही अकाल नहीं है अपितु एक और अकाल है राजस्थान में बदकिस्मती से बिजली का अकाल तो नहीं है लेकिन बिजली के सामान का अकाल है। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं इतना कहकर कि अकाल ग्रस्त क्षेत्र में जहां पीने का पानी नहीं है या चारा नहीं है और जो मवेशी ओरियन्टेड इलाके हैं, एनीमल हस्बेन्डरी ओरियन्टेड इलाके हैं जिन स्थानों पर इन्सानों का पशु ही धन है जहां डेयरी स्कीम फैली हुई है उस एरिया में इन्सान और मवेशी को बचाना आवश्यक है। इसलिये जिन लोग-बागों ने एल फार्म भर दिये हैं और कुओं पर बिजली चाहते हैं उन्हें पहले दीजिये लेकिन आपके पास कहीं ट्रान्सफार्मर नहीं हैं तो कहीं पर खम्भे नहीं हैं तो कहीं पर तार नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि यदि आपके पास खम्भे उपलब्ध नहीं हैं तो पेड़ों पर लटका-लटका कर बिजली के तार खींच दीजिये जिससे पानी और मवेशी पर तो फर्क पड़ेगा। इधर भारत सरकार के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास तार वगैरह का सामान नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने के लिये कोशिश करनी चाहिये और उसके लिये हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है इस वक्त पीने के पानी के संबंध में जो योजनाएं हैं और उसमें जो स्कीम ले ली है क्योंकि कन्वेन्शन तरीके से अकाल पड़ने से पहले ही जो योजना डा. हरिसिंह ने तैयार की है गांवों में पानी पहुंचाने के लिये, जहां पीने का पानी नहीं है या पानी खारा है या ब्लेकिश है या फिर कोसों दूर से पानी लाना पड़ता है, यह सरकार का काम है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं इस समय पीने के पानी को टैंकर से पहुंचाने की व्यवस्था की है उसको बहुत तादाद में करनी पड़ेगी। मगर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अभी गर्मी दूर है इसलिये उन इलाकों में, उन गांवों में जहां पानी उपलब्ध नहीं है, पानी खारा है,

(श्री मथुरादास माथुर)

ब्लेकिश पानी है या 15-20 मील दूर से पानी लाते हैं, उन स्थानों को प्रायोरिटी दीजिये। जहां पहले से स्कीमें बनी हुई हैं या बनाई जा सकती हैं तो उन कुओं को पानी की प्रायोरिटी देनी चाहिये। मैं कुछ नहीं चाहता हूं मुख्य मंत्री जी केवल पानी चाहता हूं, मवेशी और लोगों के लिये विशेषकर वहां जहां पानी खारा है, पानी उपलब्ध नहीं है; ब्लेकिश है उन ट्यूब वैल्स को खोल दीजिये और जहां ट्यूब वैल नहीं हैं, जहां 5-6 मील से पानी आता है वहां कोई टेम्प्रेरी ही व्यवस्था कर दीजिये, यह मेरी पहली मांग है।

पानी के बाद मवेशियों के लिये जितनी योजनाएं बनी हैं वह इन्सानों के द्वारा ही बनाई गई हैं चाहे यह सरकार हो या और कोई दूसरी सरकार हो, काफी संख्या में जहां केटिल रहती हैं वहां की सब नाडियां सूख चुकी हैं, तालाब सूख चुके हैं और इसके कारण लोग माइग्रेट होते हैं और माइग्रेट होकर एम.पी. में जाया करते थे। अब उन्होंने भी रूट्स पर डीपो खोल दिये हैं इसलिये उन्होंने मना कर दिया और ऐसी स्थितियों में कत्ल होते हैं, मवेशियों को बाहर नहीं ले जा सकते हैं तो सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मवेशी मर जायेंगे और मवेशी मर गये तो लोगों की माली हालत खराब हो जायेगी और माली हालत खराब हो जायेगी तो वे भी मर जायेंगे। इधर तो बाढ़ से हालत खराब हो गई, बाढ़ और अकाल के कारण काफी संख्या में लोग अन्त्योदयी बन गये और अन्त्योदयी हो जायेंगे तो इतनी संख्या में अन्त्योदयी बन जाने पर आपकी इकोनोमिक कन्डीशन हमेशा के लिये खराब हो जायेगी इसलिये इस मौके पर आपके अधिकारियों को तो बाहर जाने की पाबन्दी नहीं है, आप उन्हें यू.पी. में भेजिये, अभी बाड़मेर और जैसलमेर में भी कुछ धान खड़ा है तो वहां के ट्यूब वैल्स को ओपन करके आप काम शुरू कर दीजिये ताकि कुछ राहत मिल सके और इस तरह के ट्यूब वैल्स का काम जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में शुरू करवा दीजिये, क्योंकि यह समस्या सब जगह आने वाली है। कुछ पुख्ता इन्तजाम करके, एक आदमी सरकार का चला जायेगा मवेशियों को लेकर, इस तरह आप इन्सान और मवेशी को बचा सकेंगे, यह मेरा दूसरा सुझाव है।

तीसरी बात मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चारे के बारे में कुछ तो आप कर पायेंगे मगर कुछ जगहों पर चारा जहां पर है देहात के लोग, जिलों के लोग देंगे नहीं क्योंकि पहले अपने खुद के लिए जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे। इसलिए उन जिलों के लिए बाहर से चारा लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने उन लोगों से बात की है उन लोगों ने काम किया है आपके समय में आपने भी सब चीजों को देखा है बहुत सी बाढ़ रिलीफ सोसायटीज काम करती हैं। नागौर जिले में, डीडवाना में आस-पास के एरिया में चारा उपलब्ध कराने के लिए आठ आना चार्ज कीजिए चार आना सरकार दे और चार आना धनीमानी लोगों से ले लें। लोग देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे यहां पर डिपो खोले जायें और कम से कम जरूरत का चारा तो दे दीजिये। जिसके यहां पर पन्द्रह मवेशी हैं तो कम से कम चार मवेशी को चारा दे दें। जो भी चारा मिल जाय तो किसी तरह से मवेशियों को बचा सकें यह सरकार का कर्त्तव्य है। इस तरह से केटल इकोनोमी को डेजर्ट एरिया में बचाने की कोशिश करें।

Page No.124

(श्री मथुरादास माथुर)

इसमें सहयोग प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं, मैंने दानदाताओं से बात की है वे लोग सहयोग देने को तैयार हैं।

सभापति महोदया, मैं फिर आगे जा करके यह कहूंगा कि आप चारा उपलब्ध करा देंगे, सस्ता भी कर देंगे लेकिन आपको चीप ग्रेन शोप खोलनी पड़ेंगी और सस्ती दर से अनाज देना पड़ेगा। आज लोगों की पर-चेजिंग पावर नहीं है। लोग मजदूरी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम बिहार की तरह से नहीं कहते न फी किचन मांगते हैं, हम लोग तो मजदूरी चाहते हैं। आप कहेंगे कि जैसलमेर में सड़कें उड़ जाती हैं, फिर इक्वादरी होती है और फिर पुरानी हरकतों को देख कर आप का भी कमिटमेंट हो गया है। आप में भी घबराहट है। फूड फार वर्क में आप स्कूल का काम रख लें और कोई काम ले लें जो पांच, सात, दस, बीस आदमियों को काम दे देंगे लेकिन यहां पर तो हजारों आद-मियों को काम देना पड़ेगा। एक-एक कैम्प में पांच-पांच हजार, चार-चार हजार आदमी काम करेंगे। आपने भी देखा है। ऐसी सूरत में सड़कें बनाने के लिए जहां पर स्थिति नहीं है तो मेरा सुझाव है कि जिन इलाकों के अन्दर इस तरह के काम करने की गुंजाइश नहीं है वहां पर आप लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम को पास करवा कर डेजर्ट एरिया में, जोधपुर में खुदवाने के लिए एडवांस प्लान से रुपया ले लें। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए अगले प्लान के लिए एडवांस लेकर काम शुरू कर दें तो लोगों को मजदूरी मिलेगी। मेरा सुझाव है आपको लिफ्ट इरिगेशन की योजना के लिए ले लें, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए ले लें ड्रिंकिंग वाटर का पांच सौ क्यूसेक का आपका कमिटमेंट भी है, उसके अन्दर प्लान से एडवांस में रुपया लेकर काम शुरू करा देंगे तो जैसलमेर के डेजर्ट एरिया में काम मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई फ्रूटफुल काम नहीं है तो मुख्य मंत्रीजी मैं आपको सुझाव देता हूं कि जिस प्रकार से पहले साढ़े बारह रुपया मोह दिया गया था और एक परिवार में पांच आदमियों को दिया गया था और उसकी सीलिंग सौ रुपया मुकर्रर की गई थी। सौ रुपये महीने एक आदमी के परिवार को एक महीने में दिए थे गुजारा करने के लिए और पांच की सीमा रखकर सौ रुपये की सीलिंग कर दी थी कि एक कुनबे को इससे ज्यादा नहीं देंगे और उसके अन्दर भी पचास परसेंट अनुदान दिया था और पचास परसेंट लोन होगा, जो पहले भी चुकाया और अब भी चुका देंगे और इस तरह से प्लान्ड वे में कंस्ट्रक्टिव योजना के वर्क नहीं हैं तो वहां पर इस तरह से यह सौ रुपये तक की सीलिंग का रुपया दे दें और जहां पर प्लान्ड प्रोग्राम हों वहां पर ये सारे काम शुरू करें।

सभापति महोदया, मैं एक बात अपने इलाके के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर भयंकर अकाल है, डीडवाना में, लाडनूं में अकाल है, सब-डिविजन में भयंकर अकाल है। कई इलाकों के अन्दर तीन-तीन साल से गांवों में भयंकर अकाल पड़ता आ रहा है। वहां स्थिति खराब है। मैंने उद्योग मंत्री से बात की, हमारे वहां पर देशवाले हजारों की तादाद में रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं, नमक पैदा करते हैं। अब उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया है कि जो नमक पैदा करते हैं सरकार को ही बेच सकते हैं, औरों को नहीं। आप नमक खरीदते नहीं, आप उन लोगों से नमक लेते नहीं और वे दूसरों को बेच सकते नहीं, ऐसी तीस चालीस फैमिलीज हैं......

श्री सूर्य नारायण चौधरी : 13 हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : मुख्य मंत्रीजी मैं आपको बताऊंगा, माननीय उद्योग मंत्रीजी आप भी जिद् न करके मेरी बात को सुनें। इन्होंने फैसला कर दिया है कि मैं इन लोगों से नमक नहीं लूंगा। मुझे अगर पांच क्यारे दिए गए, एक क्यारा दिया गया या सौ क्यारे दिए गए और जमीन खाली पड़ी हुई थी तो एक के दो क्यारे कर लिए, तीन कर लिए और कर लिए तो आज नहीं किए, कल नहीं किए, बरसों से चले आ रहे हैं। अफसरों को मालूम होगा, करप्शन के मामले में मैं नहीं कह सकता लेकिन क्यारे बन गए। नमक पैदा हो रहा है। अब आप कहते हैं कि उनसे नमक खरीदेंगे नहीं। आप इजेक्ट करा सकते हैं कानूनन। आपको मालूम है कि जिन्होंने 75 तक अतिक्रमण कर लिए थे, उनको भी रेगुलराइज करने की बात करनी पड़ी थी। आपके पास कभी नहीं है क्यारों की लेकिन उनका नमक तो ले लीजिए ताकि आज जो अकाल में भूखों मर रहे हैं उनका गुजारा तो हो सके। आप उनका नमक ले लें। अगर उनके इजेक्टमेंट की प्रोसीडिंग चालू हैं तो वह कहते हैं कि हम अपना नमक नहीं दे सकते, मैं दूसरों को बेच नहीं सकता और सरकार नमक लेती नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नमक पड़ा हुआ खराब हो रहा है, राष्ट्रीय सम्पत्ति खराब हो रही है और अकाल के समय में अगर आप नमक ले लें तो वह अपना गुजारा कर सकें। मैं निवेदन करूंगा उद्योग मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को, मैंने हाथ जोड़ कर कई दफा निवेदन किया है मगर आप को...

श्री सभापति : आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप हिम्मत के साथ कहिये।

श्री मथुरा दास माथुर : आपके आदेशानुसार मैं हिम्मत के साथ कह रहा हूं कि उद्योग मंत्रीजी जिद् को छोड़ कर उनका नमक ले लें वरना हम उठा कर दूसरों को बेच देंगे आप जेलखाने में भेज देना। इसलिए मेरा निवेदन है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्वेश्चन इजेक्टमेंट का है। आप यदि इजेक्टमेंट की गारण्टी दे दें तो नमक को खरीदने की व्यवस्था करवा देंगे।

श्री अब्दुल अजीज : इजेक्टमेंट नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री मथुरा दास माथुर : इजेक्टमेंट का प्रश्न तो कोर्ट में अण्डर कंसीडरेशन है। ज्यादा होते तो भैरोंसिंह जी को दस केसों के लिए मैं नहीं कहता। केस कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट का फैसला होने दीजिए लेकिन नमक क्यों नहीं लेते, यह जिद्, किस बात की है? पहले नमक तो ले लें, अकाल को देख कर इस साल तो ले लीजिए फिर अगले साल तक फैसला हो जाएगा। हमारे हक में हो जाएगा तो हम जीत जायेंगे और आपके हक में हो जाएगा तो आप देख लेना। लेकिन मेरा सुझाव है कि इस साल जबकि बड़ा अकाल है, उद्योग मंत्रीजी बड़े सख्त आदमी हैं, वे भी कुछ पिघल रहे हैं।

अन्त में मुख्य मन्त्रीजी मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ये जितने भी ट्यूब वैल खुदे हुए हैं उनको ओपरेट करना शुरू कर दीजिए। गाँवों में जो कुएं हैं, जितने भी बन्द पड़े हुए हैं, फैमिन कोड के सम्बन्ध में निवेदन नहीं

(श्री मथुरा दास माथुर)

करूंगा क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है, जितने भी स्पेशल ऐरियर्स का है, कोआपरेटिव बैंक के या और भी सब करने चाहिए। अन्त में इस विषय में एक शब्द कहना चाहता हूं कि आपके अकाल के कार्यक्रम इमीजियेटली शुरू होना जरूरी है। क्योंकि मवेशी मरने लग गए हैं, गांवों में लोगों को परेशानी पैदा हो गई है और यह अकाल 56 और 96 के अकाल से भी बड़ा अकाल है इसलिए इमीजियेटली काम शुरू कर देना चाहिए।

अब श्रीमान्, मैं फ्लड के बारे में दो मिनट कहना चाहता हूं। फ्लड के बारे में एक बहुत बड़ी दास्तान है, उन सबके सम्बन्ध में न तो समय लूंगा और न कहने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं पांच मिनट में खत्म करता हूं। दो बातें कहनी हैं, आप पांच मिनिट में ही घण्टी बजा दें।

सभापति महोदया, मेरी एक मांग नम्बर वन यह है कि जो हुआ वह तो हो गया। उस पर जितना राज्य सरकार को कोसा जाय थोड़ा है, बहुत से लोगों ने कोसा भी है। नम्बर वन मांग मेरी यह है कि इस वक्त फ्लड वापस आ गया, लूणी में अगले साल पानी बरस गया तो जो गांव इस वर्ष बर्बाद हो गए हैं वे फिर बर्बाद हो जायेंगे। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए कोई सरकारी स्कीम नहीं है भारत सरकार से दस करोड़ रुपया मांगा गया था एडहाक तौर पर तो भारत सरकार ने कह दिया कि इसके लिए आपकी कोई योजना नहीं है। हम एडहाक तौर पर फ्लड प्रोटेक्शन के लिए रुपया नहीं देंगे। यह रुपया फ्लड प्रोटेक्शन प्लान के लिए मांगा था लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है, लूणी ने रास्ता बदल दिया, दो-दो, तीन-तीन जगह से, पाट चौड़ा हो गया, गांव के बीच में नदी आ गई। इसलिए एक टीम बना कर यह काम करें, प्लान करें। भारत सरकार ने कहा है कि योजना बना कर बाकायदा योजना बना कर भेजें और योजना को एग्जामिन करके फिर सहयोग देंगे।

दूसरा निवेदन है कि आखिर जहां पर इतने आदमी मर गए, इतने मवेशी मर गए, बाढ़ आई तो पहले तो मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप कमीशन मुकर्रर कर दीजिए। आप बड़े दयालू हैं कमीशन मुकर्रर करने में। उस दिन नीम का थाने की खानों की बात आई तो आपने फौरन कमीशन मुकर्रर कर दिया और यहां पर तो इतने आदमी मर गए, किसने इत्तला की, किसने नहीं की क्यों नहीं की, अगर रेनफाल बढ़ गया, रेनफाल ने साइकिल चेंज किया है तो इन सब बातों का एग्जामिनेशन कोई इंडिपेंडेंट बाडी बैठ कर, ज्यूडिशियल आदमी बैठ कर एग्जामिन करे तो आपकी सरकार को ज्यादा लाभदायक होगा, हम लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। सरकार ने कमेटी बिठाई है वह तो एक टेक्निकल कमेटी है वह क्या राय दे सकेगी? इसलिए मैं फिर मांग करता हूं कि कमीशन बिठा कर उसके अन्दर हम जायेंगे, हम कमेटी के सामने नहीं जायेंगे, कमीशन के सामने जाकर हम एवीडेंस देंगे और सहयोग देंगे। इस बात को आप मन्जूर कर लें तो इस बारे में जो समस्या है, उसका हल हो जाएगा। यह सही है कि हाई कोर्ट में इस मामले

Page No.127

(श्री मथुरा दास माथुर)

की रिट चल रही है उसका कोई जवाब नहीं है परन्तु अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है। यह टैक्निकल मैटर है। परन्तु मेरा निवेदन है कि आप खुद इसको इनीशिएट करें ताकि उस एरिया के जो लोग हैं उनको कोई परेशानी न हो। आज हम सब परेशान हैं लोग जो परेशान हैं उनको हमें रिहेबिलेट करना है। पाँच हजार, दस हजार की सहायता आप दे रहे हैं। पाँच हजार की सबसीडी और पाँच हजार का लोन। यह दस हजार कहां तक कितने लोगों के पास पहुंच पाया है। इन्डस्ट्रीज वाले तो रुपया ले गये परन्तु अभी तक किसानों को रुपया नहीं मिल पाया है। इसके लिए ताकीद करनी चाहिए। मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वहाँ की मिट्टी में बहुत ही दरारें हो गई हैं, ऊपर नीचे हो गई हैं, गड्ढे पड़ गये हैं, वहाँ की जमीन डेजर्टिंग हो गई है तो राज्य सरकार का अपना एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन है यह कारपोरेशन इस जमीन का लेवलिंग करे। खेतों का लेवलिंग करे। जहाँ किसान के लिए लेवलिंग पासिबल नहीं हो वहाँ यह लेवलिंग कारपोरेशन करके दे। उसके पास ट्रेक्टर है, बुलडोजर है। उनसे यह जमीन साफ करादे, उसका लेवलिंग कराके किसानों को खेत दें तो लोगों को तत्काल मदद हो सकती है। आप एक किसान को दस हजार रुपया देंगे। वह किसान उस रुपये से अपनी जमीन को धीमी गति से साफ करेगा, ठीक करेगा, लेवलिंग करेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस काम को मास स्केल पर प्रारंभ करे तो मेरा ख्याल है कि हम जल्दी से जल्दी सब काम पूरा कर पायेंगे और लोगों को आने वाली रबी की फसल में ज्यादा माल मिल सकेगा, उस फसल का हम लाभ ले पायेंगे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा था वह यह है कि यह बात कही जाती है, मैं कोई भारत सरकार का एडवोकेट नहीं हूं, न भारत सरकार का पैरोकार हूं, भारत सरकार ने जितना रुपया दिया है, उसमें कुछ तो आपको मारजीनल मनी के रूप में दिया है, कुछ रुपया सेविन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आपको स्वीकृत किया गया है। उस हिसाब से आपको तीन करोड़ रुपया मार्जीनल मनी के रूप में दिया गया है और 12।13 करोड़ रुपयों में से 8 करोड़ रुपया आपको दिया गया है सेविन्थ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह सब जो रुपया भारत सरकार से राज्य को दिया गया है, वह रुपया बहुत ही कम है। परन्तु अगर हमें भारत सरकार से और रुपया लेना है तो स्कीम बनानी होगी। सड़कों के लिए आपने सात करोड़ की सहायता माँगी तो भारत सरकार ने आपको साढ़े तीन करोड़ रुपये दे दिया. बिजली, पानी के लिए आपने रुपया माँगा तो उसका पचास पर्सेन्ट, साठ पर्सेन्ट दे दियों और उसमें पच्चीस, पैंतीस परसेन्ट आपका हिस्सा बता दिया। इस तरह से आपको पूरी सहायता, रुपया नहीं मिल पाया है। मेरा इस सम्बन्ध में एक अनुभव है। मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको भारत सरकार से और सहायता लेनी है तो आप पहले अपने केस को स्ट्रांग बनाइये, केस को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। केस स्ट्रांग बनेगा तो हम भारत सरकार से लड़ सकते हैं। इस काम के लिए हम अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। पहले आप अपने केस को स्ट्रांग बनाइये। उनको जवाब देने की कोई गुंजाइश मत रखिये। आज तो वे वापिस केस को फैंक रहे हैं। भारत सरकार

(श्री मथुरा दास माथुर)

की बात हमारी कोर्ट में नहीं होनी चाहिये। लूणी में फ्लड आगे न आने पावे, इसके लिए क्या-क्या योजनाएं बननी चाहिए ? इसके लिए आप टैक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी बना कर योजना बनावें। अरबों रुपयों की योजना आप बनावें तो उसका फैसला होगा इसीलिए इसको करिये। भारत सरकार की बात हमारी कोर्ट में नहीं आनी चाहिए उसको यह कहने का मौका नहीं देना चाहिए इतना सड़कों का आपने माँगा तो उसमें से 25 पर्सेन्ट कोटा आपका है, इतना आपका हिस्सा है। जो डेमेजेज हुआ है, तो उसके रिपेअर्स में 125 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा। आप 125 करोड़ रुपया का लास बताएंगे तो यह सारा लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रोपर्टीज डेमेज हुई हैं उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं परन्तु जो पब्लिक प्रापर्टी डेमेज हुई है, लास हुआ है वह अलग होगा। बाकी सड़कों का, इरिगेशन के बाँधों का नुकसान हुआ है। इन सबको देख कर आप एक स्ट्रांग केस बनाइये और फिर भारत सरकार के पास जाइये। अगर आपका केस स्ट्रांग है और भारत सरकार रुपया नहीं देती है तो जितने भी सदस्य इधर बैठने वाले हैं वे आपको सहयोग देंगे, लड़ना होगा तो लड़ेंगे और अपना हिस्सा लेंगे।

मैं निवेदन करता हूं कि सभापति महोदया आप घन्टी न बजाइये, मैं अपनी बात को खतम करना चाहता हूं। आज यह फेमिन और बाढ़ दोनों ही हमारे यहाँ पर एक साल में आ गये हैं। राजस्थान के अन्दर यह दोनों ही एक साथ आये हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है परन्तु हिम्मत के साथ, हौसले के साथ हमें इसका सामना करना चाहिए। हमें इस विपत्ति का मुकाबला करने के लिए प्राइवेट संस्थाओं से सहयोग लेना पड़ेगा जो भारी धनराशि खर्च कर सकें। इसके लिए हमें भारत सरकार से या अन्य कहीं से एडवान्स लेना पड़े तो लेना चाहिए और सहायता कार्य करना चाहिए। अभी तो हमारी मांग भारत सरकार के पास नहीं गई है। अभी तो हम गिरदावरी भर रहे हैं। आप खुद अपनी आँख से देखिये। एक इलाके में मोटर में बैठ कर चले जाइये, चारों तरफ खेत सूखे पड़े हैं। गिरदावरी तो मंत्री महोदय तब होती है जब कोई डाउब्ट होता है। यह तो खुला अकाल है। यह आप खुद मानते हैं। गिरदावरी का आप इन्तजार मत करिये। कब तो आपकी योजना बनेगी। आप योजना भेजेंगे तो वहाँ से टीम आएगी और उस बीच में कितने ही मवेशी मर जाएंगे, इंसान मर जाएंगे और फिर भैरोंसिंहजी, आपका इतिहास भी काले अक्षरों में लिखा जाएगा और इस सदन की प्रतिष्ठा भी नहीं रहेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो कुछ कहें स्ट्रांग केस बनाकर कहें। इससे हमारी इकोनोमी बहुत हो परटर्ब्ड हो गयी है। इसका नतीजा हमारी इकोनोमी के लिए घातक होगा। एक साल इस प्रकार का बीत गया तो जो हमारी डेयरीज लगी हैं वहाँ पर चिमगादड़ बैठेंगे क्योंकि उनको दूध नहीं मिलेगा काफी मवेशियाँ मर जाएंगी और फिर दूध कहाँ से मिलेगा ? आज अभी से दो हजार की मवेशी पाँच सौ रुपयों में बिकना शुरू हो गयी हैं। लोगों ने अपनी-अपनी आप मवेशियाँ बेचना शुरू कर दिया है क्योंकि चारा नहीं है। ऐसी स्थिति में वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, जोधपुर डिविजन के अन्दर बाढ़ और अकाल के कारण वहाँ की

Page No.129

(श्री मथुरादास माथुर)

इकोनोमी फरटरल्ड है और इकोनोमी गिर जाएगी, चाहे हमें कहें या न कहें जो हमारी यह डेयरीज की योजना है, वे सब की सब बेकार हो जाएंगी । सर्वोदय योजना के जरिए हम उनको उठाना चाहते हैं, वे कठिनाई में होंगे; इससे किसानों का सर्वोदय नहीं होगा और वहां के सारे किसान अन्त्योदयी बन जाएंगे । इसलिए मुख्य मंत्री-जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस काम को हाथ में लीजिए । मिनिस्टर साहब काबिल हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं परन्तु फिर भी आप इस काम को हाथ में ले लीजिए । आप खुद इन्टेरेस्ट लेकर इस काम को शुरू करवा दें और जब बाल रोल हो जाए तो आप उसको अपने मिनिस्टर को दे दें । मेरा निवेदन है कि टॉप प्रायोरिटी देकर आप इस काम को करें । यही मेरा निवेदन है ।

श्री सभापति : श्री हरिकिशन ।

श्री हरिकिशन (नदबई) : माननीय सभापति महोदय, ईश्वर की प्रकृति बड़ी विचित्र है न मालूम कब क्या दिक्कत आ जाए । एक समय था जब राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बाढ़ आती थी । अब ऐसा समय आ गया कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से को छोड़ कर राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में बाढ़ आ गई । प्रकृति के ऊपर किसी का कोई वश नहीं हो सकता है । राजस्थान सरकार ने इस समस्या को कुशलता से हल करने का प्रयास किया है परन्तु फिर भी समस्या हल नहीं हो पाई है । माननीय सभापति महोदय, आज बाढ़ के अलावा अकाल ने भी किसान की कमर तोड़ दी है और यही नहीं पूरे प्रान्त में आज बड़ा भारी अकाल है । यह ऐसा अकाल है जो आज से चालीस साल पहले भी राजस्थान में नहीं आया था । इस अकाल में पानी की किल्लत है, चारे की किल्लत है, अनाज की किल्लत है तो भी किसान इन सब दिक्कतों से निपटने के लिए कमर कस कर तैयार है, पूरा सजग है । किसान इसके लिए पूरा तैयार है परन्तु आज किसान को सरकार का सहयोग चाहिए । इस अकाल से निपटने के लिए किसान को डीजल चाहिए, बिजली चाहिए और उसकी जितनी भी मशीनरी है उसका उसे उचित कीमत पर सामान चाहिए । आज हम यह देख रहे हैं सभापति महोदया कि आज इन तीनों चीजों की हमारे पास में कमी है । आज किसान को डीजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है, उसको पूरा डीजल नहीं मिल रहा है । सरकार उसके लिए डीजल का इन्तजाम करे, सरकार उसकी मशीनरी के पुर्जों का इन्तजाम करे, सीमेन्ट वगैरह उसको समय पर उपलब्ध करावे, उसको पूरी बिजली मिले तो किसान पूरी तरह से, मेहनत के साथ अकाल का मुकाबला करेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । आज पानी नहीं है । मवेशियों के लिए चारा नहीं है । इसलिए मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से दो महीने के बाद में यह स्थिति आने वाली है कि किसी भी तरह से लोग नहीं बच पायेंगे और लोग त्राहि त्राहि करेंगे । लोगों को रोटी, रोजी चाहिए तो सरकार उसका इन्तजाम कर देगी, पहिनने को कपड़ा चाहिए तो कपड़े का इन्तजाम कर देगी, कम्बल चाहिए तो कम्बल का इन्तजाम कर देगी । परन्तु वह चारे का इन्तजाम नहीं कर पाएगी । अगर सरकार डीजल, बिजली का इन्तजाम कर दे तो किसान सिंचाई के माध्यम से इस अकाल

(श्री हरिकिशन)

का मुकाबला कर सकता है । काम के बदले अनाज योजना में लोगों को रोजी दे । ऐसी योजनाओं से चाहे वह सिंचाई की हो, सड़कों की हो, रोजी दें तो हम इस देश को बचा सकेंगे, इस प्रान्त को बचा सकेंगे । ऐसी हालत के ऊपर सरकार को बहुत चिन्ता करनी चाहिए और सुस्ती में नहीं रहना चाहिए । इससे निपटने का, लोगों को सहायता देने का सरकार का दायित्व है परन्तु सरकार के पास गिरदावरी की रिपोर्ट आज तक नहीं आ पायी है । गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी तो यह इन्तजाम नहीं होगा। इसके लिए अभी से कोई इन्तजाम नहीं किया या कोई योजना नहीं बन सकी तो हम काफी पीछे रह जाएंगे और किसान और गरीब मजदूर जो गाँव में रहता है उनकी हालत और बदतर हो जाएगी । इसके ऊपर सरकार को अविलम्ब ध्यान देना चाहिए। किस तरह से इस अकाल को निपटेंगे ? इसमें कोई सन्देह नहीं है । सरकार ने बाढ़ के समय बहुत कुछ किया है, मेहनत करके इससे निपटने की कोशिश की है और निपटा भी है । भारत सरकार को लिखा है । वहां से सहायता आई है । यह अकाल का मामला है, जो एक असाधारण मामला है । इस असाधारण मामले से योजनाबद्ध तरीके से निपटा जाय । किसानों को सक्षम बनाने के लिये डीजल और बिजली का इन्तजाम करायें, उनके लिये मशीनों का इन्तजाम करायें, पुर्जों का इन्तजाम करायें। इस अकाल से निपटने के लिये किसान तैयार है । उनको आज डीजल उपलब्ध नहीं होता । काश्तकार पैट्रोल पम्पों पर घूम रहा है। उनको डीजल नहीं मिलता । डीजल की यही हालत रही तो हम इस घोर समस्या को कैसे पार कर पायेंगे ? इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस डीजल की समस्या को निपटायें । बिजली टाइम पर मिलती नहीं है, बिजली के लिये क्या आप सचेत होंगे ? क्या बिजली और डीजल समय पर दिलवायेंगे, उपकरण सस्ते दिला दें तो हमको पूर्ण आशा है किसान ईमानदारी से जुटने को तैयार है । जब किसान को राष्ट्र का उद्धार करने का कहते हैं तो राष्ट्र को किसान की पूरी तरह से मदद करनी चाहिये, एकमत होकर मदद करनी चाहिये । आज वह समय है, किसान की मदद करें । माननीय सभापति महोदया, अकाल में हमें किसान को राहत पहुंचानी है उन्हें उत्साहित करना है ।

हमारी कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं वे भी पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं । अगर इन सोसाइटियों को पुनः हमने नहीं उठाया तो किसानों को सही मदद नहीं मिल पायेगी । जो कार्मशियल बैंक हैं वे भी सही मदद नहीं दे रहे हैं । ऐसी सूरत में को-आपरेटिव सोसाइटीज को सक्षम बनाना पड़ेगा ताकि किसानों की सही मदद हम खाद और बीज के जरिये से कर पायेंगे । हमारी अधिकतर सोसाइटीज डिफाल्टर पड़ी हुई हैं । ये सोसाइटीज कैसे मदद कर सकेंगी ? माननीय सभापति महोदया, जब लोन के लिये कहते है तो कहीं भी कोई नहीं दे पाता जब तक कॉआपरेटिव सोसाइटीज का आधार हमको नहीं मिल जाय । कॉआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से ही किसान जीवित रह सकता है। कॉआपरेटिव सोसाइटीज को हमें हर हालत में सक्षम बनाना पड़ेगा डिफाल्टर से हटाना पड़ेगा । इधर तो अकाल पड़ रहा है, उधर किसानों के यहां कुर्की हो रही है । जब हम किसान की मदद करना चाहते हैं तो चाहे उन्होंने कर्जा लिया वह वक्त पर नहीं दे पाये

(श्री हरिकिशन)
लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि–

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें राज्य सरकार कर्जे को वसूली में रोक लगाये और जब फसल अच्छी हो तो वसूली करे। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से, राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अविलम्ब ही राहत कार्य शुरू करें और किसानों के लिये, गरीब आदमियों के लिये जो आज राहत को भटक रहे हैं, उनके लिये राहत दिलाने की कृपा करें।

जय हिन्द।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदया, उदयपुर डिवीजन के लिये किसी को टाइम नहीं मिला है कम से कम पहाड़ी क्षेत्र के लिये...

श्री रामकिशन दास गुप्ता : बीकानेर इलाके से भी किसी को बोलने के लिये अवसर नहीं दिया है, सभापति महोदया।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदया, जहां पीने के पानी का अभाव था वहां भयंकर बाढ़ आई उस बाढ़ के बारे में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, उनको सुना। मैंने जैसलमेर; बाड़मेर वगैरह जहां पानी की समस्या को लेकर कमेटी गई थी, उस वक्त भयंकर सूखा था और इस साल बाढ़ से जो विनाशलीला हुई है जिस पर माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, मैं भी समर्थन करता हूं, स्थाई हल राज्य सरकार को करना चाहिये। इसी तरह से उदयपुर डिवीजन, जहां हर साल पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से अकाल आता रहता है। आजादी को 30 साल हो गये लेकिन न तो पिछली सरकार ने स्थाई हल किया न वर्तमान सरकार ने ही किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होती है, जगह जगह एनीकट बन सकते हैं, बान्ध बन सकते हैं छोटे छोटे। मैंने पिछली साल भी निवेदन किया था लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया जो इरिगेशन का पैसा खर्च होता है, वह पक्षपात से खर्च किया जा रहा है। वहां प्रशासन में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। वहां बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ वगैरह में छोटे-छोटे एनीकट छोटे-छोटे बांध बनाये जाने चाहियें ताकि कभी अकाल की स्थिति नहीं आये।

(6.07 सायं)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अकाल घोषित करती है मगर पिछले साल बांसवाड़ा, डूंगरपुर में 2 साल से अकाल था। गये साल अतिवृष्टि से मक्का की फसल नष्ट हो गई लेकिन रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने गलत रिपोर्ट दी जिससे अकाल घोषित नहीं हुआ जिससे हजारों आदिवासी जो अन्त्योदय से भी निम्न श्रेणी के आदिवासी थे उनसे राजस्व विभाग की वसूलियां, गला पकड़ पकड़ कर की गई। मैं सरकार की अन्त्योदय योजना को अच्छा मानता हूं लेकिन जो उससे भी निम्न श्रेणी के लोग थे, उनके कर्जे सख्ती से वसूल किये गये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि आप आंकड़ों के आधार पर अकाल घोषित न करें। इस साल भयंकर अकाल है उदयपुर डिवीजन में जहां मक्का की फसल होती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पिछले वर्ष

(श्री नाथूराम)

इतनी मक्का थी लेकिन एक ही फसल के अभाव से मक्के की फसल नष्ट हो गई और वहां बीमारी भी ऐसी लगी, ऐसा कीड़ा लगा कि बड़े-बड़े पेड़ों के पत्ते खत्म हो गये, मक्के की फसल खाली डंठल रह गई। लेकिन यह खराबा पटवारी घोषित करता है वह जो अन्दाजन आंकड़े लिख देता है और अंगूठे लगवाकर, पंचों के दस्तखत करवाकर भेज देता है वह सही हो जाती है और उपाध्यक्ष महोदय, गिरदावरी इतनी गलत होती है कि राजस्व मंत्री भी इस गलती को सुधार नहीं सकते, न मुख्य मंत्रीजी सुधार सकते हैं जो पटवारी ने लिख दिया वह सरकार को मानना पड़ता है। आप गलत गिरदावरी के आधार पर अकाल घोषित न करें। पिछले साल हरिजनों और आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय किया सरकार ने। इसलिये इस साल ऐसी गलती का मौका दुबारा न आने दें। सारे जिलों में बांसवाड़ा डूंगरपुर में सब जगह अकाल है। आज बिजली और अनाज की योजना बहुत अच्छी है। जिन सरपंचों ने साल भर में काम पूरा कर लिया उनको भी बिना कमीशन खाये प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता। कई सरपंचों ने 25-25, 50-50 हजार पक्के काम कर लिये लेकिन बिना प्रमाण-पत्र के इन सरपंचों को काम नहीं मिलता है और सरकार ने आदेश कर दिया कि काम के बदले अनाज योजना शुरू कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, कहीं काम शुरू नहीं हुआ है। सरपंच लोग कागज लेकर पीछे पीछे भटकते हैं। आज कोई वर्क है, एकदम जांच हो जाती है। इसलिए मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि अनाज के बदले काम की योजना है, वह अच्छी है। आप कलेक्टर को आदेश दें, जितने काम हुए हैं, वे बन्द हो जायें। तो काम हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ा-सा सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े काम बड़े-बड़े ठेकेदारों को दिये गये हैं। ठेकेदार भाग गये हैं। कितना खर्चा हुआ है। माही डैम पर कितना खर्चा हुआ है फिर भी वह अधूरा पड़ा हुआ है। लगभग 50 करोड़ रुपया लैप्स हुआ है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि माही डैम के काम को युद्ध स्तर पर शुरू करना चाहिए। इससे हजारों मजदूरों को काम मिल जाएगा। जो तालाब नष्ट हो गये हैं और जो ज्यादा से ज्यादा खराब हो गये हैं, उनको ठीक करके किसानों को दें। अधूरे तालाबों को पूरा करना चाहिए। जो लम्बी सड़कें पिछले साल से अधूरी पड़ी हैं उन पर लाखों रुपयों का मलवा पड़ा हुआ है। उन अधूरी सड़कों को लेना चाहिए। बरसात होती है तो खेतिहर मजदूर काम पर लगता है। लेकिन हजारों लोग मारे-मारे फिरते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बन्धक मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार ने जो कानून बनाया था, आज हजारों मज़दूर अकाल के कारण वापिस बन्धक होकर काम पर लग गये हैं। अगर उनको काम दिया जाता तो वह वापिस नहीं जाते। छोटे-छोटे बच्चों को बन्धक रख दिया है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है। जिन आदमियों को कानून बनने से राहत मिली थी, वह वापिस बन्धक बन गये हैं। उन बन्धक मजदूरों को काम देना चाहिए था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No.133

(श्री नाथूराम)

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, सस्ते अनाज की दुकानें नहीं होंगी तो लोगों को अनाज नहीं मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चर्चा समाप्त करें ।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, सस्ते अनाज की दुकान आरम्भ करनी चाहिए । आदिवासी भीख नहीं मांगता है, वह काम चाहता है । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार सभी जगह ढोल पीट रही है कि किसी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा । यह बात ठीक है, एक आदमी नहीं मरेगा, हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी तड़फ-तड़फ कर मरेंगे । जब जांच होगी तो सरकार कहेगी कि भूख से नहीं मरा है । बीमारी से मरा है । इस तरह से झूठी रिपोर्ट सरकार देगी । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा फिर निवेदन है कि अधूरे तालाब और बड़ी—बड़ी सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं, उनके काम को पूरा कराया जाये । इससे लोगों को मजदूरी मिलेगी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और सस्ते अनाज की दुकानें शुरू करनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को घास भी देनी चाहिए । जिन कुओं में पानी है, उनको और गहरा करना चाहिए और अनाज भी देना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले । लोगों को मजदूरी मिले ताकि वह अपना पेट पाल सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसरामजी मदेरणा, मैं आपको बाद में समय दे दूंगा ।

श्री हरीश शर्मा ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी टाइम मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि गत वर्ष सैशन में जब यह कहा गया था कि 75% खराबा हुआ है । जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि जहां 50% खराबा हुआ है, वहां सहायता पहुंचायेंगे । लेकिन वहां कोई काम नहीं किया गया । ओलावृष्टि हुई । तत्कालीन आयुक्त शेरसिंहजी 7 गांवों में होकर आ गये । उन्होंने आकर रिपोर्ट दे दी, कलेक्टर ने रिपोर्ट दे दी । और सबको चूल्हे में डालकर सात गांवों को घोषित किया गया । आज कुवों में पीने को पानी नहीं, खाने को अनाज नहीं है । जनसंख्या तो जोड़ी जाती है लेकिन पशुओं की संख्या नहीं जोड़ी जाती है । पशुओं की संख्या भी जोड़ी जानी चाहिए । क्या पशु पानी नहीं पीते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगा, रामगंज-मण्डी पूरी की पूरी अकाल से पीड़ित है, मुख्य मंत्रीजी को लिखकर दिया । सिंचाई मंत्रीजी को लिखकर दिया है । लघु कृषकों को उनका काम मिलना सिंचाई विभाग का काम होगा । लेकिन आज तक किसी ने काम शुरू नहीं करवाया है । एनीकट बनवाने का काम कहां करवाया गया? कलस्टर

Page No.134

(श्री हरीश शर्मा)

योजनाओं में भंडाना, डोल्मा, काल्या खेड़ी, रानपुर, कसार, बोरावास, भांवरिया, मादल्या इन आठ पंचायतों को लिया गया। वहां पर पेयजल की भीषण समस्या है। कई-कई मील से पानी लेकर आते हैं। चार बजे उठते हैं। बैलों को लेकर गाड़ी में पानी लेकर आते हैं। आज वहां कितनी भयंकर दिक्कत है। मैंने माननीय वन मंत्री महोदय को कहा था। आपके पास में जो बीड़ है, उसको खोल दें। लेकिन उसको अधिगृहीत कर लिया। जंगल में एक तालाब था, उसको रोक लिया। जंगल में पानी पीने के लिए पशु नहीं जा सकते हैं। भांवरिया गांव में एक बड़ी बावड़ी है। तीन गांवों में पानी पिलाया जाता है। स्थिति इतनी भयंकर है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कहा तो उन्होंने कहा कि हम मीटिंग बुला रहे हैं। इनको सार्वजनिक कुए घोषित करके ठीक करा दिये जायें तो उस क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था ठीक हो सकती है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने अकाल राहत मंत्री महोदय को एक पत्र दिया था, लोग अपनी पुश्तैनी जमीनों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं लेकिन वहां की मिट्टी के बारे में कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पूरे क्षेत्र में 48 तालाब हैं। कानसागर बांध से 700 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। मैं सिंचाई मंत्रीजी से मिला, वहां के अभियंता और मुख्य अभियंता महोदय से भी बातचीत की, मैं यह कहना चाहूंगा कि युद्ध-स्तर पर हमको लड़ना होगा जिससे हजारों मजदूर और लोगों को काम मिल सके। काम के बदले अनाज योजना को सुचारु रूप से चलाया जाय, वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनके छात्रों की फीस माफ कर दी जाय चाहे वे प्राइमरी स्कूल में हों या कालेज में हों क्योंकि वो फीस देने की स्थिति में नहीं हैं। सस्ते गल्ले की दुकानें, उपहार केन्द्र, डीजल, घासलेट इन सबकी व्यवस्था पंचायत केन्द्रों पर कराई जाय, पंचायत इसका वितरण करे, पंचायत ही आवश्यकतानुसार इनका वितरण करे और किसानों की समस्या का हर प्रकार से समाधान किया जाय, नौकरशाही पर नहीं छोड़ा जाय, इसका सरलीकरण किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमाखोरों और कालाबाजारियों पर सख्त से सख्त अंकुश रखा जाय अन्यथा इस अवस्था में गोदाम भर जायेंगे। इसके साथ ही फसली बीमा गुजरात में है, इसको राजस्थान में भी लागू किया जावे। अगर फसली बीमा लागू हो जाय तो सरकार का आधे से अधिक बोझ कम हो जायगा।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोटा में जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो वहां की धरती और पानी का उपयोग कर रहे हैं, सरकार उनको आदेश दे कि जो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं सरकार उनको पाबन्द करे कि उनको काम दिया जाय। कई गांव ऐसे हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां पर नहरों का पानी नहीं आता फिर भी सिंचाई में दर्ज हैं। पंचायत समिति में कई गांव ऐसे हैं वहां पर पानी नहीं आता उनको अकाल में नहीं लिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार युद्धस्तर पर कार्यवाही करे और यह आदेश दिए जायं बी.डी.ओ., कलेक्टर और तहसीलदार, सारे क्षेत्र का दौरा करें। इसके साथ ही राजस्व अभियान या दूसरी योजना भले ही चले लेकिन उनकी

(श्री हरीश शर्मा)

इस समस्या का निवारण बहुत जरूरी है । मुख्य मंत्रीजी ने कहा भले ही राजस्थान का खजाना खाली हो जाय एक भी गरीब आदमी को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा । अगर इस पर कटिबद्ध हो जाय तो मैं कह सकता हूं राजस्थान सरकार एक कीर्तिमान

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्थापित करेगी । मैं पुनः यह निवेदन करना चाहूंगा कि घास के बीड्स जो वन विभाग में हैं, उनको खोला जाय, स्थिति बहुत खतरनाक है इसलिए युद्धस्तर पर काम किया जाना चाहिए । कोटा जिले में .51 करोड़ की स्वीकृति हुई थी लेकिन सहायता दी गई केवल .20 लाख की । उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुदने माना कि .51 करोड़ की क्षति हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षति की पूर्ति कौन करेगा, सरकार के पास जायेंगे या कहां जायेंगे ? मैं बार-बार अकाल राहत मंत्रीजी का दरवाजा खटखटाता रहा, उनसे कहा कि कार्य बढ़ाइये, इसके लिए मैं कोटा भी गया, जिलाधीश से कहलवाया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री हरीश शर्मा : लेकिन सही स्थिति नहीं बताई गई, सही स्थिति बताने वाले झूठे हो गए, और केवल एक अधिकारी शेरसिंहजी जिन्होंने सात गांवों में घूमकर रिपोर्ट करदी, उन्होंने केवल सात गांवों में ही अकाल बताया । जितने भी लोग पीड़ित हैं उनको सहायता देनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसराम मदेरणा ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले ने ऐसा कौनसा पाप किया कि किसी भी व्यक्ति को बोलने का अवसर नहीं मिला, आदिवासी एरिया है भयंकर अकाल की स्थिति है, तीन दिनों से नाम भेज रहे हैं, सूची में नाम भी ऊपर था, अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो ठीक है।

श्री नवनीत कुमार पालीवाल : समय बढ़ाया जाय ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय भोपालगढ़ से आने वाले विधायक के हम विचार सुनना चाहेंगे लेकिन बीकानेर में भी अकाल भयंकर है ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक नेचुरल केलेमिटी के सक्सेसन में दूसरी नेचुरल केलेमिटी का सामना राजस्थान कर रहा है । 1969 में अकाल पड़ा था उस समय भी साढ़े बारह बजे तक हाउस में चर्चा हुई थी इसलिए माननीय सदस्यों का बोलना उपयुक्त होगा, और समय बढ़ाना उचित होगा ।

राजस्थान की सरकार ने जो रपट हमको पढ़ने को दी है, बाढ़ और अकाल के संबंध में । बाढ़ के संबंध में अभी तक पूरा ब्यौरा नहीं आंक सकी है इसमें वह अभी तल्लीन है और जहां तक अकाल का प्रश्न है अभी मुख्य मंत्री सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें मुख्य मंत्रीजी बीमार हो गये । इसलिए वे नहीं जा सके और आपूर्ति मंत्रीजी रपट देने की हैसियत से गए थे, जयपुर आने के बाद जो वक्तव्य उन्होंने दिया है लेकिन जो सूची भारत सरकार ने सरक्यूलेट की है उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं है । इसका मतलब यह हुआ कि सूची में राजस्थान का नाम

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए नहीं है शायद राज्य सरकार ने भारत सरकार को दी ही नहीं होगी। मुख्य मंत्रीजी जानते हैं सेण्टर में फाइनेन्सियल असिस्टेंन्स के कुछ मानदण्ड हैं और सैन्टर असिस्टेन्स एक्सपेण्डीचर की रिक्वायरमेण्ट्स को पूरा करने के लिए ज्ञापन देना पड़ता है और इसके लिए सैन्टर की टीम को इन्वाइट करना पड़ेगा। हो सकता है अब तक राज्य सरकार पूरा असेसमेण्ट नहीं कर पायी हो इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को इन्फोर्म नहीं किया हो लेकिन अब सेण्टर टीम को इन्वाइट करने के लिए राज्य सरकार को मूव करना चाहिए, समय उपयुक्त है। मैं लम्बा भाषण नहीं देकर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। बाढ़ के संबंध में बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं। मुख्य मंत्रीजी केवल केचमेंट एरिया से नुकसान नहीं हुआ है। इस बार जो विनाशलीला देखने को मिली या जन धन की जो अपार क्षति हुई है इसके कारण केचमेंट एरिया के अन्दर, बरसाती नदियों के अन्दर पिछले कुछ वर्षों में जो स्थाई काम किए गए थे जो सिंचाई के बंधे थे वे एक के बाद एक टूटे हैं। कृषि मंत्रीजी शायद इससे अवगत नहीं हैं, जोधपुर जिले में भी 7-8 बंधे टूटे हैं। आप दो उंगलियां बता रहे हैं। एक तो राजनारायण बताता है और एक आप हैं। बोसंदे का बंधा टूटा है, बागोरिया का बंधा टूटा है, हो सकता है आपने मेन्टीनेंन्स लिस्ट में नहीं रखे हों लेकिन 5-5, 7-7 लाख की क्षति हुई, पानी के बहने के बाद निश्चित तौर से ज्यादा नुकसान पहुंचा। बाढ़ का पानी मीठी नदी में गिरा है, कई जगह फ्लड बने हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर के अन्दर। आपको जानकारी नहीं है तो सिर ही हिला सकते हैं। हैलीकोप्टर से मालूम नहीं होता है, जोधपुर में तीन जगह से फ्लड आया है। 4-4 मील में फ्लड है। पहाड़ों में ज्यादा बरसात हुई है हैवी टारेन्शल डाउनपोर होने से बाढ़ गंगानगर की तरफ से आई। दूसरी एसुडिया से आई और तीसरी ओर से भी आई। कई गांवों में बाढ़ से नुकसान हुआ है जो फ्लड की तरह चला है। जैसे लूनी नदी के पास पूर्व में पिछले 90 सालों में जो रेलवे के पुल बने हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है, रेलवे के लोग आए थे। मैंने उनसे पूछा कि यह पानी जो आया है कितने क्यूसेक्स होगा। उन्होंने कहा ढाई लाख क्यूसेक्स उस समय निकला था। लेकिन ऐसा लगता है 4।। लाख क्यूसेक्स से भी ज्यादा इस साल चला है। यह केवल केचमेंट एरिया का नहीं है लेकिन बंधे टूटते गए और उसके कारण 1968 में बाढ़ आई, 1971 में बाढ़ आई, 1973 में आई, 1975 में आई लेकिन इन बाढ़ों में पीपाड़ और बालोतरा के कस्बों में पानी नहीं घुसा। नदी के दोनों तरफ पानी चला है और जन-धन को नुकसान पहुंचाता चला गया इसलिए मेरा पहला सजेशन यह है कि ये जो बंधे टूटे हैं जोधपुर में बगोरिया, कुड़ी, वेस्ट पायर का बंधा टूटा है, आरठिया कलां का टूटा है। और आरठिया खुर्द, थाणी का बंधा टूटा है। उसके बाद एनीकट्स टूटे हैं, कराणा बंधा टूटा, बैनण एनीकट टूटा है, यह पानी रुककर चला। इसका परिणाम यह हुआ कि इधर नदियों का पानी आया उधर बांधों का पानी आया। फ्लड्स और बंधों से अलग-अलग कुल मिलाकर 5 लाख क्यूसेक्स पानी चला है और आगे जाकर यह बांडी का पानी दूधारे के पाल से मिलता है। उसमें भी बाढ़ आई। कुल मिलाकर भारी क्षति हुई है और इस क्षति की वजह से नए टापू बन रहे हैं। जैसा

Page No.137

(श्री परसराम मदेरणा)

डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा फ्लड प्रोटेक्शन के काम गांवों में नहीं लिए। बालोतरा के दोनों तरफ नदी निकल रही है। ये काम क्योंकि प्लान सीलिंग में आते हैं। उसके अलावा सेंट्रल एसिस्टेंस चाहते हैं। फ्लड प्रोटेक्शन के काम कस्बों में नहीं कर सके। जो लूनी नदी से पानी आएगा तो पीपाड़ को खतरा रहेगा। लूनी का ओवर-फ्लो पानी हमेशा पचपदरा और बालोतरा के बीच में तो निकलता है लेकिन शहर में कभी नहीं आया और शहर में पहली बार आया इसलिए टापू बन गए हैं।

कराणा और जो बड़े-बड़े गांव हैं बीच में कई ऐसे गांव होंगे जिनमें फ्लड प्रोटेक्शन के काम नहीं लिए। पानी बीच में से निकला है। पानी का नैचुरल फ्लो रहेगा तो गांव वाले उसको काम में लेंगे। इसलिए फ्लड प्रोटेक्शन के काम हाथ में लें।

लो लाइंग एरिया वाले ऊंची जगह बसना चाहते हैं। पीपाड़ सिटी में भूमि नहीं थी, यह भूमि अवाप्त की जाए और उन लोगों को ऐसी जगह बसाया जाए ताकि भविष्य में जब फ्लड्स आयें तो ये बच सकें। अभी ये नदी के किनारे पर हैं, हमेशा खतरे में रहेंगे। 1975 में जिनको प्लाट्स दिए, जिलाधीश से भी मैं मिला था, वह कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटर ने प्लाट्स कैंसिल कर दिए और पेनल्टी भी लगा दी न मालूम क्यों? वह जमीन एक्वायर नहीं की हुई थी या दूसरे काम के लिए ईयर मार्क्ड थी। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो लोग लो लाइंग एरिया में हैं और जो ऊंचे स्थानों पर बसना चाहते हैं, उनके लिये जमीन एक्वायर करके उस पर उनको बसाना चाहिए।

तीसरा मेरा निवेदन है कि सीमेंट के संबंध में जो आपने बात कही है, नुकसान तो बहुत हुआ। एक आदमी का कुआं 50-60 हजार का गया, मशीनरी भी गई लेकिन सीमेंट की एक मुश्त वाली बात जो मंत्रीजी ने रपट में कही है, वह सत्यता से दूर है। सीमेन्ट का एक-एक कट्टा दिया है उसमें भी थोड़ी बहुत रिश्वत चली है दो-दो रुपए की भूपालगढ़ में चली होगी मुझे मालूम नहीं। लेकिन काश्तकारों के कुएं कम्पलीटली डेमोलिश हो गए उनको वापस बनवाने के लिए 30-40 कट्टों से कम किसी कुएं में सीमेंट नहीं लगेगा। इसलिए आपने जो 9 हजार टन सीमेंट दी है जोधपुर के रूरल एरिया का हमने जो एसेसमेंट किया था, रिलीफ एडवाइजरी कमेटी में दो अगस्त को मैंने कलेक्टर से कहा था कि मीटिंग इमीजिएटली बुलानी चाहिए, जोधपुर शहर में लगातार वर्षा के कारण इन्सजंट रेन्स के कारण जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनकी रिपेयर करने के लिए 5 हजार टन की आवश्यकता थी और बाहर रूरल एरिया में मकान और कुएं बनाने के लिए 10 हजार टन की मांग आंकी गई है, यह बहुत कम है। भारत सरकार के सीमेंट कन्ट्रोलर से निवेदन किया जाए, भारत सरकार पर दबाव डाला जाए, अगर रबी की फसल की बुवाई के लिए किसानों को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से सीमेंट का कोटा हमें ज्यादा देना पड़ेगा खास तौर से उस क्षेत्र में जहां कुएं अभी तैयार करने हैं और वापस रेस्टोर करने हैं। इसलिए सीमेंट की अविलंब व्यवस्था करनी चाहिए।

जो बाढ़ के समय अव्यवस्था रही उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं 19 की शाम को पहुंचा था और 29

(श्री परसराम मदेरणा)

तारीख तक जो किसानों व बाढ़ पीड़ितों को राशन दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया न शहरों में न गांवों में। कलेक्टर यह कह रहे थे कि या तो कोई कैम्प लगेगा तब तो देंगे नहीं तो राशन नहीं देंगे।

अभी उसके बाद में आपके यहां पर केन्द्रीय सरकार की स्टडी टीम भी आयी थी उसमें शायद दो लोग थे। टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण भी आप करवाने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अकाल और बाढ़ के समय में प्रति व्यक्ति 500 ग्राम आटा और दाल बांटने के आदेश दिये थे, लेकिन अभी तक आपके यहां से कोई कार्यवाही उस एरिया में नहीं हुई। 29 तारीख को आदेश हुए आज 12 दिन निकल गये हैं पर कुछ भी नहीं हो सका है। उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि वहां पर कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं ने अच्छा काम किया लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पुण्य का पैसा नहीं लेना चाहते हैं। वे लोग उधार लेकर काम चलाना चाहते हैं। वहां पर एक व्यक्ति के पास करीब दो सौ क्विन्टल अनाज था वह एक ही घंटे में बह गया। इतना ही नहीं जो व्यक्ति पीढ़ियों से पैसे वाले थे, जिनकी प्रोपर्टी थी उनकी प्रापर्टी की इस बाढ़ में एसी दुर्दशा हो गयी कि आप उ[illegible] अन्दाजा [illegible] कर सकते [illegible] इसलिये मैं आपको यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बाढ़ के एरिया में जो रिहैबीलिटेशन का कार्य शुरू करें उसमें पूरी सर्वे करा कर सही ढंग से व्यवस्था करावें। आज इस सरकार की इतनी अव्यवस्था है कि आदेश पहले होंगे नहीं, और हो जाते हैं तो वे आदेश क्लियर कट आदेश नहीं होते हैं। इससे काफी दिक्कत हो जाती है। दो तारीख को जो आदेश निकाले थे वे कहीं तो पहुंचे ही नहीं हैं। हमारे यहां पर दो तारीख को आदेश आये लेकिन जब मैं बाड़मेर और जैसलमेर गया तो मुझे सूचना मिली की अभी तक राज्य सरकार के कोई आदेश नहीं आये हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि जो भी आदेश निकाले वे स्पष्ट निकाले और जल्दी निकाले। नहीं तो आपके जो पटवारी हैं वे इसका कोई दूसरा इन्टरप्रिटेशन निकाल लेंगे। आप ऐसी व्यवस्था करावें जिससे लोगों को जल्दी राहत मिले। इसके लिये आपको एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम फिक्स करके कार्यवाही करनी चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को राहत नहीं पहुंचा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में पिछली सरकार ने सोइल कन्जरवेशन का काम किया था। जिसमें बाढ़ और फ्लड में कई जगह पर काम किये गये। अकेले जोधपुर डिविजन में 250-300 गांव थे जिनमें कि सोइल कन्जरवेशन का जो काम किया हुआ था वह सारा का सारा काम किया हुआ बह गया। पूरा का पूरा फ्लेट वह एरिया हो गया। इसके अलावा कुछ काम डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत भी किये गये थे इसमें सबसिडी अलग-अलग दी जाती थी 25 प्रतिशत वह आपको भी केन्द्र से मिलेगी इसके अलावा मेड़बन्दी के लिये और धोराबन्दी के लिये भी जो रुपया पिछली सरकार द्वारा व्यय किया गया था और किसानों में रुपया बकाया निकल रही है वह मेड़बन्दी और धोरों के बह जाने से राइट आफ किया जाना चाहिये। इसके अलावा मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि

श्री परसराम मदेरणा)

अभी आपको भारत सरकार द्वारा करीब 17 करोड़ और 48 लाख रुपये बाढ़ व अकाल के लिये दिये गये हैं। भारत सरकार ने 17 करोड़ 48 लाख नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 16 करोड़ 48 लाख रुपये मिले हैं। इसमें आपको तीन करोड़ मारजिन मनी रखनी पड़ेगी इसमें आपको एन्यूअल प्लान के तहत 25 प्रतिशत स्ट्रीक्यू करना पड़ेगा। इसके अलावा जो क्राइटेरिया फिक्स किया है उसमें आपको अपने पास से पैसा और मिलाना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि 6 करोड़ 37 लाख रुपये इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा तो इस प्रकार से 10 करोड़ 11 लाख रुपये बचेंगे। अभी जो राजस्थान में बाढ़ आई है वह उपाध्यक्ष महोदय, अन-प्रिसीडेन्टेड कलेमिटी आई है आपकी जो सेवन्थ फाइनेन्शियल कमीशन है उसमें भी आपको रिलीफ वर्क्स के लिये अलग-अलग पैसे दिये हैं इसमें फ्लड के लिये 70 प्रतिशत पैसा ग्रान्ट का दिया जाता है और उसमें बाकी का 25 प्रतिशत स्टेट को देना पड़ेगा। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि

> Where a calamity is of rare severity, it may be necessary for the Central Government to extend assistance to the State concerned even beyond the schemes we have suggested.

इस स्कीम के अन्तर्गत मेरा मतलब यह है कि जो फाइनेन्शियल एसिसटेन्स दी है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसी राजस्थान में बाढ़ आई वह इतनी अभूतपूर्व बाढ़ थी कि ऐसी कभी बाढ़ राजस्थान में पहले नहीं आयी। सलिये मेरा निवेदन है कि फ्लड के लोसेज के लिये जो फाइनेन्शियल हैल्प आपको भारत सरकार से मिली है वह अपर्याप्त होगी क्योंकि जो 25 प्रतिशत राज्य सरकार को देना पड़ता अपने पास से वह आप नहीं दे सकेंगे इसलिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप भारत सरकार से इसके लिये प्रोविजन करावें। अगर आप यह नहीं करा सकेंगे तो आप अकाल में जो नुकसान हुआ है और जो बहुत बड़े धन, जन और पशुधन की हानि हुई उसको आप कैसे पूरा कर सकेंगे ? अभी की अकाल के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? किस प्रकार कार्य करती है उसको तो मैं जानता नहीं हूं पर पिछली सरकार के जमाने में केन्द्रीय सरकार द्वारा मदद दी जाती थी उसमें से कुछ मारजिन मनी रखा जाता था हर साल करीब पांच परसेन्ट फाइनेन्शियल ऐसिसटेन्स के लिये। इस साल आपने अपनी जो योजना बनायी है वैसे तो टोटल प्लान आपका 1700 करोड़ रुपये का है लेकिन शायद इस साल 270 या 275 करोड़ रुपया आपने खर्चा करने का रखा है इसमें 3 करोड़ रुपये तो आपने बाढ़ और 15 करोड़ रुपये एडवान्स प्लान ऐसिसटेन्स के रूप में रखे हैं। भारत सरकार से आपको 25 करोड़ रुपये मिलने वाला है यह कम होगा। काम के बदले अनाज की स्कीम के अन्दर भी आपने मुख्य मंत्री जी 36 करोड़ रुपये का अनाज आपके पास था यह आपके 36 करोड़ रुपये 1977-78 और 1978-79 के अलावा था। अब दो साल का मारजिन मनी जो वेज एण्ड मीन्स के हिसाब से आपको एनकेशवल सिक्योरिटी के लिये रखने चाहिये। और जब आप भारत सरकार के पास जावोगे तो वह जाते ही आपको कहेगी कि आपके पास जो मारजिन मनी है पहले आप उसको खर्च करो। इसलिये इस प्रकार

(श्री परसराम मदेरणा)

आपको मेरे हिसाब से करीब 70-80 करोड़ रुपये अकाल और बाढ़ के अन्तर्गत मिलने वाले हैं और अगर यह रकम आपको नहीं मिलती तो इस अकाल की भयंकर विभीषिका को आप फेस नहीं कर पाओगे। अब इसमें यह देखने की बात है कि आपके पास जो रुपया है उसमें आप कितने जिलों को कितनी-कितनी राहत पहुंचा सकोगे। कितना रुपया आपको चाहिये और इसके लिये आपको फाइनेन्शियल मेमोरेंडम भी बनाना पड़ेगा। कितने गांव अकालग्रस्त हैं ? वहां पर आप क्या-क्या काम करने जा रहे हो ? कितने महीनों तक वहां पर काम चलेगा किस प्रकार का चलेगा ? इसके लिये आपको स्कीम्स बनानी पड़ेंगी। आप उन स्कीम्स को किस तरह से आपरेट करोगे ? अब आपको डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत पैसा मिला, फल्ड रेस्टोरेशन के लिये पैसा मिला काम के बदले अनाज की स्कीम आपने चालू की पर आपके अभी तक कई जगहों पर आदेश भी नहीं पहुंच पाये हैं। आप काम के बदले अनाज की स्कीम्स को क्या गांवों तक ही सीमित रखना चाहते हैं या आप उसको और भी बढ़ाना चाहते हैं ? अभी मैंने अखबारों में पढ़ा कि काम के बदले अनाज योजना को रिलीफ डिपार्टमेंट के कमिश्नर हैं उनके अन्डर में रखा है। रिलीफ कमिश्नर ही काम के बदले अनाज का कमिश्नर होगा। अगर काम के बदले अनाज की स्कीम को अच्छी तरह से नहीं चलाया गया तो इसमें भी आपकी अन्त्योदय योजना हालांकि अच्छी योजना थी उसका भविष्य तो अन्धकारमय हो गया है। आपने वैसे सात लाख लोगों को रोजी देने की बात कही है। ये सात लाख लोग कितने दिन तक काम करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पांच हजार लोगों को आपने काम तो दे दिया पर सिर्फ 15 दिन ही काम दिया और बाद में बन्द कर दिया या पाँच हजार की स्कीम थी तो कुछ लोगों को और जगह मिल गयी। तब निश्चित रूप से यह करना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा गरीब है क्योंकि आइडेन्टीफिकेशन कार्ड इस साल आप बना नहीं रहे हैं और यह सहायता सब पंचायतों के ऊपर छोड़ेंगे तो खतरा होगा। खतरा यह होगा कि कुछ लोगों को रोक दिया तो सुपरवीजन की ऐसी एजेन्सी लगानी पड़ेगी कि नीचे के आदमियों को सबसे पहले रोजी दी जा रही है। इस प्रकार की व्यवस्था काम के बदले अनाज योजना में करनी पड़ेगी। उसके साथ में काम के बदले जो अनाज मिलता है तो अनाज के अलावा उसकी और भी दूसरी आवश्यकतायें हैं। तेल, मिर्च, गुड़ और प्याज वगैरह तो इसके लिए थोड़ी आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर नही देते हैं और अनाज ही देते हैं तो फिर वह सस्ते में बेचता है तो इस योजना के साथ में क्योंकि अकाल पड़ गया है और इसको आप मास-स्केल पर ले रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि व्यवस्था ढंग से चलाने के लिए—चाहे यह व्यवस्था आप पंचायतों के मार्फत चलायें लेकिन इन लोगों को काम दिया जायेगा इसके संबंध में राज्य सरकार को निर्देश देने चाहिए।

अंत में यह निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की बहुत बड़ी समस्या रहेगी, चारे की भी समस्या रहेगी। निष्क्रमण कितना हो सकेगा या नहीं मुझे लगता है कि पड़ौसी प्रान्तों में भी सूखे की स्थिति है तो ऐसी राज्य सरकार ने जरूर योजना

(श्री परसराम मदेरणा)
बनाई होगी। अपने वनों में आप कितने पशुओं को रोक सकें ? माइग्रेशन रूट पर भी आपको व्यवस्था करा लेनी चाहिये। लेकिन साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि अभी थोड़े दिन पहले कुछ इलाके के अन्दर बरसात हुई है अभी पाँच छः रोज पहले। जैसलमेर के कुछ इलाके में हुई है, फलौदी के गांवों में हुई है जो कि 15–20 गाँव हैं लेकिन पाली के एरिया में पानी नहीं है और वहाँ बरसात भी नहीं हुई है। कल जैसा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था और मेरा भी अनुरोध है कि पाली एरिया में सब जगह पाइप से पानी नहीं पहुंचा सके तो कुछ एरिया में दस बारह किलोमीटर तक पहुंचा दें तो उस इलाके में कुछ मवेशियों को बचा सकेंगे। उसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरा घास पशुओं को जाकर मिलेगा जुलाई के अन्दर और अगर थोड़ा बहुत भी लोगों के पास स्टाक है तो क्योंकि इस साल हरा घास नहीं हुआ है और सूखा घास खाकर मवेशी को आप नहीं बचा सकते ऐसा अनुभव पहले के अकालों का रहा है मेरा सुझाव है कि फीड देने के लिए जो स्कीम वालन्ट्री एजेन्सी ने की थी उसमें कीमतें बढ़ी हुई हैं उसमें सबसीडी को बढ़ाया जाय अगर आप फीड नहीं देंगे तो मवेशी नहीं बच सकेगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय और एक घंटे के लिए याने 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया गया

राज्य में बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर विचार

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मेरा निवेदन है कि मवेशियों को बचाने के लिए आपको फीड की व्यवस्था करनी चाहिए और वह सूखा फीड है उसके साथ भी हरा चारा उगाने के लिए जिस तरीके से सावन में व्यवस्था की गयी-हालत हमारी खराब कर दी है फिर भी अकाल के जो 9 महीने बाकी हैं और पशु-धन की सुरक्षा आवश्यक है गंगानगर के नहरी इलाके में जहाँ कहीं भी चारा उगा सकें ट्यूब वैल्स के आस-पास में उसकी कोशिश करनी चाहिए।

अंत में मैं पानी के संबंध में निवेदन करना चाहूँगा। यह अनुभव रहा है कि टैंकरों से जो पानी हम पहुंचाते हैं यह बहुत ही थोड़ा पानी मिलता है। एक गैलन पानी फेमिली को नहीं मिलता है क्योंकि आबादी बढ़ गयी गांवों में। टैंकर भी खराब होते रहते हैं क्योंकि वह पुराने हैं। जहां आप देखते हैं कि पानी पहुंचाना पड़ रहा है तो वहां पांच छः मील के पास में पानी का सोर्स है उस तरह की स्कीम बनाई जाये और जिलाधीशों ने प्लानिंग कमेटी में स्कीम ड्राफ्ट करके भेजी है, मैं ऐसा मानता हूं कि राज्य सरकार जिस वार फुटिंग की बात कर रही थी अगर इस लेवल पर लिया जाये तो

Page No.142

(श्री परसराम मदेरणा)

पम्प और टैंक की योजना दो महीने में निश्चित रूप से तैयार हो सकती है और जहां हमें पानी पहुंचाना पड़ रहा है और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसका 2 परसेन्ट भी पानी नहीं पहुंचा पाते हैं इतनी बड़ी फ्लीट होते हुए भी पानी की समस्या आने वाले समय में होगी और जो गर्मियां आने वाली हैं उसमें तो सबसे बड़ी समस्या पानी की आयेगी इसलिये पम्प एण्ड टैंक की स्कीम को लाने वाले हैं और एग्जीलरेटेड तरीके से चलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप पानी की समस्या का समाधान कर पायेंगे। आप पानी केवल लोगों को पीने के लिए देते हैं, मवेशियों के लिए नहीं दे सकते। मेरा ऐसा मानना है कि आप टैंक एण्ड पम्प स्कीम से मवेशियों को भी पानी दे सकते हैं।

अंत में माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरा यह कहना है कि स्थायी कार्य किये जायें ताकि फेमिन का स्थायी हल निकल सके। इस संबंध में आपका भी हमेशा एम्फेसिस रहा है। राजस्थान के अन्दर अगर आप लिफ्ट इरिगेशन की योजना हो, यह केवल इरिगेशन के लिए ही नहीं है कि अनाज पैदा किया जाये लेकिन लिफ्ट इरिगेशन योजना के पीछे सोशियल जस्टिस का आधार भी है। इसके पीछे यह आधार है कि जो राजस्थान का पश्चिमी भूभाग है और चार लिफ्ट इरिगेशन योजना से वहाँ पानी ले आते हैं तो कई जगह वाटर और ग्रास पोण्ड्स हो सकेंगे और अकाल के समय में मवेशियों को बचा सकेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा अभिप्राय यह है और भावना भी यह है कि आप बहुत बड़ा काम हाथ में लेने जा रहे हैं और अकाल में रेलवे लाइन भी बनती है, बड़े-बड़े बन्धे भी बनते हैं तो लिफ्ट इरिगेशन का काम आप हाथ में लेलें तो 1½-2 लाख लोगों को मजदूरी मिल जायेगी और अकाल के स्थायी हल निकालने की दिशा में भी निश्चित रूप से सशक्त हमारा कदम होगा।

यही कहते हुए जो आपके पास बाढ़ से राहत देने के लिए पैसा मिला है, अभी तक राहत दी गयी है वह सभी टेम्परेरी रिलीफ दिये हैं। परमानेन्ट रिलीफ देने के लिए जो अमाउन्ट आपको मिला है चाहे वह जमीन को ठीक करने के लिए है या कुओं की रिपेयर के लिए है या इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को रीहेबीलीटेट करने के लिए है और चाहे काश्तकारों को मवेशी आदि खरीदने के लिए है। यह कर्जा और धनराशि आप अगले महीने तक उपलब्ध करा दें, नहीं तो एक तरफ बाढ़ से लोग मर रहे हैं, अकाल पड़ गया, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अंत में जाकर इस साल पूरे राजस्थान में अकाल है। मैं ऐसा समझता हूं कि टोटल इफेक्टेड पापुलेशन 15 परसेन्ट लोगों को रोजी का साधन मुहैया कराना पड़ेगा और अगर इसको देखेंगे तो 15-20 लाख लोगों के बीच में अंदाजा ऐसे लोगों का हो सकता है। जो आपके सातवें फाइनेंस कमीशन ने स्कीम तैयार करने के लिए कहा है वह एडवांस में प्लानिंग कर लेंगे ताकि आप समय पर अकालग्रस्त लोगों को समुचित राहत दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी इन्टर्वीन करना चाहते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इन्होंने इस विपत्ति के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की चर्चा में जहाँ सरकार की आलोचना की है वहाँ साथ ही रचनात्मक सुझाव भी दिये हैं/...

(7.00 सायं)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

इस सदन के कई माननीय सदस्य अकाल से परिचित हैं, बाढ़ से परिचित हैं और अकाल और बाढ़ के राहत कार्यों से परिचित हैं। इस लिये उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कई सुझाव इस/सदन को दिये हैं। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इन रचनात्मक सुझावों का राज्य सरकार भरपूर लाभ उठायेगी और जो कुछ भी व्यवस्था की जा सकती है, करने में किसी प्रकार का संकोच/ नहीं किया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जुलाई में बाढ़ के कारण तबाही हुई और आज हमें अकाल का सामना करना पड़ रहा है। कई माननीय सदस्यों ने यह/कहा और मैं भी स्वीकार करता हूं कि राजस्थान में न तो पहिले कभी बाढ़ आई और न आज जैसी अकाल की स्थिति बनी। इन दोनों स्थितियों का मुकाबला करने के लिये केवल राज्य सरकार/सब कुछ कर पायेगी यह कहना उचित नहीं होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और राजस्थान की जनता, समस्त राजनैतिक दल और दलों के नेता मिलकर इस समस्या के समाधान करने/में सक्रिय रूप से यदि सहयोगी बनें तो इस जटिल समस्या का हम समाधान निश्चित रूप से कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस/समस्या को राजनैतिक स्तर पर न तो देखती है और न राजनैतिक स्तर पर इसका समाधान करने की चेष्टा करती है। मेरा विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें विरोधी पक्ष के/नेताओं को विश्वास होगा और इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि जब जुलाई में बाढ़ आई तो माननीय मथुरादासजी माथुर, श्री परसराम जी मदेरणा और उस क्षेत्र के बाकी के सदस्य कम/से कम इस बात की शिकायत नहीं कर सकते कि राज्य सरकार ने उनसे कोई बात छिपाई हो। राज्य सरकार ने कोई सुविधा, जो दी जा सकती है, नहीं दी हो या इनसे सलाह मशविरा/ न किया हो। जितना राज्य सरकार से बन सकता था, वह सब कुछ हमने किया है और इस आधार पर मैं माननीय सदस्यों को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अकाल में किसी प्रकार की/ राजनीति को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। आज सदस्य चाहे किसी भी दल से आये हों, मैं सारे सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और मेरा विश्वास है कि मुझे या राज्य सरकार को/इस प्रकार का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता है कि अकाल और बाढ़ की जब भी पहिले सदन में चर्चा हुई है तो उस चर्चा में प्रमुख रूप से जिन/ बातों का उल्लेख किया जाता था उनमें एक बात यह भी थी कि धन का भयंकर रूप से दुरुपयोग होता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस सदन में जब भी इस प्रकार की चर्चा/हुई, लोगों ने जांच की मांग की, कमीशन की मांग की, कई अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग की। अब मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दो/दिन की बहस में किसी भी माननीय सदस्य ने इस बात का आरोप नहीं लगाया कि जो कुछ भी हमने सहायता दी है, उस सहायता का दुरुपयोग हुआ है।

एक माननीय सदस्य : सहायता दी कहां है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने भी आप सब को सुना है। सुनने की तसल्ली आप भी रखिये।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा था। अभी रघुनाथ विश्नोई जी ने कहा कि 2 करोड़ 67 लाख बाढ़ की सहायता में खर्च हुआ है। मामूली धन नहीं है। 2 करोड़ 67 लाख का खर्चा कर दिया। आप लोग किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर पाये कि धन का दुरुपयोग हुआ है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भविष्य में भी जो धन अकाल राहत या बाढ़ राहत कार्यों में खर्च होगा उसमें भरपूर चेष्टा की जायेगी कि धन का किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन एक परिवर्तन था जिस परिवर्तन की ओर इस सदन ने संकेत दिया है। इसलिये आप लोगों को यह विश्वास हो जाना चाहिये। कि सरकार जो कुछ भी खर्च करेगी वह निश्चित रूप से राहत के कार्यों में खर्च होगी। अध्यक्ष महोदय, यह एक बात विशेष रूप से कही गई कि हम इसको राजनैतिक स्वरूप देकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद बनाना चाहते हैं। अभी माननीय सदस्य जो भोपालगढ़ से आये हैं उन्होंने, भारत सरकार को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसका उदाहरण दिया और साथ ही फाइनेंस कमीशन ने इस संदर्भ में जो सिफारिश की है उनका यहां उल्लेख किया है। माननीय सदस्यों को जानकारी होगी, जब केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेकर वापिस पहुंचे तो एयरपोर्ट पर प्रेस कान्फ्रेन्स हो रही थी। इन प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि राज्य सरकार ने जो राहत के काम चालू किये हैं या अब तक जो कार्यवाही हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य सरकार ने जो कार्य किये हैं, मुझे उसमें पूर्ण संतोष है और यह बात जुलाई अगस्त की हो गई। अभी राज्य मंत्री जो सिंचाई विभाग को देखते हैं और सौभाग्य से राजस्थान के हैं, उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहिले प्रेस वालों को फिर दोहराया कि राज्य सरकार के काम से वे सन्तुष्ट हैं। मैं कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त करूं इस आधार पर नहीं कह रहा हूं। इसलिये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायत नहीं हो सकती कि राज्य सरकार को जो धन दिया उससे भारत सरकार को किसी प्रकार का असंतोष हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमने सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद 119 करोड़ 53 लाख रुपये का नुकसान मोटे रूप में असेसमेंट कर के भारत सरकार को दिये है। सारा एसेसमेंट अगर किया जाये तो 125 करोड़ की क्षति इस बाढ़ के कारण से हुई है। यह मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार का इतिहास नहीं है वह राज्य सरकार चाहे राजस्थान सरकार की हो चाहे इस देश को कोई भी प्रांतीय सरकार हो सारी क्षति की शत प्रतिशत कोई पूर्ति कर दे। प्रश्न केवल इतना सा आता है कि जो क्षति हुई है जिससे लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों को इतनी सहायता दे दी जाये कि वे अपने-2 पैरों पर खड़े हो कर अपनी आजीविका के साधन जुटा सकें। इस दृष्टि से हमने भारत सरकार से मांग की थी और उस मांग के फलस्वरूप हमें 16 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति मिली है। इस स्वीकृति में जैसा आपने कहा 3 करोड़ हमारी मार्जिनल मनी है। उसमें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जो कुछ सहायता दी जा रही है उसका एक

Page No.145

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चौथाई राज्य सरकार को अपने बजट से देना है। उस आधार पर कुल मिलाकर हमको 10 करोड़ 11 लाख की सहायता मिली है। मैंने जो इस प्रसंग को इस आधार पर लिया और इस आधार पर रखा था कि माननीय परसराम जी ने अभी उठाया कि जिस समय यह प्रश्न माननीय कृषि मंत्री के सामने प्रेस कान्फ्रेन्स में प्रस्तुत किया गया कि राजस्थान में जिस प्रकार की बाढ़ है अभूतपूर्व है और इस प्रकार की बाढ़ कभी नहीं आई। फाइनेन्स कमीशन की रिकमंडेशन्स के आधार पर यदि एक चौथाई की शर्त रखी गई तो राज्य सरकार की वेज एण्ड मीन्स की पहुंच के बाहर हो सकता है इसलिये इसको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एक बटा चार जो हमें अपना कन्ट्रीब्यूशन देना है, उसको किसी तरह वेव-आफ करे, यह प्रश्न चला है। माननीय परसराम जी को मालूम है यह अभूतपूर्व घटना है और विशेष परिस्थिति मानकर भारत सरकार को सहायता देनी चाहिये। अब मैंने इस आधार पर निवेदन किया स्टडी टीम ने इसको देखा, भारत सरकार के कृषि मंत्री ने इसको देखा, भारत सरकार के सिंचाई मंत्री ने इसको देखा, भारत सरकार के अन्य अधिकारियों ने इसको देखा, समाचार-पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ– राज्य सरकार ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसके बावजूद केन्द्रीय सरकार 10 करोड़ 11 लाख की सहायता देता है तो निश्चित रूप से चिन्ता का विषय बनता है और इसी चिन्ता के लिये भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये भाषण दिये इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से न भागना चाहते हैं और न उस जिम्मेदारी को दूसरों के सिर पर डालकर बचना चाहते हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं राज्य सरकार के जो भी साधन हैं, जो भी मीन्स हैं, वह राजस्थान की जनता के साधन हैं और उन साधनों का उपयोग जनता के लिये होता है तो हमें किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है और न संकोच करेंगे। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आज हमने फिर भारत सरकार से निवेदन किया है, भारत सरकार को याद दिलाया है कि कृषि मंत्री जी की जो इस सम्बन्ध में भावनायें रही हैं, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया, इसका खेद है और सदन में जिस प्रकार का सहयोग देने का वचन दिया है, मैं पुनः निवेदन करूंगा राजस्थान की वेज एन्ड मीन्स की पोजीशन को देखते हुए और राजस्थान में जो अन-प्रिसिडेन्टेड फ्लड आया है उसमें 1/4 के हमारे कन्ट्रीब्यूशन की शर्त को हटाया जाय। साथ ही 16 करोड़ 48 लाख की जो सीलिंग रखी है यह कम है, इसको और बढ़ाया जाय ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, यहां यह प्रश्न उठाये गये कि बाढ़ आ गई और उसकी सूचना नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, यह आपने भी सुना होगा, माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा कि पिछले 100 वर्षों में इस प्रकार की बाढ़ आने की जानकारी नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने कहा 80 वर्ष में इस प्रकार की बाढ़ नहीं आई। आज जब ये मानते हैं कि 80 और 100 वर्ष में इस प्रकार की बाढ़ नहीं आई और किस प्रकार पश्चिमी

Page No.146

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में सूचना दी जाय, इसके मैथड नहीं थे, कोई साइन्टिफिक मैथड नहीं थे, कोई रेगूलेटेड मैथड नहीं है, यह आप भी मानते हैं लेकिन जैसा भोपाल सागर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा बाढ़ से नुकसान हुआ है और यह नुकसान केवल नदियों से ही नहीं हुआ है। कई आस-पास के टैंक टूट गये। नदी का जो केचमेंट एरिया था, उसके बाहर से भी पानी आया और इस प्रकार दोनों ने मिलकर तबाही की है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं अजमेर में 22 इन्च वर्षा होगी तो लूनी में कितना पानी आयेगा। अजमेर में वर्षा हुई और लूनी में पानी चला गया।

सन् 73 में जब लूनी में पानी आया था उधर जसवन्त सागर में पानी आया और जसवन्त सागर से आगे बिलाड़ा को जानकारी दी लेकिन वहाँ पानी नहीं पहुंचा। अजमेर में वर्षा हुई तो बालोतरा से आगे नहीं पहुंचा पानी। कहीं यह अन्दाज नहीं था कि 24 इन्च वर्षा होगी, कहीं 26 इन्च वर्षा होगी और कहीं 28 इन्च वर्षा होगी और इस वर्षा का पानी रन आफ कच्छ तक पहुंचेगा और रास्ते में तबाही करेगा।

मैं उन अधिकारियों की प्रशंसा किये बिना भी नहीं रह सकता हूं चाहे उनकी यहाँ कितनी ही आलोचना की जाय डी० वाई० एस० पी०, एस० पी०, इन्सपैक्टर, सब-इन्सपैक्टर, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर सभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक दूसरे के कन्धा से कन्धा मिलाकर लोगों की जानें बचाई हैं। आज आप यह कहें कि बालोतरा में सूचना नहीं दी—मैं बालोतरा गया हूं और बालोतरा में जानकारी दी या नहीं दी, इसकी आप जानकारी कर सकते हैं। बालोतरा में तांगे से ऐलान किया गया कि बाढ़ आ रही है जितना बच सकते हैं बचें लेकिन लोगों ने कहा नहीं, बाढ़ नहीं आ सकती है। फिर भी मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा इसके बावजूद भी कोई कमी रही है और भविष्य में कोई खतरा पैदा न हो, उस बात की भी हम चेष्टा करेंगे।

मैं जोधपुर क्षेत्र की जनता का और राजस्थान की जनता का भी अभिवादन किये बिना नहीं रह सकता हूं कि संकट के समय में जितना जोखिम उन्होंने लिया है और जो कुछ भी बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता कर सकते थे वह की है। मैं समझता हूं अगर उनके प्रति आभार प्रकट नहीं करूंगा तो मैं उन सब बातों को भूलकर चलूंगा जो उन्होंने संकट के समय में हमें प्रदान की हैं इसलिये मैं उनके भले कार्यों को किसी प्रकार भूल कर नहीं चल सकता हूं और उन राजनीतिज्ञों का भी जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर खास तौर से माननीय दोनों नेताओं ने माननीय परसराम जी मदेरणा और माननीय माथुर साहब ने जो संकट की घड़ी में साथ दिया है, उनका भी आभारी हूं।

परसराम जी के साथ हमारे मंत्री जय नारायण जी पूनिया गये और माथुर साहब को भी भेजा, अन्य अधिकारी भी उनके साथ में थे। तो हमने कहा पूनिया जी आप इधर का रास्ता पकड़ो और इनको इधर के रास्ते चलने दो। तब जय नारायण जी पूनिया ने कहा मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा और बीच में नदी नाले जो भी होंगे उनको पार करते हुए पहुंचूंगा और उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर पाली पहुंचे-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जब ये पाली पहुंचे थे तो इनके पहले बाहर का कोई कौवा भी वहाँ नहीं पहुंचा था और न ही पहुंच सकता था। उन्होंने सरकारी अफसरों को साथ में लेकर उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहाँ कोई अन्दाज नहीं लगा सकता है। मैं भी गया, उस गाँव का नाम भूल गया कलेक्टर और डागा साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, गले-गले जितना पानी आया और रस्सा बान्ध कर खींचते रहे...

एक माननीय सदस्य : खाण्डी गाँव था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो खाण्डी गाँव की यह स्थिति थी। हमारे मूल चन्द जी डागा अभी यहाँ नहीं हैं और मैं उनके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा लेकिन जब मूलचन्द जी डागा खाण्डी जा रहे थे तो उन्होंने ये ही शब्द उच्चारे थे कि जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी मौत करवाना चाहते हैं तो यह सब कुछ हुआ है लेकिन फिर भी उन्होंने एफर्ट्स किये। मैं कोई आलोचना नहीं करता लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में कार्यकर्ताओं ने काम किया है, अधिकारियों ने काम किया है, मंत्रियों ने काम किया है, माथुर साहब यहाँ हैं नहीं। हमारे कृषि मंत्री, कल्याण सिंह जी कालवी तीन मील पानी में चलकर पाली पहुंचे। आखिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो कैसे पहुंचते। जहाँ भी सम्भव हो सकता था और जहाँ भी किसी भी प्रकार पहुंचा जा सकता था, हम निश्चित रूप से पहुंचे हैं। आपको मालूम है लूनी के पास डी० एस० पी० नारायण सिंह जी गये और जीप से गये, जीप पानी में गिर गई लेकिन वहाँ किस्मत से एक ट्रक खड़ा था, वे डी. वाई. एस. पी. साहब किसी तरह उसकी छत पर चढ़ गये और अपनी जान बचाई। ट्रक की छत पर 12 घंटे निकाल कर वायरलैस से सूचना दी लेकिन हमारे वायरलैस सैट्स भी ठीक काम नहीं कर रहे थे और परिणाम यह हुआ कि जोधपुर को सूचना न होकर उसकी पूना में सूचना हुई जहाँ से राजस्थान को ट्रान्समिट करते थे।

जोधपुर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा, बालोतरा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा, बाड़मेर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा, जालोर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। रहा बल्कि मैं यह कहूं कि जिस स्थिति में आकर के सरकारी अधिकारी हैल्ड-अप हो गए, उसके बाद आगे जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। मुझे खेद है कि सब कुछ करने के बावजूद हमारे कई बन्धु इस बाढ़ के शिकार हुए हैं, मैं उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं और इसको किए बिना रहना उचित नहीं होगा। जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्णरूप से पूर्ति करना तो सम्भव नहीं है लेकिन सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो कुछ किया है और जो कुछ करना है उसमें हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो बाढ़ से तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं किसी प्रकार से अपने पैरों पर खड़े हो जावें और किसी प्रकार से अपनी व्यवस्था करें।

अभी-2 माननीय सदस्य कुछ सीमेंट के बारे में बोल रहे थे। सीमेंट की बहुत जबरदस्त कमी हो रही है और इसके कारण से कुओं की मरम्मत नहीं हो सकी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे प्रश्न सीमेंट का हो, चाहे प्रश्न डीजल का हो यह कोशिश

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हम अवश्य कर रहे हैं कि जितने कुएं भर गए हैं उनके लिए जो कुछ सहायता दें, जो भारत सरकार से सहायता मिलने वाली है वह सहायता और राजस्थान सरकार की तरफ से जो सहायता देने वाले हैं वह सहायता, और आवश्यकता पड़ी तो बैंक से कर्जा लेकर और उस कर्जे के साथ सीमेंट, इन सबका एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाय। जिसके आधार पर जो कुएं रिपेयर्स हो सकते हैं उनकी रिपेयर्स की जाय और जिन कुओं का नव निर्माण हो सकता है उनका नव निर्माण करके पुराने कुओं की मरम्मत का कार्य चालू किया जावे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने सीमेंट का भी अलॉटमेंट कराया है और उसके कारण से 45 हजार क्विन्टल का आवंटन अभी-2 कराया है। अभी-2 मुझे सूचना मिली है। इसके आधार पर 25 कट्टे प्रत्येक कुएं की दर से इक्वीप्रेंटली दे देंगे ताकि इधर पैसा मिले उधर सीमेंट मिल जाय और और इधर धन मिल जाय ताकि कुओं के निर्माण का काम हो सके। यदि पैसा दे दिया और सीमेंट नहीं मिली तो पैसे का दुरुपयोग होगा। यदि सीमेंट को दे दिया और पैसा नहीं दिया तो सीमेंट ब्लैक मार्केट में चली जाएगी। इस तरह से दोनों को टाई-अप करके इसके माध्यम से कुओं के निर्माण का काम चालू कराया जाएगा।

जहां तक फ्लड प्रोटेक्शन वर्क का प्रश्न है यह मामूली बात नहीं है। चर्चा जरूर करते हैं कि नदियों से लोगों को बचाने के लिये यह फ्लड प्रोटेक्शन वर्क हो लेकिन भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि यह अरबों की स्कीम बने तो इस नदी के पानी को रेगुलेट कर पायेंगे। आज ऊपर से देखें तो लूणी नदी के लिए मालूम होगा कि कितने रास्ते लूणी नदी बदल रही है और कितने रास्तों से लूणी नदी चल रही है। मैं पिछले दिनों पाली में गया था। वहां के एक रेडियो नाला, जिसका कोई लेना-देना नहीं था, विशेष बात नहीं थी, वही रेडियो नाला पाली से लेकर रोहिट तक और रोहिट से दूसरे रास्ते पर कई जगह यह रेडियो नाला आता है।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत खतरनाक नाला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह रेडियो नाला जो एक नाला था, सात-आठ रेडियो नाला बन गया। आज जो लूणी नदी एक नदी थी वही एक मोटे रूप से तीन नदी बन गई है। मीठड़ी नदी एक जगह से निकलती थी उस नदी की दो शाखायें हो गई हैं। उसी प्रकार से सूकड़ी नदी की हालत हो गई है। ऐसी हालत में नदियों ने जिस तरह से रास्ता बदला है उससे आप यह मान कर चलें कि प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी जरूर है लेकिन प्रोटेक्शन करने का काम, फ्लड प्रोटेक्शन का काम लेना आसान बात नहीं है। हम भी अपने एक्सपर्ट लगायेंगे जो भी आवश्यक योजना बना सके उसको लगायेंगे लेकिन यह योजना एक लम्बी योजना होगी, एक छोटी योजना होगी। जैसे कि तत्काल इधर बाढ़ की स्थिति आ गई तो किस प्रकार से लोगों को बाढ़ से बचा सकें और आगे की बारिश में किस प्रकार से लोगों को बचा सकें, इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे और जितने भी एक्सपर्ट हमारे पास हैं उन एक्सपर्ट्स को नियुक्त करेंगे।

मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस बाढ़ के बाद अकाल की स्थिति भी है। इस

Page No.149

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अकाल की स्थिति के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि अभी तक गिरदावरी नहीं हुई। यह बात सही है कि गिरदावरी अभी तक पूरी नहीं हुई। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि गिरदावरी की आवश्यकता ही क्या है? मैं समझता हूं कि जो सत्तारूढ़ रहे हैं उनको यह मालूम है कि यदि हम गिरदावरी नहीं कराकर अकाल घोषित करेंगे तो जिस प्रकार से भारत सरकार से सहायता लेना चाहते हैं वे यही कहेंगे कि अकाल का कोई आधार नहीं है। वहां यह देखने वाला नहीं हैं कि पूरे राजस्थान में अकाल पड़ गया है। वहां यह देखने वाला नहीं बैठा हैं कि पूरे राजस्थान के 33 हजार गांवों में अकाल की स्थिति है। वहां पर यह देखने वाले भी नहीं बैठे हैं कि पूरे राजस्थान में पानी नहीं हुआ है। वे तो पहले गिरदावरी की रिपोर्ट देखेंगे। फिर गिरदावरी रिपोर्ट के अन्दर देखेंगे कि कितना खराबा हुआ है इसको देखेंगे। फिर खराबे के साथ यह देखेंगे कि जिस क्षेत्र के अन्दर खराबा हुआ है उस क्षेत्र में रबी की फसल के आसार कितने हैं, इरिगेटेड लैण्ड कितनी है, इरिगेटेड पोटेंशियल को आइनस करेगी और उसके बाद जो बचेगा, उस बचे हुए क्षेत्र में कितने दिनों तक फसल होती थी और कितनी फसल होती थी, सारी एस्टीमेंट करने के बाद फ्लड एण्ड फैमिन रिलीफ के रूप में भारत सरकार देगी। आज यह बात भी यहां आई, और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने केस ठीक प्रकार से नहीं रखा जिसके कारण केवल 10.11 करोड़ रुपये की मदद ही भारत सरकार ने दी है। आज वही लोग बाद में जाकर यह चर्चा करेंगे कि राजस्थान सरकार ने गिरदावरी नहीं कराई जिसकी वजह भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया। भारत सरकार का कहना वाजिब था। भारत सरकार के पास कोई आधार होना चाहिए जिस आधार पर हम कह सकें। मैं तो यह सोचता था कि माननीय सदस्य इसकी प्रशंसा करेंगे कि पिछले गिरदावरी होती थी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक और 15 नवम्बर तक रिपोर्ट आती थी। हम भी इस सदन में कई बार मांग करते थे और यह कहते थे कि जिस क्षेत्र में 2 इंच बारिश हुई है, बारिश के मौसम में केवल एक बार बरसात हुई है वहां गिरदावरी क्या करेगी? उस समय माननीय सदस्यों को यह ध्यान होगा कि सबकी तरफ से यह मांग रखी जाती थी तो सरकार की तरफ से यही उत्तर दिया जाता था कि गिरदावरी 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होगी। 15 नवम्बर तक राजस्थान सरकार के पास रिपोर्ट आएगी और 15 नवम्बर को रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार अकाल घोषित करेगी। जिस क्षेत्र में अकाल की स्थिति बनेगी वहां अकालग्रस्त एरिया घोषित किया जाएगा और अकालग्रस्त क्षेत्रों में टैस्ट वर्क चालू होंगे। यह आज तक आपने परम्परा डाली है उसका उल्लेख मैंने किया है लेकिन हमने उस परम्परा को तोड़ कर काम किया है। जैसा हमारा फेमिन कोड है, फेमिन कोड अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। फेमिन कोड में एक मामूली सा संशोधन 62 के साल में हुआ था, उसके बाद इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ। उस फेमिन कोड में संशोधन करने के लिए हमने समिति गठित की। उस समिति ने सारे फेमिन कोड का अध्ययन किया और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की रिपोर्ट से, अभी तक फेमिन रिलीफ के नाम पर देखते थे, आज हम फेमिन रिलीफ नहीं कहना चाहते, प्राकृतिक विपदा से किस प्रकार से निपटा जाय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस प्रकार से जो आदमी पीड़ित हों, वे लोग ओलों से पीड़ित हों वे लोग, बरसात से पीड़ित हों वे भी इसमें सब शामिल हैं। बरसात के अभाव के कारण पीडित हों वे भी शामिल किए हैं। हम इस प्रकार की व्यवस्था लेकर चल रहे हैं। मेरा निवेदन करना है कि हम गिरदावरी और भी जल्दी करवा सकते थे। यह अकाल इस सदी का एक अनप्रीसीडेन्टेड अकाल है। इसके साथ ही चुनाव भी हमारे सामने आए हैं। वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम भी चालू है। सरकारी अधिकारी एक साथ दो-दो, तीन-तीन व चार-चार जिम्मेदारी के काम नहीं कर सकते। लोग चुनाव के काम में लगे रहे जिसके कारण गिरदावरी वाले काम में हालांकि विलम्ब नहीं हुआ, आप यह सोचते हैं कि गिरदावरी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वह गिरदावरी की रिपोर्ट पहले भी आ सकती थी लेकिन इसका कारण यह रहा है।

मैं आपको एक और भी निवेदन करूंगा। सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई काम नहीं चल रहे हैं, मैं उनको इतना बता सकता हूं कि पाँच हजार काम फूड फोर वर्क के अन्तर्गत चल रहे हैं और एक लाख 22 हजार लोगों को एम्पलायमेंट मिल रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : हमारे जिले में कोई काम नहीं चल रहा है। मैं यह चैलेंज करके कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। अब आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है। आप कह दीजिए कि एक लाख 22 हजार आदमी काम पर नहीं लगे हुए हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : हमारा जिला सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, वहां पर एक भी आदमी काम पर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जाते तो हैं नहीं..

(व्यवधान)

श्री वृद्धि चन्द जैन : मैं चैलेंज करता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें अन्तर हो तो मैं चैलेंज करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करता हूं कि इस साल अक्टूबर के महीने में एक लाख को और एम्पलायमेंट मिले इसकी हमने एक तरह से व्यवस्था की है। सारी व्यवस्था फूड फोर वर्क के अन्तर्गत की जा रही है। एक लाख 22 हजार आदमी और एक लाख का और एडीशनल एम्पलायमेंट होगा। महीने के अन्त तक दो लाख आदमियों को एम्पलायमेंट मिलेगा। जो माननीय सदस्य भोपालगढ़ से आए हैं उन्होंने इस बात की चर्चा की कि इस वक्त राज्य सरकार को 15 परसेंट लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। मैं कह नहीं सकता कि 15 परसेंट होगा या कम फिगर होंगे लेकिन जिस प्रकार की व्यापक अकाल की स्थिति है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें एम्पलायमेंट प्रोवाइड करना है और इसलिए मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस अकाल की समस्या से निपटने के लिए साठ करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है और साठ करोड़ रुपये खर्च होने तक जो रेगिस्तानी आबादी की समस्या है उससे किस प्रकार से निपटा जाएगा यह योजना हमारे सामने है और उस समस्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

7 करोड़ का प्रावधान हम करेंगे। भारत सरकार से लाएंगे, जो वालिन्टियरी एजेन्सीज हैं उनको काम में लगाएंगे और इसके अलावा जो राज्य सरकार के साधन हैं उनका भी हम उपयोग करेंगे और उन सब का उपयोग करके इस समस्या का समाधान करने में हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब प्रश्न यह आता है कि हम इस सात करोड़ रुपये को किस प्रकार से खर्च करें। फूड फार वर्क के अन्तर्गत काम चल रहे हैं, इसके अलावा डी. पी. ए. पी. के काम चल रहे हैं, डी. ए. पी. के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके अलावा सिंचाई के तालाबों के काम करवाने हैं और बाकी के जो काम योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे हैं उन पर भी हमें खर्चा करना है, इस सारे खर्च को किस प्रकार से चेनेलाइज कर सकें, रेगुलेट कर सकें, तो इन सारे खर्चों का रेगुलेराइजेशन कर के जो कुछ खर्च हम कर सकेंगे, करेंगे और इस खर्च से परमानेन्ट असेट्स बनाई जाएंगी। माननीय परसराम जी मदेरणा जानते हैं कि 250 करोड़ रुपया आज तक राजस्थान में अकाल के अन्तर्गत खर्च किया गया है, यह राशि 250 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, परन्तु यह मेरा अनुमान है कि 250 करोड़ रुपया इस अकाल के लिए खर्च किया गया है परन्तु इतनी बड़ी राशि के खर्च करने के बाद भी हमारे राज्य की कोई असेट्स नहीं बन पायी है। अकाल असेट्स नहीं बन पाने के कारण पिछली सरकार को तो नहीं भुगतना पड़ा परन्तु उसके बाद जो सरकार बनी है, उसको भुगतना पड़ा है, जब फाइनेन्स कमीशन ने अपना अवार्ड दिया, यह निर्णय दिया कि वे सारे काम, जो अकाल राहत के अन्तर्गत किए गए हैं अनप्रोडक्टिव हैं, इन कार्यों को हम प्रोडक्टिव मान कर नहीं चल सकते हैं। इन असंगतियों में इन कार्यों को विभाजित किया गया है और राजस्थान सरकार पर यह कर्जा है। कमीशन ने इसको नहीं माना। इसके लिए केन्द्रीय सरकार से जो स्टडी टीम आयी थी उसने इस सम्बन्ध में स्ट्रक्चर पास किए हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर आगे के लिए पास न हों, इसलिए अकाल के सम्बन्ध में जो भी खर्च किए जाएं, इन्वेस्टमेन्ट किए जाएं वह सारा कार्य परमानेन्ट बेस पर हों। मगर माननीय सदस्यों का यह कहना है कि इससे एनीकट नहीं बनाये जाएंगे, यह उनका आरगूमेन्ट रहा है तो मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि ऐनीकट राजस्थान सरकार बनाएगी। हम स्वयं यह चाहते हैं कि इर्रिगेशन के ऊपर सब से ज्यादा प्रायोरिटी मिले। इसके साथ ही साथ ड्रिन्किंग वाटर पर भी हम खर्च करना चाहते हैं। तो इन सारे आइटम्स पर हम खर्च करना चाहते हैं। मैं यह विश्वास माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में इस भयंकर अकाल और सूखे में किसी को भूखमरी से नहीं मरने दिया जाएगा और न अनाज की किसी प्रकार से कमी आने दी जाएगी परन्तु इसके बाद भी हमारे पास दो चीजों की कमी रहेगी। एक तो चारे की कमी रहेगी और दूसरी पीने के पानी की कमी रहेगी। आज चारे की कमी है। एक लाख क्विन्टल चारा इस समय हमारे पास स्टाक में है। इसके अलावा 50,000 क्विन्टल चारा और हम इकट्ठा कर लेंगे। प्राइवेट एजेन्सीज से हम चारा लेना चाहते हैं। इसके लिए हमने टेन्डर इन्वाइट कर लिए हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यू. पी. और गुजरात में हमारे आदमी गये हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी हमारे आदमी गये हैं। परन्तु आप सब यह जानते हैं कि अकाल केवल राजस्थान में ही नहीं है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की अकाल की स्थिति है। इसलिए चारे को प्राप्त करना हमारे लिए कठिन बात होगी। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी चारा हमारे पास में है, उसका हम इस प्रकार से वितरण करेंगे ताकि पशुओं को मौत से बचाया जा सके। जैसलमेर, पाली क्षेत्रों के बारे में आपने कहा। मैं भी देख रहा हूं कि वहां घास है। उसको देखते हुए पशुओं को किस तरह से माइग्रेट किया जा सकता है उसकी कोशिश में हम हैं। पशुओं के माइग्रेशन के रूट पर चारे और पानी की व्यवस्था हम करेंगे। इससे हम परिचित हैं और इस व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान है। मैं यह कह सकता हूं कि जो कुछ चारा हमारे पास में उपलब्ध है, जो हमारे बीड़ हैं, जो हमारे वन हैं, इनमें जहां-जहां भी चारा उपलब्ध हो सकता है, वहां से प्राप्त कर हम अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश करेंगे। मैं यह जानता हूं कि हमारे राजस्थान की इकोनोमी केटिल वेल्थ पर बेस्ड है। अगर यह वेल्थ खतम हो गई तो योजनाओं में हम ने जो यह सारा इनवेस्टमेन्ट किया है, जिसका हम रिटर्न चाहते हैं, जिससे हम एग्रीकल्चरिस्ट की इकोनोमिक कन्डीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम इस केटिल वेल्थ को नहीं बचा पाये तो बड़ा भारी नुकसान हमारी योजनाओं को होगा, राजस्थान को होगा, और साथ ही साथ राजस्थान की इकोनोमी को होगा।

पानी की समस्या है, मुझे यह निवेदन करने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 30 वर्षों में 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आज राजस्थान के 33,000 गांवों में से 25,000 गांवों में पीने के पानी का संकट है। जो क्रिटीकल हैं वे अलग हैं। कितने ही गांवों के पानी में फ्लोराइड होने की वजह से बीमारियां हैं। इस प्रकार से इन सारे गांवों का हिसाब लगावें तो 25,000 गांवों में पोटेबल पानी का अभाव है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ 25,000 गांवों में पीने का पानी नहीं है तो इन सारे गांवों को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तो हमारी हो जाती है परन्तु जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लें और हम दोनों मिल कर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें।

श्री परस राम मदेरणा : ढाई साल में आपने क्या किया? पहले ही जहां पर रीजनल पाइप लाइन है उन गांवों में पानी नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है?

श्री खेत सिंह राठौड़ : भाषण में कोई कमी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानता हूं। मैंने पहले इस बात के आंकड़े दिए थे। आपने पीने के पानी पर कितना खर्च किया है और हमने इस समस्या पर कितना खर्च किया है, यह दुबारा आंकड़े आप चाहते हैं तो मैं आपको दूंगा और साथ ही जो कुछ हमने अपने आने के बाद किया है, उस की जानकारी भी आपको दूंगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी का संकट है। हमने टैंकर्स, ट्रेक्टर्स, ट्रक्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस काम के लिए लगाने की व्यवस्था की है।

(व्यवधान)

जो ट्यूब वैल्स हैं, उनकी भी समस्या है। कई माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि ट्यूब वैल्स खराब हो गये हैं। जो रीजनल पाइप सप्लाई स्कीम्स हैं, उनसे पानी क्यों नहीं सप्लाई हो रहा है। इनका निर्माण पाँच वर्ष पहले हुआ था, इनके खराब होने का दंड आप मुझे देना चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जो ट्यूब वैल्स बंद पड़े हैं, जिनकी मशीनें खराब हैं, मैं चाहूंगा कि राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी इन कुओं की सारी त्रुटियों को दूर करके राज्य सरकार को इनको चालू स्थिति में लाकर बता दें कि आज हमारी कोई स्कीम ऐसी नहीं पड़ी है, जिनको हम अनअवाइडेबल रीजन्स के अलावा चालू नहीं कर सके हैं। कई ट्यूब वैल्स के अन्दर पत्थर पड़े हैं। उनको निकालना आज हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। पम्प खरीद कर लगाते हैं तो उनसे कुओं से पानी निकालना मुश्किल हो रहा है यह संकट है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनअवाइडेबल रीजन्स हैं उन को छोड़ कर पानी की स्कीम्स को 31 तारीख के पहले-पहले कोई अधिकारी चालू नहीं करेगा तो उस अधिकारी को दंडित किया जाएगा, उसको नियमानुसार दंड मिलेगा। उस अधिकारी को किसी प्रकार से नहीं बचाया जाएगा। माननीय सदस्य गंभीरता से इस प्रश्न पर बोले हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो चारे की स्थिति बताई है, वह स्थिति मेरे ध्यान में है। यहां पर डीजल की कमी का उल्लेख किया गया। यह कहा गया कि राज्य सरकार कमजोर है इसलिए वह पूरा डीजल नहीं प्राप्त कर पा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार कमजोर नहीं है। पहले डीजल की कमी थी, पहले हमें डीजल कम मिल रहा था, उससे ज्यादा हम आज ले रहे हैं लेकिन डिमांड बढ़ी है इस कारण इसका संकट है। डीजल हिंदुस्तान में जितना उत्पादित होता है, उसका तो पूरा वितरण हो रहा है परन्तु साथ ही हम को इम्पोर्ट भी करना होता है और उसकी कास्ट ज्यादा है। उस कास्ट को हम सब्सीडाइज करते हैं तो हमारे सामने डेफिसिट फाइनेन्स की बात आती है। इससे चीजों की मंहगाई बढ़ती है। इस दृष्टिकोण से डीजल की कमी को हम देखें। वैसे इसकी मात्रा बढ़ी है और इसका ज्यादा वितरण भी हम कर रहे हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि हम कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। और यह भी कहना सही नहीं है कि सरकार इस मौके पर जो अनसोशल एलीमेंट्स हैं वे इसका हर प्रकार से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार उनको नहीं रोक रही है। सरकार ने इसको चेक किया है। चीजों के भाव बढ़ते हैं तो लोगों को एक्सप्लाइट करने की कोशिश की जाती है। समाचार-पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि एक महीने से राज्य सरकार ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है और सरकार ने लाखों रुपयों की सीमेंट को जब्त किया है। जिन लोगों ने भाव बढ़ाने की कोशिश की है, या जिन्होंने असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट की अवहेलना की है उसके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। यह विश्वास भी मैं दिलाना चाहता हूं कि चाहे ट्रेडर हो, चाहे केपिटेलिस्ट हो, इस मौके के ऊपर उनको एक्सप्लाइट करने की छूट नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देने वाले हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, एक माननीय सदस्य ने, शायद आपने कहा या माननीया सुमित्रा जी ने कहा, उन्होंने यहां तक कह डाला कि जो बाढ़ आई थी उसमें एक आदमी नहीं 23047 व्यक्तियों को सेना के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने हैलीकोप्टर और नावों से बचाया है।

मैं समझता हूं सेना के जिन जवानों ने जान जोखिम में डाल कर उन लोगों को बचाया है यदि उनके प्रति इस तरह की भावना प्रकट की जाय तो यह कभी भी उचित नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा है माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मिस इंटरप्रिट मत कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सेना की कुल 40 नावें काम कर रही थीं, पाँच हैलीकोप्टर काम कर रहे थे और 375 सैनिक रात दिन काम कर रहे थे। मैं समझता हूं उनकी प्रशंसा करनी चाहिये ताकि वे किसी प्रकार से हतोत्साहित न हों, ताकि वे यह न समझें कि हमने कुछ नहीं किया या वे यह न सोचें....

श्री श्योपत सिंह मकासर : उनको एप्रीसियेशन मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री वृद्धिचन्द जैन : किसी ने भी उनको कंडम नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कंडेम किसने किया? एक सदस्य ने भी किया हो तो बताओ तो सही।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : सरकारी मशीनरी ने.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अन्त में, मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है, बाढ़ के कारण से बड़ी विकट स्थिति बनी थी, अब अकाल के कारण भी बड़ी विकट स्थिति बनने वाली है। मैं आपको दो बातों का विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य चाहे कितने ही नाराज हों, राजस्थान में अकाल के काम में किसी प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। जैसे बाढ़ के समय में सारे विरोधी नेताओं का सहयोग रहा उसी प्रकार का सहयोग अकाल के कार्य में लिया जायगा और उनके नेतृत्व के आधार पर अकाल राहत की योजना बनायेंगे और ईमानदारी से काम में उन लोगों को किस प्रकार से सक्रिय बनाया जा सकता है बनायेंगे मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं हर माननीय सदस्य इस अकाल राहत के कार्य को अच्छी तरह से चलायें, लोगों की सेवा अच्छी तरह से हो सके, कहीं भूख की समस्या पैदा न हो, हम इस बात की कोशिश करेंगे एम.एल.एज. का ज्यादा से ज्यादा इन्वाल्वमेंट हो सके यह कोशिश की जायगी।

मैं आज तो कह नहीं सकता लेकिन 1-2 दिन में दिल्ली जाकर बात करने वाला हूं जितनी भी राजस्थान में पंचायतें हैं उनमें थोड़ा-सा अनाज रख दिया जाय ताकि बाद में जाकर कोई आदमी कह न सके कि वह भूख के कारण से मर गया। इसमें सरपंच का इन्वाल्वमेंट होगा। गांव का इन्वाल्वमेंट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगा। ताकि यदि कोई आदमी भूख के कारण मरे भी तो पंचायत द्वारा अपने स्टाक में से अनाज दे कर उसको बचाया जा सके। इसको तय कर लिया गया है लेकिन कितना अनाज रखा जाय यह केबिनेट के स्तर पर केबिनेट के सामने रख कर हम निर्णय करवा लेंगे। इससे मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भूख से मरने का प्रश्न पैदा नहीं होगा। जो लोग बाढ़ से मर गये हैं उनके प्रति सहानुभूति बताई लेकिन, मदेरणा साहब, आपको याद होगा एक गैस्टरो एन्टेटाइटिस से 40 हजार व्यक्ति मर गये, किसी ने कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की।

(व्यवधान)

किसी ने किसी के घर पर जाकर कोई जानकारी नहीं ली। आपको जानकारी होगी 40 हजार आदमी..

(व्यवधान)

सहानुभूति प्रकट की उसके लिये तो धन्यवाद और भविष्य में भी आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा इसी आशा और विश्वास के साथ जो कुछ आपने कहा उसका उत्तर देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : गैस्टरो एन्टेटाइटिस से जितने लोग मरे उनकी सूची तो मैंने आपको सौंपी है। वह 40 हजार की संख्या तो नहीं है। आप तो खड़े होकर ऐसे बोलते हैं, एक-एक गांव की लिस्ट है वह डबल लॉक में थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी भी मेरे डबल लॉक में पड़ी है मैं आपको दिखा सकता हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : वह लिस्ट दिखा दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कैसे 40 हजार..

(व्यवधान)

पहले विरोधी पक्ष में आप बैठते थे तो सेंट परसेंट काम कांग्रेस वाले मंत्री आपके कर देते थे तभी आप यहां सत्ता में बने हैं। क्या बात करते हैं आप?

कांग्रेसी राज में आपके जैसी औछी हरकत नहीं होती थी।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : 60 करोड़ की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रिलीफ मैटर्स के लिये......

(व्यवधान)

अनाज में शामिल है क्या। 36 करोड़ में आपका क्या है वह तो ग्रान्ट है, वह तो पेमेन्ट भारत सरकार का फूड कारपोरेशन कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही शुक्रवार, 5 अक्टूबर, 79 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.45 बजे, शुक्रवार, दिनांक 5, अक्टबर, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 127 का आदेश

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 5(4) राज/ग्रुप-4/77 जयपुर, दिनांक 6-1-1978

आदेश

विषय:—काश्तकारों को राहत देने के लिए भू-राजस्व में छूट।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन कृषकों के पास 1 अप्रेल, 1977 को राजस्थान में कुल जोत की भूमि नीचे लिखे गये क्षेत्रों में उनके आगे अंकित भूमि के बराबर अथवा कम है और समस्त ऐसी जोत की भूमि असिंचित है तो उन जोतों पर खरीफ, सम्वत् 2034 की फसल से भू-राजस्व नहीं लिया जायेगा :–

1.	उपजाऊ, अर्द्ध-उपजाऊ एवं पहाड़ी क्षेत्र (Fertile, Semi-fertile and Hilly Zone)	6-178 एकड़ अथवा ढाई हैक्टेयर असिंचित भूमि।
2.	अर्द्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र (Semi-Desert Zone)	16-475 असिंचित भूमि।
3.	रेगिस्तानी क्षेत्र (Desert Zone)	22-653 एकड़ असिंचित भूमि।

उपरोक्त उपजाऊ, अर्द्ध-उपजाऊ एवं पहाड़ी क्षेत्र तथा अर्द्ध-रेगिस्तानी व रेगिस्तानी क्षेत्र का वर्गीकरण वही होगा जो कि (Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973), राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिनियम, 1973 के शिड्यूल में दिया गया है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जो ऐसी भूमि देहरी, सेवज, खारिण्ड, सेलाबी, तालाबी पेटा, कछार, खातली भूमि भू-अभिलेख में दर्ज है वह इस छूट के लिए असिंचित नहीं मानी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
एस. एल. जोशी
विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:—

1. वित्त विभाग (राजस्व), जयपुर ।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।
4. निजी सचिव, समस्त मन्त्री/राज्यमन्त्री ।
5. संचालक, ज.न. सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त जिलाधीश, विभागाध्यक्ष ।
7. सचिव, राजस्व मण्डल (भू-अभिलेख), राजस्थान, अजमेर ।
8. निजी सहायक, राजस्व सचिव/विशिष्ठ राजस्व सचिव । उप-सचिव, राजस्व विभाग ।
9. भूप्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।
10. रक्षी-पत्रावली ।

(पी. सी. परिहार)
उप-शासन सचिव, राजस्व ।

SCHEDULES

(A) Fertile Zone:—

Alwar and Bharatpur Districts including Dholpur Sub-Division.
Tehsils of Mahawa, Toda Bheem, Hindaun, Gangapur and Bamanwas of Sawai Madhopur District.
Districts Bundi, Kota and Jhalawar.
Districts of Bhilwara, Chittorgarh and Udaipur excluding Tehsils Pratapgarh, Lasadia, Salumber, Sarada, Kherwada, Phalasia and Kotra.

(B) Semi-Fertile Zone:—

Jaipur District, Tonk District, Ajmer District, Pali District.
Tehsils Sri Madhopur and Neem-ka-Thana of Sikar District.
Tehsils Udaipurwati and Khetri of Jhunjhunu District.
Tehsils Nawan and Merta of Nagaur District.
Tehsils Bilara of Jodhpur District and
Tehsils Karauli, Sapotra, Jhandar, Malarna Chaur, Nadoti and Sawai Madhopur of Sawai Madhopur District.
Tehsils Shivganj, Sirohi and Reodar of Sirohi District.
Tehsils of Dholpur Sub-Division namely—Bari, Baseri, Dholpur and Rajakhera.

(C) Hilly Zone:—

Districts of Banswara and Dungarpur.
Tehsils of Pratapgarh, Lasadia, Salumber, Sarada, Kherwada,

Phalasia and Kotra of Chittorgarh and Udaipur District.
Tehsils Pindwara and Abu of Sirohi District.

(D) Semi-Desert Zone:—

The Districts of Ganganagar excluding Suratgarh and Anupgarh Tehsils.
Rajgarh Tehsil of District Churu, Tehsils of Chirawa and Jhunjhunu of Jhunjhunu District.
Fatehpur, Laxamangarh, Sikar and Danta Ramgarh, Tehsils of Sikar District.
Whole of the Nagaur District excluding Tehsils Nawan and Merta.
Jodhpur and Osian Tehsils of Jodhpur District.
Jalore District.
Tehsil Siwana of Barmer District.

(E) Desert Zone:—

Jaisalmer District.
Bikaner District.
Barmer District excluding Siwana Tehsil.
Shergarh and Phalodi Tehsils of Jodhpur District.
Churu District except Rajgarh Tehsil.
Anupgarh and Suratgarh Tehsils of Ganganagar District.

Page No.159

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 135 का विवरण

सामान्य प्रशासन द्वारा बाढ़ नियन्त्रण हेतु की गई व्यवस्था का विवरण

1. बाढ़ नियन्त्रण की पूर्व सूचना देने के लिये सिंचाई विभाग को मुख्य बांधों व नदियों पर लगाने के लिये वायरलेस दिये गये हैं। इन वायरलेसों द्वारा अतिवृष्टि एवं बाढ़ स्थिति की सूचना दी जाती है।

2. भारत सरकार के मौसम विभाग में सम्भावित बाढ़ से प्रभावित जिलों का पंजीकरण कराया जाता है ताकि अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति से यह विभाग उन जिलों को बाढ के खतरे से सूचित कर दें। अब तक राजस्थान के जोधपुर एवं जैसलमेर को छोड़कर समस्त जिले पंजीकृत हो चुके हैं।

3. प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस स्टेशन पर भी वायरलेस रखे जाते हैं। गृह आयुक्त एवं आई. जी. पी. द्वारा सब थानों को यह हिदायत दी गई है कि अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति में सूचना तुरन्त जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई को दी जावे व अपने क्षेत्रों में जो भी माध्यम उपलब्ध हों उससे प्रचार किया जावे। जिलाधिकारी सूचना मिलने पर अपने-अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से इसकी चेतावनी दें। आकाशवाणी की सेवायें भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं।

राज्य सरकार द्वारा बाढ़ नियन्त्रण हेतु भविष्य के लिये उठाये गये कदम

1. जोधपुर और जैसलमेर जिले को भारत सरकार के मौसम विभाग के पंजीकरण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

2. जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों एवं अधिशासी अभियन्ताओं, सार्वजनिक एवं सिंचाई विभाग सूचना मिलते ही प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल पार्टी भेजेंगे।

3. जिला मुख्यालय पर दिये हुए वायरलेस 20 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घन्टे कार्य करेंगे।

4. भारत सरकार के मौसम विभाग ने उन जिलों को भी सूचना नहीं भेजी जो उनके यहा पंजीकृत थे। इस बारे में उनसे पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

5. प्रभावित क्षेत्र के वायरलेस थानों के पुलिस कर्मचारियों को भी रिवर गेज के पढ़ने एवं बाढ़ के स्तर जानने आदि के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

6. बाढ़ आने के समय 23 वायरलेस जो सिंचाई विभाग को दिये हुये थे उनमें और बढ़ोतरी कर दी गई है। लूनी नदी से सम्बन्धित क्षेत्रों में 7 और वायरलेस लगाने के आदेश दे दिये गये।

7. यह भी सुझाव है कि बाढ़ स्थिति लाने वाली नदियों में महत्वपूर्ण गांव एवं कस्बों के किनारे (पिलर्स) पर लगा दिये जावें ताकि पानी का स्तर के पता लगता रहे।

परिशिष्ट—3

सूची "क"

तारांकित प्रश्न संख्या 57 की सूची

वर्षा मापी केन्द्र जैतारण, अजमेर, मेड़ता का निम्न प्रकार वर्षा अभिलेख किया गाय ।

दिनांक	वर्षा मि.मी.	दिनांक	वर्षा मि.मी.
जैतारण		6-8-79	3—1
		7-8-79	13—9
21-6-79	38—00	8-8-79	10—8
27-6-79	12—00	9-8-79	1—0
11-7-79	4—00	10-8-79	0—5
16-7-79	115—00	11-8-79	0—4
17-7-79	226—00	12-8-79	4—5
18-7-79	113—00	13-8-79	0—7
19-7-79	108—00	14-8-79	0—9
20-7-79	3—00	15-8-79	0—7
31-7-79	22—00		
5-8-79	5—00	**मेड़ता**	
7-8-79	59—00		
8-8-79	3—00	16-7-79	187—0
10-8-79	1—00	17-7-79	263—0
11-8-79	2—00	18-7-79	12—0
13-8-79	2—00	**रायपुर**	
अजमेर			
		15-7-79	125
15-7-79	3—00	16-7-79	116
16-7-79	300—00	17-7-79	52
17-7-79	33—2	18-7-79	8.7
19-7-79	140—00	2-8-79	10
20-7-79	1—00	3-8-79	21
26-7-79	5—00	5-8-79	11
4-8-79	5—5	6-8-79	50

सूची 'ख'

जसमन्त सागर बांध की विस्तृत गेज रिपोर्ट 16-7-79 से 23-7-79 तक पूर्ण भराव 26.50 फीट।

दिनांक	समय	गेज फीट में	ओवर फ्लो फीट में
1	2	3	4
15-7-79	..	शून्य	शून्य
16-7-79	8 ए. एम.	16-50	शून्य
	1 पी. एम.	18-00	शून्य
	2 पी. एम.	25-00	शून्य
	2-30 पी. एम.	26-50	शून्य
	6 पी. एम.	31-00	4-50
	7 पी. एम.	35-75	9-25
	8 पी. एम.	37-50	11-00
	10 पी. एम.	42-00	15-50
	11 पी. एम.	43-00	16-50
17-7-79	1 ए. एम.	41-50	15-00
	8 ए. एम.	35-00	8-50
	12 दोपहर	33-70	7-20
	2 पी. एम.	30-00	3-50
	4 पी. एम.	31-80	5-30
	7 पी. एम.	31-00	4-50
18-7-79	8 पी. एम.	29-50	3-00
	7 पी. एम.	30-75	4-25
	10 पी. एम.	30-80	4-30
19-7-79	8 ए. एम.	29-70	3-20
	12 दोपहर	30-20	3-70
	4 पी. एम.	30-90	4-40
	8 पी. एम.	31-25	4-75
20-7-79	3 ए. एम.	30-00	3-50
	12 दोपहर	30-00	3-00
	9 पी. एम.	29-50	3-00
21-7-79	7 ए. एम.	29-00	2-50
	3 पी. एम.	28-60	2-10
22-7-79	8 ए. एम.	28-10	1-60
	12 दोपहर	28-00	1-50
	4 पी. एम.	27-90	1-40
	8 पी. एम.	27-80	1-30
	12 रात्रि.	27-70	1-20
23-7-79	4 ए. एम.	27-65	1-15
	8 ए. एम.	27-60	1-10
	12 दोपहर	27-50	1-00

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में राहत कार्य

137. श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के दीगोद विधान सभा क्षेत्र के सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में गत 2 वर्षों में अकाल व ओला वृष्टि से नुकसान हुआ था ? यदि हाँ, तो अकाल से कितने गांव व ओला-वृष्टि से कितने गांव ग्रस्त रहे तथा राज्य सरकार ने कितने ग्रामों की घोषणा की ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों की घोषणा के बावजूद भी इन गांवों को कोई राहत नहीं पहुंची ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) क्या इस वर्ष भी पंचायत समिति क्षेत्र सांगोद में अकाल की स्थिति है ? यदि हाँ, तो इस वर्ष भी राज्य सरकार इन गांवों के साथ उसी प्रकार का सौतेला व्यवहार करेगी ? यदि नहीं, तो राहत कार्यों की घोषणा कब तक करदी जायेगी ?

उत्तर

(1) सम्वत् 2035 में तहसील सांगोद के कुल 213 ग्रामों में फसल खरीफ में 50% से अधिक नुकसान हुआ था परन्तु राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत फसल रबी का क्षेत्रफल अधिक होने से कोई ग्राम अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। माह जनवरी-फरवरी, 79 में तहसील सांगोद में ओलावृष्टि से 50% या अधिक नुकसान होने पर राज्य सरकार द्वारा 62 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये हैं।

(2) जी नहीं। इन ग्रामों में अभाव स्थिति की घोषणा ही नहीं की गई तो राहत पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जबकि ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषक जिनको 75% से अधिक नुकसान हुआ था उन्हें प्रति परिवार एक क्विन्टल गेहूं राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क दिया गया है।

(3) इस वर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अभाव की स्थिति घोषित की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रदेश में एक ही नियमों के अन्तर्गत अभाव स्थिति की घोषणा की जाती है। यहां किसी क्षेत्र विशेष के साथ सौतेला व्यवहार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। पंचायत समिति सांगोद में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 3 कार्यों तक चालू कराये जावेंगे। अभाव की घोषणा होने के पश्चात् और भी राहत कार्य भी शुरू कर दिये जावेंगे। पेय-जल व्यवस्था, चारा एवं पशुओं के निष्क्रमण हेतु भी व्यवस्था की जा रही है।

उदयपुर की डिस्पेंसरियों में दवाइयों की सप्लाई

138. श्री **गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर की विभिन्न डिस्पेन्सरियों में प्रति वर्ष कितनी राशि की दवाइयां दी जाती हैं ? दवाइयां देने का आधार क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि मरीजों की संख्या 400–450 प्रतिदिन होने के बाद भी मात्र 12,000 रुपये की वार्षिक राशि की स्वीकृति दी जाती है ? यदि हां, तो प्रति मरीज क्या व्यय निर्धारित है?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या राज्य सरकार कई वर्षों पूर्व बनी इस नीति को वर्तमान के परिपेक्ष्य में बदलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर की प्रत्येक डिस्पेन्सरी हेतु प्रति वर्ष 15,000।- रुपये दवाइयों के मद में आवंटन किया जाता है। दवाइयों के बजट का आधार रोगियों की दैनिक औसत, वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता व प्रभारी का माँग-पत्र होता है।

(2) जी नहीं।

(3) जैसे-जैसे अधिक धनराशि उपलब्ध होती है दवाइयों के मद में बढ़ोतरी की जाती है भविष्य में भी यही नीति अपनाई जाती रहेगी।

भीण्डर से फतहनगर सड़क निर्माण कार्य

139. श्री नरेन्द्र पालसिंह चौधरी (मावली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीण्डर से वाया किरकीचौकी फतहनगर मार्ग बना हुआ है ?

(2) क्या इस मार्ग को पक्का बनाने हेतु समय-समय पर जनता तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा निवेदन किया गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण मार्ग को शीघ्र पक्का बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

(4) क्या राज्य सरकार इस मार्ग से ढूढढियाँ ग्राम से इन्टाली ग्राम तक की तीन किलो मीटर की सड़क बनाने का विचार भी रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

किरकीचौकी से भोपाल सागर कुछ भाग डामर व कुछ भाग मैटल का है।

(2) इस सड़क का अधिकाँश भाग डामर है और बाकी में डामर कराना प्रस्तावित है।

(3) जी हाँ।

धनराशि उपलब्धी के अनुसार इस बाकी भाग को पक्का कराया जायगा।

(4) जी नहीं।

भरतपुर जिले में राहत कार्य

140. श्री सुरेशकुमार (भरतपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले का वर्षा का औसत क्या है और इस वर्ष जिले में औसत वर्षा कितनी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर के गाँवों की पोखरें सूख गई हैं, और पशुओं के लिये पानी नहीं है ? यदि हाँ, तो राज्य सरकार के पास पशुओं के लिये पानी की व्यवस्था करने हेतु क्या योजना है ?

(3) भरतपुर जिले में राजस्थान और केन्द्रीय भू-गर्भ जल मंडल द्वारा कितने

(श्री सुरेशकुमार)

स्वचालित वैल्स (आर्टीजन वैल्स) बनाये गये हैं ? क्या उनको चालू कराके सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है ? यदि हाँ, तो राज्य सरकार उन कूपों को कब तक चालू करा सकेगी ?

(4) क्या भरतपुर जिले के अकालग्रस्त क्षत्रों में फैली बेरोजगारी और बेकारी का मुकाबला करने के लिये राज्य सरकार की क्या कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो योजना कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले का वर्षा का औसत 670 मि.मी. है। इस वर्ष जिले में औसत वर्षा 259.4 मि.मी. हुई है।

(2) यह सही है कि गांवों में पोखरें सूख गई हैं। पशुओं के पीने के लिये पानी गांवों के कुओं से उपलब्ध हो रहा है।

(3) इस जिले में केन्द्रीय भू-गर्भ-जल मन्डल द्वारा 10 नल-कूप बनाये गये हैं। इनको चालू कराके सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराया जा सकता हैं। चालू कराने के लिये इनका हस्तान्तरण राजस्थान सरकार को हो जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हाँ। काम के बदले अनाज योजना प्रारम्भ करदी गई है जिसके तहत 3 कार्य प्रत्येक पंचायत समिति में जिलाधीश करा सकेंगे तथा अकाल की घोषणा होने के पश्चात् और भी राहत कार्य शुरू कर दिये जायगे। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था चारा एवं निष्कमण हेतु भी व्यवस्था की जा रही है।

लूनी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य

141. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लूनी नदी के अभी भयंकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने कब-कब, कितनी-2 राशि केन्द्र से ऋण और अनुदान स्वरूप मांगी एवं कितनी-2 राशि कब-2 किस-2 रूप में राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ?

(2) केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत पहुंचाने के लिये किस-किस रूप में कितनी-कितनी राशि का कब-कब राज्य सरकार ने किया ? सम्पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त राशि को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों को राहत पहुंचाने के लिये पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार राहत दिलाने के लिए कब तक क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दिनांक 31-6-79 को जो ज्ञापन राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को दिया था उसके अनुसार 116.25 करोड़ रुपये की धनराशि बाढ़ से हुई क्षति को पूरा करने के लिए अनुदान के रूप में मांगी थी। भारत सरकार ने अभी तक 16.48 करोड़ की धनराशि दी है।

(अकाल सहायता मंत्री)

(2) उपरोक्त राशि का उपयोग राज्य सरकार उन्हीं मदों में कर रही है जिन मदों में इस राशि का आवन्टन किया गया है। बाढ़ से तुरन्त निपटने के लिए अभी तक 2.70 करोड़ रुपये की राशि पाहले ही विभिन्न अभिकरणों एवं जिलाधीशों को आवन्टन की जा चुकी है। शेष धनराशि विभिन्न मदों में खर्च की जा रही है।

(3) राज्य सरकार इस राशि को पर्याप्त नहीं समझती। इसलिए राज्य सरकार भारत सरकार से और अधिक राशि लेने का प्रयास कर रही है।

जोधपुर-बिलाड़ा मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत

142. श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूनी) श्री **माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जोधपुर-बिलाड़ा मार्ग पर लूनी नदी एवं बाण गंगा पर क्षतिग्रस्त पुलियाओं को ठीक कराने एवं जरूरत मुताबिक एक्सटेन्ड करने के लिए राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है तथा उसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

(2) लूनी नदी में हर वर्ष बाढ़ के कारण जो क्षति पुलियाओं के सही नहीं होने के कारण होती हैं तथा आवागमन में रुकावट पैदा होती हैं उसे दूर करने के लिये विभाग ने क्या योजना बनाई है तथा उसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर व बाड़मेर सामरिक महत्व के स्थान हैं और इन शहरों का संबंध 20-20 दिन के लिये टूट जाना क्या खतरनाक नहीं हैं? यदि हां, तो इस राष्ट्रीय महत्व के मार्ग को सही करने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही हैं।

उत्तर

(1) जोधपुर-बिलाड़ा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलियों मरम्मत हेतु कार्यों की निविदायें आमंत्रित करली गई हैं। बड़ी पुलियाओं की सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन का कार्य किया जा रहा है। जो चालू है।

(2) लूनी नदी पर पुलियाओं के निर्माण के सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन चल रहा है तथा सिंचाई विभाग से बाढ़ में नदी के जल प्रभाव के आँकड़ों पर विचार-विमर्श के बाद योजनाओं को अंतिम रूप दिया जायेगा।

(3) जोधपुर व बाड़मेर के सड़क मार्गों पर सक्षम पुल बनाने की योजना विचाराधीन है ताकि इसका संबंध टूटने न पाये। जिसकी पूर्ति धन उपलब्धी पर निर्भर कर रही है।

बेरी आयोग की रिपोर्ट

143. श्री **हरजी रामबुरड़क** (लाडनूं)— क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बेरी आयोग की कौनकौन सी रिपोर्ट कब-कब सरकार को प्राप्त हुई? सूची मय रिपोर्ट्स की प्रतियों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त रिपोर्ट्स पर क्या—क्या कार्यवाही कब-कब की गई?

(3) उक्त आयोग पर अब तक कितना खर्चा हुआ?

(श्री हरजी राम बुरड़क)

(4) अब कब तक यह आयोग अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे ? किस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

उत्तर

(1) बेरी आयोग ने अब तक राज्य सरकार को 5 अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं जो क्रमशः दिनांक 18 मई, 1978, 12 फरवरी, 1979, 12 अप्रेल, 1979, 31 मई, 1979 एवं 2 अगस्त, 1979 को प्रस्तुत किये गये हैं।

अभी अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अंतरिम प्रतिवेदनों की एक प्रति ही प्राप्त हुई है जो विस्तृत है एवं सरकार के विचाराधीन है, अभी प्रकाशित नहीं कराई गई है।

(2) इन रिपोर्टस पर क्या कार्यवाही की जावे यह भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) बेरी आयोग के गठन दिनांक 16 जनवरी, 1978 से लेकर 31 अगस्त, 1979 तक कुल व्यय 5 लाख 15 हजार 861 रुपये 69 पैसे का व्यय हुआ है।

(4) आयोग की अवधि दिनांक 30 जून, 1980 तक है। सम्भवत: तब तक आयोग अपना कार्य समाप्त कर सकेगा। उक्त अवधि की समाप्ति तक अनुमानित व्यय 3,31,030।- रुपये होने का अनुमान हैं।

कृषकों राहत

144. **श्रीमती नारंगीदेवी** (किशनगंज): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष राज्य में भयंकर सूखे से खरीफ की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है ?

(2) किसानों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्षेत्र शाहबाद, किशनगंज में कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई हैं ?

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य में खरीफ फसल के नुकसान के बाबत जिलाधीशों को विशेष गिरदावरी करवाकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(2) राज्य के सभी 26 जिलों में न्यूनाधिक अंशो में अभाव स्थिति के कारण राहत कार्य, पेयजल, चारा एवं पशुओं के निष्क्रमण हेतु भी व्यवस्था की जा रही है। यद्यपि समस्त जिलों में विशेष गिरदावरी कराई जा रही है ताकि अभाव स्थिति की घोषणा की जा सके फिर भी जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं कि सामान्य सूचना के आधार पर जिलाधीश स्वयं प्रत्येक प्रभावित पंचायत में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 3 कार्यों तक तुरन्त चालू करा सकते हैं। सम्पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट संलग्न है।

(3) क्षेत्र शाहबाद, किशनगंज में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 3 कार्य तक चालू कराये जावेंगे। अकाल की घोषणा होने के पश्चात् और भी राहत कार्य शुरु कर दिये जायेंगे। पेयजल व्यवस्था, चारा एवं पशुओं के निष्क्रमण हेतु भी व्यवस्था की जा रही है।

(अकाल सहायता मंत्री)

राजस्थान सरकार

(सहायता विभाग)

विषय :–राजस्थान में व्याप्त सूखे की स्थिति पर रपट ।

1. इस वर्ष राजस्थान वर्षा असामान्य रूप से हुई है । कुछ जिलों में शुरू में अत्यधिक वर्षा हो गई जिससे बाढ़ का प्रकोप व्याप्त हुआ पर बाद में उन्हीं स्थानों पर बहुत ही कम वर्षा हुई जिससे जो थोड़ी बहुत फसल बची हुई थी वह भी सूख गई । अन्य जिलों में वर्षा भी कम हुई अथवा आवश्यक समय पर नहीं हुई है जिससे फसल सूख गई है अभी तक प्राप्त प्रारंभिक सूचनाओं के आधार पर निम्न जिलों का व्यापक क्षेत्र अनावृष्टि के कारण प्रभावित हुआ है:—

जोधपुर	चूरू	बाड़मेर
बीकानेर	जैसलमेर	उदयपुर
नागौर	बांसवाड़ा	जालोर
कोटा	पाली	सवाई माधोपुर
झुन्झुनूं	भरतपुर	

अन्य जिलों से भी फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की सूचना मिली है । राज्य के पूरे 26 जिलों के अभाव से प्रभावित होने की आशंका है । जिलाधीशों को विशेष गिरदावरी करवाकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक फेमिन कोड के प्रावधानों के अनुसार अभाव स्थिति की रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं । इस रिपोर्ट के आने के बाद औपचारिक रूप से अभाव स्थिति की घोषणा हो सकेगी । राज्य के सभी 26 जिलों में न्यूनाधिक अंशों में अभाव स्थिति के कारण राहत पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है तथा राहत कार्य, पानी, चारा एवं पशुओं के निष्क्रमण हेतु भी व्यवस्था करने की आवश्यकता दृष्टिगत हो रही है ।

2. पेयजल की व्यवस्थाः

इस वर्ष राज्य में अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि हुई है जिसके कारण जलाशय टूट गये । कई जिलों में कुए, तालाबों, कुण्डों, टाँके जलाशयों इत्यादि में प्रर्याप्त पानी नहीं भरा और जो कुछ भी था वह सूखे की स्थिति के कारण सूख गया और इसी कारण से पेयजल की व्यवस्था आवश्यक हो गई है ।

चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, झुन्झुनू, जालोर इत्यादि जिलों जहां ऐसी परिस्थिति में साधारणतया पेयजल की व्यवस्था मे कठिनाई आती है, के अतिरिक्त भी जिले जैसे सवाई माधोपुर, भरतपुर इत्यादि जिनमें पानी के सम्बन्ध में शायद पूर्व में कभी कठिनाई नहीं आई, इस वर्ष पानी की कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

इससे ज्ञात होगा कि चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सवाई माधोपुर, गंगानगर इत्यादि जिलों में पेयजल के सम्बन्ध में स्थिति कठिन है तथा अन्य जिलों में भी बाद में स्थिति कठिन हो सकती है ।

अभी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुन्झुनू एवं जालोर जिलों में 65 ट्रकटैंकर्स से करीब 150 गाँवों में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है ।

अभाव की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था हेतु निम्न साधन आवश्यकतानुसार उपयोग में लिए जाने के निर्देश शास

(अकाल सहायता मंत्री)
ने दे दिये हैं ।

1 विभागीय ट्रक-टैंकर्स ।

2. किराये पर लिये गये ट्रक-टैंकर्स अथवा ट्रैक्टर ट्रैकर्स ।

3. रेल-टैंकर्स ।

4. बैलगाड़ियों एवं ऊंट गाड़ियों द्वारा पानी पहुंचाना ।

5. ट्यूब वैल चलाकर पेयजल की व्यवस्था ।

6. पिघाई व्यवस्था द्वारा गाँवाई कुओं को चलवाना एवं

7. नहरों द्वारा पेयजल व्यवस्था ।

जिलों में यह ट्रक-टैंकर्स निम्न प्रकार उपलब्ध हैं:—

1.	जैसलमेर	35
2.	बीकानेर	8
3.	चूरू	16
4.	नागौर	4
5.	झुन्झुनू	2
6.	जालोर	3
7.	पाली	9
8.	बाड़मेर	15
9.	आवंटन हेतु उपलब्ध	5
	योग ..	97

राज्य सरकार द्वारा 25 ट्रक-टैंकर्स खरीदने के आदेश दिये जा चुके हैं जोकि दो माह में उपलब्ध हो जावेंगे। 25 नये टैंक्स एवं कुछ ट्रैक्टर्स एवं लोहे की टंकियां और खरीदने की कार्यवाही की जा रही है ।

किराये पर लिये जाने वाले टैंकर्स एवं ट्रक-टैंकर्स:—

चूंकि सारी व्यवस्था विभागीय ट्रक-टैंकर्स अथवा ट्रैक्टर्स द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है अतः किराये पर भी ट्रक-टैंकर्स अथवा ट्रैक्टर्स लिये जावेंगे । इसके लिए जिलाधीशों को अधिकार दिये जा रहे हैं और आवश्यक घनराशि का भी आवंटन किया जा रहा है ।

रेल-टैंकर्स :—

इनकी मांग पूर्व से साधारणतया बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर व पाली में होती रही है । जिलाधीशों से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगे गये हैं और आवश्यकतानुसार रेलवे से प्रबन्ध कराया जावेगा । यह अंकित करना उचित होगा कि वर्ष 1968-69 में जब कि पूर्व में सब से भयंकर अकाल की स्थिति थी 24 गांवों के लिये रेलवे-टैंकर्स को चलाया गया था ।

बैलगाड़ियों व ऊंट गाड़ियों से पानी की व्यवस्था:—

आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने के अधिकार भी जिलाधीशों को दिये जा रहे हैं ।

बन्द ट्यूब वैल चला कर पेयजल की व्यवस्था:—

सहायता विभाग द्वारा पूर्व में 50 ट्यूब वैल खुदवाये गये थे । जिलेवार स्थिति निम्न प्रकार है :—

जैसलमेर	9
बीकानेर	10
जोधपुर	14
नागौर	8
बाड़मेर	8
जालोर	1
योग ..	50

आवश्यकता के अनुसार इनको भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से चलवाकर पेयजल की व्यवस्था की जायेगी ।

कुए गहरा करवाना:—

कई स्थानों पर पानी के कुए गहरे करवाना भी आवश्यक होगा जहाँ जल स्तर काफी नीचा चला गया है । इस वर्ष भयंकर अकाल के कारण पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जानी होगी । पीने के पानी के सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने हेतु भी कार्यवाही चल रही हैं ।

3. पशु संरक्षण:—

राजस्थान का अत्यन्त सम्पन्न पशुधन चारे की कमी के कारण संकट में हैं । राजस्थान में पशुधन निम्न प्रकार से उपलब्ध है:—

गौवंश	1,28,26,299
भैंस	50,71,980
भेड़वंश	99,37,918
बकरी वंश	1,23,06,918
घोड़े	48,680
खच्चर	2,293
गधे	2,13,169
ऊंट	7,52,011
सूअर	1,29,999
योग ..	4,13,59,267

इतने बड़े पशुधन को बचाने हेतु बहुत व्यापक स्तर पर कार्यवाही की आवश्यकता होगी । जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ज्ञात होता है कि करीब 20 जिलों में चारे की माँग है ।

वर्ष 1979–80 में स्थिति निम्न कारणों से 1968–69 के अकाल से भी ज्यादा कठिन है ।

1. इस वर्ष करीब 20 जिलों में चारे की कठिनाई है ।

2. चारे की कीमत सितम्बर, 1979 में बहुत बढ़ गई है ।

3. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में भी कम वर्षा होने के कारण चारे की कमी है । पूर्व में राजस्थान के वन विभाग के अधिकारियों ने भी इन राज्यों के वन अधिकारियों से सम्पर्क किया था । महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश ने यह सूचित किया है कि न तो वहाँ राजस्थान के लिए चारा उपलब्ध है और न वहाँ राजस्थान के पशुओं का निष्क्रमण सम्भव है । उत्तर प्रदेश के वन सचिव ने बताया है कि घास राजस्थान में नहीं भिजवाई जा सकती है । पशुओं के निष्क्रमण के लिए उनका सुझाव था कि एक पत्र उन्हें लिख दिया जावे, जो कि लिख दिया गया है । गुजरात में निष्क्रमण पर सहमति नहीं है पर घास वहाँ अवश्य उपलब्ध है । हाल ही में राजस्थान के अधिकारी वहाँ भिजवाये गये थे पर उनकी राय में वहाँ की घास जो कच्छ क्षेत्र में 85 हजार क्विन्टल बताई गई है, अच्छी नहीं है या बहुत ही दूर उपलब्ध है । पर वहाँ कुछ घास कुछ ठीक हो सकती है । गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों में घास की उपलब्धि का पता लगाने एक और दल गुजरात भेजा जा रहा है ।

हमारी ओर से गुजरात के मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा गया है । अन्य मुख्य

मन्त्रियों को भी पत्र लिखे जा रहे हैं। ताकि कुछ घास उपलब्ध करायी जा सके और राजस्थान के पशुओं के निष्क्रमण में अन्य राज्यों की सहायता प्राप्त हो सके ।

4. पंजाब में भी चारा कम उपलब्ध बताया जाता है ।

5. पिछले कुछ वर्षों से अच्छी वर्षा होने के कारण किसानों को चारा एकत्रित करने की आदत में कुछ कमी आ गई है ।

यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि देश के विभाजन से पूर्व-पश्चिमी राजस्थान के निवासी पैदल सिन्ध, बहावलपुर इत्यादि क्षेत्रों में चले जाया करते थे जहाँ उनको पर्याप्त मात्रा में चारा, पानी व दूध के लिये बाजार मिल जाता था । विभाजन के पश्चात् इन लोगों को जिनकी सारी अर्थ व्यवस्था पशुधन पर ही आधारित है 500–600 मील दूर पैदल चलकर निष्क्रमण करना पड़ता है । पिछले कुछ वर्षों से पड़ौसी राज्यों व राज्य के कुछ जिलों में इस प्रकार के निष्क्रमण के सम्बन्ध में बहुत कठिनाई आ रही है । इससे भी स्थिति गम्भीर हो गई है ।

पूर्व के अनुभव को देखते हुए इस वर्ष के व्यापक सूखे की स्थिति के सन्दर्भ में यह अनुमान है कि अक्टूबर, 1979 से जुलाई, 80 तक करीब 25 लाख क्विन्टल चारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी । डेयरी निगम के अनुमान से एक लाख दुधारू पशुओं के लिये ही 8 किलो प्रतिदिन प्रति पशु के आधार पर 200 दिन के लिये 16 लाख क्विन्टल की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त व्यापक रूप से पशुओं का निष्क्रमण भी आवश्यक होगा चारे की कमी अथवा निष्क्रमण में बाधायें आने पर पशुधन का व्यापक नुकसान होने की आशंका है ।

तत्काल चूरू में 1,500, बीकानेर में 5000, नागौर में 5000, झुन्झुनूं में 3000 क्विन्टल चारे का आवन्टन कर दिया गया है और जिलाधीशों से कहा गया है कि वे यह चारा वन विभाग से ले लें। इसके लिए उन्हें धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है ।

राजस्थान में अभी वन विभाग व डी. पी. ए. पी. की योजनाओं के अन्तर्गत एक लाख क्विन्टल चारा उपलब्ध हैं । मुख्य वन संरक्षक से विचार-विमर्श हुआ और उन्होंने यह अंकित किया कि फरवरी, 1980 तक वे 65 हजार क्विन्टल चारा और उपलब्ध कर देंगे जो वन विभाग के बीडों व डी० पी० ए० पी० के क्षेत्रों में एकत्रित किया जावेगा ।

चारे की प्राप्ति के निम्न स्रोत हैं । व्यवस्था है जिनका उपयोग करना इस वर्ष भी आवश्यक होगा:—

1. राज्य में वन विभाग के पास एकत्रित घास को प्राप्त करना एवं जंगलों, बीड़ों में से कटवाकर उपलब्ध करना ।

2. राज्य में तथा राज्य के बाहर पड़ौसी राज्यों से चारे की खरीद जिलाधीशों के माध्यम से अथवा राज्य स्तर पर करना ।

3. सरकारी चारे के डिपों एवं विक्रय हेतु केन्द्रों की व्यवस्था ।

4. सूरतगढ़ फार्म से चारे की प्राप्ति ।

5. कृषि विभाग के फार्मों से चारे की उपलब्धि ।

(अकाल सहायता मंत्री)

6. राजस्थान नहर क्षेत्र में हरा चारा उगाना ।

7. डेयरी निगम द्वारा व्यवस्था ।

8. निष्क्रमण ।

उपरोक्त सभी व्यवस्था करने के प्रयास जारी हैं, परन्तु शासन ने यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में चारे की अगले आठ माह की माहवार आवश्यकता, वहाँ पर उपलब्धता तथा खरीद की आवश्यकता का प्लान बनाया जाकर राजस्व, कोलोनाइजेशन, कृषि, सिंचाई विभाग व राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को यह निर्देश दिया जाए कि वे साथ बैठ कर अल्पावधि का एक समन्वित चारा, घास उत्पादन कार्यक्रम तैयार करके क्रियान्वित करें । यह भी तय किया जा रहा है कि सिंचित क्षेत्रों के काश्तकारों को क्या-क्या प्रोत्साहन व सुविधायें दी जायें ताकि चारा का उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

अधिकांश चारा राज्य के बाहर से आयेगा और ऐसा अनुमान है कि 6 लाख क्विन्टल से अधिक चारे की खरीद करना, उक्त कठिनाइयों को देखते हुए शायद राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा । इस पर 30 लाख रुपयों का अनुदान राज्य सरकार को देना पड़ सकता है । यह भी सुझाव है कि ट्रान्सपोर्टेशन का पूरा खर्चा राज्य सरकार दे । इसका अभी अनुमान लगाना कठिन है । पर यह खर्चा 10/- रु० प्रति क्विन्टल से कम नहीं होगा । इस प्रकार 90 लाख रुपया चारे के परिवहन और उसके अनुदान के रूप में राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा । अगर 6 लाख क्विन्टल चारा राज्य सरकार खरीद करने में सफल हो जाती है तो उसे घास में 25/- रु० प्रति क्विन्टल की दर से 1.50 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । इस प्रकार चारे पर करीब ढाई करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

चूंकि परिवहन पर ट्रकों से बहुत अधिक खर्चा आता है अतः आवश्यक है कि रेल से इसकी व्यवस्था कराई जावे । रेल परिवहन भी सम्भव तब होगा जब इसके लिए प्रतिदिन वैगन प्राप्त किये जावें । इसके लिए समुचित व्यवस्था करवाई जा रही है ।

4. डेयरी निगम द्वारा चारे, दाने एवं बीमे की व्यवस्था:

दुग्ध विकास निगम के अनुसार रास्थान में करीब 1 लाख दुधारू पशु हैं जिनसे निगम व दुग्ध उत्पादक यूनियन दूध खरीद रही है । इन पशुओं के लिए चारे और दाने की आवश्यकता होगी ।

अगर पशुओं को चारा कुछ कम भी खिलाया जावे और उसके स्थान पर दाने की मात्रा बढ़ा दी जावे तो भी कम से कम 5 लाख क्विन्टल चारे की आवश्यकता तो होगी ही जहां मिल्क रूट्स हैं वहाँ चारा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निगम को व मिल्क यूनियनों को दी गई है । ये पंजाब व अन्य राज्यों अथवा राजस्थान में जहाँ भी चारा उपलब्ध होगा वहाँ से चारा खरीदेंगे । इसके लिए रेलवे रियायत उपलब्ध करा दी जाय निगम यह भी व्यवस्था करेगा कि उनके जो मिल्क ट्रक हैं उनके द्वारा चारा व दाना वहाँ तक पहुंचाया जावें ताकि परिवहन खर्चा बच सके ।

निगम द्वारा दाने की व्यवस्था भी की की जायेगी । अभी यह दाना 100) रुपय

(अकाल सहायता मंत्री)

प्रति क्विन्टल की दर से पशुपालकों को दिया जा रहा है। इस पर 10) रु. प्रति क्विन्टल परिवहन एवं हैंडलिंग का खर्चा है। दुग्ध विकास निगम इस खर्चे को डी.पी.ए.पी. से अनुदान के रूप में प्राप्त कर कम कर देंगे। यह प्रस्ताव है कि 20) रुपया प्रति क्विन्टल खर्चा और कम किया जावे ताकि पशुपालक को 70) रुपया प्रति क्विन्टल पर यह दाना उपलब्ध हो सके। इसका मुख्य कारण यह है कि पशुपालकों को घास ज्यादा खरीदकर लाना पड़ेगा जिससे उनकी सारी अर्थ व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी। इस व्यवस्था से 1 लाख पशु बच सकते हैं। रज्य सरकार इस हेतु लगभग 20 लाख रुपया निगम अथवा मिल्क यूनियनों को अनुदान देने का विचार कर रही है।

बीमा कम्पनियां 1 लाख उन्नत पशुओं का बीमा करने को तैयार है जिसका प्रीमियम 25 लाख रुपया होगा। इन पशुओं के लिये घास व चारे की व्यवस्था होगी इसका आश्वासन निगम ने बीमा कम्पनियों को दिया है। इस 25 लाख रुपये की राशि में से आधी राशि पशुपालक स्वयं उपलब्ध करायेंगे और 12.50 लाख रुपये की राशि निगम व राज्य सरकार को देनी होगी जो कि 6.25 लाख रु. प्रत्येक के लिये होगी। यह सिद्धान्त अन्य पशुपालकों के लिये भी स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी दशा में राज्य सरकार को 50 प्रतिशत अनुदान देना होगा।

5 **राहत कार्यों की व्यवस्था :**

राज्य में अकाल की विभीषिका को देखते हुये राहत कार्यों को आरम्भ करना निहायत जरूरी है। अभी राज्य के केवल तीन जिलों झुंझुनूं, चुरू और उदयपुर में गत वर्ष में प्रारम्भ किये गये लगभग 95 कार्य चल रहे हैं। जिलाधीश अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक विशेष गिरदावरी का कार्य पूरा कर लेंगे उसके बाद ही सही स्थिति का मूल्यांकन कर के यह बताया जाना संभव होगा कि कितने कार्य लेने हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी होगी। परन्तु बिना विस्तृत रपटों का इन्तजार किये ही शासन ने निर्देश दे दिये हैं कि 1 अक्टूबर, 79 से राज्य की विभिन्न अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार एक लाख लोगों को राहत कार्यों पर लगाया जावे जबकि सामान्यतया राज्य में राहत कार्य दिसम्बर माह से पूर्व चालू नहीं किये जाते रहे हैं।

राहत कार्यों की प्राथमिकता फेमिन कोड के आधार पर निर्धारित की जायेगी। अन्य विभागों के साथ एवं संस्थागत कार्यों के साथ राहत कार्यों का समन्वय बैठाया जायेगा। ताकि योजनान्तर्गत कार्यों का समुचित क्रियान्वयन होने के साथ-2 क्षेत्रों में राहत भी मिले।

इस वर्ष शासन ने राहत कार्यों पर दैनिक मजदूरी के रूप में 2 किलो गेहूं व डेढ़ रु. नकद देने का निर्णय किया है। यह मजदूरी बी. एस.आर. में निर्धारित टास्क के 80 प्रतिशत कार्य के लिये देय होगी। मजदूरी मजदूर की उत्पादकता के अनुपात में देय होगी।

पिछले वर्षों में राहत कार्यों पर दी जाती रही मजदूरी का तुलनात्मक ब्यौरा निम्न

(अकाल सहायता मंत्री)

प्रकार हैं:—

वर्ष	मजदूरी की दर			अनाज	कार्यभार में कमी, यदि कोई हो तो
	पुरुष	स्त्री	अव्यस्क		
1	2	3	4	5	6
1963	1.00	0.75	0.62	..	.
1968	1.50	1.25	1.00	..	..
1972–73	3.00	2.50	2.00	..	10 प्रतिशत
1977–78	3.00	2.50	2.00	..	20 प्रतिशत
16-2-78 से 31-3-78	1.00 नकद			2 कि.ग्रा. गेहूं	स्त्री-पुरुष दोनों को सामान 20 प्रतिशत कार्य में
1-4-78 से	1 50			2 कि.ग्रा. गेहूं	कटौति

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शासन ने राहत कार्यों में मजदूरी में तात्विक बढ़ोतरी की जो उचित मूल्य पर आंके जाने पर 2 रु. 82 पैसे गेहूं का मूल्य व 1.50 रु नकद अर्थात् 4 रु. 32 पैसे बनती है तो स्त्री व पुरुषों के लिए समान होगी । अभाव के इन दिनों में श्रमिकों की चिकित्सा, स्वास्थ्य व पोषण की विशेष व्यवस्था की जा रही है । खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में कार्यरत दस्तकारों व बुनकरों का सामान्य जीवनयापन भंग न हो इसकी समुचित व्यवस्था के लिये संगठनात्मक व वित्तीय प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

शासन ने निर्देश प्रदान किये हैं कि यह पता लगाया जाये कि राज्य के बहुतायत में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग बड़ी तादाद में घर पर बैठकर दस्तकार अथवा कुटीर उद्योगी किस प्रकार से कर सकता है और उसको किस प्रकार की सहायता शासन द्वारा प्रदान की जा सकती है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों का सामान्य जनजीवन अक्षुण्ण रहेगा वरन ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को काम की तलाश में जगह-जगह भटकना भी नहीं पड़ेगा । इसके अतिरिक्त हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयुक्त सदुपयोग भी हो पायेगा ।

अनाज की व्यवस्था:-

यह सुनिश्चत करने के लिये कि राज्य में अभावस्थिति से कोई व्यक्ति कष्ट न पाये प्रत्येक पंचायत के पास एक निश्चित मात्रा में गेहूं का स्टाक रखा जायेगा जो किसी भी जरूरतमन्द व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

राज्य के समस्त जिलों में 5,00 से

Page No.174

(अकाल सहायता मंत्री)

अधिक उचित मूल्य की अनाज दुकानों पर 13,500 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन कर दिया गया है यह भी निर्देश दे दिये गये हैं कि जिला प्रशासन इन दुकानों के माध्यम से तुरन्त इस गेहूं का वितरण जनता में करा कर उनको बढ़ते हुए दामों के कष्ट से बचाए। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आवंटित गेहूं का उठान व वितरण प्रारम्भ हो गया है।

राहत कार्यों में अनियमिततायें व भ्रष्टाचार न हो इसका समुचित प्रबन्ध कर दिया जायेगा। इस हेतु मजदूरी का चुकारा क्रियान्वयन एजेन्सी के अलावा अन्य अभिकरण के माध्यम से कराया जायेगा। प्रत्येक परिवार को राहत कार्यों पर परिचय-पत्र भी दिये जायेंगे और समय-समय पर चैकिंग भी की जायेगी।

राज्य में उप-तहसील की स्थापना के आधार

145. श्री **ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विभिन्न स्थानों पर सब-तहसील स्थापित करने के क्या आधार रहे हैं?

(2) राज्य में किन-किन स्थानों पर जनता सरकार ने सब-तहसील कायम की हैं एवं क्या सभी स्थान उक्त मापदण्ड में आते हैं?

(3) झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में कब तक राज्य सरकार सब-तहसील खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सब-तहसील स्थापित करने के लिए मंत्रिमन्डल ने निर्णय लिया है कि जहाँ दो या दो से अधिक नायब-तहसीलदार एक तहसील में हैं वहाँ एक नायब-तहसीलदार को उसी तहसील के किस अन्य बड़े गाँव या कस्बे में रखा जावे।

(2) दूसरा आधार यह है कि किसी तहसील के मुख्यालय पर उप-खंड अधिकारी या सहायक कलेक्टर का मुख्यालय है तो उस तहसील में नायब-तहसीलदार का एक ही पद होने की दशा में भी सम्बन्धित नायब-तहसीलदार को किसी अन्य गाँव या कस्बे में रखा जावे।

(3) जनता सरकार ने अब तक 26 उप-तहसीलें स्थापित की हैं और वे सभी उक्त मापदण्ड में आती हैं। सूची संलग्न है।

झालावाड़ जिले का सुनेल कस्बा उक्त मापदण्ड में नहीं आने के कारण उप-तहसील खोलना सम्भव नहीं है।

जनता सरकार द्वारा स्थापित उप-तहसीलों की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	नाम तहसील	प्रस्तावित उप-तहसील
1	2	3	4
1	अजमेर	अजमेर	1 नसीराबाद
		केकड़ी	2 भिनाय
		ब्यावर	3 रामगढ़
			4 संथाना
2	अलवर	अलवर	5 बहादुरपुर
3	बाड़मेर	बाड़मेर	6 गुढ़ामालानी
4	झालावाड़	अकलेरा	7 मनोहरथाना
5	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	8 बसाड़

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4
6	गंगानगर	गंगानगर	9 हिन्दुमलकोट
			10 चूनावड
		करनपुर	11 गर्जासिंहपुर
		पदमपुर	12 बीज बायला
		रायसिंह-नगर	13 17 टी.के.
		नौहर	14 पेपना
		भादरा	15 छानी वाड़ी
7	जयपुर	जयपुर	16 कालवाड़
8	जालोर	जालोर	17 सायला
		आहोर	18 भाद्राजून
			19 बागोड़ा
9	जोधपुर	जोधपुर	20 लूनी
		बिलाड़ा	21 भोपालगढ़
10	नागौर	नागौर	22 खींवसर
		मेड़ता	23 रियां
		डेगाना	24 आंजू
11	पाली	पाली	25 रोहट
		बाली	26 सुमेरपुर

संकर बाजरा के बीज का वितरण

146. श्री अजीतसिंह (टौंक): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष संकर बाजरे का बीज कृषि विभाग समय पर नहीं दे सका इसके क्या कारण हैं ?

(2) संकर बाजरा व मक्का उत्पादन की विभाग की क्या नीति है ?

(3) संकर बीज समय पर नहीं मिले इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे समय पर बीज मिलता रहे ?

उत्तर

(1) संकर बाजरा बीज 23 मई से जून, 20 तक राज्य में विभिन्न जिलों में समय पर उपलब्ध कराया जा चुका था।

(2) वर्तमान में विभाग के पास बीज उत्पादन का कोई कार्यक्रम नहीं रखा है क्योंकि बीज उत्पादन हेतु राजस्थान राज्य बीज उत्पादन निगम का गठन हो चुका है। संकर मक्का का बीज उत्पादन स्टेट सीड्स कारपोरेशन द्वारा कोटा खंड में किया जा रहा है। संकर बाजरा राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत अन्तः प्रान्तीय बीज वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।

(3) इस वर्ष संकर बीज समय पर उपलब्ध करा दिये गये थे अतः जिम्मेदारी निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता। भविष्य में भी बीज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु स्टेट सीड्स कारपोरेशन पूर्णतः तत्पर रहेगा।

कच्ची बस्ती सूरजनगर, जयपुर

147. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति, जयपुर ने नगर विकास न्यास से कच्ची बस्ती सूरजनगर गृह निर्माण सहकारी समिति को सुव्यवस्थित ढंग से बसाने के लिये एग्रीमेन्ट किया था ? यदि हाँ, तो यह एग्रीमेन्ट कब किया गया था ?

(2) क्या उस इकरारनामे के हिसाब से उक्त कच्ची बस्ती को बसाया गया ? यदि

(श्री गुल मोहम्मद)
नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त बस्ती के लोगों को भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय द्वारा पट्टों का वितरण किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां। यह एग्रीमेन्ट 15 जुलाई, 1975 को किया गया था।

(2) बस्ती अभी भी अपनी पूर्व स्थल पर ही बसी हुई है। उसे अभी अन्यत्र नहीं बसाया जा सका है क्योंकि अन्यत्र बसाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना मण्डी समिति द्वारा सम्भव नहीं है भूमि न्यास द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है। न्यास से भूमि प्राप्त करने के प्रयास बार-बार किये गये हैं। अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हुई है। भूमि उपलब्ध होते ही बसाने की कार्यवाही शीघ्र पूरी करदी जावेगी।

(3) न्यास से भूमि प्राप्त होने के पूर्व की स्थिति के बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं है। भूमि प्राप्त होने के बाद कोई पट्टों का वितरण नहीं किया गया।

राज्य में उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन

148. **श्री बंशी लाल सारस्वत** (नागौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) राज्य में सरकार द्वारा अथवा सरकारी सहायता से कौन-कौन से उन्नत बीजों को तैयार किया जाता है ?

उत्तर

(1) राज्य में उन्नत बीजों के उत्पादन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्टेट सीड्स कोर्पोरेशन का गठन किया गया है जो कि प्रोजेक्ट क्षेत्र में स्टेट फार्मों, एग्री-इन्डस्ट्रीज के फार्मों एवं पंजीकृत अंशधारियों उत्पादकों के सहयोग से उन्नत बीजों का उत्पादन करता है।

(2) स्टेट सीड्स कोर्पोरेशन द्वारा मौजूदा परिस्थितियों में गेहूं, जौ, चना एवं राया सरसों की उन्नत किस्मों का बीज उत्पादन रबी में तथा ज्वार, मक्का, धान एवं दलहनी फसलों का बीज उत्पादन खरीफ में किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र तिजारा की अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य

149. श्री **अयूब खां** (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तिजारा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कें अधूरी पड़ी हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार इन अधूरी सड़कों को प्राथमिकता देकर पूर्ण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) तिजारा विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति राशि की सीमा वित्त सीमा तक की गई थी उस

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्वीकृत राशि का कार्य अधिकांशतः करवाया जा चुका है। इन सड़कों की स्वीकृति सन् 70 से 75 के बीच जारी की गई थी।

(2) राज्य सरकार धन उपलब्ध होने पर इन सड़कों को पूरा कराने का विचार करेगी जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

विजयनगर में चिलिंग प्लान्ट

150. श्री नूरा (मसूदा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विजयनगर, जिला अजमेर में एक चिलिंग प्लांट कूव डेयरी के लिये निर्मित कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस निर्माण कार्य की क्या प्रगति है?

(2) इसका निर्माण कार्य किस तारीख को आरम्भ किया गया तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है?

(3) यह चिलिंग प्लान्ट कब तक सुचारु रूप से कार्य करने लगेगा?

उत्तर

(1) जी हाँ। चिलिंग प्लान्ट का निर्माण छत के लेवल तक हो चुका है।

(2) इसका निर्माण कार्य 28-12-77 को चालू किया गया था और सिविल निर्माण कार्य 31-3-80 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) चिलिंग प्लान्ट के अक्टूबर, 1980 तक सुचारु रूप से कार्य करने की संभावना है।

कपासन क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

151. श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत दो वर्षों में जिला चित्तौड़गढ़ के कपासन विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें डामर कीव नाई गईं और कौन-कौन सी ग्रेवल बनाईं गईं, जिनकी लम्बाई क्या है विगतवार बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में दूसरी विधान सभा क्षेत्र से सड़कें कम बनाई गई हैं?

(3) क्या सरकार इसी वर्ष कपासन विधान सभा की निम्न सड़कों को प्राथमिकता देगी, भोपालसागर से रावतिया पारी पटोलिया की सड़क 13 किलोमीटर भोपालसागर से भोपालनगर, गुड़ा, गदली दिगवानिया 13 किलोमीटर जो अधूरी है?

(4) भोपालसागर से बूंद, टान्डा, फलासिया, बनरोना, कौलिया, 16 किलोमीटर को टुकड़ी जो अकाल राहत कार्य में बना था उसे सरकार कब तक पूरा बना देगी?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में कपासन विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कें डामर की बनाई गईं:—

(1) आकोला भोपालसागर 5 किलोमीटर रोड।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) भादसोडा मंडफिया 6 किलोमीटर रोड।

गत दो-वर्षो में ग्रेवल की सड़क का कोई निर्माण नहीं किया गया। मरम्मत कार्यक्रम के अन्तर्गत साइमा से गिलून्ड सड़क के भाग में 5 कि. मी. सड़क पर डामर बिछाई का कार्य किया गया।

(2) जी नहीं।

(3) वित्तीय साधनों के अभाव में इस वर्ष बनाया जाना सम्भव नहीं है।

(4) यह सड़क भी धन उपलब्ध होने पर ही बनाई जा सकती है।

राज्य में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षति

152. श्री **शंकर लाल** (जैतारण): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस वर्ष बाढ़ और अतिवृष्टि से किन-किन जिलों में कहां-कहां कितना नुकसान हुआ व कितने व्यक्ति और मवेशी मौत के शिकार हुये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन इलाकों में कब-कब क्या-क्या सहायता पहुंचाई गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पहुंचाई गई सहायता बहुत अपर्याप्त रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष बाढ़ और अतिवृष्टि से हुये नुकसान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन इलाकों में पहुंचाई गई सहायता की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं। वित्तीय साधनों को देखते हुए जो भी सहायता राज्य सरकार द्वारा पहुंचाई गई है वह काफी है।

मोर नदी पर पुल का निर्माण कार्य

153. श्री **जिथिंग भाई** (कुशलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कुशलगढ़—बांसवाड़ा रोड पर मोर नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो कब तथा इसका कार्य कब से आरम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

जी नहीं। पुलिया के बनाने के लिये अभी कोई स्वीकृति नहीं दी गई है।

खनिज विभाग में लीज अनुबन्ध सम्बन्धी नियम

154. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खनिज विभाग के लीज अनुबन्धन के क्या-क्या नियम है? विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ए० एस० आई० कम्पनी, रामगंज मण्डी ने इन अनु-

(श्री हरीश शर्मा)

बन्धनों के नियमों को तोड़ा है ? क्या यह कम्पनी 100 वर्ग फीट के नाम पर 108 वर्ग फीट खदान से पत्थर निकाल कर रायल्टी चोरी करती है ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) खनिज विभाग में प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के लिये अलग-अलग नियम बने हुये हैं और उन नियमों के साथ ही खनन पट्टों के लिये निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध का प्रारूप सम्बद्ध है। अप्रधान खनिजों के खनन पट्टे हेतु निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की छपी हुई प्रतियाँ संलग्न हैं। जिनमें खनन पट्टे सम्बन्धी शर्तों एवं नियमों का उल्लेख है।

(2) ए० एस० आई० कम्पनी, रामगंज मण्डी द्वारा बकाया राशि के भुगतान में अनुबन्ध की धारा 4:4 का उल्लंघन वर्ष 71, 72 व 73 में किया गया था। इन तीन वर्षों में चेतना-पत्र जारी किये गये और उनकी पालना होने पर अग्रिम कार्यवाही स्थगित की गई।

जहाँ तक पत्थर की कटाई व उसके इन्द्राज का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जाँच की गई है एवं यह पाया गया कि पत्थर की कटाई का सही इन्द्राज किया जाता है। कम्पनी से रायल्टी तोल के आधार पर ली जाती है।

बरड़ क्षेत्र में खानों के मलबे का ग्राम रास्ते में भराव

155. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में खान मालिकों ने खान के मलबों से आम रास्ता रोक रखा है ? यदि हाँ, तो ऐसे कितने रास्ते हैं ?

(2) क्या सन् 1978-79 में बूंदी के भूतपूर्व ए० एस० आई०, श्री व्यास ने खान मालिकों को आम रास्तों पर मलबा डालने पर नोटिस दिये थे ? यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों को नोटिस दिये थे और बाद में उनको क्यों रोक दिया गया ?

उत्तर

(1) बरड़ क्षेत्र में खानों के मलबे के कारण आम रास्ता रुका हुआ नहीं है।

(2) जनवरी, 1979 में तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, बून्दी द्वारा 59 पट्टाधारियों को आम रास्ता आदि में मलबा डालने के संबंध में नोटिस दिये थे। इन पट्टाधारियों द्वारा नोटिस की पालना में उत्तर प्रस्तुत किये गये। इस पर उनके द्वारा विस्तृत जाँच के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खानों के मलबे से आम रास्ते अवरुद्ध नहीं है अस्तु और अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई।

पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में मेडिकल स्टाफ की कमी

156. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र में मेडिकल स्टाफ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की बड़ी भारी कमी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एडपोस्टों एवं सब-केन्द्रों में काफी अर्से से चली आ रही है ? अगर हाँ, तो क्यों एवं उक्त कमी कब तक दूर करा दी जावेगी ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के अस्पतालों, एडपोस्टों एवं सब-सेन्टरों में दवाइयों की भी बड़ी भारी कमी है ? अगर हाँ, तो उक्त कमी को कब तक दूर करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या साँचौर स्वास्थ्य केन्द्र एवं चीतलवाना डिस्पेन्सरी की इमारतों के इर्द-गिर्द अभी तक अहातों का निर्माण नहीं करवाया है ? अगर हाँ, तो क्यों ? अब उक्त अहातों का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) साँचौर पंचायत समिति क्षेत्र में चिकित्सा केन्द्रों पर स्टाफ की कमी है । इस कमी को योग्य अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर पूर्ति किया जाना संभव हो सकेगा ।

(2) जी नहीं ।

(3) साँचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवन के इर्द-गिर्द अहाता बना हुआ है । चितलवाना डिस्पेन्सरी में अहाते के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।

डाक्टर्स के स्थानान्तरण का अधिकार

157. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सी. ए. एस. डाक्टरों के जिले के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण करने के अधिकार जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह अधिकार राज्य सरकार ने कब से दिये हैं तथा ऐसे अधिकार देने के पीछे राज्य सरकार की क्या नीति रही है ?

(2) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने राज्य व सरकार की नीति के अनुकूल ही स्थानान्तरण किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को स्थानान्तरण के अधिकार दे देने से राज्य के डाक्टरों को अधिक परेशानी उठानी पड़ी है ? क्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के विपरीत भी अनेक स्थानान्तरण हुए हैं जिससे राजकोष पर भी व्यर्थ का भार पड़ा है ?

(4) क्या राज्य सरकार डाक्टरों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिकार पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से विथड्रा कर केवल स्वास्थ्य निदेशक के पास ही रखना उचित नहीं समझती है ? यदि हाँ, तो इसकी क्रियान्विति कब तक सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ । दिनांक 9 नवम्बर, 1978 से यह आदेश प्रदान किए गए हैं । स्थानान्तरण नीति का उद्देश्य केवल यही रही है कि विभाग के कार्य की सुचारु रूप

(चिकित्सा मंत्री)

से सम्पादन किया जा सके। तथा सुन्दर स्थानों पर चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध कराये जा सकें।

(2) सामान्यतः यही अपेक्षित है फिर भी कभी-2 विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा करना संभव न हो सका है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं चल रहा है।

दरीबा क्षेत्र का खनिज सर्वे

158. श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा तहसील के अन्तर्गत दरीबा क्षेत्र में खनिज सम्पदा के लिये क्या कोई सर्वे किया गया? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त सर्वे रिपोर्ट पर आगे किसी प्रकार की कार्यवाही हुई है? अगर हाँ, तो क्या और नहीं, तो अब कब तक क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) जी हाँ। भीलवाड़ा तहसील के अन्तर्गत दरीबा क्षेत्र में खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण केन्द्र सरकार के भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1967-68 से 1971-72 तक किया गया था। सर्वे रिपोर्ट भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(2) उक्त सर्वे के परिणामों से भारत में ताम्र खनिजों के उत्पादन हेतु स्थापित भारत सरकार के एक मात्र प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान कॉपर लि० को अवगत करा दिया गया है। और उनके प्रार्थना-पत्र पर 6.5454 वर्ग मील का क्षेत्र दिनाँक 3-6-78 को खनन हेतु स्वीकृत कर दिया गया। परन्तु हिन्दुस्तान कॉपर लि० ने खनिज के भंडार कम होने के कारण से उच्च प्राथमिकता पर नहीं लिया है।

खनिज रायल्टी बढ़ाने के आधार

159. श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 24 अगस्त, 1979 को खनिज विभाग द्वारा बढ़ाई गई रायल्टी का विधिवत आधार क्या है?

(2) मकराना खनिज मारबल पर रायल्टी बढ़ाने से कितने दिन हड़ताल रही और किन कारणों से राज्य सरकार ने रायल्टी की दरों को कम किया या वापस लिया?

(3) पिछले चार वर्षों में सालाना रायल्टी से राज्य सरकार को मकराना मारबल से कितनी आय हुई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अप्रधान खनिजों की रायल्टी की दरों में परिवर्तन का विधिवत अधिकार राज्य सरकार को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 18 (1) (सी) के अन्तर्गत एवं माइन्स एण्ड मिनरल (रेगूलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 1957 के सैक्शन 15 (3) द्वारा प्रदत्त है जिसके अनुसार अप्रधान खनिजों के अधिशुल्कों की दरों में 4 वर्षों में एक बार उच्चतम परिवर्तन

(खनिज मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। रायल्टी की दरों में वृद्धि करते समय खनिजों के बाजार भावों को दृष्टिगत रखा जाता है।

(2) मकराना में खनिज मारबल पर रायल्टी बढ़ाने से दिनांक 25-8-79 से 12-9-1979, 19 दिन तक मारबल मकराना नाके से बाहर नहीं ले जाया गया। इस प्रकार मारबल का मकराना से निकास बन्द रहा। फैक्ट्रियों एवं खानों पर कार्य पूर्ववत जारी रहा। राज्य सरकार द्वारा 24 अगस्त, 1979 को बढ़ाई गई रायल्टी में 23-9-79 के आदेश द्वारा संशोधन किया गया है। यह संशोधन खनन कर्त्ताओं, लीज होल्डर्स एसोसिएशन तथा जनप्रतिनिधियों की डीजल के भावों में प्रबलतम अभिवृद्धि एवं राज्य में सूखे व अकाल की स्थिति को देखते हुए संशोधन पुन: विचार कर लिया गया।

(3) पिछले 4 वित्तीय वर्षों में निम्न प्रकार से रायल्टी की आय हुई है:—

1. 1975-76 रु० 8,60,280.44
2. 1976-77 रु० 10,76,665.23
3. 1977-78 रु० 12,25,516.51
4. 1978-79 रु० 14,67,975.62

राज्य में वन संरक्षण कार्यक्रम

160. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितना वन क्षेत्र है और उसमें क्लोजर के लिये कितना संरक्षित क्षेत्र है?

(2) क्या संरक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण के पश्चात् वृक्षावली पनपी है? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

उत्तर

(1) राजस्थान में 34,606.38 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। उक्त वन क्षेत्र में से नियमानुसार 25 प्रतिशत वन क्षेत्र का भाग एक समय में बन्द रखने की व्यवस्था है।

(2) जी हाँ।

ग्राम सीनोता के अनुसूचित जाति के कृषकों की भूमि का नियमन

161. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सीनोता, तहसील पीपल्दा के गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति करीब 10-15 साल से वन विभाग की जमीन पर खेती करते आ रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन गरीबों ने मेहनत करके उक्त जमीन को समतल कर कृषि योग्य बनाया है तथा इनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है?

(3) क्या यह भी सही है कि वन विभाग के अधिकारी उनको परेशान कर बेदखल करना चाहते हैं तथा तारीखों पर बार-बार बुलाते हैं?

(4) पीपल्दा क्षेत्र में वन लगाने हेतु कई एकड़ जमीन बेकार पड़ी है फिर क्यों वन विभाग वाले इन गरीबों को परेशान कर रहे हैं?

(5) क्या राज्य सरकार सहानुभूति-पूर्वक विचार कर उक्त जमीन को उन गरीबों के नाम नियमन करने के आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(वन मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जिन व्यक्तियों ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(5) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियमन सम्बन्धी जो आदेश प्रचलित किए गए हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

वन भूमि पर प्लान्टेशन एवं लकड़ी काटने की स्वीकृति

162. श्री लालू दास (फलासिया): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जंगलात के अन्तर्गत कितना प्लान्टेशन लगाया गया? क्या वह सफल हुआ? अगर नहीं, तो राज्य सरकार इस तरफ क्या कदम उठा रही है?

(2) क्या राज्य सरकार ने जंगलात के अन्तर्गत आम लोगों को लकड़ी काटने की इजाजत दे रखी है? अगर नहीं, तो एक साधू को व्यक्तिगत कार्य हेतु दो ट्रक लकड़ी के काटने की स्वीकृति क्यों प्रदान की गयी?

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में 22276 हैक्टर में प्लान्टेशन लगाए गए। इसके अतिरिक्त 3,18,023 पौधों का रोपण किया गया। यह प्लान्टेशन सफल रहे हैं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार ने जंगलात के अन्तर्गत आम लोगों को लकड़ी काटने की इजाजत नहीं दे रखी है। किसी साधू को व्यक्तिगत कार्य हेतु वन विभाग से लकड़ी काटने की स्वीकृत प्रदान नहीं की गई है।

लूणी नदी की बाढ़ से बाड़मेर जिले में जन धन की क्षति

163. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर में इस वर्ष लूणी नदी की बाढ़ से कितने व्यक्तियों की मौत हो गई? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिला बाड़मेर में उक्त बाढ़ से कितने सिंचाई के कुएं नष्ट हो गये एवं कितना क्षेत्रफल रबी काश्त की भूमि नष्ट हुई है? इन्हें क्या-क्या राहत अब तक दी गई है अथवा दी जानी है?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में इस वर्ष आई बाढ़ से 206 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की पटल पर रखदी गई है।

राज्य में घास एवं लकड़ी बेचने पर कर

164. श्री एच.एन. शर्मा (बेगूं): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने सर पर लाकर बेचने वाली मोलीयों, घास के गट्ठरों, बैलगाड़ियों इत्यादि पर लकड़ी ले

Page No.184

(श्री एच. एन. शर्मा)
जाने पर टैक्स की राशि में बढ़ोतरी की है? अगर हाँ, तो कब? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर मय सूची के रखने की कृपा करें।

(2) क्या आदिवासी क्षेत्रों में भी लगाये गये इस मोली एवं घास के गट्ठर टैक्स, अन्य टैक्सों को राज्य सरकार उचित मानती है? क्या इसका असर गरीब आदिवासियों की रोटी-रोजी पर नहीं पड़ेगा? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार इस आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हाँ। राज्यादेश संख्या एफ. 15(16) (4) राज/8/78, दिनांक 1-8-1979 की अधिसूचना के अन्तर्गत वन पैदावार की दरों में वृद्धी की गई है।

आदेश की प्रति संलग्न हैं।

(2) सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सिर बोझों द्वारा निकास की जाने वाली जलाऊ लकड़ी बांस, झाडवाड़ व अन्य वन सम्पदा तथा घास पर उपरोक्त संशोधित दरें अग्रिम आदेश होने तक लागू नहीं होगी।

अत्यावश्यक

आज जारी हो।

राजस्थान सरकार
(राजस्व ग्रुप-8 विभाग)

क्रमांक एफ. 15(16)(4) राज। 8/78 जयपुर दिनांक 1 अगस्त, 1979

अधिसूचना

आरक्षित वन नियम, 1957 के नियम 14 सपठित रक्षित वन नियम, 1957 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तथा इस सम्बन्ध में प्रसारित समस्त पूर्व आदेशों का अधिलंगन करते हुये, राज्य सरकार वृक्षों, इमारती लकड़ी व अन्य वन सम्पदा के लिये, एतद्द्वारा, वे स्वामीस्व दरें (रेट्स आफ रायल्टी) निर्धारित करती है जो संलग्न तालिका में दर्शायी गयी है।

राज्यपाल की आज्ञा से
(जे. एन. माथुर)
उप-शासन सचिव, राजस्व विभाग।

संलग्न:—तालिका पृष्ठ 3

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

(1) सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(2) सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(3) समस्त निजि सचिव मंत्री। राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
(4) निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
(5) समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
(6) मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
(7) समस्त मण्डल वन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
(8) समस्त वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

(9) समस्त जिलाधीश ।

(10) उप-शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 165/69 दिनांक 14-6-79 के संदर्भ में ।

(11) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक अनुभाग सं. 8 को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित ।

(12) अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय-जयपुर को अग्रिम असाधारण राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशनार्थ ।

(13) गार्ड फाइल ।

उप-शासन सचिव

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित है :-

(1) सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।

(2) सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर ।

(3) पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।

उप-शासन सचिव

राजस्व दरें

क्र.सं. 1	वृक्ष जाति 2	दरें 3	विशेष विवरण 4
		प्रकोष्ठ —1	
1	चन्दन		आरक्षित
2	सागवान (टैक्टोना ग्रेंडस) बीजा (टैरोकारपस मास्सजिज्यम) तिनसा (ओजीनिया डेलवरन्या ओडीज) सेमल (सालमैलिया मेलाबेरीका) शीशम (डेलवरजिया सीस) काला शीशम (डेलवरजिया लेटीफोलिया) हल्दू एडीयना (काडी फोलिया) ।	200 रु. प्रति घन मीटर (5.71 रु. प्रति घनफुट)	नोट—1 प्रकोष्ठ— -1 से अभिप्राय उस काष्ठ से हैं जिसे सामान्य चिराकर या अनन्तर इमारती काश्तकारी या अन्य काम में लिया जाता हो और जो प्रकोष्ठ 11 अथवा जलाऊ लकड़ी की श्रेणी में न आते हों ।
3	अन्य (बबूल, जामन, महुवा, कोहडा, आम, तेन्दू, नीम, कलम, खिरनी, सीरस, गरीड़, खैर, कलदी, घोकड़ा, रूजा इमली, खेजड़ा, बैर, सालर, गर्जन, आल, डाक आदि)	100 रु. प्रति घनमीटर 28.6 रु. प्रति घनफुट	नोट-2 एक घन मीटर-35 घनफुट (लगभग) ।
		प्रकोष्ठ—II	
1	डांडा सागवान, घोकड़ा व कलदी	150 रु. (प्रति सैकड़ा)	(डांडा से अभिप्राय उस ईमारती लकड़ी से है जिसकी मोटे सिरे पर गोलाई 20 से. मी है ।
2	बीली व अन्य प्रजाति	100 रु प्रति सैकड़ा	

1	2	3	4
	जलाऊ लकड़ी		
1	(अ) सिरबोझा	1 रु. प्रति भार	
	(ब) सिरबोझ अन्य	0.50 रु. प्रति भार	
2	गधा, खच्चर, भैंस, बैल,	5 रु. प्रति भार	
3	ऊंट भार	10 रु. प्रति भार	
4	(अ) बैलगाड़ी (दो बैली)	30 रु. प्रति गाड़ी	
	(ब) बैलगाड़ी (चौबैली)	60 रु. प्रति गाड़ी	
5	ट्रक भार	350 रु. प्रति ट्रक	
	बांस		
1	बांस पतला (हरा व सूखा)	25 प्रति सैकड़ा	नोट—1 बांस पतला से तात्पर्य उस बांस से है जिसकी अधिकतम गोलाई 12-5 से.मी. है लम्बाई 3-75 मी. से कम।
2	बांस मोटा (हरा व सूखा)	50 प्रति सैकड़ा	बांस मोटा से तात्पर्य उस बांस से है जिसकी गोलाई 12—5 से. मी. से अधिक हो लम्बाई 3-75 मि. मी. से अधिक।
3.	बांस कटा फटा सूखा	2 रु. प्रति भार	
	(अ) प्रति माथा भार	2 रु. प्रति भार	
	(ब) गधा, बैल, भैंसे भार	5 रु. प्रति भार	
	(स) ऊंट भार	10 रु. प्रति भार	
	(ई) बैलगाड़ी (दो बैली)	40 रु. प्रति बैलगाड़ी	
	(उ) बैलगाड़ी (चौबैली)	80 रु. प्रति बैलगाड़ी	
	झाड़बांड		
1	कलदी, सागवान, बांस, खेजड़ा, खैर, रोज		
	(अ) माथाभार	30 रु. प्रति भार	
	(आ) बैलगाड़ी (दो बैली)	30 रु. प्रति भार	
	(इ) बैलगाड़ी (चौबैली)	60 रु. प्रति भार	

1	2	3	4
		अन्य सम्पदा	
1	पता खजूर		
	(अ) बैलगाड़ी	रु. 20 प्रति बैलगाड़ी	
	(आ) ऊंट गाड़ी	,, 5 प्रति भार	
	(भा) भैंसे, गधा, खच्चर, भार	,, 2.50 प्रति भार	
	(ई) माथा भार	1.00 प्रति भार	
2	छीली पता, श्रेयटियाँ मानोस्परमा.	0.50 पैसे प्रति भार	
1	मोटर का भार		
2	कावड भार	,, 1.00 पैसे प्रति भार	
3	भैंसे, गधा, खच्चर, भार	,, 2.00 पैसे प्रति भार	
4	ऊंट भार	,, 5.00 पैसे प्रति भार	
5	बैलगाड़ी	,, 20.00 पैसे प्रति बैलगाड़ी	
3	पता घोकलपिला		
1	प्रति बैलगाड़ी (चौबैली)	,, 40.00 प्रति बैलगाड़ी	नोट सूखे पत्तों की दरें गीले पत्तों से दुगुनी होंगी।
2	प्रति बैलगाड़ी (चौबैली)	,, 20.00 प्रति बैलगाड़ी	
3	ऊंट भार	,, 5.00 प्रति भार	
4	भैंसे, गधा, खच्चर, भार	,, 2.00 प्रति भार	
4–5	पता तेम्दा (सूखा)	,, 40.00 प्रति क्वि.	
5	बकोड़ी (पीले की जड़)	,, 100. प्रति,,	
6	खंस	,, 250.00 ,,	
7	शहद	,, 250.00 ,,	
8	मोम	,, 200.00 ,,	
9	लाख	,, 100.00 ,,	
10	चिरोंजी	,, 250.00 ,,	
11	महुआ फल	,, 20.00 ,,	
12	महुआ फल	,, 20.00 ,,	
13	बैहड़ा फल	,, 10.00 ,,	
14	अमलतास	,, 20.00 ,,	
15	सागरी	,, 250.00 ,,	
16	पील व पीगू	,, 250.00 ,,	
17	आवलहड़ा	..	
1	सिर भार	,, 0.50 प्रति भार	सूखे आंवले की दर तीन गुना होंगी।
2	गधा, खच्चर, बैल	,, 2.50 प्रति भार	
3	ऊंट भार	,, 2.50 प्रति भार	
4	बैलगाड़ी	,, 20.00 प्रति गाड़ी	

Page No.188

1	2	3	4
18	इमली (फल)	रु. 25.00 प्रति क्वि.	
19	कटोड़ी	,, 250.00 ,,	
20	सीताफल	,, 20 00 ,,	
21	आम	,, 25.00 ,,	
22	रीडाफल	,, 25.00 ,,	
23	कडा	,, 25.00 ,,	
24	सफेद मूसली (सूखी)	,, 350.00 ,,	
25	काली मूसली (सूखी)	350 रु. प्रति क्वि.	
26	कमीला	100 ,, ,,	
27	नरमुड़ी	50 ,, ,,	
28	बालंगा बीज	50 ,, ,,	
29	इन्द्रोगो (कडवा)	50 ,, ,,	
30	जंगली प्याज (सूखे)	25 ,, ,,	
31	रत्न जोत	50 ,, ,,	
32	पंवार	100 ,, ,,	
33	कणजी	30 ,, ,,	
34	आंवल छाल	100 ,, ,,	
35	घटबोर	25 ,, ,,	
36	गोंद	..	
	अ—धवड़ी	500 ,, ,,	
	आ—कडाया	300 ,, ,,	
	इ—खेश्री	500 ,, ,,	
	ई—बबूल	500 ,, ,,	
	उ—छीला	550 ,, ,,	
	अ—अन्य	300 ,, ,,	
37	गोंदीय राल (सालर)	300 ,, ,,	
38	गूगल	500 ,, ,,	

घास

1	माथा भार या कावड भार	रु. 0.50 प्रति भार	
2	गधा व खच्चर भार	,, 1.00 ,,	
3	बैल भार या ऊंट भार	,, 2.00 ,,	
4	बैलगाडी (दो बैली)	,, 10.00 प्रति बैलगाडी	
5	बैलगाडी (चौबैली)	,, 20.00 ,,	

Page No.189

बिजोलियां क्षेत्र में भेड़ों की चराई

165. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (माण्डलगढ़)—क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(1) क्या भेड़ों के कारण ऊपर माल बिजोलियां के हजारों किसानों को भारी कष्ट उठाना पड़ता है ?

(2) क्या यह आवश्यक नहीं है कि इन भेड़ों को हर क्षेत्र के लिये तादाद निश्चित करके और जगह जगह चरागाह बनाकर बिजोलियां क्षेत्र से इनका दबाव कम किया जावे ?

(3) बिजोलियां क्षेत्र में वैसे भी चरागाह कम है क्योंकि यहाँ का अधिक हिस्सा खनिज में आ गया है इसलिए इस क्षेत्र को भेड़ो से मुक्त रखना क्या राज्य सरकार जरूरी नहीं मानती ?

उत्तर

(1) जी नहीं। व्यापकस्तर पर कोई कष्ट नहीं है।

(2) राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है।

(3) जी नहीं। क्षेत्र को भेड़ों से मुक्त रखना सम्भव नहीं है निष्क्रमण पर आगे आने वाली भेड़ों की संख्या व मार्ग नियोजित किये जा रहे हैं।

उदयपुर में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्तियां

166. श्री भूर लाल (गोगुन्दा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) डा. मुड़िया के अधीन उनकी लड़की को उनके ही विभाग म नौकरी दी गई व साथ ही डा. पंडिया वर्तमान सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवायें (मलेरिया), उदयपुर की भी लड़की को नौकरी पर रखा गया ? यदि हाँ, तो चयन समिति की सिफारिश की सूची व चयन समिति द्वारा सभी उम्मीवारों की अंक-तालिका की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या चयन समिति की सिफारिश के अनुसार ही नौकरी दी गई ? क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर की अनुमति प्राप्त थी? अगर नहीं,तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हाँ। मुड़िया ने अपने अधीन ही अपनी लड़की की नियुक्ति की चयन समिति का भी जो गठन हुआ था वह विवादास्पद है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जाँच के आदेश दिये गये हैं।

डा० पंडिया की पुत्री की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर मुख्यालय द्वारा की गई। चयन समिति की सिफारिश तथा निदेशक के आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) डा० मुड़िया की लड़की की नियुक्ति के बारे में जाँच की जा रही है।

डा० पण्डिया की लकी की नियुक्ति के बारे में मुख्यालय स्तर से अनुमति ली गई है।

DIRECTORATE OF MEDICAL & HEALTH SERVICES
RAJASTHAN, JAIPUR

No. C.D./C.C./Ch. Cell/79/ *Jaipur the*

OFFICE ORDER

Mrs. Kalpna Pandya, introduced by Employment Exchange, Udaipur to Dy. Chief Medical & Health Officer (H), Udaipur is hereby appointed temporarily for the period of 3 months on the post of Laboratory Technician for Cholera Combat Team, Udaipur in the pay scale Rs. 355-10-415-15-550-20-570 P. M. with effect from the date she reports to Dy. Chief Medical and Health Officer (H), Uadipur for joining duty on the above post. She will have to undergo medical check up for physical fitness and have to produce certificate of physical fitness.

Sd/
Director,
Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

No. C.D./C.C.P./Ch. Cell./79/9 *Dated 9-1-79.*

Copy forwarded to the following for information and necessary action.

1. Dy. Chief Medical & Health Officer (H), Udaipur.
2. O. S. X. (Non-gazetted section) Dte. through Dy. D.M:H.S. (MED).
3. Mrs. Kalpna Pandya.
4. Personal file/Guard file/Office Order file.

Sd/
Director,
Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

List of candidates selected in Cholera Technician in order of preference the interview held on 30-12-78 by the Selection Committee consisting of Dy. C.M.H.O.(F.W.)C.M.H.O. is on leave), Dy. C.M.H.O (Health) and M. O. Incharge, Cholera unit in the office of Dy C.M.H.O. (Health).

1.	Kalpana Pandya	(1)
2.	Miss Maya Nagori	(3)
3.	Mrs. Vijay Laxmi	(4)
4.	Purna Mal	(2)
5.	Manohar Lal	(5)

Sd/
Dy. C.M.H.O. (H)
30-12-78

Sd/
M. O. Incharge Cholerc Unit
30-12-78

preference is given as per selection S. No.

Sd/
Diwan Chan
30-12-78.

Page No.191

राज्य में नये औषधालय

168. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में (वर्तमान वित्तीय वर्ष में) कितने नये औषधालय खोले गये ? जिलेवार, ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

नये खोले गये चिकित्सालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

वित्तीय वर्ष 1979-80 में स्वीकृत शहरी और ग्रामीण डिस्पेन्सरी (सहायक स्वास्थ्य केन्द्र) की सूची

क्र. स.	नाम जिला	शहरी डिस्पेन्सरी	सहायक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण डिस्पेन्सरी)	एड-पोस्ट
1	2	3	4	5
(1)	अजमेर	(1) अजमेर	(1) नोरखा	..
(2)	अलवर	(2) अलवर	..	
(3)	बाड़मेर	..	(2) जसोल	
(4)	भरतपुर	(3) भरतपुर	(3) जनुवर	
			(4) मागनाद	
(5)	बीकानेर	(4) बीकानेर	(5) मकोपाल	
		—	(6) हिम्मतसर	
(6)	भीलवाड़ा	(5) भीलवाड़ा	(7) खाहिटी	(1) मामोण
			(8) अमरवाणी	
			(9) बोरडा	
			(10) रजियास	
(7)	बून्दी	..	(11) बड़ाखेड़ा	
(6)	चित्तोड़गढ़	..	(12) काकरवा	..
			(13) नादखेडा	
			(14) सामरिया	
(9)	चूरू	..	(15) खालासर	
			(16) इमेरया	
			(17) जतसीसर	
(10)	गंगानगर	..	(18) रिडमलसर	(2) लखासर
			(19) ( )	
(11)	जयपुर	..	(20) इसखेडा	(3) मानपुर भावेड़ी
		..	(21) एडल	
			(22) विपाई	
			(23) पदमपुरा	
(12)	झालावाड़	..	(24) पीपखेडा	
			(25) घनवाद	
(13)	झुन्झुनू	(6) झुन्झुनू	(26) देवरांड	
			(27) परसरामपुरा	

1	2	3	4	5
(14) कोटा	..		(28) पोट (29) मुकेश (30) दिगोद	(4) तोतलेडा (5) कुम्जे (6) मुल्मी
(15) जालोर	..		(31) आधाजून	
(16) नागोर			(32) संवचाय (33) जावता (34) मिठडी (35) खेडी	
(17) पाली	..		(36) सोजत रोड (37) आनन्दपुर कालू	
(18) सवाई माधोपुर	(7) मान टाउन सवाई माधोपुर		(38) मादोली (39) फलोदी ग्राम	
(19) सीकर	..		(40) ढाडण (41) बैसया	(7) बाप (8) नेतडवास
(20) सिरोही	..		(42) सनवाड (43) बेनार	
(21) डूंगरपुर	..		(44) बलोज	
(22) बांसवाड़ा	..		(45) कसराटवाड़ी	
(23) टोंक	..		(46) चनानी (47) बरवास	(9) खरेडा बुजुर्ग
(24) उदयपुर	(8) उदयपुर		(48) कुरज (49) दिबेर (50) चन्देसरा (51) बीकरणी (52) बेवला	
(25) जैसलमेर	..		..	(10) रामदेवरा

सवाई माधोपुर अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय

169 श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा), श्री कुन्जीलाल (बामनबास) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में शीघ्र ही अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय खोला जा रहा है ? यदि हाँ, तो कब तक ? अन्य कार्यालयों के विकास का पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सवाई माधोपुर में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर औचित्य की जाँच की जा रही है।

माही-कडाना योजना हेतु वित्तीय प्रावधान

170 श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माही कडाना बांध इस वर्ष बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ, तो कितनी फीट

(श्री लाल शंकर डेंडोर)

ऊंचाई व चौड़ाई है ? कितना पानी इस वर्ष इसमें रखने का प्रावधान है ? आँकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस बाँध से राजस्थान को आर्थिक नुकसान अधिक है ? यदि हाँ, तो किस परिभाषा में ? लाभ व नुकसान का ब्यौरा देने की कृपा करें।

(3) क्या सागवाड़ा तहसील व बागीदौरा के काफी ग्राम डूब में प्रभावित हुये हैं ? डूब में आने वाले ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या कडाना पुनर्वास अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय, सागवाड़ा से स्थानान्तरित होकर बाँसवाड़ा इसी माह में जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या मार्च तक अवधि बढ़ाने की कृपा करेंगे।

(5) क्या माही कडाना बाँध से प्रभावित विस्थापितों की समस्याएं आज भी 40 प्रतिशत विचाराधीन हैं ?

(6) क्या तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, सागवाड़ा की उदासीनता व ढील के कारण इस वर्ष भी समस्याएं पूरी हल नहीं कर पाये ? यदि हाँ, तो इस संबंध में अब क्या कार्यवाही, कब तक करने का विचार है ? इस बाँध से विस्थापितों की सम्पत्ति का जो नुकसान हुआ है उसे क्या राज्य सरकार उन्हें वापस दिलाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हाँ, माही नदी पर कडाना बाँध गुजरात सरकार द्वारा तैयार किया जा चुका है। माही कडाना बाँध में इस वर्ष गुजरात सरकार का 419 फीट तक पानी भरने का कार्यक्रम है। इस समय माही कडाना जलाशय का स्तर 390 फीट है।

(2) गुजरात सरकार द्वारा कडाना बाँध का निर्माण किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान क्षेत्र के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के 132 ग्राम आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। राजस्थान का कुल 22,931 एकड़ क्षेत्रफल जलमग्न होगा। इस बाँध से गुजरात राज्य को लाभ होगा। राजस्थान राज्य की डूब से प्रभावित होने वाली सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. राजकीय भूमि	13,655	एकड़
2. निजी भूमि	10,276	,,
3. कुल भूमि	22,931	,,
4. मकान	1,300	
5. कुए	522	
6. परिवार	5,940	
7. जनसंख्या	30,000 (अनुमानित)	

जी हाँ, सूची 'क' प्रेषित है।

(3) अधिशाषी अभियन्ता, कडाना पुनर्वास खण्ड, सागवाड़ा का कार्यालय माही नियंत्रण मण्डल द्वारा 30-9-79 तक ही स्वीकृत है क्योंकि कड़ाना पुनर्वास का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। थोड़े से बचे हुए कार्य के लिये एक उपखण्ड कार्यालय सागवाड़ा में 25-2-1980 तक रहेगा। यह उपखण्ड अधिशाषी अभियन्ता, माही पुनर्वास खण्ड, बांसवाड़ा के आधीन कार्य करता रहेगा।

(4) जी नहीं। कडाना बाँध की डूब से प्रभावित होने वाली अधिकांश सम्पत्ति

(सिंचाई मंत्री)

का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। विवरण निम्न प्रकार हैः–

	भुगतान किया जा चुका	भुगतान जो शेष है
1. जलस्तर 419	247-83 लाख	—
2. बैकवाटर	116-67 „	4-89 लाख
3. गलियाकोट कस्बा	168-61 „	14-34 „
योग..	533-11 लाख	19-23 लाख

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मुआवजा भुगतान का कार्य 96-5 पूर्ण हो चुका है। शेष राशि रु. 19-83 लाख में से 12-26 लाख रुपये के मामले सत्र न्यायालय में स्वत्व निर्धारण हेतु प्रेषित किये गये हैं।

(5) कडाना बाँध की डूब से 3,267 खातेदार विस्थापित परिवार प्रभावित होते हैं। इन समस्त 3,267 खातेदार परिवारों को 10,953 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

(6) अधीशाषी अभियन्ता, कडाना पुनर्वास खण्ड, सागवाड़ा द्वारा कडाना बाँध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को उनकी सम्पत्ति का मुआवजा भुगतान व पुनर्वास का कार्य कराया जा रहा है। मुआवजा व पुनर्वास सम्बन्धी अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य मार्च, 80 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। कडाना एवं माही बाँधों से जिन निजी सम्पत्तियों का नुकसान होने की सम्भावना है उन सभी प्रभावित व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास नोर्म्स के अनुसार मुआवजा भुगतान का कार्य प्रगति पर है। अधिकांश प्रभावित विस्थापितों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है व शेष को मार्च, 1980 तक कर दिये जाने का कार्यक्रम है।

कडाना बांध की डूब जलस्तर 419 से प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम
1	2
1.	**तहसील गढ़ी (जिला बांसवाड़ा)**
1.	विलंडी
2.	उटाऊवा
3.	कटयाम
4.	बेरापुरा
5.	कोटड़ा
6.	गोविन्दपुरा
7.	दतेला
8.	भतार
9.	दौऊबा
10.	मादनी
11.	भेलाऊ
12.	मानपुरा
13.	मांवदड़ा
14.	मादेड़ी
15.	सारनपुर
16.	मगतपुर
17.	मुवालकोट
18.	मोटीबस्ती
19.	आंजना
20.	खंवालिया
21.	भाखडिया-पारडा
22.	बिलोदा
23.	आंकावाडा
24.	घांपाला
25.	डुमजी का पारडा
26.	मोर
27.	दरतोलिया
28.	मोरडी
29.	हूमला की ढाणी

Page No.195

1	2
30.	बेडवा
31.	मादरीण
32.	हारवेडा
33.	गढी
34.	मडकोला
35.	हुसनपुरा उर्फ सोहनीया
36.	घोरी
37.	ऊंटी
38.	सोहनीया माफी

1	2

2. तहसील बागीदोरा (जिला बांसवाड़ा)

1.	घाटनवाघरा
2.	ढोबर
3.	बण्डा
4.	मथुडीसरुला
5.	डाँडव
6.	फुआ
7.	मेराबाला
8.	झामेडा
9.	पिपलाईदूदा
10.	झाजा
11.	उगदरा
12.	घमेरीया
13.	कांगलिया
14.	बाजडीयाँ
15.	ओरभटोड
16.	आरवानीया
17.	कुम्हारीया
18.	कामेडा
19.	सरुटापारमी
20.	घारुदीया
21.	रोनीया
22.	रामावडी

1	2
23.	कादिया
24.	मेसियावाडा
25.	पुछियावाड़ा
26.	दाद
27.	संग्रामपुरा
28.	भवानपुरा
29.	उदेपुरा छोटा
30.	हरकोटा
31.	अर्जुनपुरा
32.	मोगामा
33.	दानमिदा-ऊंबादरा
34.	मेनापादर
35.	भामडा
36.	सेरामाता
37.	मासरोड
38.	उम्मेदगढी
39.	मूसावा

1	2

3. तहसील सागवाड़ा (जिला डूंगरपुर)

1.	खवाबाडा
2.	बडमामा
3.	रावदोर
4.	बावडी
5.	नेनगांवां
6.	आमदा
7.	दाद
8.	कोडा
9.	कोचरी
10.	ऊदला
11.	भमियाकोट
12.	केवला
13.	बुडवाडा
14.	मंडीटिम्बा
15.	सानेडा

1	2
16.	रामसरि
17.	कालीया पारडा
18.	मामी
19.	खिवोडी
20.	अनारीया
21.	मडिया
22.	मदागाँव
23.	मादरखेड
24.	छापरा का कुआ
25.	मवादरा
26.	दिरवाडासरुद
27.	बिजाडा
28.	रसूलपुरा
29.	गमेडा
30.	हनोता
31.	खडीबाप
32.	बोरडी
33.	दिवडाफर्ला
34.	अम्बाडा
35.	बिसाँमा
36.	कानबुरक
37.	केसरपुरा दाताजी
38.	बाडगो
39.	कोबासा
40.	मोदर उर्फ दौलतपुर
41.	सूरज गाँव
42.	बोगडी
43.	लवेरी
44.	केदारपुरा
45.	पाडलाओड
46.	अमरा आलाजी
47.	भुसाल काँगल सिगोड
48.	रसाल काँगल काठम
49.	ढोडाद
50	खिमडी
51.	मेरसुरा
52	सम्बाखिवा
53	बडाजसराजपुर
54	टिमरुया
55.	मागादाता-जी

बांसवाड़ा जिले में अधूरे राहत कार्य

171. श्री बहादुर सिंह (दानपुर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बांसवाड़ा जिले में पिछले साल अकाल राहत कार्य चालू किया गया था ? यदि हाँ, तो किस-किस विभाग द्वारा क्या-क्या राहत कार्य चलाया गया और प्रत्येक कार्य पर कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा प्रत्येक कार्य पर कितने-कितने मजदूरों को रोजगार दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने पिछले चलाये गये राहत कार्य, जो अधूरे हैं, उन्हें वर्तमान में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनः चालू कराने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो अकाल राहत कार्य कब से आरम्भ हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ, गत वर्ष राहत कार्य चालू किये गए थे। स्वीकृत राहत कार्यों की स्वीकृति की सूची मय राशि एवं मजदूरों की संख्या के संलग्न है।

(2) जी हाँ, जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि गिरदावरी की विस्तृत रिपोर्ट आने से पूर्व भी वे सूखे से प्रभावित प्रत्येक पंचायत में 3 कार्य 'काम के बदले अनाज योजना' के तहत करवा सकते हैं जिनमें पिछले अधूरे राहत कार्यों को पूरा कराने में प्राथमिकता दी जायेगी।

सूची राहत कार्य जो सम्वत् 2035 में किये गए–जिला बांसवाड़ा

क्र. सं.	नाम अभिकरण	नाम कार्य	स्वीकृत राशि (लाखों में)	मजदूरों की संख्या	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1	सा. नि. विभाग	कुशलगढ़ से गामद रोड	1 00	230	
2	,,	कुशलगढ़ से बाजना रोड	1.30	230	
3	,,	रामगढ़ से हिम्मतगढ़ रोड	1.20	643	
4	,,	पाटन से बढ़ी सरवा रोड	1.00	31	म. प्रदेश की
5	,,	तौवेसरा रोड	1.00	25	सीमा तक।
6	,,	मोयन घाटी रोड	1.00	134	
7	,,	दानपुर से घटाली रोड	1.00	667	
8	,,	कुंडला खुर्द से वाजना रोड	1.00	184	
9	,,	दानपुर से फेफर रोड़	1.00	125	
10	,,	पीपलखूट से घटाली रोड़	1 00	104	
11	,,	केलाकेसा से घटाली रोड	1.00	133	
12	,,	छींच से बोडीगामा रोड	1.00	502	
13	,,	बड़ी सेवा फीडर	1.00	105	
14	,,	जखेपुर तालाब	1.00	16	
15	,,	रोहनिया तालाब	0.50	17	
16	,,	सालाहेड़ा तालाब	1.00	कार्य आरंभ नहीं हुआ।	
17	,,	भीलिया तालाब	0.50	,,	
18	,,	देवगढ़ तालाब	1.00	40	
19	,,	बारी दानपुर तालाब	1.00	80	
20	राज. व प. सं.	फांकन वाली तालाब	1.00	180	
21	,,	इटाला से हैजामाल रोड	0.50	284	
			22.18	3200	

Page No.198

ग्राम कुण्डला का विद्युतीकरण

172. **श्री बालचन्द्र आर्य** (डग) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार डग विधान सभा क्षेत्र के कुण्डला ग्राम का विद्युतीकरण करने का कोई विचार रखती है ? यदि हाँ, तो इसका विद्युतीकरण कब तक और कितने समय में हो जावेगा ?

उत्तर

डग विधान सभा क्षेत्र में कुण्डला ग्राम का विद्युतीकरण अभी विचाराधीन है । अभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि इसका विद्युतीकरण कब तक किया जा सकेगा ।

सिंचाई वृत्त भरतपुर में गेट की खरीद

173. **श्री काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सिंचाई वृत्त भरतपुर के अन्तर्गत किस-किस खण्ड (डिवीजन) में सन् 1978 के प्रारम्भ से ही कितनी कीमत व कितने वर्ग फुट और कितने वजन के गेट खरीदे गये हैं ? प्रत्येक खण्ड की पृथक्-पृथक् क्रय दर प्रति वर्ग फुट और प्रति किलो क्या है ?

(2) क्या सभी डिवीजनों की वजन के अनुसार प्रति किलो रेट समान है या अन्तर हैं ? यदि अन्तर है, तो क्यों ? प्रत्येक डिवीजन की पृथक्-पृथक् किलो रेट क्या आती है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सूची 'क' में प्रेषित है ।

(2) प्रति किलो रेट में अन्तर है, उसके कारण सूची 'ख' में प्रेषित है ।

सूची 'क'

खण्ड का नाम	कुल वजन	कुल वर्ग फीट	कुल राशि	औसत दर प्रति वर्ग फुट	औसत दर प्रति किलो
सिंचाई खण्ड, भरतपुर ।	58250कि.	2325 वर्ग	661144.68	284.36 रु.	11.35 रु.
बाढ़ नियंत्रण खंड, डीग ।	26520कि.	1019.87	331141.06	324.68रु.	12.48 रु.
बाढ़ नियंत्रण, खंड धौलपुर ।	48754कि.	1931.99	590341.00	305.55रु.	12.11रु.
बाढ़ नियंत्रण, खंड भरतपुर	शून्य	शून्य	शून्य	..	..
गुड़गाँव नहर, खंड डीग ।	शून्य	शून्य	शून्य	..	—

सूची 'ख'

अन्तर के कारण

(1) सन् 1978-79 के दौरान लोहे की दरों में समय-समय पर काफी परिवर्तन होता रहा है। जिसके कारण एक ही खंड में अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न रेट प्राप्त होती रहीं।

(2) गेट्स की लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार डिजाइन में परिवर्तन हो जाता है अथवा तदनुसार गेट्स के वजन में परिवर्तन हो जाता है।

(3) कार्यस्थल तक गेट्स को पहुंचाने के लिये सड़क व कच्चे रास्ते तथा दूरी पर दरें बदलती रहती हैं।

(4) कार्यस्थल पर लगाने के लिये दरें, स्थल की परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं।

विद्युत मण्डल में सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों की स्वीकृति

174. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर में गत 2 वर्षों में कहां-कहां नये सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के नये कार्यालय स्वीकृत किये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चौमूं क्षेत्र में कहां-कहां नये अभियन्ताओं के कार्यालय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि खेजडोली एवं सामोद में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? अगर हाँ, तो कब तक? नहीं तो, क्यों नहीं?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्वीकृत किये गये कार्यालयों की सूची 'अ' संलग्न है।

(2) व (3) अभी सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा कार्यभार के आधार पर सहायक अभियन्ता (सब-डिवीजन) कार्यालय खोले जायेंगे।

सूची 'अ'

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अक्टूबर, 77 से सितम्बर, 79 तक सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं के खोले गये कार्यालयों की सूची।

क्रम संख्या	आदेश संख्या व दिनांक	सहायक अभियन्ता कार्यालय का का नाम	कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	3050, दिनांक 17-10-77	उप-खण्ड-I, उदयपुर	कनिष्ठ अभियन्ता II
2.	,,	उप-खण्ड II, उदयपुर	
3.	,,	उप-खण्ड III उदयपुर,	
4.	3051, दिनांक 17-10-77	ग्रा वि रामगढ़, जिला अलवर	कनिष्ठ अभियन्ता 3
5.	,,	ग्रा. वि. खामेर, जिला भरतपुर	,, 3
6.	,,	ग्रा. वि. कोटरा, जिला उदयपुर	,, 3
7.	,,	ग्रा. वि. जिंदल, जिला उदयपुर	,, 3
8.	,,	ग्रा. वि. गोगून्दा और कोटरा, जिला उदयपुर।	,, 3 3
9.	,,	ग्रा. वि. बिछीवारा, जिला डूंगरपुर	
10.	,,	ग्रा. वि. भोपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।	,, 3
11.	,,	ग्रा. वि. चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।	,, 3
12.	,,	ग्रा. वि. नादोती, जिला सवाई माधोपुर।	,, 3
13.	,,	ग्रा. वि. हिण्डौन, जिला सवाई माधोपुर।	,, 3
14.	4616, दिनांक 12-12-77	मीटर टेस्टिंग लैबोरेटरी, भीलवाड़ा	.. .
15.	4617, दिनांक 12-12-77		12. सूरतगढ़ 1
16.	,,		13. नोहर टाउन 1
17.	4621, दिनांक 12-12-77	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, रतनगढ़	..
18.	4622, दिनांक 13-12-77	उप-खंड, जयपुर नगर वृत्त -I	14. जयपुर 1
19.	,,	उप-खंड, जयपुर नगर वृत्त-II	15. जयपुर 1 16. जयपुर 1
20.		उप-खंड, जयपुर नगर वृत्त-III	17. जयपुर 1 18. जयपुर 1 19. जयपुर 1 20. जयपुर 1 21. जयपुर 1 22. जयपुर 1
21.	20, दिनांक 5-1-78	उप-खंड, वि. क. आई. ए., जयपुर	1. कालवाड 1 2. नांगल जैसाबोरा 3. बरीकाखेडा 1

Page No.201

1	2	3	4
			4. गोगागेट 1
22.	217, दिनांक 20-1-78	बी. जोन—बीकानेर वृत्त	5. देशनोक 1
			6. कोलायत 1
			7. लूणकरणसर 1
23.	426, दिनांक 13-2-78	टी सी. सब-डिवीजन—7 भीलवाड़ा	..
24.	,,	टी. सी. उप-खंड—7 भीलवाड़ा	..
25.	,,	टी. सी. उप-खंड—7 भीलवाड़ा	..
26.	486, दिनांक 18-2-78	ग्रा. वि. देसूरी, जिला पाली	क. अभि. 3
27.	,,	ग्रा. वि. रोहट, जिला पाली	क. अभि. 3
28.	,,	ग्रा. वि. बिलाड़ा, जिला जोधपुर	क. अभि. 3
29.	,,	ग्रा. वि. ओसिया, जिला जोधपुर	क. अभि. 3
30.	,,	ग्रा. वि. जसवंतपुरा, जिला जालोर	क. अभि. 3
31.	,,	ग्रा. वि. आहोर, जिला जालोर	क. अभि. 3
32.	,,	ग्रा. वि. साहिला, जिला जालोर	क. अभि. 3
33.	,,	ग्रा. वि. कुचामन, जिला नागोर	क. अभि. 3
34.	,,	ग्रा. वि. झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं	क. अभि.
			अभि. रतननगर 1
			क. अभि., नोहर 1
			क. अभि. पदमपुर 1
35.	675, दिनांक 6-3-78	सब-स्टोर, डूंगरपुर	..
36.	748, दिनांक 15-3-78	उप-खंड, रामगंज मण्डी	8. अकलेरा 1
			9. बकानी 1
			10. बिरावा 1
			11. चोमला 1
			12. सकेत 1
			13. मोडक 1
37.	994, दिनांक 5-4-78	132 के. वी., डीडवान	..
38.	,,	132 के. वी., लाखेरी	..
39.	,,	132 के. वी., बालोतरा	..
40.	,,	132 के. वी., पोकरण	..
41.	1080, दिनांक 11-4-78	उप-भण्डार, सिरोही	..
42.	1107, दिनांक 12-4-78	उप-खंड, श्री करनपुर	..
43.	1314, दिनांक 13-4-78	132 के. वी., डेचू	..
44.	1162, दिनांक 14-4-78	132 के. वी. सूरतगढ़, -पदमपुर ट्रान्समिशन लाइन।	..
45.	1165, दिनांक 14-4-78	पी. एल. सी. सी.- I	..
46.	,,	पी. एल. सी. सी.- II	..
47.	,,	पी. एल. सी. सी.-III	..
48.	1409, दिनांक 4-5-78	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, मथानियां	..
49.	,,	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, पीपाड़ सिटी	..
50.	,,	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, जैतारण	..
51.	,,	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, आबू रोड	..
52.	,,	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, माउण्ट आबू	..

Page No.202

1	2	3	4	
53.	1409, दिनांक 4-5-78	निर्माण उप-खंड, सिरोही	..	
54.	1410, दिनांक 4-5-78	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, रींगस	14. श्रीमाधोपुर	1
55.	"	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, लक्ष्मणगढ़	15. अजीतगढ़	1
56	"	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, खेतड़ी	16. रींगस, ग्रामीण	1
57.	"	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, मंडावा	17. महरोली	1
58	"	ग्रा. उप-खंड, सीकर	18. खाचरियावास	1
59.	"	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, पिलानी	19. दाता-II	1
60.	"	ओ. एण्ड एम. उप-खंड, मादरा	20. खाटूश्याम जी	1
61.	"	मीटर उप-खंड, झुंझुनूं	21. कुन्दन	1
62.	"	स्टोर उप-खंड, झुंझुनूं	22. सिरहोट छोटी	1
			23. फतेहपुर-II	1
			24. लक्ष्मणगढ़ ग्रा.	1
			25. झुंझुनूं टाउन-II	
			26. डूंडलोद	1
			27. मुकन्दगढ़	1
			28. सुरजगढ़	1
			29. चिड़ावा ग्रा.	1
			30. सुलताना	1
			31. खेतड़ीनगर	1
			32. बसवाटा	1
			33. नवलगढ़ टाउन	1
			34. नवलगढ़ ग्रामीण	1
			35. चूरू टाउन	1
			36. चूरू ग्रामीण	1
			37. सादुलपुर-II	1
			38. मादरा ग्रामीण	1
63.	1456, दिनांक 10-5-78	ग्रामीण वि. जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।	क. अभि.	3
64.	"	..	क. अभि.	6
65.	"	ग्रा. वि. शेरगढ़ जिला, जोधपुर	क. अभि.	3
66.	1538, दिनांक 17-5-78	उप-खंड सर्वे एण्ड निर्माण 132 के. वी. एस.टी.एल., कोटा, मोडक झालावाड़।	..	
67.	1591, दिनांक 19-5-78	..	39. रावतसर	1
68.	2310, दिनांक 27-7-78	उप-खंड, लाडनूं	..	
69.	2690, दिनांक 13-9-78	ग्रा. वि. खानपुर, जिला झालावाड़	क. अभि.	3

1	2	3	4
70.	3274, दिनांक 5-12-78	ग्रा. वि. ढोंड, जिला सीकर	क. अभि. 3
71.	,,	ग्रा. वि. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर	क. अभि. 3
72.	,,	ग्रा. वि. फतेहपुर, जिला सीकर	क. अभि. 3
73.	2694, दिनांक 14-9-78	ग्रा. वि. अन्ता, जिला कोटा	क. अभि. 3
74.	3375, दिनांक 20-12-78	132 के. वी. जी. एस. एस. कुन्डा की ढाणी, आमेर।	..
75.	465, दिनांक 8-3-79	ग्रा. वि. मांडल	क. अभि. 3
76.	,,	ग्रा. वि. नेनवा	क. अभि. 3
77.	,,	ग्रा. वि. बारांनी	क. अभि. 3
78.	,,	ग्रा. वि. बौंली	क. अभि. 3
79.	493, दिनांक 15-3-79	ग्रा. वि. लूणकरणसर	क. अभि. 3
80.	,,	ग्रा. वि. सूरजगढ़	क. अभि. 3
81.	,,	ग्रा. वि. नीम का थाना (टोडा)	क. अभि. 3
82.	,,	ग्रा. वि. किशनगढ़	क. अभि. 3
83.	943, दिनांक 30-4-79	ग्रा. वि. चाकसू	क. अभि. 3
84.	1533, दिनांक 6-7-79	ग्रा. वि. शाहबाद, जिला कोटा	क. अभि. 3
85.	,,	ग्रा. वि. किशनगंज	क. अभि. 3
86.	,,	ग्रा. वि. बडनमोरगढ़	क. अभि. 3
87.	1568, दिनांक 12-7-79	132 के. वी. कोटपूतली	..
88.	1569, दिनांक 12-7-79	132 के. वी. बून्दी	..
89.	1778, दिनांक 2-8-79	132 के. वी. मेड़तासिटी	..
90.	1777, दिनांक 2-8-79	132 के. वी. रेनवाल	..
91.	2183, दिनांक 21-9-79	एस. एण्ड आई. टोंक	..
92.	,,	एस. एण्ड आई. नागौर	..

सूरतगढ एवं जैतसर कृषि फार्मों की लीज

175. **श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सूरतगढ तथा जैतसर फार्मों की लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार इन फार्मों को वहाँ से हटाकर राजस्थान नहर क्षेत्र के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थानान्तरित करवाने एवं इन फार्मों की भूमि में गरीब भूमिहीनों को अलाट करने का इरादा रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। सूरतगढ़ फार्म की लीज अवधि दिनांक 16-8-71 को एवं जैतसर फार्मों की लीज अवधि जनवरी, 79 में समाप्त हो गई है।

सूरतगढ़ फार्म की भूमि के सम्बन्ध में मामला सूरतगढ़ फार्म मूल्यांकन कमेटी के समक्ष विचाराधीन है एवं जैतसर फार्म की भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के बीच मंत्रणा उच्चस्तर पर जारी है।

इन फार्मों को यहाँ से हटाकर अन्यत्र बसाने का मामला विचाराधीन नहीं है। यदि फार्म निगम द्वारा भूमि लौटाई गई तो भूमिहीन गरीबों को आवंटन करने पर विचार सम्भव होगा। लेकिन यह सब निर्णय के बाद ही हो सकेगा।

परिशिष्ट--5

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची

वर्ष 1979 में वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई भूमि का विवरण

नाम जिला	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	भूमि जो हस्तांतरित की गई	वि. वि.
पाली	भीनमाल	हातिमताई ओड	2930 बीघा	5 बिस्वा
उदयपुर	कोटड़ा	..		
	झाडोल	..		
	गोगुन्दा	..	53, 17 है.	
बाँसवाड़ा	खेरवाड़ा	710	10 बीघा	
	बस्सी	128	2 बीघा	
	भोराज	126	2 बीघा	
	भूरीपाड	1260	3 बीघा	
		योग..	17 बीघा	
सवाई माधोपुर	बाणपुर	30/2	75 बीघा	10 बिस्वा
	रावा. फरिया	8,9,10	1094 बीघा	
जयपुर	नामडोली (आमागढ़ मा. वन मेज)	5	1.13 बिस्वा	
..	झालानाडूंगर (जयपुर)	41 एवं 45	20 एकड़	
चित्तौडगढ़	झालर बावड़ी	1, 2 व 3	22.6 एकड़	
	रावतभाटा	93	..	
बूंदी	सूची अगले पृष्ठ पर है।			

भूमि का विवरण

नाम ग्राम	ख. सं.	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	ख. सं. नवीन	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	आवंटन तिथि	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भवानीपुरा	24	14	00	49	14	00	18-2-68	रक्षित वन खण्ड एए. बी.
रैण	15	10	00					
,,	3	5	00	7	15	00	,,	,, ,,
	15	10	00	6	7	17	,,	,, ,,
	3	5	00	7	7	3	,,	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
रामपुरिया	104	2	5	201	2	5	18-3-68	रक्षित वन खण्ड विजयगढ़ वी.
	105	1	12	204	1	12		
,,	16/2	10	00	15/429	8	9	17-5-70	,,
				443/42	1	11		
,,	16/1	14	5	449/42	7	4	30-9-61	,,
				450/43	7	1		
ऊमर	1249/1	1	9	1792	15	4	2023	रक्षित वन खण्ड ऊमरगारा ।
	1250/2	0	7					
	1272/1	13	3					
भोवण	544	16	00	679/2479	16	00	3-8-69	रक्षित वन खण्ड बन्धा का खेड़ा ।
,,	466	10	00	568	5	00	,,	,,
,,	468	5	00	569	10	00	,,	,,
,,	554	8	00	681	8	00	,,	,,
,,	546	12	00	672	12	00	,,	,,
,,	555	6	00	565	6	00	,,	,,
,,	555	8	00	578	8	00	,,	,,
,,	554	15	00	679/2484	15	00	,,	,,
,,	554	8	00	567	8	00	,,	
,,	554	6	00	567	6	00	,,	
,,	555							
,,	557	6	00	681/2475	14	00	,,	,,
,,	558	8	00					
,,	546	12	00	679/2469	12	00	,,	,,
,,	548							
,,	555	6	00	565	6	00	,,	,,
,,	555	6	00	565	12	00	,,	,,
,,	557	6	00					
,,	557	12	00	678	10	10	,,	,,
,,	557	8	00	678/2482	18	08	,,	,,
,,	465	8	00	567/2459	8	00	24-6-70	
,,	465	15	00	568	15	00	,,	
,,	1654	15	00	2001	6	10	,,	,,
				2001/2507	6	10	(8/10)	
,,	464	20	00	566	28	9	14-10-68	,,
,,	554	10	00	567	7	00		,,
,,	555	5	00	569	6	3	9-10-68	,,
,,	468	6	03	571	4	1		
,,	546	6	00	2204/672	5	00	10-10-68	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओवण	714	15	00	875	7	0	1962	रक्षित वन खण्ड बन्धा का खेड़ा।
,,	715							
,,	451	8	00	568	8	00	1964	,,
,,	1648	8	00	1995	8	00	877	,,
,,	1648	15	00	1995	15	00		ओवण
,,	482	15	00	583	15	00	,,	,,
,,	587	10	00	720	2	17	1971	बन्धा का खेड़ा
,,				721	8	6		,,
,,	498	10	00	662	1	00		
,,				663	0	11	,,	
,,				664	0	13		
,,				661	7	00		
,,	585	1	00	777	1	00		
,,	1708/1	15	00	2124	3	15	,,	,,
,,	1708/2			2126	6	5	,,	नरही बाड़ी का खेड़ा।
,,				2127	5	00		
,,	538			659	15	00	,,	
,,	2784			2232	5	00		वन खण्ड बन्धा का खेड़ा
,,	462			564	10	00		का ओवण वन खण्ड।
,,	462			564	10	00		वन खण्ड बन्धा
खीण्या	1960	15	00	2652	15	00	9-6-74	का खेड़ा।
,,	1960	5	00	2652	5	00	,,	वन खण्ड, सीमा ,,

ह.
मण्डल वन अधिकारी,
बून्दी (राज०)।

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची

ROAD PROPOSED UNDER SIXTH FIVE YFAR PLAN

GENERAL ABSTRACT NAME OF DISTRICT:—TONK.

S. No.	Classification of roads		Amount (Rs. in Lacs)
1	2		3
1.	STRENGTHENING OF EXISTING MAIN ROADS		70.00
	(a) State Highways.	60.00	
	(b) Major District Roads.	5.00	
	(c) Other District Roads.	5.00	
		70.00	
2.	COMPLETION OF INCOMPLETE ROAD WORKS.		
	(a) Completion of roads in hand now up to destination		72.00
	(b) Major Important roads taken up earlier under various schemes		..
	(c) Missing links		..
3.	C. D. WORKS (on existing roads)		200.00

1	2	3
4.	RURAL ROADS.	
	(a) Approach road to Mandies	
	(b) Roads to Tehsils & Panchayat Samitis	
	(c) Approach road to Rail heads from neighbouring villages	
	(d) Roads of Social & Religious importance	
	(e) Milk routes	
	(f) Roads in Tribal Area	
	(g) Roads in area inhabitated by scheduled castes & backward classes	
5.	NEW ROADS (Taken under various other heads as per importance)	
6.	INTER-STATE ROADS	
7.	APPROACH ROADS TO MINES AND QUARRIES	
8.	ROADS IN INDUSTRIAL AREAS	
9.	ROADS OF TOURIST IMPORTANCE	
10.	MUNICIPAL AND URBAN ROADS (IMPROVEMENT)	
	TOTAL ..	344.00 Lacs.